BED I- PE 2

समकालीन भारत एवं शिक्षा

Contemporary India and Education

शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

ISBN: 13-978-93-85740-65-7
BED I- PE 2 (BAR CODE)

BED I- PE 2

समकालीन भारत एवं शिक्षा

Contemporary India and Education

शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

अध्ययन बोर्ड	विशेषज्ञ समिति
□**प्रोफेसर एच० पी० शुक्ल** (अध्यक्ष- पदेन), निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय □**प्रोफेसर मुहम्मद मियाँ** (बाह्य विशेषज्ञ- सदस्य), पूर्व अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया व पूर्व कुलपति, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद □**प्रोफेसर एन० एन० पाण्डेय** (बाह्य विशेषज्ञ- सदस्य), विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, एम० जे० पी० रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली □**प्रोफेसर के० बी० बुधोरी** (बाह्य विशेषज्ञ- सदस्य), पूर्व अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय, एच० एन० बी० गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, उत्तराखण्ड □**प्रोफेसर जे० के० जोशी** (विशेष आमंत्री- सदस्य), शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय □**प्रोफेसर रम्भा जोशी** (विशेष आमंत्री- सदस्य), शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय □**डॉ० दिनेश कुमार** (सदस्य), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय □**डॉ० भावना पलड़िया** (सदस्य), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय □**सुश्री ममता कुमारी** (सदस्य), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा एवं सह-समन्वयक बी० एड० कार्यक्रम, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय □**डॉ० प्रवीण कुमार तिवारी** (सदस्य एवं संयोजक), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा एवं समन्वयक बी० एड० कार्यक्रम, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	□**प्रोफेसर एच० पी० शुक्ल** (अध्यक्ष- पदेन), निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय □**प्रोफेसर सी० बी० शर्मा** (बाह्य विशेषज्ञ- सदस्य), अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा □**प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा** (बाह्य विशेषज्ञ- सदस्य), अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय व सामाजिक विज्ञान संकाय, अटल बिहारी बाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल □**प्रोफेसर जे० के० जोशी** (विशेष आमंत्री- सदस्य), शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय □**प्रोफेसर रम्भा जोशी** (विशेष आमंत्री- सदस्य), शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय □**डॉ० दिनेश कुमार** (सदस्य), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय □**डॉ० भावना पलड़िया** (सदस्य), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय □**सुश्री ममता कुमारी** (सदस्य), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा एवं सह-समन्वयक बी० एड० कार्यक्रम, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय □**डॉ० प्रवीण कुमार तिवारी** (सदस्य एवं संयोजक), सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा एवं समन्वयक बी० एड० कार्यक्रम, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

दिशाबोध: प्रोफेसर जे० के० जोशी, पूर्व निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

कार्यक्रम समन्वयक:	कार्यक्रम सह-समन्वयक:	पाठ्यक्रम समन्वयक:	पाठ्यक्रम सह समन्वयक:
डॉ० प्रवीण कुमार तिवारी समन्वयक, शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड	**सुश्री ममता कुमारी** सह-समन्वयक, शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड	**डॉ० प्रवीण कुमार तिवारी** समन्वयक, शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड	**सुश्री ममता कुमारी** सह-समन्वयक, शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड

प्रधान सम्पादक	उप सम्पादक
डॉ० प्रवीण कुमार तिवारी समन्वयक, शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड	**सुश्री ममता कुमारी** सह-समन्वयक, शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड

विषयवस्तु सम्पादक	भाषा सम्पादक	प्रारूप सम्पादक	प्रूफ़ संशोधक
सुश्री ममता कुमारी सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	**सुश्री ममता कुमारी** सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	**सुश्री ममता कुमारी** सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	**सुश्री ममता कुमारी** सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

सामग्री निर्माण

प्रोफेसर एच० पी० शुक्ल निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	**प्रोफेसर आर० सी० मिश्र** निदेशक, एम० पी० डी० डी०, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

© उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, 2017

ISBN-13-978-93-85740-65-7

प्रथम संस्करण: 2017 (पाठ्यक्रम का नाम: समकालीन भारत एवं शिक्षा, पाठ्यक्रम कोड- BED I- PE 2)

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पुस्तक के किसी भी अंश को ज्ञान के किसी भी माध्यम में प्रयोग करने से पूर्व उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय से लिखित अनुमति लेना आवश्यक है। इकाई लेखन से संबंधित किसी भी विवाद के लिए पूर्णरूपेण लेखक जिम्मेदार होगा। किसी भी विवाद का निपटारा उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में होगा।

निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा निदेशक, एम० पी० डी० डी० के माध्यम से उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के लिए मुद्रित व प्रकाशित।
प्रकाशक: उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय; **मुद्रक:** उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय।

कार्यक्रम का नाम: बी० एड०, कार्यक्रम कोड: BED- 17

पाठ्यक्रम का नाम: समकालीन भारत एवं शिक्षा, पाठ्यक्रम कोड- BED I- PE 2

इकाई लेखक	खण्ड संख्या	इकाई संख्या
डॉ० स्वेता द्विवेदी सहायक प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, मिजोरम केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आइजोल, मिजोरम	1	2
डॉ० सुभाष मिश्र सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक, सिक्किम	1	3
श्री रश्मि रंजन सिंह सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, बैकुंठ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, अमलोरी, सिवान, बिहार	1	4
डॉ० बृजेश कुमार राय सहायक प्रोफेसर, विशिष्ट शिक्षा संकाय, शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ	1	5
श्री बीरेन्द्र सिंह रावत शिक्षा विभाग, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	2	2
श्रीमती मनीषा पन्त अकादमिक परामर्शदाता, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	2	3
डॉ० दिनेश कुमार सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	2	4
डॉ० भावना पलड़िया सहायक प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड	3 4	1 3
डॉ० आशीष श्रीवास्तव सह प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, विनय भवन, विश्वभारती, शांतिनिकेतन, वीरभूमि, पश्चिम बंगाल	3 4	2 1
डॉ० पतंजलि मिश्र सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विद्यापीठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान	3	4
डॉ० उपासना रे सहायक प्रोफेसर, शिक्षक शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, NCERT, भुवनेश्वर, उड़ीसा	4	4

BED I- PE 2
समकालीन भारत एवं शिक्षा
Contemporary India and Education

खण्ड 1		
इकाई सं०	**इकाई का नाम**	**पृष्ठ सं०**
1	इकाई: एक	-
2	विभिन्न स्तरों पर विविधिता - वैयक्तिक, क्षेत्रीय, भाषा, जाति और समूह, इन विविधताओं के कारण उत्पन्न समस्याओं का सामना करना, साथ ही साथ समुदायों और वैयक्तिक भिन्नता पर आधारित विविधतापूर्ण ज्ञान और अनुभव से प्राप्त लाभ को उपयोग में लाना	2-19
3	समाज में विविधता, असमानता एवं सीमान्तता – इन समुदायों एवं व्यक्तियों की शिक्षा से मांग को समझना साथ ही उनकी पूर्ति हेतु सामाजिक-शैक्षणिक रणनीतियों का विकास	20-36
4	विविधता के संदर्भ में बच्चों को विकसित करने में शिक्षा की भूमिका	37-58
5	शिक्षार्थियों को 'एक साथ जीना सीखाने' में समर्थ बनाने के लिए शिक्षा की भूमिका; सामूहिक जीवन का लाभ; शांतिपूर्ण और उचित प्रकार से वार्ता एवं आपसी समझौते के माध्यम से तनाव के समाधान हेतु शैक्षिक आगत	59-74

खण्ड 2		
इकाई सं०	**इकाई का नाम**	**पृष्ठ सं०**
1	इकाई: एक	-
2	शिक्षा के उद्देश्यों से संबंधित "संवैधानिक मूल्यों" की आलोचनात्मक समझ	76-85
3	असमानता, भेदभाव एवं अपवंचन वर्ग की पहचान तथा इनके उन्मूलन हेतु संवैधानिक प्रावधान	86-103
4	शिक्षा के सार्वभौमिकरण के माध्यम से स्वतन्त्रता, न्याय, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक वायदों की पूर्ति	104-119

खण्ड 3		
इकाई सं०	**इकाई का नाम**	**पृष्ठ सं०**
1	मुद्दे एवं नीतियाँ	121-136
2	आधुनिक शिक्षा तथा इसके प्रति प्रतिक्रियाएँ	137-150
3	इकाई: तीन	-
4	बहुभाषिक शिक्षा पर वर्तमान दौर में बढ़ता शोध, स्कूलिंग के माध्यम पर टिप्पणी, भाषा नीतियों के सन्दर्भ में संवैधानिक प्रावधान	151-163

खण्ड 4		
इकाई सं०	**इकाई का नाम**	**पृष्ठ सं०**
1	सुनियोजित औद्योगिकीकरण के सन्दर्भ में कोठारी आयोग की महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ एवं कार्यान्वयन	165-180
2	**इकाई: दो**	-
2	मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम की समीक्षा	181-193
4	मध्यान्ह शिक्षा का सर्वसाधारणीकरण, स्तरीकरण एवं निजीकरण	194-211

खण्ड 1

Block 1

इकाई 2- विभिन्न स्तरों पर विविधिता -वैयक्तिक, क्षेत्रीय, भाषा, जाति और समूह , इन विविधताओं के कारण उत्पन्न समस्याओं का सामना करना ,साथ ही साथ समुदायों और वैयक्तिक भिन्नता पर आधारित विविधतापूर्ण ज्ञान और अनुभव से प्राप्त लाभ को उपयोग में लाना

Existence of Diversity at Various Levels- Individual, Regions, Languages, Religious Castes and Tribes. Tackling the Problem Arising because of These Diversities as well as harnessing the Benefits of Diverse Knowledge and Experience Based of the Diverse Communities and Individuals

2.1 प्रस्तावना
2.2 उद्देश्य
2.3 भारत में विविधता
2.4 विभिन्न स्तरों पर विविधताओं के कारण उत्पन्न समस्याएं
2.5 विविधता के कारण कक्षा में उत्पन्न होने वाली समस्याएं
2.6 समुदायों और व्यक्तिक भिन्नता पर आधारित विविधतापूर्ण ज्ञान और अनुभव से प्राप्त लाभ
2.7 कक्षा में व्याप्त विविधता का शैक्षिक उपयोग
2.8 सारांश
2.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
2.10 शब्दावली
2.11 सन्दर्भ ग्रंथ सूची
2.12 निबंधात्मक प्रश्न

2.1 प्रस्तावना

भारत एक विशाल देश है । इसका भौगोलिक विस्तार और विस्तृत क्षेत्रफल उसे और भी विशालता प्रदान करते हैं। यहां प्राकृतिक विविधता, जातिगत , भाषा, धर्म संबंधी विविधता स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। इसके साथ ही भारतीय संस्कृति के मूलभूत तत्वों की तरफ ध्यान दें तो हमें पाते हैं कि यह बहिर्मुखी होने की अपेक्षा अंतर्मुखी अधिक है ।यदि इसके मूल स्वरुप को देखा जाए तो भौतिकता की अपेक्षा आध्यात्मिकता पर अधिक बल देती है । भारत के सभी 10 दर्शन में हमें भारतीय संस्कृति की झलक मिल जाती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राजस्थान से अरुणाचल प्रदेश तक विविधताओं से भरे होने के पश्चात भी इसमें अंतर्निहित एकता को आप महसूस कर सकते हैं। वर्तमान परिपेक्ष्य में आधुनिक समाज बहुत ही तेजी से बदलता जा रहा है। इसके लिए बहुत सारे कारक एक साथ कार्य कर रहे हैं, इन सभी कारकों के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करना व उन समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास होना चाहिए। भारत में अन्तर्निहित विविध स्तरों पर विद्यमान इन्हीं विविधताओं, उनसे उत्पन्न समस्याओं और इन विविधताओं से प्राप्त ज्ञान और अनुभवों के प्रयोग का अध्ययन इस अध्याय के अंतर्गत किया जाएगा।

2.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप -

1. भारतीय समाज में विभिन्न स्तरों पर पायी जाने वाली विविधता को विश्लेषित कर सकेंगे।
2. भारतीय समाज के आधुनिक स्वरूप को स्पष्ट कर सकेंगे।
3. वर्तमान में हो रहे सामाजिक,आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों पर अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।
4. भारतीय समाज में उत्पन्न विभिन्न समस्याओं के कारकों की व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगे।
5. भारतीय समाज में निहित समस्याओं का विश्लेषण कर सकेंगे।
6. भारतीय समाज में निहित समस्याओं का गहन अध्ययन कर स्वयं समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे।

2.3 भारत में विविधता

विविधता की दृष्टि से भारत जैसा सम्पन्न देश विरले ही कोई होगा जहाँ पूर्व पश्चिम से एकदम भिन्न है और उत्तर दक्षिण से पूरी तरह से भिन्न है। भारत जहाँ सांस्कृतिक सम्पन्नता और विविधता हर तरफ देखने को मिलती है, जहाँ 8 से भी अधिक धर्मों को मानने वाले लोग हैं, 200 भाषाओँ और 1600 से भी अधिक बोलियों को बोलने वाले हैं, 29 राज्य और 7 केन्द्रशासित प्रदेश हैं, लगभग 3000 जातियाँ और 25000 उपजातियों से सम्बंधित लोग भारत में निवास करती हैं। भौगोलिक दृष्टि से भारत की विविधता के विषय में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि "यदि कोई विदेशी, जिसे भारतीय परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है, सारे देश की यात्रा करे तो, वह वहाँ की भिन्नताओं को देखकर यही समझेगा कि, यह एक देश नहीं,

बल्कि छोटे-छोटे देशों का समूह है और ये देश एक-दूसरे से अत्यधिक भिन्न है। जितनी अधिक प्राकृतिक भिन्नताएँ यहाँ हैं, उतनी अन्यत्र कहीं पर नहीं हैं। देश के एक छोर पर उसे हिम मंडित हिमालय दिखाई देगा और दक्षिण की ओर बढ़ने पर गंगा, यमुना एवं ब्रह्मपुत्र की घाटियाँ, फिर विन्ध्य, अरावली,सतपुड़ा तथा नीलगिरी पर्वत श्रेणियों का पठार। इस प्रकार अगर वह पश्चिम से पूर्व की ओर जायेगा तो उसे वैसी ही विविधता और विभिन्नता मिलेगी। उसे विभिन्न प्रकार की जलवायु मिलेगी। हिमालय की अत्यधिक ठण्ड, मैदानों की ग्रीष्मकाल की अत्यधिक गर्मी मिलेगी। एक तरफ़ असम का समवर्षा वाला प्रदेश है, तो दूसरी ओर जैसलमेर का सूखा क्षेत्र, जहाँ बहुत कम वर्षा होती है। इस प्रकार भौगोलिक दृष्टि से भारत में सर्वत्र विविधता दिखाई पड़ती है"।

भारत के अनेक क्षेत्रों में सांस्कृतिक विविधता दृष्टिगोचर होती है। यहाँ अलग-अलग क्षेत्रों के व्यक्तियों में पर्याप्त रूप में सांस्कृतिक भिन्नता मिलती है। क्षेत्रों के अनुसार लोगों की शारीरिक बनावट, खान-पान, रहन-सहन, वेश-भूषा, यहाँ तक की उनकी मानसिकता भी अलग-अलग होती है।

1. **वैयक्तिक पक्ष-** प्राचीन भारत में मानव जीवन को चार अवस्थाओं में बांटा गया था- ब्रम्हचार्य , गृहस्थ ,वानप्रस्थ व सन्यास। , पहली अवस्था में एवं ज्ञान का अर्जन किया करता था दूसरी अवस्था में इस ज्ञान का अनुप्रयोग व उपयोग, अंत में जीवन मुक्ति के अवस्था में मोक्ष की प्राप्ति की लालसा होती थी। पारिवारिक व सामाजिक व्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने के लिए यह सारी व्यवस्था व्यवस्थाएं की गई थी। वर्ण व्यवस्था उस समय वर्ण व्यवस्था का आधार गुण, कर्म के आधार पर किया जाता था। श्रम का विभाजन अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए किया गया था। इसके अंतर्गत ब्राह्मण ,क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चार वर्णों में कार्य का विभाजन हुआ था। योग्यतम व्यक्तियों को उनकी रुचि, अभिवृत्ति व योग्यता के अनुसार कार्य प्रदान किया जाता था ना की जन्म के आधार पर। अपने कर्म के अधर पर व्यक्ति एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जा सकता था। पर कालांतर में वर्ण जन्म के साथ जुड़ गया और यहीं से समस्याएँ उत्पन्न होनी शुरू हो गयीं।

   भिन्नता का दूसरा आधार धर्म है। धार्मिक आस्थाओं और मान्यताओं के आधार पर भी हम एक-दूसरे से अलग हैं। प्राचीन समय में एकही धर्म से जुड़े अलग-अलग मतावलंबी थे पर कालांतर में कुछ नए धर्मों का उदय हुआ और कुछ अन्य धर्मावलम्बी बहार से आए। वर्तमान समय में भारत में 8 से अधिक धर्मों को मानने वाले हैं और धार्मिक आधार पर एक दुसरे से भिन्न हैं।

   वैयक्तिक भिन्नता का सबसे मुख्य आधार मनोवैज्ञानिक आधार है। इसके अनुसार हम सभी एक जैसे होकर भी बुद्धि, व्यक्तित्व, रूचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, दक्षता आदि आधारों पर एक-दूसरे से बहुत ही भिन्न हैं और अपनी भिन्नताओं के आधार पर हमारी आवश्यकता भी भिन्न है।

   भिन्नता का एक अन्य आधार लैंगिक आधार भी है। इस आधार पर विश्व और भारत की सम्पूर्ण आबादी दो भागों में बंटी हुई है। हालांकि कुछ उभयलिंगी भी हैं जो अपनी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर स्त्रिऔर पुरुष से अलग हैं। इसके अतिरिक्त लैंगिक चयन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी भिन्नता देखी जा सकती है।

धर्म शब्द को अंग्रेजी भाषा में 'रिलीजन' कहते हैं जिसका अर्थ है- संबंध स्थापित करना अर्थात उस शक्ति से मानव है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ सद्भावना, प्रेम के साथ पवित्रता ,दया, निष्पक्षता ,नमृता जैसे गुणों का संकुचित अर्थ में धर्म का अर्थ है किसी अमुक् धर्म के प्रति श्रद्धा रखना । जबकि व्यापक अर्थों में धर्म का अर्थ है , हृदय व चरित्र की पवित्रता, जन सेवा ,आध्यात्मिक विकास। धर्म का क्षेत्र मानव का जीवन क्षेत्र है। इस संबंध में वाइट हेड का कहना है- " धर्म एक ऐसे तत्व का दर्शन है जो हमारे परे(बाहर) पीछे तथा भीतर है। " धर्म के द्वारा मानव सहनशील व नम्र बनता है, उसकी अंदर समाज सेवा की भावना विकसित होती है। धर्म संस्कृति का वह पक्ष है जोकि मानव में विकास में मदद करता है। धर्म के द्वारा नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण का निर्माण और साथ ही साथ संस्कृति व संरक्षण का विकास करने में भी धार्मिक शिक्षा मुख्य भूमिका निभाती है । भारत में धारा 19 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को आध्यात्मिक स्वतंत्रता दी गई है इसके अनुसार सभी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। हमारे राज्य का अपना निजी धर्म नहीं है, यहां जनतंत्र अथवा लोकतंत्र ही सत्य है।

2. **क्षेत्रीय पक्ष-** किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित भावनाओं के एकीकरण व अलग पहचान बनाए जाने को हम क्षेत्रीयता के रुप में जानते हैं। स्वाधीन भारत में 1947 के बाद से क्षेत्र विशेष के आधार पर अलग-अलग राज्यों का गठन हुआ है। देखा जाए तो भारत बहुभाषी, धर्मनिरपेक्ष, शांति प्रिय राष्ट्र के रूप में जाना जाता है परंतु आंतरिक दृष्टिकोण से हमें यह ज्ञात होता है कि क्षेत्र विशेष को लेकर कुछ लोगों का दृष्टिकोण भिन्न हो सकता है। आज जी हम भी नए क्षेत्रों प्रदेश की स्थापना को लेकर उठ रहे आंदोलनों व मांगों का समर्थन करते हुए लोगों को देख सकते हैं। भारत के उत्तर-दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी जगह पर इस तरह की मांग उठते हुए हम देख सकते हैं। क्षेत्रीयता के आधार पर अगर हम नजर डालें तो हम पाते हैं भौगोलिक स्थिति, विशेष भाषा संबंधी विषय क्षेत्र अथवा एक समान होने के किसी भी मुद्दे को लेकर क्षेत्रीयता के समस्याओं को उठाया जा सकता है
3. **भाषा-** भारत के विभिन्न प्रान्तों में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं । यह विशेषता भाषायी आधार पर इन प्रान्तों को दूसरे प्रान्त से अलग करती है । वर्तमान समय में 22 भाषाओं को अधिकारिक भाषाओँ के रूप में मान्यता प्राप्त हैं । कुछ अन्य भाषाओं को भी इस सूची में सम्मिलित करने की माँग की जा रही है। इसमें हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा ,सांस्कृतिक भाषा के रूप में स्थापित है। इसके अतिरिक्त संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी भाषा से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्तमान में जिन 22 भाषाओं को स्थान प्रदान किया गया है। यह निम्नलिखित है-

   1.आसामी 2. बंगाली 3. गुजराती 4. हिंदी 5. कन्नड़ 6. कश्मीरी 7. कोंकणी 8. मलयालम 9. मणिपुरी 10.मराठी 11. नेपाली 12.उड़िया 13. पंजाबी 14.संस्कृत 15. सिंधी 16. तमिल 17.तेलुगु 18. उर्दू 19.बोडो 20.संथाली 21. मैथिली और 22. डोगरी

राजभाषा के रूप में हिंदी भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है इसकी एकता व अखंडता को ध्यान में रखते हुए हिंदी को यह दर्जा प्रदान किया गया भारत एक बहुभाषी देश है , जिसमें हिंदी के अलावा अन्य प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग होता है परंतु हिंदी भाषी प्रदेशों में अर्थात उत्तर भारत के अधिकार क्षेत्र में हिंदी ही बोली जाती है। प्रमुख हिंदी भाषी क्षेत्रों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व दिल्ली का नाम शामिल है\ हिंदी व क्षेत्रों में इन क्षेत्रों में हिंदी व उससे संबंधित बोलियों के बीच में इतनी तारतम्यता है कि हिंदी के स्वरूप का सही सही आकलन करना मुश्किल हो जाता है\ भारत के संदर्भ में मातृभाषा में क्षेत्रीय भाषाएं भी है इसके अलावा अंग्रेजी भाषा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, प्रशासनिक कार्यों व अन्य कार्यों में प्रमुख रूप से प्रयोग में लाई जाती है \ उदारीकरण के बाद विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने के बाद इसका प्रयोग तेजी से बढा है इसके अलावा शिक्षा के माध्यम के रुप में आज बहुत से विद्यालय अंग्रेजी को मुख्यतः प्रयोग में लाते हैं भारत की शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहां त्रिभाषा सूत्र पर विशेष बल दिया गया है जिसके अंतर्गत मातृभाषा, प्रथम भाषा व द्वितीय भाषा सीखने पर ध्यान केंद्रित किया गया है स्वतंत्रता के बाद विभिन्न आयोगों ने भी शिक्षा में भाषा के माध्यम के प्रयोगों पर अपनी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की है

4. **जाति-** जाति उस वर्ग को कहते हैं जिसमें सदस्यों की सदस्यता और कर्तव्य उनके जन्म से ही निश्चित हो जाते हैं । एक बंद वर्ग है जिसके कारण एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति में स्थान प्राप्त नहीं कर सकता । प्रत्येक जाति का अपना खानपान, विवाह व्यवस्था ,आजीविका, परंपरा का आचार विचार होते हैं जो कि इस एकता प्रदान करते हैं । हमारे देश में प्राचीन भारत में कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय ,वैश्य, शुद्र चार वर्ण अथवा जातियों का निर्माण हुआ था । ब्राह्मण कर्मकांड, मंत्रो का जाप, विद्या का पठन-पाठन करते थे। क्षत्रिय देश व राज्य की सुरक्षा किया करते थे। वैश्य वाणिज्य एवं व्यापार का संचालन करते थे और शूद्र उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करते थे । यह जाति व्यवस्था सामुदायिक एकता के साथ व्यक्तियों को मानसिक सुरक्षा भी प्रदान करती थी ।आज वर्तमान में जाति व्यवस्था संपूर्ण समाज में छुआछूत, ऊंच- नीच, भेदभाव भी बढ़ते जा रहा है। प्राचीन भारत में जातीयता के अनुसार व्यवसाय को निश्चित करना है , बाद में पैतृकता की वजह से सामाजिक गतिशीलता भी खत्म की कम हो गई है। जातीयता के दोष को देखते हुए पंडित नेहरू ने लिखा है – "भारत में जाति प्राचीन काल में कितनी ही उपयोगी क्यों ना रही हो ,पर इस समय यह सब प्रकार की उन्नति के मार्ग में बड़ी भारी बाधा और रुकावट बन रही हैं। आज यह हमारी दया के पात्र नहीं है, और किसी की भावना के अधीन ना होकर अधीन ना होकर हमें इसके साथ मोह नहीं करना चाहिए। हमें इसे जड़ से उखाड़ कर अपनी सामाजिक रचना दूसरे ही ढंग से करनी होगी । "

   संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों , अन्य कमजोर वर्ग की सामाजिक कमियों, आर्थिक हितों को बढ़ावा देने , सुरक्षा व संरक्षण दिए देने की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का निर्माण किया गया है। इसके अलावा 19 नवंबर 1976 अस्पृश्यता (अपराध)अधिनियम में कठोर दंड का प्रावधान रखा गया है।

विधानमंडल , राज्य से संबंधित सरकारी नौकरी में उचित आरक्षण व प्रतिनिधित्व प्राप्त रहेगा। इसके अतिरिक्त आयु सीमा में छूट, उपयुक्तता संबंधी मानकों में छूट अयोग्य ना होने पर पदों के लिए चयन , सीधी भर्ती मामलों में अनुभव संबंधी छूट प्रदान की गई है । राज्यों में कल्याण विभाग, स्वयंसेवी संगठन कल्याण को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं । संविधान के अनुच्छेद 244 और पांचवी अनुसूची के अनुसार आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान के कुछ इलाकों को अनुसूचित क्षेत्र माना गया है और इन राज्यों के राज्यपाल को क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को 1 वर्ष में वार्षिक रिपोर्ट भेजनी होती है। अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई हैं । उनके लिए दसवीं कक्षा के पास छात्रवृति योजना,बालिका छात्रावास योजना, पुस्तक बैंक योजना, राष्ट्रीय स्तर की छात्र वृत्तियां की योजना बनाई है । अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अल्पसंख्यक आयोग 1978 स्थापना की गई । आयोग के अध्यक्ष के अलावा में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य भी होते हैं । इसमें संविधान में उपलब्ध कराई गई सभी सुरक्षा का मूल्यांकन कार्यक्रम -उसके लिए सुझाव, केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों की समीक्षा अधिकारों का सुरक्षा से वंचित किए गए खास शिकायतों की जांच करना, सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य, अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में कानून व कल्याण संबंधी उपाय सुझाना और सरकार को रिपोर्ट भेजना। आयोग इन मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत(1993) में केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक सेल नामक एक विशेष प्रकोष्ठ कि स्थापना भी की है । यह कार्यक्रम सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने ,सांप्रदायिक हिंसा को रोकने ,अल्पसंख्यकों की शैक्षिक आवश्यकता पर बल देने के लिए, सेवाओं, केंद्रीय और राज्य पुलिस में भर्ती के लिए अल्पसंख्यको पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए अन्य विकासात्मक कार्यक्रम को ढंग से लागू करने पर बल देती है

वर्तमान समय में भारत में लगभग 3000 से अधिक जातियाँ, 25000 उपजातियां और 700 जनजातियाँ हैं ।

5. **सामाजिक समूह -** सामाजिक समूह का निर्माण दो या दो से अधिक व्यक्तियों से होता है। बच्चे का मूलभूत समूह उसका परिवार है। यह एकांकी अथवा संयुक्त हो सकता है। वह अपने परिवार के साथ बड़ा होता है और अन्य समस्त समूहों की सदस्यता को प्राप्त करता चला जाता है । बड़े होने के पश्चात उसके समूह में स्कूल, क्लब, खेलकूद के समूह, व्यवसायिक संगठन आदि जुड़ जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक वातावरण में रहते हुए सामाजिक जीवन के गुणों की शिक्षा प्राप्त करता है।
   i. **व्यावसायिक समूह-** व्यवसायिक समूह में प्रत्येक सदस्य किसी व्यवसाय में लगा रहता है, लोहे के काम को करने वाले लोहार के समूह, बाल काटने वाला नहीं नाई। इस तरह से विभिन्न उपवर्गो, स्थानों, व्यवसाय से जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। परंतु इसका एक और पक्ष है की सभी व्यवसायिक समूह अपने-अपने सदस्यों की प्रशिक्षण व कुशलता की वृद्धि के लिए प्रयास करते हैं जिससे वह अपने समूह की उन्नति के लिए हर संभव प्रयास करते हैं।

ii. **धार्मिक समूह-** भारत में अनेक भाषा व धर्म के लोग रहते हैं। धार्मिक समूह में प्रमुख हिंदू ,मुसलमान ,सिख, इसाई, पारसी, जैन व बौद्ध शामिल है। इसके अलावा इन सभी में अलग-अलग उपसमूह भी है। भारतीय सामाजिक जीवन में धार्मिक समूहों का भी विशेष महत्व है। एक ही धर्म में आस्था रखने वाले लोग आपसी सहयोग वह सहानुभूति की भावना से जुड़े होते हैं, उनमें घनिष्ठता बढ़ती है वह वह वह सामाजिक एकता को स्थापित रखने में भी कार्य करते हैं। प्रत्येक धार्मिक समूह नैतिकता को ध्यान में रखते हुए सामाजिक समाज कल्याण की कार्य करने का प्रयास करता रहता है।

iii. **आर्थिक समूह-** भारत में आर्थिक दृष्टि से भी विविधता व्याप्त है। यहाँ धन का असमान वितरण है। एक तरफ़ एक बड़ा वर्ग ऐसा है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ़ ऐसा भी वर्ग है, जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ तथा आय इतनी अधिक है कि वह विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं।

अन्य वर्ग उपरोक्त सभी समूहों के अलावा विभिन्न आयु ,लिंग, जाति, उद्योग के आधार पर भी अलग-अलग सामाजिक वर्ग है।

अभ्यास प्रश्न

1. संविधान के किन अनुच्छेदों में भाषा संबंधी प्रावधान का वर्णन किया गया है?
2. मनुस्मृति में किन वर्णों का उल्लेख किया गया है ?
3. अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई ?
4. विभिन्न स्तरों पर विविधताओं के कारण उत्पन्न समस्याओं को सूचीबद्ध करें।
5. भारत में कुल कितनी जातियाँ और उपजातियाँ हैं?

2.4 विभिन्न स्तरों पर विविधताओं के कारण उत्पन्न समस्याएं

भारत में पायी जाने विविधता के कारण विभिन्न स्तरों पर कई समस्याएं देखी जा सकती हैं। भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था की समाप्ति के पश्चात तेजी से परिवर्तन देखा जा सकता है। आधुनिक भारत में दार्शनिक, सामाजिक व वैचारिक सभी क्षेत्रों में परिवर्तन आया है। पाश्चात्य देशों के संपर्क में आने के पश्चात आधुनिकीकरण व पश्चिमीकरण दोनों का प्रभाव एक साथ देखा जा सकता है। इन परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार कारको का विवेचन इस प्रकार है-

1. **जनसंख्या विस्फोट-** क्षेत्रफल के आधार पर भले ही हमारा देश विश्व में साँतवा स्थान रखता है परन्तुजनसंख्या की दृष्टि से यह दूसरे स्थान पर है और तेज़ी से पहले स्थान की ओर बढ़ रहा है। देश में जहाँ किसी शासन या ताकत का आधार बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक के आधार पर होता

है; भिन्न-भिन्न धर्मों के लोग सत्ता और ताकत अपने हाथ में लेने के लिए तेज़ी से अपनी संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं जिससे बड़ी जनसंख्या के दुष्प्रभावों से हमारा देश जूझ रहा है।

2. **आदिम समूहों का अस्तित्व विलोपन-** कुछ जीव-जंतुओं की तरह कुछ आदिम जनजातियाँ और उनकी संस्कृति भी विलोप के कगार पर हैं ।उनकी विविधता का सम्मान न करते हुए उनको या तो परिवर्तित किया जा रहा है या फिर नष्ट किया जा रहा है जो कि गलत है। सरकार द्वारा इसको रोकने के लिए नियम और नीतियां भी बनायीं गयी हैं परन्तु वह पूर्ण तौर पर सफल नहीं हैं।
3. **क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय विवाद-** भाषा के आधार पर प्रदेशों के बनने के कारण क्षेत्रीयता का प्रभाव बढ़ा है। किसी विशेष प्रदेश के निवासी भाषायी या अन्य आधारों पर अन्य प्रदेश के निवासियों से स्वयं को अलग मानते हैं और उनके प्रति विद्वेष रखते हैं और समय-समय पर हिंसा का प्रदर्शन एक-दूसरे के खिलाफ करते रहते हैं जो राष्ट्रीय प्रगति और राष्ट्र बंधुत्व के खिलाफ है।
4. **देश में एक भाषा की समस्या-** देश में इतनी अधिक भाषाओँ और बोलियों के होने से कई बार लोगों को एक-दूसरे से मिलने-जुलने और संवाद स्थापित करने में कतिनाई होती है जिससे संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। अलग-अलग भाषा होने के कारण हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है और हिंदी को जो राजभाषा की संज्ञा दी गयी है वह मात्र कागजों पर ही रह गयी है। राष्ट्र भाषा के रूप में हिंदी को स्थापित न होने का कारण क्षेत्रीय भाषाएँ ही हैं। और स्थिति यह है कि विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों को आपस में संवाद स्थापित करने हेतु विदेशी भाषा अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ता है। जिन लोगों को अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है उन लोगों को नीची नज़रों से देखा जाता है जिससे वह उन सार्वजनिक जगहों पर कुछ बोलने से बचते हैं जहाँ अंग्रेजी का बोलबाला हो। कुछ राज्यों में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा के स्थान पर अंग्रेजी में देने की योजना बनायीं गयी है। विदेशी भाषा का ज्ञान अच्छा है परन्तु यह ज्ञान मातृभाषा को तिलांजलि देकर नहीं लेना चाहिए।
5. **निर्धनता-** यह एक बहुत बड़ी परेशानी के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है। जिसकी वजह से लोग रोटी ,कपड़ा मकान जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। उनमें असुरक्षा की भावना विकसित होती है, जिसकी वजह से चरित्र में भी गिरावट देखी जाती है।
6. **वर्ण व्यवस्था-** भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था के आधार पर बंद समाज बन गया था। जिसमें गतिशीलता का अभाव हो गया था इसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाने लगा था। उच्च वर्ग के लोग अधिक से अधिक सामाजिक संसाधनों पर अपना अधिकार कर के बैठे हुए थे और उसके अलावा निम्न वर्ग का शोषण बहुत अधिक होने लगा था।
7. **भेदभाव की स्थिति-** अपने ही देश में विभिन अंतरों के कारण देश के निवासियों को भेदभाव की स्थिति का सामना करना पड़ता है। धार्मिक, प्रजाति, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग आदि के आधार पर विभिन्न स्थानों पर भेदभाव किया जाता है। एक उदाहरण पूर्वोत्तर राज्यों के निवासियों रूप में लिया जा सकता है। पूर्वोत्तर को भारत का एक अभिन्न भाग होने के बावजूद

यहाँ के नागरिक अन्य प्रदेशों में भेदभाव के शिकार होते हैं और भारत के निवासी होने के बावजूद शारीरिक बनावट के कारण देश में ही विदेशियों सा व्यवहार उनसे किया जाता है।

8. **छुआछूत की समस्या-** धर्म और जाति के आधार पर छुआछूत की भावना हमारे देश में कोई नई नहीं है। भारतीय संविधान और भारतीय कानून के अनुसार यह एक दंडनीय अपराध है और बदलते समय के साथ लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आया है पर फिर भी यह समस्या पूरी तरह से हल नहीं हुई गई है। आज भी कम पढ़े-लिखे और गाँवों में छुआछूत की भावना देखी जा सकती है।
9. **समाज में स्त्रियों के प्रति हीन भावना और अपराध-** भारत में पुरुष को समाज में स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है और उन्हें तरजीह दी जाती है।आज भी परिवारों में पुत्रजन्म पर लोग उल्लास मनाते हैं और पुत्री होने पर दुखी होते हैं। इसके पीछे कारण स्त्रियों की समाज में स्थिति ही है। या दोनों कारण एक-दूसरे को परस्पर प्रभावित करते हैं। लोगों की मानसिकता बदल तो रही है पर लोग इस मानसिकता से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हैं। दूसरी ओर औद्योगीकरण वैश्वीकरण और नगरीकरण के कारण सांस्कृतिक अंतराल (cultural lag) की स्थिति उत्पन्न हो गयी है और जिसके कारण स्त्रियों के दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ रहे हैं।
10. **राजनैतिक पतन-** किसी देश की राजनीति उस देश को प्रगति के पथ पर ले जाति है बशर्ते वह स्वस्थ राजनीति हो। कोई भी राजनीति दल विकास के लिए योजनायें बनाता है और जिसके आधार पर देश की जनता उस दल को चुनकर शासन उसके हाथ में देती है। परन्तु हमारे देश में राजनीति का आधार विकास योजनायें नहीं बल्कि जातिगत राजनीति है। एक विशेष जाति के लोग अपनी जाति के लोगों को चुनकर सत्ता में भेजना चाहते हैं जो राजनीति का पतन है। और राजनीतिक दल भी यह समझते हुए जातिगत समीकरण बनाते और भुनाते हैं।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बनाया जाने के पश्चात राजनीतिक शक्ति नेताओं के हाथ में है राजनीतिक कारणों से ही जातिवाद संप्रदाय वाद विवाद भाषावाद धार्मिक विघटन जैसी घटनाएं बढ़ी हैं चुनाव जीतने के लिए वह अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए राजनीति सभी तरह के प्रयास किए जाते हैं। जहा छोटे गांव से लेकर बड़े शहरों में आज ज्यादातर गतिविधियां राजनीतिक कारणों से कारकों से निर्धारित होती हैं।

विविधता की वजह से देश को अन्य जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनमें, आतंकवाद, आपसी हिंसा, अंधाधुंध नगरीकरण, अपराध, आरक्षण के लिए की गयी हिंसा इत्यादि हैं जिनका जल्दी से जल्दी निवारण किया जाना आवश्यक है।

प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत व्यवसाय को उत्पत्ति आधार बनाकर बहुत सी जातियां बनाई गई थी, परंतु वर्तमान में यह जाति व्यवस्था बहुत ही कठोर होती चली गई। इसके आधार पर ही लोगों के साथ भेदभाव का व्यवहार और अधिक बढ़ गया विभिन्न संस्कारों, सामाजिक कार्यों में भी इस जाति व्यवस्था को बहुत महत्व दिया जाता था। जाति के निर्माण का जो उद्देश्य प्राचीन भारत में था वह पूर्व निर्धारित संबंध अब इस समय नहीं रहा है।

सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हमें पाते हैं कि स्त्रियों को चारदीवारी तक सीमित कर अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। वह एक उपभोग की वस्तु मात्र बनकर रह गई थी। इसलिए शिक्षा के प्रयासों के द्वारा पुनर्जागरण काल में सामाजिक पुनरुत्थान आंदोलनों के द्वारा नारी को उचित स्थान देने का प्रयास किया जाने लगा। उन्हें शिक्षा का अधिकार देने के लिए विभिन्न समाज सुधारको ने प्रयास जारी कर दिए व महिला सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। विवाह नामक संस्था के स्वरूप में आमूल परिवर्तन आना शुरू हो गया जिसमें संबंधों की मधुरता वा प्रगाढ़ता कम होती चली गई है और इसके साथ ही तलाक के मामलों में वृद्धि हो रही है सुरक्षित स्वच्छंदता व संघर्ष दोनों ही आर्थिक कारणों से बड़ा है इसलिए पति पत्नी के संबंध प्रभावित हुए हैं इसके अलावा अंतरजातीय विवाह व पारिवारिक संबंधों में भी बदलाव आए हैं इसका एक प्रमुख असर रूप हम एकल परिवार के रुप में देख सकते हैं अब संयुक्त परिवार की व्यवस्था खत्म होती चली गई है जिससे जिससे परिवार में प्रेम सौहार्द व बच्चों की देखभाल संबंधी परेशानियों को स्पष्ट देखा जा सकता है।

2.5 विविधता के कारण कक्षा में उत्पन्न होने वाली समस्याएं

विविधता सम्बन्धी समस्याएँ सिर्फ बाहर समाज में ही प्रभावित नहीं करती हैं बल्कि कक्षा में शिक्षण अधिगम में भी बाधक हो सकती हैं। आज जब समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है तब एक ही कक्षा में विभिन्न प्रकार की भिन्नता लिए हुए विद्यार्थी एक साथ अध्ययन करते हैं। ऐसे में उनकी समस्याओं को जानना आवश्यक है।

- कक्षा में कुछ विद्यार्थी यह अनुभव कर सकते हैं कि वे कक्षा के वातावरण से सम्बंधित नहीं हैं और छात्रों की यह भावना शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को कम कर सकती है इसके साथ ही छात्रों में अपर्याप्तता की भावना और अन्य विकर्षण उत्पन्न हो सकते हैं।
- विद्यालयों में भी विद्यार्थी की पृष्ठभूमि के कारण या किसी अन्य आधार पर उससे भेदभाव किया जाता है। एक अध्यापक के रूप में किसी भी आधार पर नकारात्मक भेदभाव से बचना चाहिए क्योंकि यह विद्यार्थी को मानसिक रूप से प्रभावित करता है और वह शैक्षणिक या सामाजिक रूप से समायोजन नहीं कर पाते हैं। यदि कक्षा का कोई विद्यार्थी या कोई शिक्षक या फिर कोई कर्मचारी किसी भी विद्यार्थी से किसी भिन्नता के कारण कोई भेदभाव करता है तो उस भेदभाव के लिए कार्यवाही करना चाहिए।
- अध्यापक के रूप में आप जिस भाषा का प्रयोग विद्यालय में करते हैं या जो विद्यालयी भाषा है उससे अलग भाषा का प्रयोग यदि करते हैं यदि उस भाषा सकारात्मक भाषा और प्रशंसा का उपयोग करें, और छात्रों का तिरस्कार न करें।

अभ्यास प्रश्न

6. राजनैतिक पतन के क्या दुष्परिणाम हुए हैं?
7. यदि विद्यालय का कोई स्टाफ किसी विद्यार्थी से भेदभाव कर रहा है तो ऐसे में आप क्या करेंगे?

2.6 समुदायों और व्यक्तिक भिन्नता पर आधारित विविधतापूर्ण ज्ञान और अनुभव से प्राप्त लाभ

विविधता पूर्ण वातावरण सभी के लिए एक सुरक्षित और सहयोगात्मक वातावरण तैयार करने में मदद करता है। हम समाज के लोगों के अलग-अलग अनुभवों, विश्वासों और बातों के माध्यम से सीखते हैं। "विविधता व्यक्तिगत विकास और एक स्वस्थ समाज को बढ़ावा देता है"

विभिन्न सांस्कृतिक परिदृश्य से जुड़े होने के बावजूद जब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं,तो प्रगाढ़ संबंधों का निर्माण करते हैं, साथ ही उनके देखने का का नजरिया काफी विस्तृत हो जाता है। इस के अंतर्गत हम लोगों यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि संस्कृती व समाज तेजी से बदल रहे हैं। इस बदलते परिदृश्य में लोगों की जीवनशैली विचारधाराएं, सांस्कृतिक समस्याएं बहुत अन्य आवश्यक चीजों के हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। विचार धाराओं मूल्यों अवधारणाओं आशाओं सभी से अवगत होने का प्रयास करते हैं। विभिन्न सांस्कृतिक से होते हुए भी लोगों का जीवन जीने, सीखने व अनुभवों का आदान प्रदान होता रहता है। आज पूरा विश्व तेजी से बदल रहा है जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग, जाति, भाषाएं बोलने वाले व्यक्ति ,आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक समूहों से जुड़े लोगों आपसी आदान-प्रदान की भावना बढ़ी है। इन परिस्थितियों को आज के संदर्भ में समझना व सराहना मिलना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इस तरह विभिन्न संस्कृतियों के बीच में हम बहुत से सामाजिक व सांस्कृतिक समस्याओं को सुलझा सकते हैं। अलग-अलग समूह व समाजों से लोगों के मिलकर काम करने से आपसी समझ का विस्तार हुआ है। जहां जाती अथवा वंशवाद से जुड़े हुए भावनाओं को कम से कम करने की कोशिश की जाती है, इनसे हिंसा को रोकने में भी मदद मिलती है। प्रत्येक समूह , जाति अपनी अलग विशेषता होती है उनके धार्मिक विचार, परंपराएं, भौतिक विज्ञान उनके जीवन को समृद्ध बनाने का प्रयास करता है। जब हम सभी तरह के सांस्कृतिक व सामाजिक समूह को एक साथ मुख्यधारा में लाने का प्रयास करते हैं तो इस तरह से सभी के मिले जुले गुणों के द्वारा नए दृष्टिकोण का विकास होता है जिससे समाज बड़े मुद्दों पर अथवा मानव विकास के लिए नए आयामों की खोज कर सकता है। इसके माध्यम से समाज से जुड़े हुए मुद्दों के प्रति सजग व सफल कार्यक्रमों का निर्माण किया जा सकता है क्योंकि इस तरह के कार्यक्रमों में सभी समूहों की भागीदारी अथवा सहभागिता होती है तो लोकतांत्रिक तरीकों न्याय पर आधारित समाज के निर्माण में सभी की साझेदारी होती है, क्योंकि इस तरह के परिदृश्य में शिक्षक छात्र अभिभावक सभी अलग-अलग समूह से होते हुए भी समाज के मुख्यधारा से जुड़े होते हैं वे सभी इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए , उनका सफल निदान ढूंढने का प्रयास करते हैं। आपसी मेलजोल से समूह जाति धर्म से इस तरह के घूमने का प्रयास मिलजुल कर काम करने की भावना का विकास होता

है हमें इस से धार्मिक सहिष्णुता की भावना एक दूसरे के धर्म के प्रति आदर भाव का विकास करने की क्षमता भी बढ़ती है

गीता का एक श्लोक है –" जीव जीवनस्य भोजनम" प्रकृति के अंतर्गत चलने वाले चक्र को अगर हम सुचारु रुप से चलने दें और इसमें प्रकृति और उसके अंतर्गत चलने वाले चक्र को अविरल रूप से चलने दिया जाए प्रकृति स्वयं सतत सामंजस्य के साथ जीवन की उत्पत्ति ,पोषण व उसके विकास का कार्य करती है विभिन्न जीव-जंतुओं जल मिट्टी हवा सभी का संबंध जितना जटिल होगा जैव विविधता उतनी ही अधिक विविधतापूर्ण की जलवायु परिवर्तन औद्योगिक विकास, मानवीय गतिविधियों से हो रहे नुकसान की भरपाई जीव-जंतु पेड़ पौधों के विनाश से हो रहा है सन 2000 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय बीज बैंक की स्थापना की गई है जिसमें 10 फ़ीसदी जंगली पौधों के बीजों को संग्रहित कर के रखा जा चुका है इसके अलावा नॉर्वे में सीड वाल्ट में 11 लाख बीजों का संरक्षण किया जा चुका है वैश्विक स्तर पर पर्यावरण एवं वन्य जीवन से संबंधित नियमों और कानूनों का निर्माण किया जा रहा है और साथ ही संरक्षित व विलुप्त होने के कगार पर पहुंचे हुए जीव जंतु व पादप के जीवन को बचाने का प्रयास जारी है भारतीय परिपेक्ष्य में "वसुधैव कुटुंबकम" के अंतर्गत जियो और जीने दो जैसी विचारधाराओं को अगर हम बल देंगे तभी प्रकृति के सामंजस्य के साथ जीवन को सुचारु रुप से चलाया जा सकता है।

2.7 कक्षा में व्याप्त विविधता का शैक्षिक उपयोग

भारत की विविधता को वंश, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय, समुदाय, सामाजिक समूह, आर्थिक स्थिति, योग्यता के स्तर, स्वास्थ्य, पेशों, भौगोलिक क्षेत्र, जलवायु और राजनीतिक झुकाव के स्तर पर देखा जा सकता है। देश में पायी जाने वाली विविधता को हम सांस्कृतिक समृद्धि के रूप में न लेकर अंतर के रूप में और इससे उत्पन्न 'समस्या' – को सीखने हेतु संसाधन न मानकर बल्कि बाधा, के रूप में मानते हैं। विद्यालय या कक्षा में विद्यमान विविधता को एक सकारात्मक के रूप में लेना विद्यालय के शैक्षिक वातावरण को समृद्ध बनाने और वर्तमान शैक्षणिक वातावरण में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण है।
एक शिक्षक के लिए कक्षा में विविधता का प्रबंधन और अपनी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को उचित अवसर और सार्थक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 और शिक्षा का अधिकार-2009 के लागू होने के साथ, अनेकता को स्पष्ट रूप से अपनाया गया है। विद्यालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि विविधता को विद्यालय और हर कक्षा के भीतर सीखने के एक संसाधन के रूप में सुनिश्चित करे।

वर्तमान समय में सम्पूर्ण विश्व में समावेशी शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है। कई बार समावेशी शिक्षा के अर्थ को बहुत संकीर्ण रूप से लेते हुए समाज के एक विशेष वर्ग को शिक्षा में शामिल करने से जोड़ कर देखा जाता है जबकि ऐसा नहीं है। समावेशी शिक्षा सभी के समावेशन से सम्बंधित है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा (2005) में समावेशी शिक्षा के विषय में यह उल्लिखित है कि समावेशी शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और निष्पक्षता से उसके संबंध की आवश्यकता के लिए औचित्य का दृष्टांत देती है।

शिक्षण प्रणाली उस समाज से अलग होकर काम नहीं करती है जिसका वह हिस्सा है। भारतीय समाज में मौजूद जाति के अनुक्रम, आर्थिक स्थिति और लैंगिक संबंध, सांस्कृतिक विविधता तथा असमान आर्थिक विकास शिक्षा की सुलभता और विद्यालय में बच्चों की भागीदारी पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। यह अलग अलग सामाजिक और आर्थिक समूहों के बीच तीव्र असमानताओं में प्रतिबिंबित होता है, और विद्यालय में दाखिले और पूरा करने की दर में दिखता है। इस प्रकार, ग्रामीण और शहरी गरीबों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों की लड़कियाँ तथा धार्मिक और अन्य अल्पसंख्यकों के असुविधाग्रस्त भाग शैक्षणिक रूप से सबसे अधिक खतरे में होते हैं। शहरी स्थलों और कई गाँवों में, विद्यालय प्रणाली कई स्तरों में विभाजित है। और छात्रों को असाधारण रूप से अलग अलग अनुभव प्रदान करती है। लैंगिक संबन्धों में असमानता, शासन करने की प्रवृति को बढ़ावा देने के साथ, चिन्ताजनक भी होने है। और लड़कों और लड़कियों दोनों की मानवीय क्षमताओं को पूरी तरह से विकसित नही होने देते है। लिंग की मौजूदा असमानताओं से व्यक्ति को आजाद करना सभी के हित में है। भारत में भी सरकार ने विविधता का महत्व समझने वाले समावेशी समाज के निर्माण में शिक्षा की अहम भूमिका को पहचाना है। एक शिक्षक को इन विविधताओं को, जो उनके विद्यालय में उपस्थित है, उनकी पहचान करनी होगी और किस प्रकार से इस विविधता का उपयोग शैक्षिक संसाधन के रूप में किया जा सकता है यह सीखना होगा। इसके साथ ही एक शिक्षक को इस बात की भी पहचान होनी चाहिए कि शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में यह विविधता कब बाधक के रूप में उपस्थित हो सकती है तथा किस प्रकास से इन बाधाओं का निवारण किया जा सकता है।

- भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर इसके अधिकतर प्रदेशों या क्षेत्रों के विद्यालयों में मातृभाषा और विद्यालय की भाषा समान नहीं है। ऐसी परिस्थितियों को अक्सर चुनौतीपूर्ण माना जाता है। भारत सहित अधिकांश विश्व में बहुभाषी विद्यार्थी अपवाद नहीं बल्कि आदर्श हैं। एक से अधिक भाषा ज्ञान के संज्ञानात्मक और व्यावहारिक लाभ के कई शोध और प्रमाण हैं। कक्षा में बहुभाषावाद की शक्तियों के प्रयोग से मात्र विद्यार्थियों की पहचान ही नहीं मिलती बल्कि वह अपनी बातों को दृढ़ता से कह पाते हैं। इसके माध्यम से शैक्षिक उपलब्धि, भिन्न सोच, संज्ञानात्मक लचीलेपन और सामाजिक सहिष्णुता के साथ सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है।
- एक विद्यालय में जहाँ दो या दो से अधिक भाषाओँ और बोलियों से सम्बंधित विद्यार्थी या शिक्षक हों वहाँ शिक्षकों और विद्यार्थियों के सहयोग से एक शब्दकोष का निर्माण किया जा सकता है जहाँ अलग-अलग भाषाओँ या बोलियों में किसी वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द लिखे हों। इससे विद्यार्थी को अलग अलग भाषाओँ और बोलियों की जानकारी होगी और वह धीरे-धीरे उन भाषाओँ में संवाद करने में सफल होंगे। शोधों के द्वारा यह स्पष्ट है कि कई भाषाओँ का प्रयोग विद्यार्थियों के स्नाग्यनात्मक विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसके साथ ही विद्यार्थी अन्य भाषाओँ और बोलियों की समृद्धता से परिचित होते हैं।

- जिन संस्थाओं में महिला शिक्षिकाएं होती हैं वे संस्था की अन्य महिला विद्यार्थियों को सकारात्मक रूप से उनके शिक्षा में प्रभावित करती हैं तथा उनकी सफलता में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।
- यदि किसी समूह में विजातीय सदस्य हों तो समूह की उत्पादकता और रचनात्मकता बढ़ती है। छात्र हमेशा कुछ सीखते हैं और जब वह भिन्नतापूर्ण वातावरण में सीखते हैं तो यह सीखना और भी समग्र रूप में होता है जैसा कि उपरोक्त में उल्लिखित है । समस्या-समाधान के साथ बच्चों की सृजनात्मकता बढ़ती है। संज्ञानात्मक और और सृजनात्मक स्कूल से सम्बंधित मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि विद्यार्थी समाज और संस्कृति के माध्यम से सीखते हैं । नई समस्यायें जो उन्हें विविधतापूर्ण कक्षा छात्रों को रचनात्मक होने के लिए प्रेरित करती है।
- शोधों के द्वारा भी यह प्रमाणित होता है कि सजातीय समूहों की तुलना में विजातीय समूहों की उत्पादकता रचनात्मकता और नवाचारिता अधिक होती है (Herring,2009)। अधिकतर नवाचारी कम्पनियां बेहतर परिणामों के लिए विषम प्रकार समूहों के गठन पर बल देती है (Kanter, 1986)। तो कक्षा में विजातीय समूह होने से विद्यार्थियों की उत्पादकता रचनात्मकता और नवाचारिता बढ़ती है।
- विद्यार्थियों के परिणाम में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु कक्षा में पायी जाने वाली विविधता सहयोग करती है। शोध यह दर्शाते है कि वे छात्र जो अन्य प्रजाति या नस्ल के लोगों के साथ कक्षा में या अनौपचारिक वातावरण में पारस्परिक क्रिया करते है उनमें सक्रिय चिंतन, बौद्धिक संलग्नता, अभिप्रेरणा का उच्च स्तर एवं बौद्धिक तथा अकादमिक निपुणता में वृद्धि तुलनात्मक रूप से अधिक होती है (Gurin e. al 1999, Gurin e. al 2002,)। एक और अध्ययन (Espenshade and Radford,2009) में पाया गया कि विविध प्रकार के प्रजाति से सम्बंधित सहयोगियों के मध्य अनौपचारिक और सतही बातचीत के बजाय सार्थक बातचीत और सम्बन्ध अधिक लाभप्रद है।
- कक्षाओं में विविधता का होना विद्यार्थियों के विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। यदि देखा जाए तो भिन्न प्रकार के समूहों से सम्बंधित विद्यार्थी जब कक्षा में इकठ्ठे होते हैं यह मात्र उनके भावात्मक पक्ष के विकास में ही मात्र सहयोगी नहीं होता बल्कि संज्ञानात्मक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान करता है। Astin (1993) ने अपने शोध में पाया कि उन संस्थाओं में जो संस्थाएं अपनी नीतियों में विविधता को पोषण देती है, इसका सकारात्मक प्रभाव विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास, संस्था से सम्बंधित अनुभवों और नेतृत्व सम्बन्धी योग्यताओं पर पड़ता है। ये नीतियां शिक्षकों को भी अपने शिक्षण एवं शोधों के अंतर्गत विविधता को शामिल करने को प्रोत्साहित करती हैं। इसके साथ ही छात्रों को कक्षा में तथा कक्षेत्तर गतिविधियों में नस्लीय और बहुसांस्कृतिक मुद्दों का सामना करने का अवसर प्रदान करता है।
- विविधता के सम्बन्ध में यदि आंकड़ो को देखा जाए तो आंकड़े यह इंगित करते हैं कि कक्षा में तथा कक्षा से बाहर ऐसा समूह जो विविधता लिए हुए हो, उनका आपस में अनुक्रिया और भागीदारी सूक्ष्म

तथा समीक्षात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। आंकड़े यह भी इंगित करते हैं कि कोई संस्था जिस हद तक एक अपने पर्यावरण को नस्लीय रूप से गैर-भेदभावपूर्ण पूर्ण बनाती है उस संस्था से सम्बंधित छात्र भी विविधता और बौद्धिक चुनौतियों दोनों को स्वीकार करने की इच्छा रखते हैं (Pascarella et al, 1996) । इस प्रकार भिन्नतापूर्ण वातावरण विद्यार्थियों के बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक और नैतिक विकास में अत्यंत सहायक है।

- यदि भिन्नता लिए हुए समूह में कार्य करना विद्यार्थियों को सोचने, संवाद कायम करने, समझने और विचारों का आदान–प्रदान करने और निर्णय लेने के लिए प्रेरित करने का प्रभावी तरीका है। छात्र दूसरों को सीखा भी सकते हैं और उनसे सीख भी सकते हैं। यह सीखने का एक सशक्त और सक्रिय तरीका है। कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चे जब होते हैं तो वह अपनी पारिवारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, वैयक्तिक, प्रादेशिक पृष्ठभूमि के आधार पर अलग-अलग तथ्यों पर पर बल देते हैं और अलग-अलग ढंग से सीखते हैं। समूह कार्य में यदि अलग-अलग पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी हों तो सीखना और भी समग्र होगा क्योंकि वह किसी तथ्य के अलग-अलग पहलूओं पर ध्यान केन्द्रित करेंगे।
- विभिन्न वर्गों और समूहों से जुड़े व्यक्तियों को सेमिनार इत्यादि में विचारों को रखने हेतु आमंत्रित किया जा सकता है। इससे विद्यार्थी विविधता से परिचित होते हैं।
- यह विद्यार्थियों को राष्ट्रीय एकता के साथ अंतर्राष्ट्रीय समझ की भावना जगाता है।

पाआलो फ्रेरे अपनी पुस्तक 'आलोचनात्मक चेतना के लिए शिक्षा' में कहते हैं कि "मानव होने का मतलब अन्यों और दुनिया के साथ रिश्ता रखना है। इससे व्यक्ति यह अनुभव करता है कि दुनिया व्यक्ति से अलग, समझे जाने योग्य वस्तुपरक वास्तविकता है। वास्तविकता के भीतर डूबे जानवर इससे रिश्ते नहीं रख सकते; वे केवल संपर्क रखने वाले प्राणी हैं। लेकिन मनुष्य की दुनिया से विलगता और खुलापन उसे रिश्ते रखने वाले प्राणी के रूप में अलगाती है"। अतः एक मानव के रूप में उसे स्वयं से आगे की भी जानकारी रखनी चाहिए। मानव को सम्पूर्ण दुनिया से सम्बन्ध रखने की इस आवश्यकता का आरम्भ उसके विद्यालयी जीवन से करा देना चाहिए और ऐसा हो भी जाता है। एक विद्यार्थी मात्र स्वयं से ही सम्बन्ध नहीं रखता बल्कि शिक्षकों और कक्षा के अन्य छात्रों से भी वह संपर्क रखता है। इस कारण से छात्र को विभिन्न छात्रों की पृष्ठभूमि और उससे जुड़े अन्य तथ्यों से परिचित होना आवश्यक है। विद्यालयों में पायी जाने वाली विविधता उसे एक आधार प्रदान करती है कि वह किस प्रकार से एक मनुष्य के रूप में उन विविधताओं से परिचित हो सके।

अभ्यास प्रश्न

8. कक्षा में व्याप्त विविधता को शिक्षक को किस रूप में देखना चाहिए ?
9. विविधता व्यक्तिगत विकास और _____समाज को बढ़ावा देता है।

10. पाआलो फ्रेरे की पुस्तक का क्या नाम है ?

2.8 सारांश

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात हम यह कह सकते हैं कि भारतीय समाज एक परंपरागत बंद समाज हैं जो कि काफी स्तरों में विभाजित है। शासन व्यवस्था में जाति, वर्ग, वंश, पद आदि के आधार पर सामाजिक प्रतिमानों का निर्धारण किया गया है। मध्यकालीन, आधुनिक भारतीय इतिहास में कई शासकों के आने और जाने के बाद भारत में राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक- संस्कृतिक संरचना में काफी बदलाव आए हैं। इसमें प्रमुख हैं वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन, जाति व्यवस्था में परिवर्तन, अस्पृश्यता का अंत , स्त्रियों को सम्मान, लोकतंत्र व्यवस्था की स्थापना ,संयुक्त परिवार का विघटन ,पूंजीवादी समाज व्यवस्था का निर्माण व भारतीय समाज का आधुनिकीकरण हुआ है। इन सभी सामाजिक परिवर्तनों की वजह से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव वह उनके निदान के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों के विषय में आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी।

2.9 शब्दावली

1. **राष्ट्रीयता -** किसी समाज के व्यक्तियों जब किसी सीमा के अंतर अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के समूह की भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं उसे राष्ट्रीयता कहते हैं।
2. **भावात्मक एकता-** भावना ,जिसके अंतर्गत विभिन्न जातियों धर्मों व समूहों के लोग वह समूह के लिए संवेगात्मक रूप से एकता के सूत्र में बंध जाते हैं।
3. **जाति-** जाति उस वर्ग को कहते हैं जिसमें सदस्यों की सदस्यता और कर्तव्य उनके जन्म से ही निश्चित हो जाते हैं।
4. **समावेशी शिक्षा-** समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधताओं को स्वीकार करने की एक मनोवृत्ति है जिसके अन्तर्गत विविध क्षमताओं वाले बालक सामान्य शिक्षा प्रणाली में एक साथ अध्ययन करते है। समावेशित शिक्षा के दर्शन के अन्तर्गत प्रत्येक बालक अद्वितीय है और उसे अपने सहपाठियों की भाँति विकसित करने के लिए कक्षा में विविध प्रकार के शिक्षण की आवश्यकता हो सकती है।

2.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. अनुच्छेद 343 से 351

2. चार वर्ण- ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य ,शूद्र
3. 1978
4. औद्योगिकरण, नगरीकरण, बेरोजगारी,, पश्चिमीकरण, राजनीतिक परिवर्तन, निर्धनता, वर्ण व्यवस्था ,जाति, स्त्रियों की दशा, संयुक्त परिवार का विघटन आदि।
5. 3000 जातियाँ 25000 उपजातियाँ।
6. राजनैतिक पतन से जातिवाद संप्रदाय वाद विवाद भाषावाद धार्मिक विघटन जैसी घटनाएं बढ़ी हैं
7. उस व्यक्ति के विरुद्ध उचित कारवाई की जानी चाहिए।
8. संसाधन
9. स्वस्थ
10. आलोचनात्मक चेतना के लिए शिक्षा

2.11 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Agnihotri, R.K. (2006). Identity and multilinguality: the case of India. Cited in Tsui, A. and Tollefson, J.W. (eds) Language Policy, Culture and Identity in Asian Contexts. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
2. Alison, W. (1996). Diversity in the Classroom. Retrieved from http://googleweblight.com/i?u=http://ematusov.soe.udel.edu/final.paper.pub/pwfsfp/00000026.htm&grqid=Uer6P6Tz&hl=en-IN
3. Astin, A. W. (1993) Diversity and Multiculturalism on the Campus: How are Students Affected? Change 25; 2 44-49.
4. Astin, A. W. (1993). What Matters in College: Four Critical Years Revisited. San Francisco: Jossey-Bass, 3
5. Delpit, L. (1995). Other People's Children: Cultural Conflict in the Classroom. New York: The New Press.
6. Gurin, P. (1999). Selections from the Compelling Need for Diversity in Higher Education, Expert Reports in Defense of the University of Michigan. Equity & Excellence in Education. 32, 36-62.
7. Gurin, P., Dey,E.L., Hurtado, S. & Gurin, G. (2002) . "Diversity and Higher Education: Theory and Impact on Educational Outcomes. Harvard Educational Review. 72, 330-366.

8. Herring, C. (2009). Does Diversity Pay: Race, Gender, and the Business Case for Diversity? American Sociological Review. 74, 208-224.
9. Kanter, R. M. (1983). The Change Masters: Innovations for Productivity in the American Corporation. New York: Simon and Schuster.
10. Mehan, H. (1991). Sociological Foundations Supporting the Study of Cultural Diversity. national Center for Research on Cultural Diversity and Second Language Learning. Retrieved from gopher://Imrinet.gse.ucsb.edu
11. National Council of Educational Research and Training (2006) 'National focus group on teaching of Indian languages' (online) NCF 2005 position paper. Retrived from: http://www.ncert.nic.in/ html/ pdf/ schoolcurriculum/ Position_Papers/
12. National University of Educational Planning and Administration (2014) National Programme Design and Curriculum Framework. New Delhi: NUEPA. Retrieved from: https://xa.yimg.com/ kq/ groups/ 15368656/ 276075002/ name/ SLDP_Framework_Text_NCSL_NUEPA.pdf
13. Pascarella, E. T. et al. (1996).Influences on Students' Openness to Diversity and Challenge in the First Year of College. Journal of Higher Educatio. 67, 174-195.
14. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् (2005)। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा 2005। नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद्।
15. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् (2009). भारतीय भाषाओँ का शिक्षण राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र। नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद।

2.12 निबंधात्मक प्रश्न

1. आधुनिक भारतीय समाज के स्वरूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए।
2. राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे ?
3. भारत के संदर्भ में "विभिन्नता में एकता" विषय पर एक निबंध लिखें।
4. एक शिक्षक के रूप में कक्षा में व्याप्त भिन्नता को किस प्रकार आप्संसधन में परिवर्तित कर सकते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करें।

इकाई 3- समाज में विविधता, असमानता एवं सीमान्तता- इन समुदायों एवं व्यक्तियों की शिक्षा से मांग को समझना साथ ही उनकी पूर्ति हेतु सामाजिक-शैक्षणिक रणनीतियों का विकास

3.1 प्रस्तावना
3.2 उद्देश्य
3.3 भारतीय समाज का स्वरुप
3.3.1 भारतीय समाज में विविधता
3.3.2 सामाजिक विविधता के विविध रूप
3.3.3 भारतीय समाज में विविधता के स्वरुप एवं स्रोत
3.4 सीमान्त समुदाय के व्यक्ति एवं वर्ग तथा शिक्षा
3.4.1 शिक्षा से इन समुदायों और व्यक्तियों की विभिन्न माँगों को समझना
3.4.2 मांगों की पूर्ति के लिए उचित सामाजिक शैक्षणिक रणनीति
3.5 सारांश
3.6 शब्दावली
3.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
3.8 संदर्भ ग्रंथ सूची
3.9 निबंधात्मक प्रश्न

3.1 प्रस्तावना

इस एकांश में आप भारतीय समाज की विविधता का परिचय प्राप्त कर सकेंगे तथा भारतीय समाज में असमानता एवं सीमान्तता के शिकार समुदायों के सामाजिक यथार्थ से अवगत हो सकेंगे। इस इकाई के अध्ययन से आप यह समझ सकेंगे कि इन समुदायों एवं व्यक्तियों की शिक्षा से क्या मांग है साथ ही उनकी पूर्ति हेतु आप सामाजिक-शैक्षणिक रणनीतियों का विकास कर सकेंगे।

3.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप-

1. भारतीय समाज में विविधता को जान सकेंगे।
2. भारतीय समाज में व्याप्त असमानता का बोध कर सकेंगे।
3. भारतीय समाज में उपेक्षित वर्ग की समस्याओं को जान सकेंगे।
4. इन वर्गों एवं व्यक्तियों की शिक्षा में विभिन्न माँगों को समझ सकेंगे।
5. मांगों की पूर्ति हेतु उपयुक्त सामाजिक-शैक्षणिक रणनीतियों का विकास कर सकेंगे।

3.3 भारतीय समाज का स्वरुप

भारत विश्व की सबसे बड़ी बहुलवादी सामाजिक वयवस्था है जिसमें विभिन्न नृजातीयता के लोग भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में एवं भिन्न-भिन्न धर्मों का अनुपालन करते हुए विभिन्न जातियों एवं उपजातियों में विभक्त होकर समाज में अपनी-अपनी अस्मिता बनाए रखते है। भारत की विवधता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत में लगभग 5000 भिन्न-भिन्न समुदाय 325 से भी अधिक भाषाओं एवं विभिन्न बोलियों तथा लिपियों का उपयोग करते है। विविधता से युक्त इस भारतीय समाज का नियमन एक लम्बे समय से असमानता पर आधारित रहा है। यह असमानता प्रकृति जनित एवं समाज जनित दोनों ही रही है। समाज के भीतर उपजी असमानता का मुख्य कारण रहा है प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण व क्षेत्र-विशेष का उन पर प्रभुत्व। इनके अतिरिक्त अनेकों असमानताएं मानवीय उपज है। जाति व वर्ग आधारित असमानता इनमें से सर्वमुख है। विविधता एवं असमानता के कारण समाज में कई वर्गों का जन्म हुआ जिसमे से कुछ वर्ग एवं व्यक्ति समाज की मुख्य धारा में रह कर समाज के संसाधनों का उपयोग करने में सफल रहे वहीं कुछ वर्ग एवं व्यक्ति समाज की मुख्य धारा से कट कर हाशिए पर चले गए।

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारतीय संविधान द्वारा सभी वर्गों के हितों का संरक्षण एवं संवर्धन करते हुए राष्ट्र को एक धर्मनिरपेक्ष सम्प्रभुता सम्पन्न राष्ट्र के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया जिसमें विविधता के संरक्षण एवं असमानता के निषेध का पूरा उपबंध किय गया है, साथ ही हाशिए पर चले गए उपेक्षित एवं वंचित वर्गों के हितों के संरक्षण व संवर्धन का पूरा प्रयास किया गया है।

संविधान द्वारा भारतीय समाज को एक समतामूलक लोकतांत्रिक समाज के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए चार आधारभूत मूल्यों पर बल दिया गया है-

i. न्यायः- सामीजिक, आर्थिक, और राजनैतिक।
ii. स्वतन्त्रताः- विचार, अभिव्यक्ति, विश्वाश, धर्म और उपासना की।
iii. समानताः- प्रतिष्ठा एवं अवसरों की।
iv. बन्धुत्वः- व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की बन्धुता।

यह आधारभूत मूल्य ही हमारी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य है और यही उद्देश्य भारतीय समाज के लक्ष्य है जिन्हें प्राप्त करना राज्य का प्रमुख दायित्व है और इनकी सम्प्राप्ति के द्वारा ही विविधता से युक्त भारतीय समाज में असमानता एवं सीमांतता की समस्या को सुलझाया जा सकता है। सामाजिक न्याय एवं समानता के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक और बहुलवादी समाज हमारा संवैधानिक आदर्श है जिसके संरक्षण एवं संवर्धन का दायित्व शिक्षा पर भी है। संविधान द्वारा इन मूल्यों की प्राप्ति हेतु एवं व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास हेतु मौलिक अधिकारों तथा नीति-निदेशक तत्वों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 12-35 में मूल अधिकारों का उल्लेख है जो हर नागरिक को समानता एवं स्वतन्त्रता का अधिकार देता है तथा धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव से रक्षा करता है साथ ही शोषण के विरूद्ध अधिकार देकर सम्मानित नागरिक के रूप में जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 46 स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि राज्य कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का विशेष ध्यान रखेगा एवं हर प्रकार से सामाजिक अन्याय एवं किसी भी प्रकार के शोषण से रक्षा करेगा। अनुच्छेद 330, 332. 335, 338 से लेकर 342 एवं संविधान की 5वीं तथा 6वीं अनुसूची , अनुच्छेद 46 में निहित उद्देश्यों के अनुपालन के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था करती है। इसके साथ ही अनुच्छेद 29 तथा 30 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण व संवर्धन करता है जो क्रमशः उन्हे अपनी भाषा, लिपि, व संस्कृति के संरक्षण तथा धर्म व भाषा पर आधारित सभी अल्पसंखयकों को अपनी रूचि की शिक्षा संस्था की स्थापना व प्रशासन का अधिकार देकर उन्हे राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का प्रावधान करती है। इस प्रकार भारतीय संविधान सभी नागरिकों को विशेष रूप से असमानता एवं उपेक्षा के शिकार लोगों के हितों का विशेष संवर्धन कर उन्हें समुचित अवसर उपलब्ध कराने का उपबंध करता है।

3.3.1 भारतीय समाज में विविधता

समाज में विविधता से आशय है- किसी भौगोलिक-राजनैतिक क्षेत्र के अन्तर्गत रहने वाले विभिन्न सामाजिक समूहों का अपनी विशिष्टता के साथ सह-अस्तित्व। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह विविधता विभिन्न रूपो में पायी जाती है। भारत जो कि एक समृद्ध संयुक्त एवं बहुल संस्कृति का केन्द्र है जहाँ विभिन्न शारीरिक संरचना, क्षेत्र, बोली, भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति के लोग अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता के साथ जीवन यापन करते है। इस विविधता के विविध रूप हैं , आईए हम देखें कि भारतीय समाज में यह विविधता किस प्रकार है एवं उसका स्वरुप तथा स्रोत क्या है –

3.3.2 सामाजिक विविधता के विविध रूप

i. संरचनात्मक विविधता – शारीरक बनावट व संरचना के आधार पर पायी जाने वाली विविधता प्राकृतिक विविधता है। लिंग भेद आधारित विविधता इसका उदाहरण है।

ii. पर्यावरणिक विविधता- यह दो प्रकार की है- भौगोलिक विविधता एवं मनो-सामाजिक विविधता। भौगोलिक विविधता में शहरी-ग्रामीण, मैदान-पहाड़ी आदि विविधता आती है जबकि मनो-सामाजिक विविधता में जाति, धर्म, भाषा, आदि आधारित विविधता आती है।

iii. प्राकृतिक एवं मानवजनित विविधता- भौगोलिक विविधता, जैव-विविधता, लिंग विविधता, आदि जहां प्राकृतिक विविधता है वहीं राजनैतिक विविधता (किसी विशेष विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता), सांस्कृतिक विविधता , धार्मिक विविधता, आर्थिक एवं सामाजिक विविधता जैसे - अमीर -गरीब , शहरी -ग्रामीण, उच्च -निम्न आदि मानव जनित विविधता के उदाहरण है। प्राकृतिक विविधता जहां एक ओर प्रकृति की देन है वहीं मानव जनित विविधता समाज के कुछ लोगो द्वारा लाभ विशेष के लिए जनित विविधता है जो प्रायः शोषण के अस्त्र के रूप में प्रयुक्त होती है। चाहे वह प्राकृतिक विविधता हो या मानव जनित सामाजिक- सांस्कृतिक एवं आर्थिक विविधता, विविधता का संरक्षण एवं उसका पूर्ण दोहन राष्ट्र के विकास के लिए करना तथा विविधता को शोषण का अस्त्र न बनने देना राष्ट्र व समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। जैसा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा 2005 में भी इसे इंगित करते हुए कहा गया है कि "विशिष्टताओं से फर्क पड़ता है; बच्चों को उनके अपने ज्ञान सृजन में सक्षम बनाने में सामाजिक, आर्थिक और जातीय पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण स्थान होता है"। इसे और स्पष्ट करते हुए यह अभिलेख कहता है कि " सभी समुदायों को सह-अस्तित्व व समान रूप से समृद्ध होने का अधिकार है और शिक्षा व्यवस्था को भी हमारे समाज में निहित इस सांस्कृतिक विविधता के अनुरूप होना चाहिए"

आईए हम समझने का प्रयास करें की भारतीय समाज में व्याप्त इस विविधता के विविध रूप क्या हैं तथा किस प्रकार यह असमानता एवं सीमांतता के जन्म के लिए उत्तरदायी है तथा शिक्षा के द्वारा किस प्रकार विविधता को समस्या के रूप में नहीं अपितु एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है तथा उसका सरंक्षण किया जा सकता है।

3.3.3 भारतीय समाज में विविधता के स्वरुप एवं स्रोत

1. **नृजातीय विवधता -** भारतीय समाज की विविधता का सबसे प्रमुख स्रोत है नृजातीयता। भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार के नृजातीय समूह अपनी अपनी अस्मिता एवं पहचान के साथ-साथ सह-अस्तित्व में निवास करते है। हरबर्ड रिसले ने भारतीय परिप्रेक्ष्य में नृजातीय जनसंख्या को सात वर्गों में विभाजित किया है
    a. टर्को-इरानियन मुख्यतः बलूचिस्तान एवं अफगानिस्तान में पायी जाने वाली नृजातीय जनसंख्या।
    b. इण्डो-आर्यन-मुख्यतः पूर्वी पंजाब, राजस्थान एवं कश्मीर में पायी जाने वाली नृजातीय जनसंख्या।

c. साइथो-द्रविणियन- मुख्यतः सौराष्ट्र , कुर्ग एवं मध्य प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में पाये जाने वाली नृजातीय जनसंख्या।
d. आर्य-द्रविणियन- मुख्यतः इण्डो-आर्यन एवं द्रविणियन का मिश्रण है जो मुख्यतः उ.प्र. एवं बिहार में पायी जाती है।
e. मंगोलियन-द्रविणियन-जो द्रविणियन एवं मंगोलियन प्रजाति का मिश्रण है और बंगाल तथा उड़ीसा में पाये जाते है।
f. मंगोलायड- उत्तर पूर्व क्षेत्र एवं आसाम की आदिवासी जनसंख्या में पाये जाने वाले नृजातीय समूह।
g. द्रविणियन – दक्षिण भारत एवं मध्य प्रदेश में पाये जाने वाले नृजातीय समूह ।

इन सातों वर्गों को मुख्यतः तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है- 1- द्रविणियन 2- मंगोलियन 3- इण्डो-आर्यन।

इस प्रकार आप स्वयं देख सकते हैं कि भारतीय भूमि विभिन्न नृजातीय समूहों को पल्लवित व पुष्पित करके विशाल विषमता की धरोहर को सजोये हुए है। इतनी विषमतापूर्ण विविधता से युक्त जटिल एवं संशलिस्ट भारतीय समाज में कुछ नृजातीय समूह विकास कि पंक्ति में आगे बढ़ गए तथा कुछ अभी भी सीमान्त रह गए हैं। भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्र के अनेक नृजातीय समूह इस सीमांतता के ज्वलंत उदहारण हैं । ये सीमान्त वर्ग एवं इनके व्यक्ति शिक्षा के द्वारा समानता एवं समता की मांग करते हैं । शिक्षा का प्रमुख दायित्व है कि इन विविधताओं में निहित शक्तियों का समाज के उत्थान के लिए विकास करे तथा यह विविधतायें समाज की रचनात्मक शक्ति बनें न कि अवरोध। शिक्षा के द्वारा समाज के विभिन्न नृजातीय समूहों को समानता का अवसर मिले तथा समाज के सभी वर्ग समाज के विकास में अपनी भूमिका निभा सकें इसकी सामर्थ्य हो सके। समाज के सभी संस्कृतियों को समुन्नत एवं स्वावलम्बी बनाना शिक्षा का मुख्य दायित्व है।

2. **जाति आधारित विविधता** - भारत में जाति व्यवस्था काफी प्राचीन समय से अपनी जड़े जमाएं रही है जो कि प्रारम्भ में समाज में निष्पादित कार्य या व्यवसाय पर आधारित थी। समाज में निभायें जाने वाली भूमिका व श्रम-विभाजन के आधार पर भिन्न-भिन्न वर्गों का गठन किया गया था। इस प्रकार प्राचीन भारतीय समाज चार वर्गों में विभक्त था- ब्राह्म्ण, क्षत्रिय, वैश्य, एवं शूद्र। ब्राह्म्ण अध्ययन-अध्यापन, क्षत्रिय –शासन तथा सुरक्षा, वैश्य-वाणिज्य एवं व्यापार तथा शूद्र-सेवाकार्य के आधार पर विभाजित थे । कालान्तर में यह व्यवस्था कर्मगत न होकर जन्म आधारित हो गयी तथा उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग के शोषण के रूप में समाज में भीषण समस्या के रूप में स्थापित हो गयी। जातीय विभाजन तथा जाति के भीतर उपजाति तथा वर्ग तथा उनके आधार पर भेदभाव सभी धर्मों के अन्दर पाया जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि लगभग 300 से भी अधिक जातियां भारत में विद्यमान है जो विशाल जातीय विविधता का बोध कराती है। इन जातियों में कुछ जातियां विकास के पथ पर अग्रसर हो कर उच्च जाति के रूप में स्थापित हो

गयीं तथा कुछ समाज में सीमान्त रह कर निम्न जातिवर्ग के रूप में दमित एवं शोषित होती रहीं जिसकी परिणति अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुप्रथा के रूप में हुई जिसका एक लंबे समय तक समाज पर कुप्रभाव रहा। उच्च जातियों द्वारा निम्न जाति के लोगों का शोषण एवं असमान व्यवहार समाज में सीमांत वर्ग के रूप में एक नए वर्ग को जन्म देकर एक विशाल सामाजिक समस्या के रूप में पनपने लगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के लोग इसी जाति आधारित विविधता से उपजी असमानता के कारण समाज में सीमान्त वर्ग के रूप में एक लंबे समय तक उपेक्षित रहे समाज का यह सीमान्त वर्ग समाज की मुख्य धारा में अपनी जगह बनाने के लिए शिक्षा की ओर देखता है।

3. **वर्ग आधारित विविधता-** सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर विभाजित समूह को सामाजिक वर्ग कहा जाता है जिसमें सामाजिक स्तर के अनुरूप पदानुक्रमिक क्रम में समाज को विभाजित किया जाता है। सबसे प्रचलित विभाजन है – उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग जो समाज में सामाजिक-आर्थिक स्तर के आधार पर निर्धारित होता है। मुख्यतः उद्योगपति नीति निर्माता, शासक वर्ग, राजनेता एवं अधिकारी, आदि उच्च वर्ग में आते है। मध्यम वर्ग, जो संख्याबल में काफी अधिक है दो वर्गों में विभाजित है- उच्च मध्यम वर्ग तथा निम्न मध्यम वर्ग। उच्च मध्यम वर्ग के अन्तर्गत उच्च पदस्थ कर्मचारी वर्ग तथा मझोले स्तर के व्यापारी व उद्यमी आते है तथा निम्न मध्यम वर्ग में दैनिक भोगी कर्मचारी, लघु स्तर के व्यापारी व व्यवसायी आते है जो प्रतिदिन अपनी जीविका निर्वाह के लिए अर्जित व खर्च करते है। समाज के ये निचले वर्ग सामाजिक चिन्ता के विषय हैं तथा सरकारी योजनाओं का सबसे कम लाभ प्राप्त कर पाने वाले वर्ग हैं जिन पर सरकार व समाज को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। समाज के ये निचले वर्ग प्रायः असंगठित होने के कारण राज्य व समाज का ध्यान कम आकर्षित कर पाते है। समाज के यह उपेक्षित वर्ग सामाजिक विषमता के कारण विकास के मार्ग में हाशिये पर चले जाते है। शिक्षा का दायित्व है कि वह ऐसे वर्ग को स्वावलम्बी बनाये तथा सामाजिक विषमता को दूर करने में सहायक हो।

4. **धार्मिक विविधता -** भारत धार्मिक दृष्टि से भी विविधता से परिपूर्ण है जहाँ विश्व के विभिन्न धर्मों के अनुयायी निवास करते है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के कारण सभी धर्मों का आदर करता है। यहाँ हिन्दू, इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी आदि विभिन्न धर्मों के मतावलम्बी अपन-अपने धर्म के अनुरूप आचार, विचार एवं व्यवहार करते है जो भारत की सांस्कृतिक एवं अध्यात्मिक विविधता का एक बहुत बड़ कारण है। यद्यपि धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव या असमानता भारतीय सविंधान द्वारा पूर्णतया निषिद्ध है फिर भी कुछ धार्मिक समूह अपने कम संख्या बल एवं समाज में अपनी सूक्ष्म भूमिका के कारण अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में अपनी पहचान एवं अस्मिता के लिए समाज में संघर्षरत हैं। ये समूह भी शिक्षा के द्वारा अपनी संस्कृति एवं धर्म के सरंक्षण एवं संवर्धन की मांग करते हैं

5. **भाषायी विविधता -** भारत देश भाषायी दृष्टि से अत्यन्त विविधता से परिपूर्ण है। भारत में 122 भाषाएँ तथा 234 मातृ भाषाएँ हैं जो देशभर में बोलने वालों की संख्या 10,00000 या अधिक के आधार पर संगठित की गयी है जिनमेंसे 22 भाषाएँ – 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध की गयी है। इतने विशाल भाषा भण्डार की विविधता को संजोए हुए भारतीय समाज भाषा के प्रश्न पर उलझा हुआ दिखायी देता है। हर क्षेत्र विशेष के लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा के प्रति विशेष लगाव रखते हैं जो कि उनकी मातृभाषा व संवाद की भाषा होती है जिसके कारण वे दूसरी भाषा को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते दूसरी तरफ वह भाषा है जो सामाजिक एवं राजनैतिक कारणों से समाज में अपनी जगह बनाये हुए है , तीसरी तरफ वह भाषा है जो पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध कर राष्ट्रीयता अस्मिता का बोध कराती है।इस भाषायी विविधता के कारण देश भर में भाषायी आधार पर विभाजन एवं मातृभाषा के रूप में भाषा का चयन, शिक्षण के माध्यम के रूप में भाषा का चयन एक बहुत बड़ी समस्या रही है।

   यदि आप व्यावहारिक दृष्टि से देखे तो पाएंगे कि भारत के विद्यालयों की सबसे बड़ी समस्या यह भाषिक विविधता ही है। बच्चा जब स्कूल में प्रवेश करता है तो वह किसी अन्य भाषिक पृष्ठभूमि के साथ विद्यालय आता है और विद्यालयी परिवेश किसी अन्य दूसरी भाषिक पृष्ठभूमि को पोषित करता है जबकि पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधि किसी दूसरे भाषिक पृष्ठभूमि को। इस प्रकार बालक की समस्या यह होती है कि वह अपने को अपनी निजी भाषा तथा स्कूल की भाषा एवं पाठ्य पुस्तक की भाषा से अलग-थलग पाता है जो उसकी कल्पना शक्ति एवं सृजन शक्ति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा बनकर खड़ा हो जाता है। जैसा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा २००५ इसे रेखांकित करते हुए कहती है कि " बहुभाषिकतावाद भारतीय अस्मिता का अभिन्न अंग है हमारी शिक्षा व्यवस्था को इसे दबाने के बजाए बनाये रखने और प्रोत्साहित करने का भरपूर प्रयास करना चाहिए जैसा कि ईलिच (१९८१) ने कहा है कि हमें हाशिये पर अवस्थित , आदिवासी और विलुप्त प्राय भाषाओं को बचाने और उनके शसक्तीकरण का भरपूर प्रयास करना होगा हमें त्रिभाषा सूत्र को यथार्थ के धरातल पर क्रियान्वित करना होगा तभी हम भाषायी विवधता की समस्या से न केवल समाधान प्राप्त कर सकेंगे अपितु भाषायी विविधता को अपनी ताकत के रूप में प्रयुक्त कर सकेंगे। त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग कर हिन्दी भाषी राज्यों के लिए हिन्दी, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं (विशेष रूप से दक्षिण भारतीय भाषा) तथा हिन्दीतर राज्यों में हिन्दी, अंग्रेजी व क्षेत्रीय भाषा का प्रावधान कर भाषायी विवधता का संरक्षण हमारी शिक्षा की प्रमुख जिम्मेवारी होनी चाहिए।

6. **क्षेत्रीय विविधता-** क्षेत्रीय विविधता भारतीय समाज का एक विशिष्ट तत्व है । भौगोलिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से सम्पूर्ण भारत विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों में विभाजित है ।ये भौगोलिक क्षेत्र अपनी सहअस्तित्व की भावना तथा राजनैतिक सामाजिक व सांस्कृतिक कारणों से एक इकाई के रूप में संगठित होकर सामूहिक पहचान स्थापित कर अपने सामूहिक हितों की रक्षा करतें है। भारत में क्षेत्रीयता की इस भावना के कारण जहां इन क्षेत्रों में सह अस्तित्व व समरसता का भाव

रहा है वही कतिपय राजनैतिक स्वार्थ के कारण इसका दुरूपयोग भी होता रहा है। कई बार कुछ क्षेत्र विकास के मार्ग में हाशिये पर रह गये जिसके कारण क्षेत्रीय विषमता ने जन्म लिया जो राष्ट्र की बहुत बड़ी समस्या है। शिक्षा के द्वारा क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित कर क्षेत्र विशेष के संसाधनों का उचित दोहन करके राष्ट्र के विकास में सभी क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना मुख्य लक्ष्य है।

7. **लिंग भेद आधारित विविधता-** लिंग भेद आधारित विषमता भारतीय समाज की एक प्रमुख समस्या रही है। तीव्र सामाजिक विकास के इस दौर में जबकि महिलाओं का समानता का दर्जा दिये जाने की बात विधिक एवं सामाजिक रूप से सार्वभौम रूप से स्वीकार कर लगी गयी है, महिलाएं आज भी लिंगभेद का शिकार बन रही है। महिला सशक्तीतरण आज भी एक चुनौती है। यह बात केवल सामाजिक जीवन में ही नहीं अपुत कक्षीय वातावरण में भी लागू होती है जहाँ अनुपयुक्त पाठ्यक्रम एवं शिक्षण पद्धति न केवल नकारात्मक वातावरण उत्पन्न करती है अपितु उनके आत्मप्रत्यय को भी नीचे गिरा देती है

   महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा की ओर इंगित करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 शिक्षा को महिलाओं की स्थिति में आधारभूत परिवर्तन लाने के एक साधन के रूप में रेखांकित किया। अतीत की विसंगतियों को परिमार्जित करने के लिए एवं नवीन मूल्यों को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा-व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है जो पाठ्यचर्चा, पाठ्य-पुस्तक एवं शिक्षण प्रविधि में आधारभूत परिवर्तन की मांग करती है। पूरी जन-शक्ति का लगभग आधा हिस्सा होते हुए भी अनेकों सामाजिक-सांस्कृतिक कारणों से महिलाएं एक लम्बे समय तक हाशिये पर रही है। महिलाओ का विकास न केवल उनके वैयक्तिक विकास अपितु राष्ट्रीय विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी द्वारा सम्पूर्ण मानवीय शक्ति के उपयोग के लिए भी अत्यन्त आवश्यक है।

अभ्यास प्रश्न

1. इनमे से कौन नृजातीय समूह है :
   a. मंगोलियन b .द्रविणियन c. इंडोआर्यन d. उपर्युक्त सभी
2. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रवधान करता है कि- " राज्य कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का विशेष ध्यान रखेगा एवं हर प्रकार से सामाजिक अन्याय एवं किसी भी प्रकार के शोषण से रक्षा करेगा"
   a. अनुच्छेद 46 b .अनुच्छेद 68 c. अनुच्छेद 164 d.उपर्युक्त में से कोई नहीं
3. भारतीय समाज में पाई जाने वाली विविधता के रूप हैं :
   a. नृजातीयता b. क्षेत्रीयता c. भाषायी d. उपर्युक्त सभी

3.4 सीमान्त समुदाय के व्यक्ति एवं वर्ग तथा शिक्षा

शिक्षा समाज में व्यक्ति को बेहतर जीवन जीने की कला सिखाती है। मनुष्य को समाज में उपलब्ध संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारों जैसे – न्याय समता, स्वतन्त्रता, एवं बन्धुत्व का उपभोग करते हुए जीवन को आगे बढ़ाना होता है जहां उसे एक तरफ संविधान प्रदत्त सुरक्षा प्राप्त है तो दूसरी तरफ भिन्न-भिन्न समुदायों के साथ तालमेल रखते हुए कर्तव्यों का पालन करना भी सुनिश्चित करता होता है। भारत जैसे बहुलवादी देश में जहां विभिन्न धर्मों, भाषाओं एवं संस्कृतियों तथा विभिन्न प्रकार की विविधता से युक्त क्षेत्रीय भिन्नता को रखने वाले भिन्न-भिन्न समुदाय निवास करते है ; सामाजिक समरसता एवं भाईचारा की भावना के साथ राष्ट्र को एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में संगठित रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है।

अनेक संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद समाज के कुछ वर्ग मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। वर्तमान भारतीय समाज में शैक्षिक एवं सामाजिक विकास के बावजूद कतिपय बाधक तत्वों के कारण समाज के कुछ वर्ग विषमता के शिकार हैं तथा अभी भी विकास के मापदण्डों पर हाशिये पर है। इनमें प्रमुख है – जाति, नृजातीयता, वर्ग, धर्म, क्षेत्रवाद इत्यादि आधारित विषमता से उत्पन्न विसंगतियां जो समाज एवं व्यक्ति के विकास में बहुत बड़ी बाधा है, जिनका अभी हमने अवलोकन एवं विश्लेषण किया है । समाज की ये विषंगतियां ही असमानता एवं सीमांतता को जन्म देकर असन्तोष व अराजकता का वातावरण बनाती है जो कई बार कुछ व्यक्तियों एवं समुदायों को समाज का असामाजिक तत्व बना देती है।

अतः इन विसंगतियों को दूर करना तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र विकास करना ही शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है ।आईए यह समझने का प्रयास करें कि इन विभिन्न विविधता एवं असमानता से युक्त एवं सीमांतता के शिकार विभिन समुदायों एवं उनके व्यक्तियों की शिक्षा से अपेक्षा एवं मांग क्या है।

3.4.1 शिक्षा से इन समुदायों और व्यक्तियों की विभिन्न मांगों को समझना

समाज के हर व्यक्ति का सर्वांगीर्ण विकास ही शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। समाज का वह समुदाय जो किन्ही कारणों, चांहे वह प्राकृतिक कारण हो या मानव जनित कारण, से विकास की प्रक्रिया में मुख्यधारा से पीछे रह गया है, शिक्षा से अपेक्षा रखता है कि उसे सामर्थवान बनाकर राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा में शामिल होने में सहायक हो। जब हम भारतीय समाज के स्वरुप,उसकी विविधता , सवैंधानिक एवं शैक्षिक उपबंध पर दृष्टिपात करते हैं तो हम पाते हैं कि शिक्षा को समाज के हर व्यक्ति कि क्षमता का विकास करके समाज कि मुख्य धारा में लाने का प्रमुख साधन स्वीकार किया गया है जो विभिन प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वहन करती है।

आईए देखे कि शिक्षा अपनी इस भूमिका का किस प्रकार एवं किन क्षेत्रों में निर्वहन करती है।

1. **प्राकृतिक क्षमताओं का विकास -** हर व्यक्ति जन्म से कुछ प्राकृतिक शक्तियों एवं क्षमताओं को लेकर जन्म लेता है जो उपयुक्त वातावरण में पल्लवित-पुष्पित होती है। समाज जनित

वातावरणीय कारणों से उपयुक्त अवसर न मिलने के कारण समाज के अनेक वर्ग विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं महिलाएं विकास की दौड़ में हाशिये पर चले गये। शिक्षा ही वह साधन है जो इन हाशियें पर चले गये वर्गों की अन्तर्निहित शक्तियों का विकास कर उन्हे राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान देने में समर्थ बना सकती है।

2. **जीविकोपार्जन की क्षमता का विकास -** इन सीमान्त एवं उपेक्षित व्यक्तियों एवं वर्गों की शिक्षा से दूसरी महत्वपूर्ण मांग है – जीविकोपार्जन की क्षमता का विकास । समाज के सीमान्त वर्ग के समक्ष सबसे बड़ी समस्या जीविकोपार्जन की है। समाज में उत्पादन के साधनों पर समाज के उच्च व मध्यम वर्ग का आधिपत्य होने के कारण सीमान्त वर्ग उपेक्षा एवं शोषण के शिकार बन कर रह गये जिसके कारण उन्हें जीविकोपार्जन हेतु संसाधनों व जीविकोपार्जन के साधनों के ज्ञान का अभाव रहा है। शिक्षा ही वह साधन है जो समाज के सीमान्त वर्ग को जीविकोपार्जन की कला में प्रवीण बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बना सकती है। शिक्षा से इन व्यक्तियों तथा वर्गों कि यह मांग है कि वह उन्हें जीविकोपार्जन के साधनों एवं कौशलों का विकास कर आर्थिक विकास में योगदान देने में सक्षम बनाये।
3. **नागरिक जीवन का प्रशिक्षण-** समाज के सीमान्त वर्ग शोषण व दमन के कारण समाज में प्राप्त संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करने में भी असमर्थ रहते हैं । बहुध देखा गया है कि समाज के पिछड़े व दलित वर्ग अपनी नियति को ईश्वर की देन मानकर एक नागरिक के रूप में प्राप्त संवैधानिक व कानूनी अधिकारों का भी उपयोग नहीं कर पाते। अतः इन समुदायों की शिक्षा से यह अपेक्षा है कि शिक्षा द्वारा उन्हें नागरिकता का प्रशिक्षण मिले जिससे वह समाज के सक्रिय नागरिक के रूप में लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में भागीदारी लेकर नई स्थितियों का सामना करने में सक्षम हो सकें तथा स्वयं के एवं राष्ट्र के विकास में अपना योगदा दे सकें।
4. **चरित्र निर्माण -** समाज के सीमान्त वर्ग अपनी उपेक्षा से त्रस्त होकर अनेक बार असमाजिक कार्यों मे लिप्त हो जाते हैं या कई बार सक्रिय सामाजिक जीवन से पलायन कर एकाकी जीवन जीने लगते है। समाज के सीमान्त वर्ग शिक्षा से आशा करते हैं कि वह समाज में व्याप्त असमानता व भेदभाव की दीवार को गिराने में सहायक हो तथा उनके आत्मबल का इस प्रकार विकास करे कि वह समाज में सम्मान पूर्वक जीवनयापन करने में समर्थ हो सके। इस प्रकार शिक्षा से अपेक्षा है कि वह चारित्रिक विकास में सहायक हो सके तथा समाज के सीमान्त वर्ग को राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल कर सके।
5. **व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास -** समाज का सीमान्त वर्ग, समाज के शक्तिशाली वर्ग द्वारा दमित व उत्पीड़ित होने के कारण व्यक्तित्व के सर्वांगीर्ण विकास से उपेक्षित रहा है। अतः समाज का सीमान्त वर्ग शिक्षा से शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अध्यात्मिक विकास की अपेक्षा रखता है। शिक्षा का दायित्व है कि वह समाज के उपेक्षित वर्ग के व्यक्तित्व विकास में मुख्य भूमिका निभाये। इस के लिए पाठ्यचर्या में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। पाठ्यचर्या में परिवर्तन के साथ-साथ शिक्षण पद्धति में भी बदलाव जरूरी है

शिक्षण पद्धति सहभागिता तथा जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए तभी सीमान्त वर्ग के व्यक्तियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीर्ण विकास सम्भव होगा।

6. **सामाजिक कौशलों का विकास -** समाज में हर व्यक्ति अपनी भूमिका का निर्वहन कर समाज का उपयोगी नागरिक बन सके यह शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सामाजिक कौशलों के विकास के बिना यह सम्भव नही है। अतः शिक्षा के द्वारा सामाजिक कौशलों का विकास किया जाना चाहिए। समाज का उपेक्षित व वंचित वर्ग समाज के अन्य लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके तथा समाज में स्वस्थ सामाजिक वातावरण का विकास हो सके यह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। अतः सामाजिक कौशलों का विकास हमारी पाठ्यचर्या का मुख्य केन्द्र हो यह इन सीमान्त वर्ग के व्यक्तियों एवं समुदायों की शिक्षा से अपेक्षा है।
7. **समाजोपयोगी नागरिक का निर्माण -** मानव पूंजी किसी भी समाज के विकास का मुख्य आधार होती है अतः शिक्षा के द्वारा समाज के लिए उपयोगी नागरिक का निर्माण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। समाज का हर व्यक्ति मानव पूँजी है जिसके सम्यक विकास के बिना समाज का विकास सम्भव नहीं है। शिक्षा के द्वारा समाज की मांग के अनुरूप मानवीय शक्ति का विकास किया जाना चाहिए तभी हर नागरिक समाज के उत्थान में अपना योगदान दे सकेगा।
8. **राष्ट्रीयता की भावना का विकास -** समाज का सीमांत वर्ग एक लम्बे समय से उपेक्षित रहने के कारण अपने आप को राष्ट्र की मुख्य धारा से कटा हुआ महसूस करता है जिसके कारण अलगाववाद व परायेपन की भावना व कुण्ठा जन्म लेने लगती है। शिक्षा की यह जिम्मेदारी बनती है कि हर नागरिक अपने आपको राष्ट्र का समान नागरिक समझे तथा राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत होकर राष्ट्र के पुनर्निर्माण में अपनी सहभागिता दे। हमारी पाठ्यचर्या में राष्ट्रीयता के तत्वों को और समृद्ध किया जाना चाहिए जिससे समाज का हर वर्ग अपने आप को राष्ट्र का अभिन्न एवं अनिवार्य अंग समझे।
9. **विश्व-बन्धुत्व की भावना का विकास-** केवल राष्ट्रीयता की भावना ही नहीं अपितु विश्व बन्धुत्व का भी बोध हर नागरिक को कराना शिक्षा का प्रमुख कार्य है। विश्व बन्धुत्व से ही शांति एवं प्रगति सम्भव है।

इस प्रकार आप देख सकते हैं कि शिक्षा ही वह अभिकरण है जिससे समाज का सीमान्त वर्ग बड़ी ही आशा भरी दृष्टि से देखता है तथा अपेक्षा रखता है कि शिक्षा उसे आत्मनिर्भर बनाकर उसे लोकतान्त्रिक तरीके से आर्थिक एवं सामाजिक विकास में योगदान देने में समर्थ बनाये।

3.4.2 मांगों की पूर्ति के लिए उचित सामाजिक शैक्षणिक रणनीति

अब आप यह बात तो समझ ही गए होंगे कि समाज की विविधता से उत्पन्न जटिलताओं एवं समाज में प्रकृति या मानव जनित विषमताओं व विसंगतियों को दूर करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। सामाजिक समता एवं समानता की स्थापना तथा समाज के हर वर्ग को राष्ट्र की विकास की मुख्य धारा में

लाना ही राष्ट्र का मुख्य लक्ष्य है जिसकी सप्राप्ति शिक्षा द्वारा ही संभव है। समाज का सीमान्त वर्ग जो एक लंबे समय से राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग थलग रहा है बदली परिस्थितियों में अपनी भूमिका के निर्वहन के लिए विभिन मांगे रखता है जिसका आपने अभी अवलोकन किया। सीमान्त वर्ग की इन विभिन्न मांगों की पूर्ति के लिए उचित सामाजिक तथा शैक्षणिक रणनीतियों को तैयार करने की आवश्यकता है।

आईए यह जानने का प्रयास करें कि सीमान्त वर्ग के इन व्यक्तियों एवं समुदायों की मागों कि पूर्ति के लिए विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षिक रणनीतियां क्या हो सकती हैं ? सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक रणनीतियों की।

सामाजिक रणनीतियाँ

1. **समाज को मुख्य धारा में जोड़ना -** सामाजिक विविधता एवं विषमता के कारण समाज का जो वर्ग सीमान्त रह गया उसे समाज एवं राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना समाज की प्रमुख सामाजिक रणनीति होनी चाहिए। समाज के सीमान्त वर्ग के हर व्यक्ति एवं समुदाय को समाज के नीति निर्माण से लेकर क्रियान्वयन, शासन-प्रशासन इत्यादि हर जगह समान अवसर मिलना चाहिए। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं समाज के हर अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सकें, इसका प्रयास होना चाहिए।
2. **समान नागरिक एवं राजनैतिक अधिकार उपलब्ध कराना-** सीमान्त वर्ग को राष्ट्र की मुख्या धारा में लाने के लिए दूसरी प्रमुख सामाजिक रणनीति है- समान नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों की उपलब्धता। समाज के उपेक्षित वर्ग को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता , सुरक्षा, जीवन जीने का समान अधिकार मिल सके, सभी कानून के समक्ष समान हों तथा कानून का समान संरक्षण सभी को हो। इस प्रकार समाज के हर वर्ग एवं व्यक्ति को सभी प्रकार के नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारों का बिना किसी भय के समान रूप से उपयोग करने का अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास होना चाहिए।
3. **आर्थिक स्वावलम्बन-** समाज के सीमान्त वर्ग को आर्थिकरुप से स्वावलम्बी बनाकर शोषण के चक्र से मुक्ति दिलाना तथा राष्ट्र की आर्थिक विकास की मुख्या धारा में ले आना सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक रणनीति है जिसके द्वारा सीमांतता की विद्रूप समस्या को समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा द्वारा कौशलों का विकास किया जाए तथा तथा रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम के द्वारा समाज के सीमान्त वर्ग को कुशल मानव पूंजी के रूप में स्थापित करके आर्थिक रूप से पूर्ण स्वावलंम्बी बनाया जाए।
4. **सामाजिक सुरक्षा तथा सम्मान -** समाज के सीमान्त वर्ग लम्बे समय तक उपेक्षित व वंचित होने के कारण समाज से जुड़ाव नहीं महसूस कर पाते। समाज का यह दायित्व हे कि वह समाज के सीमान्त वर्ग को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराये तथा समाज में उन्हे सम्मानित स्थान प्रदान

करे। अतः सामाजिक सुरक्षा तथा सम्मान सीमान्त वर्ग के व्यक्तियों एवं समुदायों को समाज की मुख्या धारा में लाने की एक महत्वपूर्ण सामाजिक रणनीति के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए।

5. **समतामूलक समाज की स्थापना-** समाज के वंचित व उपेक्षित सीमान्त वर्ग को समता के आधार पर सरकारी सेवाओं तथा शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान कर उन्हें राज्य की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाये। भारत में इस आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गयी है किन्तु इसे हर सीमान्त व्यक्ति तक पहुचाने का प्रयास होना चाहिए।

उपर्युक्त सामाजिक रणनीतियों के साथ साथ इन सीमान्त वर्ग के व्यक्तियों एवं समुदायों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए शैक्षिक रणनीतियों की भी आवश्यकता है। आईए इनका भी एक विश्लेषण करें।

शैक्षिक रणनीतियाँ

1. **शिक्षा के अवसरों की समानता -** समाज का यह दायित्व है कि समाज में विशेष अधिकार वाला वर्ग न रहे और सबको उन्नति के समान अवसर मिले। सभी व्यक्तियों को उनके शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास का समान अवसर मिले जिसके लिए आवश्यकता है कि सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के शैक्षक अवसरों की समानता मिले अर्थात सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक स्तर , शिक्षा के अवसरों की समानता में बाधक न हो।
2. **छात्रवृत्ति की व्यवस्था -** समाज के सीमान्त वर्ग के लोगों का शैक्षिक स्तर उठाने के लिए सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की योजना क्रियान्वित की गई है। सरकार का प्रयास होना चाहिए कि धन के अभाव में कोई भी सीमान्त समुदाय का विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न हो।
3. **प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग -** सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग एवं सीमान्त समुदाय के लोगों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में उनकी सहभागिता बढ़ाने तथा उन्हें प्रेरित एवं प्रशिक्षित करने के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाती है। इसके द्वारा विभिन्न प्रशासकीय सेवाओं, बैंक, रेलवे, निगमों आदि सरकारी नौकरियों में अधिक से अधिक सहभागिता बढ़ाने के लिए पूर्व-प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गयी है। ऐसे केन्द्रों के माध्यम से समाज के सीमान्त वर्ग के सदस्यों को अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण देकर और अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
4. **व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश-** सीमान्त वर्ग के विद्यार्थियों को व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे वे स्वावलम्बी बनकर राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकें।
5. **छात्रावास की सुविधा -** सीमान्त वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करायी जाये जिससे वह बिना किसी बाधा के अध्ययन कर सकें।
6. **वित्तीय सहायता-** सीमान्त वर्ग के विद्यार्थियों को केवल अध्ययन हेतु ही वित्तीय सहायता नहीं मिलनी चाहिए अपितु कौशल विकास करके उन्हें उद्यम स्थापित करने हेतु भी आर्थिक सहायता

उपलब्ध करायी जानी चाहिये जिससे वह अध्ययन के उपरान्त अपने कौशल का उपयोग स्वयं के तथा राष्ट्र के विकास के लिए कर सकें।

7. **विद्यालयी पाठ्यचर्चा सुधार -** सीमान्त वर्ग के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि सीमान्त वर्ग के लोग अपनी क्षमताओं के विकास का पूरा अवसर पा सकें। पाठ्यचर्या का निर्धारण इस प्रकार होना चाहिए कि वह उनके व्यक्तित्व का विकास कर सके साथ ही रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा सके। पाठ्यचर्चा का निर्धारण इस प्रकार हो कि सीमान्त वर्ग के लोग पाठ्यचर्या से जुड़ाव महसूस कर सकें तथा उनके व्यक्तित्व एवं सामाजिक कौशलों का विकास हो सके जिससे वह समाजोपयोगी नागरिक बन कर राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकें। पाठ्यचर्या में राष्ट्रीय एकता एवं विश्व बन्धुत्व की भावना का भी समावेश होना चाहिए।

इस प्रकार आप पाते हैं कि उपर्युक्त सामाजिक एवं शैक्षिक रणनीतियों का विकास कर समाज में व्याप्त विविधता को एक समस्या नहीं अपितु संसाधन के रूप देखा जा सकता है और इस विविधता का उपयोग सृजनात्मकता के विकास के लिए किया जा सकता है तथा विविधता जनित विषमता या असमानता को दूर करके समाज के द्वारा सबी व्यक्तियों , विशेष रूप से अब तक सीमान्त रहे व्यक्तियों एवं समुदायों को राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है

अभ्यास प्रश्न

4. शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है
   a. समाज के हर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास
   b. रोजगार सृजन
   c. आर्थिक स्वावलंबन
   d. उपर्युक्त में से कोई नहीं
5. सीमान्त वर्ग के व्यक्तियों की मांगों की पूर्ति हेतु उपयुक्त सामाजिक सामाजिक रणनीति है :
   a. समान नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों की उपलब्धता
   b. आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाना
   c. सामाजिक सुरक्षा तथा सम्मान
   d. उपर्युक्त सभी
6. सीमान्त वर्ग के व्यक्तियों की मांगों की पूर्ति हेतु उपयुक्त शैक्षिक रणनीति है :
   a. शिक्षा के अवसरों की समानता
   b. व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए प्रोत्साहन
   c. विद्यालयी पाठ्यचर्या में सुधार
   d. उपर्युक्त सभी

3.5 सारांश

भारत के भौगोलिक एवम सांस्कृतिक विविधता से युक्त वैविध्यपूर्ण वातावरण को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय सविंधान द्वारा समतामूलक लोकतान्त्रिक समाज की स्थापना करने के लिए न्याय, स्वतंत्रता , समानता तथा बंधुत्व के चार आधारभूत मूल्यों पर बल दिया गया है जो समाज के सभी वर्गों एवं व्यक्तियों को विकास का सामान अवसर एवं सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है भारतीय समाज में पायी जाने वाली विविध हमें अनेक रूपों में दिखाई देती है जैसे नृजातीयता,जाति , वर्ग, धर्म,क्षेत्र , लिंग भेद आधारित विविधता इत्यादि। विविधता का सरंक्षण करना तथा उसे असमानता एवं शोषण का अस्त्र न बनने देना शिक्षा का मुख्य कार्य है। समाज में कुछ वर्ग एवं व्यक्ति समाज के संसाधनों का दोहन करके विकास के पथ पर अग्रस हो गए तथा कुछ शोषित व दमित हो कर सीमान्त रह गए। शिक्षा का प्रमुख दायित्व है की समाज के इन सीमान्त व उपेक्षित वर्गों एवं व्यक्तियों की आवश्यकताओं को समझ कर उन्हें ऐसे अवसर उपलब्ध कराए जिससे वह सभी राष्ट्र की मुख धारा में शामिल हो सकें। इन सीमान्त समुदाय के सभी वर्गों एवं व्यक्तियों की शिक्षा से अपेक्षा है कि वह उनकी नैसर्गिक क्षमता का विकास करे तथा जीविकोपार्जन की क्षमता का विकास करके उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाये साथ ही सामाजिक कौशलों का विकास करके एवं नागरकि जीवन का प्रशिक्षण देकर उन्हें समाज का सम्मानित नागरिक बनने में सहायक हो। इन वर्गों एवं व्यक्तियों को सीमांतता से हटा कर समाज की मुख्य मुख्य धारा में लाने के लिए विभिन सामाजिक एवं शैक्षिक रणनीतियों के क्रियान्वयन की आवश्यकता है जिनमे नीति निर्माण से क्रियान्वयन तक सहभागिता, समान नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों कि उलब्धता , आर्थिक स्वावलंबन, सामाजिक सुरक्षा तथा सम्मान आदि सामाजिक रणनीतियों के अतिरिक्त शिक्षा के अवसरों की समानता , छात्रवृत्ति की व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग , निःशुल्क छात्रावास, वित्तीय सहायता , विद्द्यालयीय पाठ्यचर्या में सुधार इत्यादि शैक्षिक रणनीतियों के क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

3.6 शब्दावली

1. अस्पृश्य: जिसे नीच जाति का होने के कारन स्पर्श योग्य न माना जाता हो
2. नृजातीयता : विशेष मानव जाति या प्रजाति से सम्बंधित
3. समतावाद : सभी वर्गों तथा उनके सदस्यों के प्रति समान व्यवहार करने की नीति या सिद्धांत

3.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. d
2. a
3. d

4. a
5. d
6. d

3.8 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. गोरे, ऍम० एस० एवं देसाई आई० पी० , (1967) . पेपर्स इन सोशियोलॉजी ऑफ़ एजुकेशन इन इंडिया , दिल्ली , एन० सी ० ई ० आर० टी ०।
2. चंद्रा, एस० एस० एवं शर्मा आर ० के ० (2012), सोशियोलॉजी ऑफ़ एजुकेशन , दिल्ली , अटलांटिक पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स।
3. तनेजा , वी ० आर ० (2005) , सोसिओ-फिलोसोफिकल अप्प्रोच टू एजुकेशन , दिल्ली , अटलांटिक पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स।
4. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा (2005) दिल्ली , एन० सी ० ई ० आर० टी ०।
5. वर्मा , आचार्य रामचंद्र (2012) . लोकभारती वृहत प्रमाणिक हिंदी कोष , इलाहबाद ,लोकभारती प्रकाशन
6. शर्मा योगेंद्र के ० (2012).फाउंडेशन इन सोशियोलॉजी ऑफ़ एजुकेशन , कनिष्का पब्लिकेशन्स।
7. शाह बी ० वी ० एवं शाह के ० बी ० (2014) . सोशियोलॉजी ऑफ़ एजुकेशन , रावत पब्लिकेशन्स।
8. शुक्ला , ऍस० एवं कुमार कृष्ण (संपा०) (1985) . सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन , दिल्ली , चाणक्य प्रकाशन।

3.9 निबंधात्मक प्रश्न

1. भारतीय संविधान द्वारा भारत को एक समतामूलक लोकतांत्रिक समाज के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए किन आधारभूत मूल्यों पर बल दिया गया है?
2. भारतीय सविंधान द्वारा विषमता को दूर करने एवं समानता स्थापित करने के लिए किन संवैधानिक उपबंधों का प्रावधान किया गया है ? सीमान्त वर्गों एवं व्यक्तियों के हितों के संरक्षण एवं संवर्धन में इनकी क्या भूमिका है ?
3. सीमान्त वर्गों एवं व्यक्तियों की शिक्षा से प्रमुख मांगे क्या हैं? इन मांगों की पूर्ति हेतु आप उचित सामाजिक एवं शैक्षिक रणनीतियों का विकास कीजिये?
4. भारतीय समाज में व्याप्त असमानताओं को सूचीबद्ध कीजिये आपके आस-पास उनमें से किस प्रकार की असमानता बहुलता में दिखाई देती है

5. आपकी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की मातृभाषा एवं कक्षीय संवाद की भाषा क्या ? इसकी एक सूची बनाइये तथा भाषायी विविधता का विश्लेषण कीजिये ।आपकी राय में विद्यालयों में कितनी भाषाएँ पढ़ाई जाएं ।
6. "सीमांतता समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है " इस कथन पर अपना दृष्टिकोण स्पस्ट कीजिये तथा समाज में व्याप्त सीमांतता को दूर करने के उपाय सुझाइये।
7. सीमान्त वर्गों एवं व्यक्तियों के हितों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु विद्यालयी पाठ्यचर्या में आप किस प्रकार के सुधारों की अपेक्षा रखते हैं?

Unit 4- विविधता के सन्दर्भ में बच्चों को विकसित करने में शिक्षा की भूमिका

Role of Education in grooming children to respect the diversities – designing effective educational institution through the creation of appropriate learning experiences in and outside the classroom situation, Curricular Co-curricular and Extra – Curricular Activities.

4.1 प्रस्तावना
4.2 उद्देश्य
4.3 शिक्षा का अर्थ
4.4 बालकों के विकास में शिक्षा की भूमिका
4.5 बालकों को संवारने (Grooming) में शिक्षा का कार्य
4.6 सामाजिक विविधता, वैयक्तिक विभिन्नता एवं अनुभव शंकु
4.7 शैक्षिक पाठ्यक्रम के द्वारा विकास
4.8 पाठ्य सहगामी क्रियाएं एवं पाठ्येतर गतिविधियाँ का अर्थ
4.9 पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य
4.10 सह पाठयक्रम गतिविधिओं के उदाहरण
4.11 छात्र और सह पाठयक्रम गतिविधिओं का महत्व
4.12 सह पाठयक्रम गतिविधिओं के लाभ
4.13 सारांश
4.14 शब्दावली
4.15 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
4.16 निबंधात्मक प्रश्न

4.1 प्रस्तावना

हमारी पृथ्वी विविधताओं से परिपूर्ण है । यहाँ पर विविध प्रकार के जीव-जंतु, पशु –पक्षी एवं वस्तु उपस्थित है। इन विविधताओं में पृथ्वी पर मानव की उपस्थिति और चार चाँद लगाता है। यह माना जाता है कि पृथ्वी पर सबसे समझदार, क्रियात्मक, सृजनशील, एवं चिंतनशील प्राणी मानव ही है। मानव पृथ्वी पर प्रकृति का एक ऐसी अनुपम देन है जो अपनी योग्यता एवं क्षमताओं के कारण किसी भी वस्तु एवं परिस्थिति को अपने आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन कर सकता है। यहाँ पर मानव एवं अन्य प्राणी में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है की मानव चिन्तनशील प्राणी है। मानव का चिन्तनशील प्राणी होने का ही नतीजा है कि वह सम्पूर्ण परिस्थिति को अपने आवश्यकता अनुसार नियंत्रित कर लेता है । जिसके फलस्वरूप मानव नये-नये वैज्ञानिक अविष्कार, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मशीन, कंप्यूटर इत्यादि का निर्माण किया है। अब प्रश्न उठता है कि कौन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव अपने आप को इस पृथ्वी के एक सर्वश्रेष्ट मानव के रूप में स्थापित किया है। इस प्रश्न का यदि गहनता से चिंतन किया जाय तो हम सभी इस निष्कर्ष पर पहुचेंगे की शिक्षा ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव यहाँ के एक सर्वश्रेष्ट प्राणी के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव अपने आंतरिक योग्यताओं एवं क्षमताओं को विकसित करने का प्रयास करता है। मानव विकास के लिए शिक्षा एक ऐसी उपकरण है जिसके सहायता से वे अपने योग्यताओं को पूर्णरूप से विकसित करने का प्रयास करता है। शिक्षा शास्त्री एवं मनोवैज्ञानिक के अनुसार मानव में कई तरह की वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है । यह वैयक्तिक विभिन्नता मानव के अधिगम क्षमता, चिंतन शीलता एवं तर्क करने की क्षमता को प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार अपने वैयक्तिक विभिन्नता वाले गुण के कारण ही मानव अपने वातावरण अपूर्व रूप से समायोजन करता एवं अपूर्व रूप से शिक्षा ग्रहण करता है । ब्लूम महोदय के अनुसार शिक्षा के द्वारा मानव अपने मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, मनोग्त्यात्मक विकास करता है, यदि कोई भी व्यक्ति इन सभी आयामों को विकसित करने पर बल देता है तो यह माना जाता है कि उस व्यक्ति का सम्पूर्ण विकास हो रहा है। मानव के सम्पूर्ण विकास के लिए केवल विद्यालयी पाठ्यक्रम की शिक्षा ही आवश्यक नही है, उनकी सम्पूर्ण विकास के लिए संस्थागत शिक्षा के साथ –साथ पाठ्येतर एवं पाठ्यक्रम से अतिरिक्त शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। वर्त्तमान अध्याय में हमलोग शिक्षा एवं शिक्षा का महत्व, पाठ्यक्रम, पाठ्येतर एवं अतिरिक्त पाठ्यक्रम कैसे बालक के व्यक्तित्व को सवारने में सहायक होता है का अध्ययन करेंगे।

4.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात्, आप-

1. शिक्षा के अर्थ को समझ पाएंगे।
2. बालकों के विकास में शिक्षा के महत्व को समझ पायेंगे।

3. बालकों की वैयक्तिक विभिन्नता एवं उनके शिक्षा की आवश्यकता को समझ पायेंगे।
4. बालकों के विकास पर पाठ्यक्रम, पाठ्य सहगामी क्रियायें एवं पाठ्येतर क्रियाओं के प्रभाव को समझ पायेगें।
5. बालकों के विकास के आयामों को समझ पायेंगे।
6.

4.3 शिक्षा का अर्थ

शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण और तकनीकी दक्षता, शिक्षण और विद्या प्राप्ति आदि समाविष्ट हैं । इस प्रकार यह कौशलों (skills), व्यापारों या व्यवसायों एवं मानसिक, नैतिक और सौन्दर्य विषयक के उत्कर्ष पर केंद्रित है।

शिक्षा, समाज की एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास है। इस विचार से शिक्षा एक संस्था के रूप में काम करती है, जो व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा समाज की संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखती है। बच्चा शिक्षा द्वारा समाज के आधारभूत नियमों, व्यवस्थाओं, समाज के प्रतिमानों एवं मूल्यों को सीखता है। बच्चा समाज से तभी जुड़ पाता है जब वह उस समाज विशेष के इतिहास से रूबरू होता है।

शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्त्व का विकसित करने वाली प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया उसे समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए समाजीकृत करती है तथा समाज के सदस्य एवं एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान तथा कौशल उपलब्ध कराती है । शिक्षा शब्द संस्कृतभाषा की 'शिक्ष्' धातु में 'अ' प्रत्यय लगाने से बना है । 'शिक्ष्' का अर्थ है सीखना और सिखाना। 'शिक्षा' शब्द का अर्थ हुआ सीखने-सिखाने की क्रिया।

जब हम शिक्षा शब्द के प्रयोग को देखते हैं तो मोटे तौर पर यह दो रूपों में प्रयोग में लाया जाता है, व्यापक रूप में तथा संकुचित रूप में। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। मनुष्य क्षण-प्रतिक्षण नए-नए अनुभव प्राप्त करता है व करवाता है जिससे उसका दिन-प्रतिदन का व्यवहार प्रभावित होता है। उसका यह सीखना-सिखाना विभिन्न समूहों, उत्सवों, पत्र-पत्रिकाओं, दूरदर्शन आदि से अनौपचारिक रूप से होता है। यही सीखना-सिखाना शिक्षा के व्यापक तथा विस्तृत रूप में आते हैं। संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय तथा निश्चित स्थानों (विद्यालय, महाविद्यालय) में सुनियोजित ढंग से चलने वाली एक सोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्र निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़कर अनेक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना सीखता है।

शिक्षा पर विद्वानों के विचार

विभिन्न दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों व नीतियों ने शिक्षा के सम्बन्ध में अपने विचार दिए हैं। शिक्षा के अर्थ को समझने में ये विचार भी हमारी सहायता करते हैं। कुछ शिक्षा सम्बन्धी मुख्य विचार यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं -

- शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। (महात्मा गांधी)
- मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। (स्वामी विवेकानन्द)
- शिक्षा व्यक्ति की उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रखकर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सके। (जॉन ड्यूवी)

प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य 'मुक्ति' की चाह रही है (*सा विद्या या विमुक्तये / विद्या उसे कहते हैं जो विमुक्त कर दे*) बाद में समय के रूप बदलने से शिक्षा ने भी उसी तरह उद्देश्य बदल लिए।

अभ्यास प्रश्न

1. शिक्षा का अर्थ क्या है ?
2. शिक्षा को परिभाषित करें।

4.4 बालकों के विकास में शिक्षा की भूमिका

नवजात शिशु असहाय तथा असामाजिक होता है। वह न बोलना जनता है न चलना-फिरना। उसका न कोई मित्र होता है और न शत्रु। यही नहीं, उसे समाज के रीति-रिवाजों तथा परम्पराओं का ज्ञान भी नहीं होता है और न ही उसमें किसी आदर्श तथा मूल्य को प्राप्त करने की जिज्ञासा पाई जाती है। परन्तु जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है वैसे-वैसे उस पैर शिक्षा के औपचारिक तथा अनौपचारिक साधनों का प्रभाव पड़ता जाता है। इस प्रभाव के कारण उसका जहाँ एक ओर शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास होता जाता है वहाँ दूसरी ओर उसमें सामाजिक भावना भी विकसित होती जाती है। परिणामस्वरुप वह शैने-शैने: प्रौढ़ व्यक्तिओं के उतर्दयित्वों को सफलतापूर्वक निभाने के करने के योग्य बन जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बालक के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन करने के लिए व्यवस्थित शिक्षा की परम आवश्यकता है। सच तो यह है कि शिक्षा से इतने लाभ हैं कि उनका वर्णन करना कठिन है। इस संदर्भ में यहाँ केवल इतना कह देना ही पर्याप्त होगा की शिक्षा माता के सामान पालन-पोषण करती है, पिता के समान उचित मार्ग-दर्शन द्वारा अपने कार्यों में लगाती है तथा पत्नी की भांति सांसारिक चिन्ताओं को दूर करके प्रसन्नता प्रदान करती है। शिक्षा के ही द्वारा हमारी कीर्ति का प्रकाश चारों ओर फैलता है तथा शिक्षा ही हमारी समस्याओं को सुलझाती है एवं हमारे जीवन को सुसंस्कृत करती है। हम देश में रहें अथवा विदेश में शिक्षा हमारे लिए क्या-क्या नहीं करती। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश पाकर कमल का फूल खिल उठता है तथा सूर्य अस्त होने पर कुम्हला जाता है, ठीक उसी प्रकार

शिक्षा के प्रकाश को पाकर प्रत्येक व्यक्ति कमल के फूल की भांति खिल उठता है तथा अशिक्षित रहने पर दरिद्रता, शोक एवं कष्ट के अंधकार में डूबा रहता है। संक्षेप में, शिक्षा वह प्रकाश है जिसके द्वारा बालक की समस्त शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा अध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। इससे वह समाज का एक उतरदायी घटक एवं राष्ट्र का प्रखर चरित्र-संपन्न नागरिक बनकर समाज की सर्वांगीण उन्नति में अपनी शक्ति का उतरोतर प्रयोग करने की भावना से ओत-प्रोत होकर संस्कृति तथा सभ्यता को पुनर्जीवित एवं पुर्नस्थापित करने के लिए प्रेरित हो जाता है। जिस प्रकार एक ओर शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास करके उसे तेजस्वी, बुद्धिमान, चरित्रवान, विद्वान्, तथा वीर बनती है, उसी प्रकार दूसरी ओर शिक्षा समाज की उन्नति के लिए भी एक आवश्यक तथा शक्तिशाली साधन है। दुसरे शब्दों में, व्यक्ति की भांति समाज भी शिक्षा के चमत्कार से लाभान्वित होता है। शिक्षा के द्वारा समाज भावी पीढ़ी के बालकों को उच्च आदर्शों, आशाओं, आकांक्षाओं, विश्वासों तथा परमपराओं आदि सांस्कृतिक सम्पत्ति को इस प्रकार से हस्तांतरित करता है कि उनके हृदय में देश-प्रेम तथा त्याग की भावना प्रज्वलित हो जाती है। जब ऐसी भावनाओं तथा आदर्शों से भरे हुए बालक तैयार होकर समाज अथवा देश की सेवा का व्रत धारण करके मैदान में निकलेंगे तथा अपने शिखर पर चढ़ता ही रहेगा। इस प्रकार व्यक्ति तथा समाज दोनों ही के विकास में शिक्षा परम आवश्यक है।

अभ्यास प्रश्न

3. बालकों के लिए शिक्षा का क्या महत्व है ?
4. शिक्षा के द्वारा बालकों का शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक विकास होता है ? कैसे

4.5 बालकों को संवारने (Grooming) में शिक्षा का कार्य

राष्ट्र तथा उसके नागरिकों का एक-दुसरे से घनिष्ट सम्बन्ध होता है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति केवल उसी समय हो सकती है जब उसके नागरिक उत्तम सचरित्र तथा उतरदायित्वपूर्ण हों। यदि नागरिक अयोग्य, चरित्रहीन तथा निर्बल होंगे तो राष्ट्र-निश्चित रूप से रसातल को चला जायेगा। इस दृष्टि से राष्ट्र की उन्नति के लिए सचरित्र एवं श्रेष्ट नागरिकों का होना परम आवश्यक है। ऐसे नागरिकों का निर्माण करना ही राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है। भारतीय समाज के जनतंत्रीय समाजवादी आदर्शों को दृष्टि में रखते हुए शिक्षा नागरिकों को निम्नलिखित बातों में प्रशिक्षित करके इस महान कार्य को पूरा कर सकती है –

1. तृत्व के लिए प्रशिक्षण - जनतंत्र और नेतृत्व का घनिष्ट सम्बन्ध होता है इस दृष्टी से जनतंत्र में योग्य, अनुभवी, तथा कुशल नेताओं का होना परम आवश्यक है। दुसरे शब्दों में, जनतंत्र की सफलता के लिए राजनितिक, सामाजिक, औधोगिक तथा सांस्कृतिक आदि सभी क्षेत्रों के लिए प्राईमरी, माध्यमिक तथा उच्च तीनों स्तरों पर उतरदायित्व नेताओं की आवश्यकता होती है। प्रत्येक क्षेत्र में

उच्चस्तरीय नेता नीति का निर्माण करते हैं। इस नीति को माध्यमिक तथा प्राईमरी स्तरों के नेता कार्य रूप में परिणत करते हैं। अत: जनतंत्रीय समाज के प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न स्तरों के लिए अधिक से अधिक नेतृत्व का प्रशिक्षण आवश्यक है। भारत भी एक सर्वसत्ता सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य है। हमें भी राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सभी स्तरों के लिए योग्य, अनुभवी तथा कुशल नेताओं की आवश्यकता है। शिक्षा इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करे।

2. राष्ट्रीय विकास – शिक्षा राष्ट्रीय विकास की आधारशिला होती है। अत: शिक्षा का कार्य प्रत्येक नागरिक को एक निश्चित स्तर तक अनिवार्य रूप में शिक्षित करना है। यदि शिक्षा इस महान कार्य को पूरा करने में सफल हो गई तो राष्ट्र के सभी नागरिक मतदान द्वारा योग्य, सचरित्र तथा कुशल नेताओं का चुनाव करके ऐसी सुव्यवस्थित सरकार का निर्माण कर सकेंगे जिसके द्वारा राष्ट्र का विकास होना निश्चित है। अत: भारतीय शिक्षा इस ओर विशेष ध्यान दे।

   राष्ट्रीय विकास के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है। अत: राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य राष्ट्रीय एकता की स्थापना करना है। खेद का विषय है कि भारत जैसे महान राष्ट्र में शिक्षा इस कार्य के प्रति अभी तक उदासीन है। परिणामस्वरूप हमारे अन्दर विचरों की संकीर्णता, स्वार्थतता तथा कटुता आदि दोष उत्पन्न हो गये है। इन दोषों के कारण हम जातीयता, प्रान्तीयता, साम्प्रदायिकता तथा क्षेत्रीयता में विश्वास करने कभी भाषा के प्रश्न पर लड़ पड़ते हैं तो कभी जनसंख्या के आधार पर राष्ट्र का बंटवारा करना चाहते हैं। वास्तविकता यह है कि इन दोषों ने अपनी शत्रुता को इतना बढ़ा दिया है कि राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ गई है। यदि राष्ट्र को खतरे से बचाना है तो व्यक्ति से इन भयंकर दोषों को दूर हटाना होगा। ऐसी दशा में केवल शिक्षा ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा संकीर्णता को दूर करके विशाल हृदयता की भावना को विकसित करके शत्रुता के स्थान पर प्रेम का पाठ पढ़ाया जा सकता है। स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरु का मत है – " राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है। शिक्षा का स्थान इन सबसे उपर है और यही आधार है।"

3. भावनात्मक एकता – जिस प्रकार राष्ट्रीय विकास के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय एकता के लिए भावनात्मक एकता की आवश्यकता है। भारत विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पर विभिन्न भाषायें परम्परायें, धर्म, तथा रहन-सहन पाये जाते हैं। हम में से प्राय: प्रत्येक व्यक्ति दूसरों को तुलना में केवल अपनी भाषा तथा रीति-रिवाज एवं धर्म को सबसे अच्छा समझता है। इस संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण हम सब में इतना मन-मुटाव हो जाता है कि कभी-कभी लडाई-झगडे भी हो जाते हैं। ऐसे समय पर शिक्षा हमें उस राष्ट्रीय-सम्पति का ध्यान दिलाती है जिसके विषय में हम सब एक मत हैं तथा जो हम सब को एकता के सूत्र में बांधती है। यही राष्ट्रीय सम्पति का आदर्श

राष्ट्र में भावनात्मक एकता को विकसित में सहायता देता है । स्पष्ट है भावनात्मक शिक्षा केवल शिक्षा के द्वारा ही विकसित किया जा सकता है। अत: शिक्षा का कार्य राष्ट्रीय जीवन में भावनात्मक एकता को विकसित करना है।

4. राष्ट्रीय अनुशासन – किसी भी राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधकर उसे पूर्णरूपेण विकसित करने के लिए राष्ट्रीय अनुशासन परम आवश्यक है। अत: शिक्षा का कार्य राष्ट्रीय अनुशासन को विकसित करना है। भारत अब स्वतंत्र है। इस महान राष्ट्र की स्वतंत्रता को बनाये रखने के लये परिश्रम तथा सतर्कता के साथ-साथ संगठन, कुशलता, एवं बलिदान आदि गुणों की भी आवश्यकता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि उक्त गुणों के विकसित होने से ही राष्ट्रीय अनुशासन का जन्म होता है। अत: भारतीय शिक्षा को रष्ट्रीय अनुशासन के कार्य में सहयोग देना चाहिये । माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इसी तथ्य की पुष्टि करते हुए लिखा है –" जनतंत्र सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता जब तक सभी आदमी, केवल एक विशेष वर्ग के ही नहीं अपने-अपने उत्तरदायीत्व को निभाने के लिए प्रशिक्षित नहीं किये जाते और इसके लिए अनुशासन प्रशिक्षण की आवश्यकता है।"
5. नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों की भावना का समावेश – भारत एक धर्म-निरपेक्ष गणराज्य है इसको सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति नागरिक के रूप में राष्ट्र के प्रति तथा व्यक्ति के रूप में समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे। अत: शिक्षा का कार्य बालक में नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों की भावनाओं को विकसित करना है जिससे आज का बालक कल के नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करके राष्ट्रीय विकास में यथाशक्ति योगदान दे सके।
6. नैतिकता का प्रशिक्षण – नैतिकता प्रत्येक राष्ट्र की बहुमूल्य सम्म्पति है । अत: शिक्षा का कार्य बालक को नैतिकता का प्रशिक्षण देना है प्रसन्नता की बात है की हमारा देश नैतिकता की दौड़ में विश्व के सभी देशों से सदैव आगे ही रहा है, परन्तु खेद की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अब राष्ट्रीय जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में अनैतिकता का साम्राज्य दिखाई पड़ रहा है। ऐसी दशा में राष्ट्र के विकास को दृष्टी में रखते हुए भारत के नागरिकों के लिए नैतिक प्रशिक्षण और भी आवश्यक हो जाता है। शिक्षा बालक के अन्दर सत्य, प्रेम , त्याग आदि अनेक वांछनीय गुणों को विकसित करके नैतिक विकास करती है। अत: भारतीय शिक्षा को चाहिये कि वह राष्ट्र को विकसित करने के लिए पहले सबका नैतिक विकास करे।
7. कुशल श्रमिकों की पूर्ति – आज के भौतिकवादी युग में प्रत्येक राष्ट्र की श्रेष्ठता का मुल्यांकन उसकी राष्ट्रीय सम्म्पति से किया जाता है। आदि राष्ट्रीय सम्म्पति संतोषजनक है तो वहाँ के नागरिकों का रहन-सहन भी संतोषजनक होगा, अन्यथा नहीं। इसीलिए प्रत्येक राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय सम्म्पति बढ़ाने के लिए अपने व्यापारों तथा उद्योगों को बढ़ाने का प्रयास करता है। इस महान कार्य को पूरा करने के

लिए कुशल श्रमिकों का होना परम आवश्यक है । अत: हमारी शिक्षा का आठवाँ कार्य कुशल श्रमिकों की पूर्ति करना है जिससे राष्ट्रीय सम्पति में वृधि होती रहे तथा राष्ट्र समृधिशाली बन जाये।

8. राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता – प्रत्येक राष्ट्र को जीवित रहने के लिए यह आवशयक है कि वहाँ के नागरिक अपने हितों की अपेक्षा राष्ट्र हित को प्राथमिकता दें। अत: राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य नागरिकों को इस प्रकार से प्रशिक्षित करना है कि वे अपने निजी हितों की अपेक्षा राष्ट्रहित को प्राथमिकता देते रहें। अन्य राष्ट्रों अपेक्षा भारत में शिक्षा को इस ओर विशेष ध्यान देना है। इसका कारण यह है कि भारतीय समाज ऐसे अनके वर्गों तथा राजनीतिक दलों में बंटा हुआ है जो राष्ट्रीय की आड़ में सदैव अपने-अपने हितो को पूरा कनरे के लिए एक-दुसरे से टकराते रहते हैं । केवल शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा इन सभी वर्गों तथा दलों को राष्ट्र कल्याण के लिए तैयार किया जा सकता है।

9. सामाजिक कुशलता की उन्नति – प्रत्येक राष्ट्र का कल्याण इस बात में हिया की वहाँ के नागरिक सामाजिक दृष्टि से कुशल एवं उन्नतिशील हों। अमरिका के प्रोफेसर बागले के अनुसार सामाजिक दृष्टि से कुशल वह व्यक्ति होता है जो राष्ट्र के लिए भार न हो, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करे तथा जो समाज की उन्नति में यथाशक्ति योग देता रहे। इस दृष्टि से भारत में राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य बालकों में सामाजिक कुशलता की उन्नति करना है। इस महान कार्य को शिक्षा उन व्यापारों तथा उधोगों में बालक को प्रशिक्षित करके पूरा कर सकती है जो समाज अथवा राष्ट्र के लिए उपयोगी हों।

4.6 सामाजिक विविधता, वैयक्तिक विभिन्नता एवं अनुभव शंकु

हमारी सम्पूर्ण प्रकृति तमाम विविधताओं से भरी पड़ी है। भिन्न-भिन्न प्रकार के जीवों, पेड़-पौधों, नदी नालों, स्थलाकृतियों आदि के रूप में यह विविधता ही प्रकृति का सौंदर्य है। हमारा समाज भी भिन्न-भिन्न रंग, रूप, क्षमता, प्रकृति, भाषा, वेशभूषा, खान-पान, आचार-व्यवहार, आस्था-मान्यता, धर्म-संप्रदाय आदि से संबंधित विविध व्यक्तियों व समुदायों से समृद्ध है। यही विविधता हमारे समाज की खूबसूरती है। हमारे समाज में विद्यमान विभिन्न समुदाय व लोगों की क्षमताएँ व खासियत अलग-अलग हैं। एक लोकतांत्रिक सत्ता व व्यवस्था की यह भूमिका होनी चाहिए कि इन विविध जनों व समुदायों के विकसने व एक बेहतर जीवन जीने की व्यवस्थाओं को बिना भेद-भाव के सुलभ कराए। परन्तु हमारे समाज ने मानव सभ्यता के विकास क्रम में सत्ता व व्यवस्था के भिन्न भिन्न रूपों को देखा व उन वर्चस्ववादी ताकतों के अनुरूप जीने को बाध्य हुआ। सहस्त्राब्दियों तक सुविधाविहीन, धन, प्रतिष्ठा व ताकत से महरूम एक बड़े वर्ग को सुविधायुक्त, बेहतर व सम्मानित जीवन जीने की व्यवस्थाओं से दूर रखा गया, सुविधाओं से

वंचित किए जाने का आधार बना जन्म का कुल, लिंग, निवास स्थान, भाषा, आस्था व मान्यताएँ, धर्म व सम्प्रदाय आदि । ये आधार जो मूल रूप में विविधताएँ हैं के कारण किसी वर्ग व व्यक्ति विशेष को विकास के लिए जरुरी मौलिक सुविधाओं से वंचित किए जाने से ही असमानता जन्म लेती है । इस प्रकार असमानता सत्ता व वर्चस्ववादी ताकतों के प्रत्यक्ष या परोक्ष व्यवहार द्वारा विकास के साधनों के असमान वितरण से उत्पन्न हुई वह स्थिति है जिसमें एक ही समाज में भिन्न-भिन्न जन व समुदाय विकास की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में रहने को बाध्य होते हैं । दूसरे ढंग से देखा जाय तो 'असमानता' सत्ता व वर्चस्ववादी ताकतों का व्यवहार भी है और समाज की स्थिति भी । विकास हेतु आवश्यक सुविधाओं से वंचित होने तथा इस असमानता के व्यवहार के कारण व्यक्ति व समुदाय के अंदर वंचन का भाव जन्म लेता है और वह स्थिति जिसमें वंचित व्यक्ति जीता है 'वंचना' के रूप में जाना जाता है । सूक्ष्मता से देखा जाए तो *वंचन, व्यक्ति तथा समुदाय दोनों के स्तर पर* दो प्रकार से हो सकता है । व्यक्ति तथा समूह के अन्दर वंचन का भाव इस कारण से भी हो सकता है कि वह जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहा हो और इस संघर्ष के बावजूद भी उनसे वंचित हो; या शारीरिक तथा मानसिक रूप से इतना अक्षम हो कि सामान्य सुविधाओं के उपलब्ध रहने के बावजूद भी उसका उपयोग न कर पाए । इस प्रकार के वंचन को *वास्तविक वंचन (Absolute Deprivation)* कहा जा सकता है। वंचन का दूसरा भाव इस कारण से भी उत्पन्न हो सकता है कि व्यक्ति या समूह किसी दूसरे व्यक्ति या समूह की अपेक्षा भौतिक संसाधनों, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा अन्य किसी भी कारण से अपने आपको वंचित महसूस कर रहा हो । वंचन के इस भाव को *सापेक्षिक वंचन (Relative Deprivation)* कहा जाता है । इस प्रकार वंचन को मोटे तौर पर चार प्रकार से देखा जा सकता है - वास्तविक वैयक्तिक वंचन (Absolute Individual Deprivation), सापेक्षिक वैयक्तिक वंचन (Relative Individual Deprivation), वास्तविक सामुदायिक वंचन (Absolute Fraternal Deprivation), सापेक्षिक सामुदायिक वंचन (Relative Fraternal Deprivation) ।

अब आइए विविधता, असमानता तथा वंचना की शैक्षिक सन्दर्भों में पड़ताल करें । हमारे देश में विविधताओं की भरमार है । यह विविधता प्रकृति के साथ-साथ निवास कर रहे लोगों में भी ज्यादा है। कई मान्यताओं, विश्वासों, लोक-परम्पराओं, पद्धतियों, रहन-सहन, खान-पान, वेश-भूषा तथा अन्य कई सामाजिक-सांस्कृतिक परम्पराओं वाले लोग इस देश में निवास करते हैं । शिक्षा के संस्थानों में मौजूद लोग भी इसी विविधता को धारण किए होते हैं। अतः हमें शिक्षायी वातावरण में अवश्य इन विविधताओं का सम्मान करना चाहिए । क्योंकि विविधता इस समाज की पूँजी है, इसका सौंदर्य है जिसको सँजोना शिक्षा का दायित्व होना चाहिए । आप अपने विद्यालय में निरंतर इस प्रकार की विविधताओं का अनुभव करते होंगें । कल्पना कीजिए कि दो भिन्न आर्थिक स्थिति, वेश-भूषा, खान-पान या लोक-परम्परा वाले विद्यार्थियों में कोई शिक्षक भेद-भाव करना व असमान व्यवहार करना शुरू कर दे तो किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी ? क्या यह स्थिति किसी विद्यार्थी के विकास व उसके आत्म-संप्रत्यय के निर्माण को प्रभावित नहीं करेगी ? आपका उत्तर निश्चित ही *हाँ* होगा । आप संभवतः यह उत्तर देंगें कि असमान व भेद-भाव पूर्ण व्यवहार से विद्यार्थियों के अंदर *वंचना* का भाव आएगा, तथा यह भाव अवश्य ही उनके

विकास को प्रभावित करेगा । संभवतः उन विद्यार्थियों में तंत्र के खिलाफ़ विद्वेष पैदा होगा जो आगे चलकर उनके व्यक्तित्व की प्रकृति को निर्धारित करेगा । अतः एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि वह एक ऐसे शिक्षायी माहौल का निर्माण करे जिसमें विविधताओं का सम्मान हो, किसी भी प्रकार की असमानता का व्यवहार न हो तथा एक समावेशी वातावरण में बच्चों को विकसने का अवसर मिले ।

अलग –अलग व्यक्तियों की आदत, शीलगुण, बुद्धि, आकर –प्रकार, सीखने सीखने का ढंग, शारीरिक गुण, मानसिक गुण अलग होता है । बालकों की इन वैयक्तिक विभिन्ताओं के आधार पर सीखने के लिए अलग –अलग तरह से अनुभव देने की आवश्यकता होती है । इन सभी बालकों के शिक्षा के लिए समूहीकरण, वर्गीकरण, अलग अलग पाठ्यक्रम, अध्यापन विधियों में परिवर्तन की आवश्यकता होती है ।

एडगर डेल ने अपने बहु चर्चित अनुभव शंकु के माध्यम से इन सामाजिक विविधता एवं वैयक्तिक विभिन्नता के आधार पर शिक्षा के लिए में आधुनिक तकनीकियों के प्रयोग को बहुत ही ठोस मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करण की कोशिश की है । उनका यह अनुभव त्रिकोण यह प्रदर्शित करता है कि साफ्टवेयर और हार्डवेयर तकनीकियों द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम विधियों सामग्रियों तथा उपकरण व्यक्ति विशेष को विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव अर्जित करने में किस प्रकार किस प्रकार सहयोगी सिद्ध हो सकता है

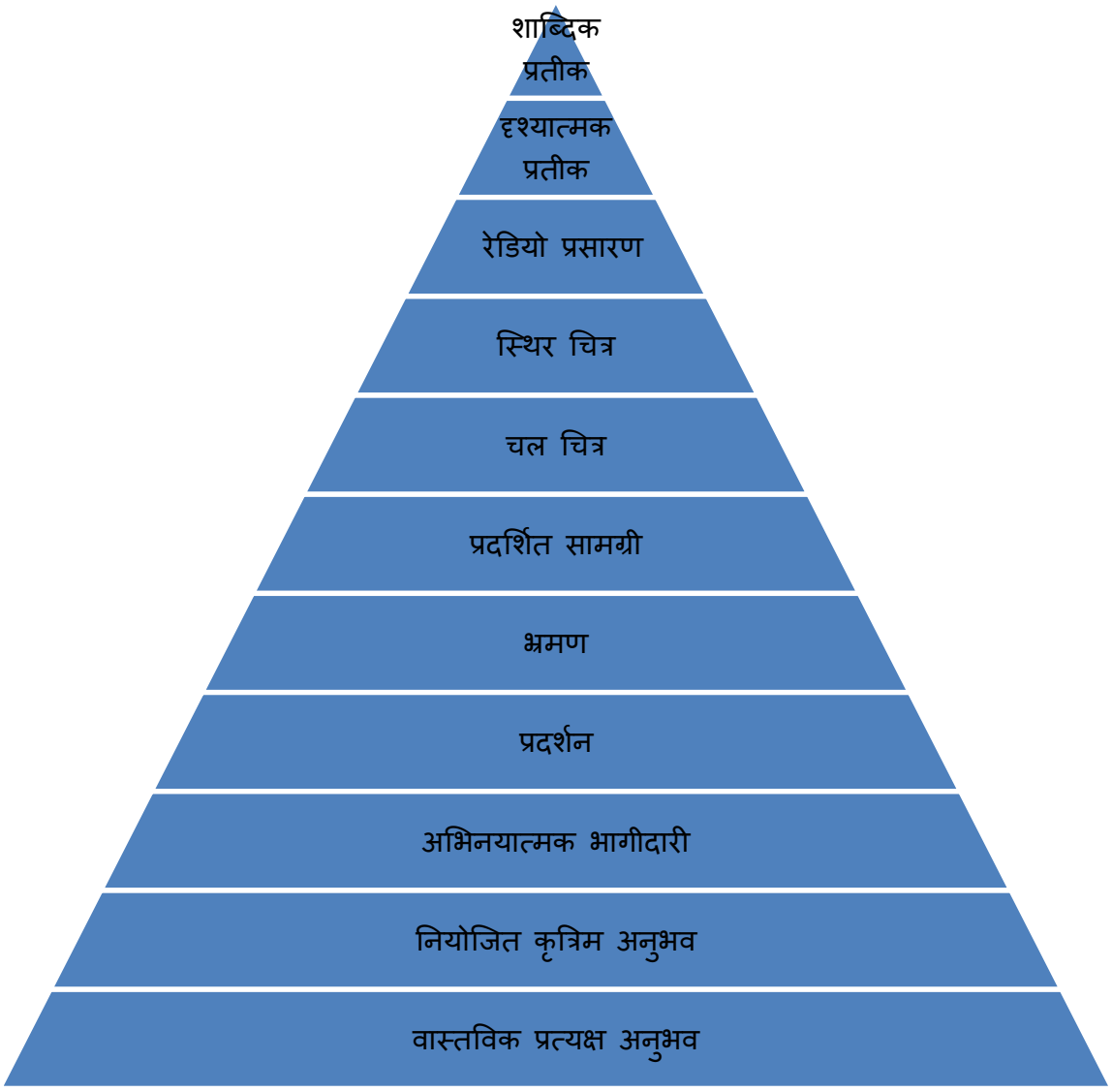

जैसा कि उपरोक्त चित्रात्मक प्रस्तुति से विदित हो सकता है, एडगर डेल ने अपने इस अनुभव शंकु में अनुभवों को ठोस प्रत्यक्ष से विशुद्ध अमूर्त चिंतन तक की ऊंचाई देने की कोशिश की है और यह बताया है कि किस श्रेणी या प्रकार के अनुभवों के अर्जन में किस प्रकार के सहायक साधन अधिक उपयोगी हो सकते हैं हम इस शंकु आकृति के शीर्ष से जैसे ही नीचे आधार की ओर बढ़ते हैं, यह पाते हैं कि जिस प्रकार के अनुभव हमें विभिन उपकरण सामग्री के माध्यमों को उपभोग से हो रहे हैं वे क्रमशः जटिल से सरल, सूक्ष्म से स्थूल तथा अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष होते चले जाते हैं। यथा जैसे ही आधार तल पर पहुंचते हैं हमें शिक्षण अधिगम को सबसे अधिक प्रभावशाली बनाने वाले वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभवों की प्राप्ति होती है। शिक्षण अधिगम का प्रारंभिक चरण ऐसे ही वास्तविक एवं प्रत्यक्ष अनुभवों से शुरू होता है, जैसे – जैसे आगे बढ़ते जाते हैं प्रत्यक्ष अनुभवों का स्थान अप्रत्यक्ष अनुभव तथा अमूर्त चिंतन लेता जाता

है और विचार एवं बोध प्रक्रिया का अंतिम शीर्ष पड़ाव विशुद्ध मूर्त चिंतन युक्त अनुभवों का स्थान अप्रत्यक्ष अनुभव पर जाकर ठहरता है और इस तरह अधिगमकर्ता मात्र शव्दों एवं मौखिक प्रतीकों द्वारा अधिगम अर्जन करने में सक्षम हो जाता है। इस तरह जहाँ शब्द मौखिक प्रतीक शिक्षण अधिगम हेतु सबसे अधिक प्रत्यक्ष और अमूर्त अनुभव एवं काल्पनिक चिंतन भूमि प्रदान करता है वहीँ वास्तविक पदार्थों, क्रियाओं तथा परिस्थितियों के संपर्क से होने वाले प्रत्यक्ष अनुभव हमें ठोस और प्रत्यक्ष ज्ञान के अवबोध में सहायक होती है। अपनी इस त्रिकोणात्मक प्रस्तुति के माध्यम से एडगर डेल ने विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री, उपकरण एवं माध्यमों का एक क्रमिक वर्गीकरण भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

अभ्यास प्रश्न

5. एडगर डेल का अनुभव कोण क्या है ?
6. वैयक्तिक विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने में अनुभव कोण सहायक है। कैसे ?

4.7 शैक्षिक पाठ्यक्रम के द्वारा विकास

हम बच्चों को क्या पढ़ाते है, क्या सीखाना चाहते है और उन्हें किस दिशा में ले जाना चाहते है, इसमें स्कूली शिक्षा नीति और पाठ्यक्रम अहम भूमिका निभाते है। इसलिए जरुरी है कि शिक्षा नीति और पाठ्यक्रम बच्चों के सवालात और उनकी उत्सुकता पर निर्भर हो। NCF-2005 में हमने असली शिक्षा उसे माना जो केवल पढ़ने का न होकर बच्चों के अनुभव-क्षेत्र और उसकी समझ को विस्तृत करे क्योंकि शिक्षा सूचना देना नहीं है। वह तभी सार्थक है जब वह बच्चे के व्यक्तित्त्व और उसके परिवेश के साथ एकाकार हो जाए और जिसमें ज्ञान का निर्माण वे स्वयं करें, अपने परिवेश को साथ लेकर। बच्चे काली स्लेट की तरह नहीं होते है जिसपर आप कुछ भी लिख दें! यहाँ हमें 'करीकुलम (पाठ्यचर्या)' और 'सेलेबस (पाठ्यक्रम)' में अतर करना बहुत जरुरी है. 'करीकुलम' यानि 'क्या' पढ़ाना है और 'सेलेबस' यानि 'कैसे' पढ़ाना है. 'सेलेबस' अलग-अलग परिवेश में अलग-अलग उदाहरणों पर आधारित हो सकता है. इसपर जिस गहराई से हमारे NCF-2005 में काम किया गया है ऐसा दुनिया के बहुत कम देशों में हुआ है। जरुरी है कि पुस्तकों की जबान और उसके उदाहरण ऐसे हो जिसमें बच्चें ज्ञान का निर्माण अपने अनुभव-क्षेत्र (परिवेश) के माध्यम से विकसित कर सकें।

पाठ्यक्रम ऐसा हो जो शिक्षा-सिद्धांतों और बच्चों के अनुभवों के बीच रिश्ता बनाए। सबसे पहले सिद्धांत है जिन्हें हमें समझ में आने चाहिए और यह तभी संभव है जब पाठ्यक्रम में बच्चों की जिंदगी से जुड़ी

चीजें हो. हमारे यहाँ 'कॉमन-स्कूल-सिस्टम' लागू होना चाहिए. सभी स्कूल कम-से-कम केंद्रीय-विद्यालय-स्तर के तो हो ही, लेकिन विडंबना देखिए कि ऐसा हो नहीं रहा है। दरअसल पिछले 50-60 सालों में हमारे देश में हुआ यह कि अमीरों की संख्या अधिक हुई है और उन्हें अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने में शर्म आती है।

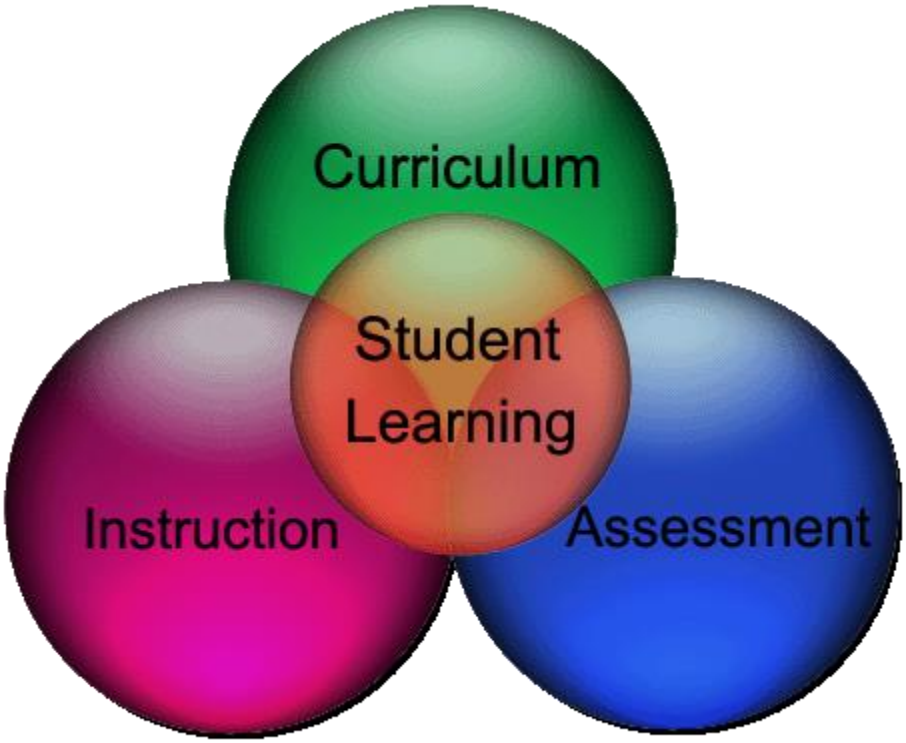

सूचना' और 'ज्ञान' में अंतर करना बहुत जरूरी है. केवल सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्युटर का इस्तेमाल ही 'ज्ञान' नही है. 'सूचना' में जोर 'रटने' पर होता है जबकि 'ज्ञान' में 'समझ' पर. अतः सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्युटर का सही इस्तेमाल जरूरी है. पाठ्यक्रम ऐसा हो जो वास्तविक जीवन से भी जुड़े और इम्तिहान इतने कठिन न हो कि रटने के लिए प्रेरित करे. रटने की प्रवृति बच्चे की मौलिकता और रचनात्मकता की अद्भुत क्षमता को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। पाठ्यक्रम निर्धारण के समय बच्चों के स्तर को ध्यान में जरूर रखा जाए। आरटीई में यह स्पष्ट उल्लेख है कि बच्चों पर होमवर्क का बोझ किसी हालत में न थोपा जाए। एनसीएफ 2005 में भी स्पष्ट उल्लेख है कि बच्चों को रटने की प्रवृत्ति से भी दूर रखा जाए। ऐसे में कोर्स ऐसा हो जिसे बच्चा आसानी के साथ अपने अंदर आत्मसात कर सके। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें बच्चों को बौद्धिक जानकारी का बोझ ढोने के बजाय जीवन से सीखने का अवसर मिलें। बस्ते के बोझ को हल्का करना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें बौद्धिक ज्ञान, मूल्यनिष्ठा के साथ-साथ जीविकार्जन की क्षमता को बढ़ाने का भी ध्यान रखना चाहिए। वार्षिक परीक्षा को ही बच्चे की सफलता-असफलता का निष्कर्ष नहीं बनाना चाहिए। यह परीक्षा मात्र बौद्धिक जानकारी और स्मरणशक्ति की होती है, न कि छात्र के सम्पूर्ण व्यक्तित्व की। इस वार्षिक परीक्षा के आतंक से बच्चा

भयभीत रहता है, उसमें उत्तीर्ण होने के लिए अनैतिक उपायों का सहारा लेता है, अनुत्तीर्ण हो जाने पर आत्महत्या के लिए भी प्रवृत्त हो जाता है । अत: वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली की खोज का प्रयास वर्तमान पाठ्यक्रम में विद्यमान है। "हमारी मनोवृत्ति का निर्माण हमारे जीवन, हमारे आचरण के अनुरूप ही होता है। हमारे जीवन तथा आचरण का मूल आधार है हमारी शिक्षा।" किसी देश का विकास उस देश की शिक्षा प्रणाली पर निर्भर होता है, क्योंकि देश की उन्नति के लिए हर व्यक्ति जिम्मेदार है और वो ही देश को अपने ज्ञान, संस्कार और अच्छे आचरण के जरिये देश को बुलंदियों पर पंहुचा सकता है! आज का शिक्षित वर्ग ही देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकता है किन्तु अगर शिक्षा प्रणाली ही ठीक न हुई तो उस देश का भविष्य अंधकारमय हो सकता है, आज जरुरत है एक अच्छी शिक्षा प्रणाली की जिससे ज्ञानवान और एक अच्छे आचरण वाला व्यक्ति बन सके! आजकल हर जगह शिक्षा प्रसार की नई-नई योजनाएं बन रही हैं। हमारी राष्ट्रीय सरकार इस बात की घोषणा कर चुकी है कि वह शीघ्र ही देश से निरक्षरता को मिटा देगी। परन्तु विचार यह करना है कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली कैसी है और वह किस प्रकार के जीवन का निर्माण कर रही है तथा हमारी शिक्षा वास्तव में कैसी होनी चाहिए। आजकल हमारी शिक्षा की व्यवस्था वास्तव में बहुत दोषयुक्त हो गई है। इसको मिटाकर हमें ऐसी शिक्षा-दीक्षा का विधान करना होगा जो हमें स्वयं अपने ऊपर विजय प्राप्त कर सकने में समर्थ बना सके। ज्ञान का अन्तिम लक्ष्य चरित्र निर्माण ही होना चाहिये। जब तक शिक्षा के कुछ उद्देश्य निर्धारित नहीं होंगे तब तक शिक्षा प्रणाली में कोई सुधार नहीं हो सकता है। इसलिए शिक्षा के कुछ उद्देश्य है:-

- **जनतांत्रिक नागरिकता का विकास-** इस देश के जनतंत्र को सफल बनाने के लिए प्रत्येक बालक को सच्चा, ईमानदार तथा कर्मठ नागिरक बनाना परम आवश्यक है । अत: शिक्षा का परम उद्देश्य बालक को जनतांत्रिक नागरिकता की शिक्षा देना है । इसके लिए बालकों को स्वतंत्र तथा स्पष्ट रूप से चिन्तन करने एवं निर्णय लेने को योग्यता का विकास परम आवश्यक है, जिससे वे नागरिक के रूप में देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सभी प्रकार की समस्याओं पर स्वतंत्रतापूर्वक चिन्तन और मनन करके अपना निजी निर्माण लेते हुए स्पष्ट विचार व्यक्त कर सकें ।
- **कुशल जीवन-यापन कला की दीक्षा** – शिक्षा का दूसरा उद्देश्य बालक को समाज में रहने अथवा जीवन-यापन की कला में दीक्षित करना है । एकांत में रहकर न तो व्यक्ति जीवन-यापन कर सकता है और न ही पूर्णत: विकसित हो सकता है । उसके स्वयं के विकास तथा समाज के कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि वह सहअस्तित्व की आवश्यकता को समझते हुए व्यवहारिक अनुभवों द्वारा सहयोग के महत्व का मूल्यांकन करना सीखे । इस दृष्टि में चेतना तथा अनुशासन एवं देशभक्ति आदि अनेक सामाजिक गुणों का विकास किया जाना चाहिये जिससे प्रत्येक बालक इस विशाल देश के विभिन्न व्यक्तियों का आदर करते हुए एक-दूसरे के साथ घुलमिल कर रहना सीख जायें ।

- **व्यवसायिक कुशलता की उन्नति** – शिक्षा का तीसरा उद्देश्य बालकों में व्यवसायिक कुशलता की उन्नति करना है इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लये व्यासायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है । अत: बालकों के मन में श्रम के प्रति आदर तथा रूचि उत्पन्न करना एवं हस्तकला के कार्य पर बल देना परम आवश्यक है । यही नहीं, पाठ्यक्रम में विभिन्न व्यवसायों को भी उचित स्थान मिलना चाहिये जिससे प्रत्येक बालक अपनी रूचि के अनुसार उस व्यवसायों को चुन सकें जिसे शिक्षा समाप्त करने के पश्चात अपनाना चाहता हो।
- **व्यक्तित्व का विकास** – शिक्षा का चौथा उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास करना है । व्यक्ति के विकास का तात्पर्य बालक के बौद्धिक विकास, शारीरिक, सामाजिक तथा व्यवसायिक आदि सभी पक्षों एवं रचनात्मक शिक्तियों के विकास से है । इस उद्देश्य के अनुसार बालकों को क्रियात्मक तथा रचनात्मक कार्यों को करने के लिए प्रेरित करना चाहिये जिससे उनमें साहित्यिक, कलात्मक एवं सांस्कृतिक आदि नाना प्रकार की रुचियों का निर्माण हो जाये।

4.8 पाठ्य सहगामी क्रियाएं एवं पाठ्येतर गतिविधियाँ का अर्थ

पहले सह पाठयक्रम गतिविधिओं को पाठ्येतर गतिविधियाँ के रूप में जाना जाता था जो गैर शैक्षणिक पाठ्यक्रम का एक हिस्सा था। यह बच्चे और छात्रों के व्यक्तित्व विकास के विभिन्न पहलुओं को विकसित करने में मदद करता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए भावनात्मक, शारीरिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास जरूरी है जहाँ सह पाठयक्रम गतिविधियाँ पूरक के रूप में काम करता है। सह पाठयक्रम गतिविधियाँ आपके पाठयक्रम का ही नहीं बल्कि आपके जिंदगी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है । यह एक ऐसी गतिविधियाँ है जो आपके के विभिन्न विकास जैसे बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और सौंदर्य विकास में अहम् भूमिका निभाता है।

सह पाठयक्रम गतिविधियाँ एक ऐसा पाठयक्रम है जो मुख्य पाठ्यक्रम के पूरक के रूप में काम करता है। ये पाठ्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करने के साथ ही कक्षा शिक्षा को मजबूत करने में सहायक है। इस तरह की कार्यक्रम स्कूल के नियमित समय के बाद आयोजित किया जाता है इसलिए इसे पाठ्येतर गतिविधियां के रूप में जाना जाता है।

4.9 पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य

- छात्रों में नागरिक के गुणों के विकास हेतु अवसर प्रदान करना।
- छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास करना।
- छात्रों में नवीन प्रकार की अभिरुचियों का विकास करना।

- पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत छात्रों में समाजीकरण करना।
- गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास करना।
- विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का विकास करना।
- उनमें पारस्पारिक सहभागिता का विकास करना ।
- उनमे सीखने की रूचि उत्पन्न करना।
- समूह अधिगम के लिए प्रेरित करना।

पाठ्य सहगामी गतिविधिओं के उदाहरण

- खेल
- संगीत
- बहस
- कला
- नाटक
- बहस और चर्चा
- भाषण प्रतियोगिता
- कहानी लेखन प्रतियोगिता
- निबंध लेखन प्रतियोगिता
- कला शिल्प
- प्रतियोगिता
- सजावट
- स्कूल पत्रिका में लेख
- लोक संगीत
- लोक नृत्य
- फूलों की सजावट
- स्कूल सजावट
- मूर्ति निर्माण
- फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता
- चार्ट और मॉडल की तैयारी

- एल्बम बनाना
- फोटोग्राफी
- क्ले मॉडलिंग
- खिलौना बनाना
- साबुन बनाना
- टोकरी बनाना
- त्योहार के उत्सव मानना

पाठ्ययेतर गतिविधिओं की सूची

- सामूहिक परेड
- सामूहिक ड्रिल
- योग
- व्यायाम
- साइकिल चलाना
- बागवानी
- क्रिकेट
- फ़ुटबॉल
- बास्केटबाल
- वालीबाल
- कबड्डी
- खो-खो
- हाथ गेंद
- लंबी पैदल यात्रा
- सामूहिक प्रार्थना
- सुबह की सभा
- पड़ोस में समाज सेवा
- गांव सर्वेक्षण

इंडोर पाठ्ययेतर गतिविधिओं की सूची

- नाटक
- संगीत और नृत्य
- चित्रांकन और रंगाई
- सजावट
- क्ले मॉडलिंग
- प्राथमिक चिकित्सा
- सिलाई
- रंगोली
- बुक बाइंडिंग
- कार्ड बोर्ड काम
- चमड़े का काम
- आयोजन स्कूल पंचायत
- कला और शिल्प

4.10 छात्र और पाठ्य सहगामी गतिविधिओं का महत्व

सह पाठयक्रम गतिविधिओं द्वारा छात्र व्यावहारिक ज्ञान के अनुभव को जान पाता है। बहुत हद तक यह क्लास शिक्षण और प्रशिक्षण को मजबूत करता है। बौद्धिक व्यक्तित्व के लिए क्लास रूम टीचिंग जरूरी है जबकि सौंदर्य विकास ,चरित्र निर्माण, आध्यात्मिक विकास इत्यादि में सह पाठयक्रम गतिविधिओं का होना जरूरी है। यह स्कूल तथा कॉलेज के छात्रों के बीच समन्वय, समायोजन , भाषण प्रवाह आदि विकसित करने के लिए मदद करता है। इनके साथ ही ये अनुशासन एवं नेतृत्व के सहयोगी गुणों में बालकों को प्रशिक्षण देती है इन क्रियाओं के महत्व का विवेचन निम्नलिखित है –

i. वैयक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक – प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के द्वारा अभिस्वीकार किये जाने की एक मूलभूत आवश्यकता रखता है। इसके साथ ही वह सुरक्षा भी चाहता है। सुरक्षा की भावना यह अपेक्षा करती है की समाज द्वारा उसको आश्वासन प्राप्त हो । छात्र क्रियाओं का कार्यक्रम इन मूलभूत आवश्यकताओं के पूर्ति में बहुत सहायता प्रदान करता है। वह कार्यक्रम इन आवश्यकताओं के अतिरिक्त आत्माभिव्यक्ति, स्वयं को तथा दूसरों को जानने की समझदारी, स्वयं की की रुचियों को व्यापक बनाने, स्वंय के कार्यों को नियंत्रित करने की शक्ति तथा नविन परिस्थितियों में व्यवस्थित होने की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है।

ii. सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक – सामाजिक आवश्यकताएं इन वैयक्तिक आवश्यकताओं से घनिष्ठ रूप से सम्बंधित है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के साथ कार्य करने तथा सम्बन्ध स्थापित करने की क्षमता को विकसित करने की तीव्र भावना को अनुभव करता है। यह आवश्यकता उसको कुछ आचार –विचार समझदारी, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की स्वीकृत ढंगों को सीखने के लिए बाध्य करती है। छात्र क्रियाएं इन सामाजिक नियमों एवं सदाचरण के स्वीकृत अंगों को सीखने में बहुत सहायता प्रदान करती है। इन क्रियाओं के द्वारा बालक व्यवहार रूप में इन सबका ज्ञान प्राप्त करते हैं इसके अतिरिक्त ये क्रियाएं व्यक्ति को नेतृत्व करने एवं अनुशासन में रहने की शक्ति तथा विभिन्न सामाजिक संघर्षों को दूर करने की योग्यता भी प्रदान करती है।

iii. किशोरवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति – यह अवस्था बहुत ही नाजुक होती है। इस अवस्था में बालक में बालक में अतिरिक्त शक्ति का अधिक्य पाया जाता है। इन क्रियाओं के द्वारा उसकी अतिरिक्त शक्ति एवं मुलप्रवृतियों को विभिन्न उपयोगी धाराओं में प्रवाहित किया जाता है। इनके द्वारा किशोर बालकों की नैशार्गिक प्रवृतियों को उनके सामाजिक व्यक्तित्व के विकास एवं समृधि के लिए विभिन्न कार्यों में संलग्न किया जाता है।

iv. शारीरिक विकास – विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं द्वारा बालक सक्रिय एवं शक्तिशाली बनता है। खेल-कूद , ड्रिल, व्यायाम आदि से उसका शरीर हृष्ट –पुष्ट होता है।

v. नैतिक गुणों का विकास – इन क्रियाओं में भाग लेने से सत्यता, ईमानदारी, आत्मविश्वास, न्याय प्रियता, धैर्य, दृढ़ता, विनय, आज्ञापालन आदि गुणों का विकास होता है जो अच्छे चरित्र का निर्माण करता है।

vi. अनुशासन स्थापित करने में सहायक – छात्र क्रियाओं से विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में बहुत सहायता मिलती है। इनके माध्यम से बालकों की वैयक्तिक विभिन्ताओं व् गुणों की अभिस्वीकृति, विद्यालय अनुशासन की समस्या का बहुत महत्वपूर्ण समाधान है। कार्य की संलग्नता उनको विभिन्न बुरी आदतों एवं कुचक्रों में फंसने से बचाती है।

4.11 सह पाठयक्रम गतिविधिओं के लाभ

वैसे तो सह पाठयक्रम गतिविधिओं के बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन यहां पर कुछ महत्वपूर्ण लाभ के बारे में बताया है।

i. सह पाठयक्रम गतिविधियाँ खेल, अभिनय, गायन एवं कविता पाठ को प्रोत्साहित करता है।

ii. गतिविधियाँ जैसे खेल, बहस में भागीदारी, संगीत, नाटक, आदि शिक्षा को पूर्ण करने में मदद करता है।

iii. यह बहस के माध्यम से स्वतंत्र रूप से खुद को अभिव्यक्त करने के लिए छात्रों को सक्षम बनाता है।

iv. खेल बच्चों को फिट और ऊर्जावान बनने में मदद करता है।

v. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के लिए मदद करता है।

vi. यह गतिविधियाँ बताता है कि किसी भी काम को संगठित रूप में कैसे करना चाहिए, कौशल विकसित कैसे किया जाये, सहयोग और विभिन्न प्रस्थिथिओं में समन्वय कैसे रखा जाये।

vii. यह समाजीकरण, आत्म-पहचान और आत्म मूल्यांकन का अवसर प्रदान करता है।

viii. यह निर्णय लेने में आप को एकदम सही बनाता है।

ix. यह अपनेपन की भावना विकसित करने में मदद करता है।

पाठयक्रम गतिविधियाँ के आयोजन में शिक्षक की भूमिका

i. शिक्षक को एक अच्छा योजनाकार होना चाहिए ताकि विभिन्न गतिविधियों को व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जा सके।

ii. शिक्षक का कर्तव्य होना चाहिए कि वह पाठयक्रम गतिविधियों प्रदर्शन करते हुए बच्चों को अधिक से अधिक अवसर दे।

iii. शिक्षक को एक अच्छा आयोजक होना चाहिए ताकि छात्रों को इसके बारे में अधिक से अधिक फायदा उठा सके।

अभ्यास प्रश्न

7. पाठ्य सहगामी गतिविधि क्या है ?
8. पाठ्य सहगामी गतिविधि का क्या महत्व है ?
9. पाठ्य सहगामी गतिविधि का क्या लाभ है ?

4.12 सारांश

शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण और तकनीकी दक्षता, शिक्षण और विद्या प्राप्ति आदि समाविष्ट हैं । इस प्रकार यह कौशलों (skills), व्यापारों या व्यवसायों एवं मानसिक, नैतिक और सौन्दर्य विषयक के उत्कर्ष पर केंद्रित है।

शिक्षा, समाज की एक पीढ़ी द्वारा अपने से निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास है। इस विचार से शिक्षा एक संस्था के रूप में काम करती है, जो व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा समाज की संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखती है। बच्चा शिक्षा द्वारा समाज

के आधारभूत नियमों, व्यवस्थाओं, समाज के प्रतिमानों एवं मूल्यों को सीखता है। बच्चा समाज से तभी जुड़ पाता है जब वह उस समाज विशेष के इतिहास से रूबरू होता है।

राष्ट्र तथा उसके नागरिकों का एक-दुसरे से घनिष्ट सम्बन्ध होता है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति केवल उसी समय हो सकती है जब उसके नागरिक उत्तम सचरित्र तथा उतरदायित्वपूर्ण हों। यदि नागरिक अयोग्य, चरित्रहीन तथा निर्बल होंगे तो राष्ट्र-निश्चित रूप से रसातल को चला जायेगा। इस दृष्टि से राष्ट्र की उन्नति के लिए सचरित्र एवं श्रेष्ट नागरिकों का होना परम आवश्यक है। ऐसे नागरिकों का निर्माण करना ही राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है।

एडगर डेल ने अपने बहु चर्चित अनुभव शंकु के माध्यम से इन सामाजिक विविधता एवं वैयक्तिक विभिन्नता के आधार पर शिक्षा के लिए में आधुनिक तकनीकियों के प्रयोग को बहुत ही ठोस मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करण की कोशिश की है। उनका यह अनुभव त्रिकोण यह प्रदर्शित करता है कि साफ्टवेयर और हार्डवेयर तकनीकियों द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम विधियों सामग्रियों तथा उपकरण व्यक्ति विशेष को विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव अर्जित करने में किस प्रकार किस प्रकार सहयोगी सिद्ध हो सकता है ।

4.13 शब्दावली

1. पाठयक्रम- विषय वस्तु की वह रुपरेखा जिसके सहायता से बालक अपने उद्देश्य को पूरा करता है।
2. सह पाठयक्रम – शैक्षिक क्रियाकलाप के अलावा होने वाले विद्यालयी कार्यक्रम।
3. संवारना – बालकों के योग्यता एवं क्षमताओं का विकास करना।
4. सामाजिक विविधता- सामाज में पायी जाने वाली अंतर

4.14 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल जे. सी. एवं गुप्ता एस. (2011)- उदयीमान भारतीय समाज में शिक्षा, शिप्रा प्रकाशन, नई दिल्ली
2. सुखिया एस. पी. एवं सईद एन. (2015)- विद्यालय प्रशासन संगठन एवं स्वास्थ्य शिक्षा, श्री विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
3. मंगल एस.के. एवं मंगल उमा (2013) – शिक्षा तकनीकी, पी.एच.आई., दिल्ली।
4. सिंह जे.पी. (2013) – समाज शास्त्र – अवधारणा एवं सिधान्त, पी.एच.आई., दिल्ली।

5. सिंह ए. के. (2014) – शिक्षा मनोविज्ञान , भारती भवन प्रकाशन , पटना।
6. कुलश्रेष्ठ एस.पी. (2015) – शैक्षिक तकनीक के मूल आधार, अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
7. मंगल एस.के., (2013) – शिक्षा मनोविज्ञान, पी.एच.आई., दिल्ली।

4.15 निबंधात्मक प्रश्न

1. शिक्षा से आप क्या समझते हैं ? बालकों के सम्पूर्ण विकास में शिक्षा किस प्रकार सहायक है ?
2. वैयक्तिक विभिन्नता एवं सामाजिक विविधता के आधार पर शिक्षा का आधार क्या होना चाहिए ?
3. पाठ्य सहगामी क्रिया एवं पाठ्ययेतर गतिविधि बालकों के सम्पूर्ण विकास में सहायक है। वर्णन करें।

इकाई 5 - शिक्षार्थियों को 'एक साथ जीना सीखाने' में समर्थ बनाने के लिए शिक्षा की भूमिका; सामूहिक जीवन का लाभ; शांतिपूर्ण और उचित प्रकार से वार्ता एवं आपसी समझौते के माध्यम से तनाव के समाधान हेतु शैक्षिक आगत

Role of Education in Enabling the Learners to 'learn to live together', Benefits of Collective Living, Educational Inputs for the Resolution of Tensions Peacefully and Justly through Negotiations and Mutual Agreement

5.1 प्रस्तावना
5.2 उद्देश्य
5.3 अधिगम के चार स्तम्भ
5.4 बच्चों को एक साथ जीना सीखाने में शिक्षा की भूमिका
5.5 सामूहिक जीवन
5.6 शांतिपूर्ण और उचित प्रकार से वार्ता एवं आपसी समझौते के माध्यम से तनाव के समाधान हेतु शैक्षिक आगत
5.7 सारांश
5.8 शब्दावली
5.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
5.10 संदर्भ ग्रंथ सूची
5.11 निबंधात्मक प्रश्न

5.1 प्रस्तावना

आप लोग शिक्षा की परिभाषा एवं इसके उद्देश्यों को पिछले अध्यायों में पढ़ चुके होंगें । शिक्षा की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से दी है, परन्तु सबका सार देखा जाय तो यही निकलता है कि शिक्षा से तात्पर्य केवल विद्यालयी पढ़ाई-लिखाई से नहीं है अपितु यह एक जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है । ऐसा नहीं है कि शिक्षा की विभिन्न परिभाषायें एवं शिक्षा का उद्देश्य सभी शिक्षाशास्त्रियों ने एक ही समय में दिया हो, समय के साथ-साथ समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए इसके उद्देश्यों में परिवर्तन होता रहा है । वर्तमान समय में हम सभी के लिए गुणात्मक शिक्षा की बात कर रहे हैं, अतः शिक्षा के उद्देश्य भी उसके अनुसार परिवर्तित हुए हैं । इस सूचना प्रवाह के युग में शिक्षा का उद्देश्य एक तरफ यह हो गया है कि ज्ञान के विशाल भण्डार को कैसे बच्चों तक पहुँचाया जाय तो वहीं दूसरी तरफ यह है कि यह ज्ञान केवल सूचना के भण्डार के रूप में ही सीमित ना रहे बल्कि बच्चे उसका अपने जीवन में कैसे प्रयोग कर सकें, इसका भी समझ हो । शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन के साथ यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन किया जाय ताकि बच्चे को जो पढ़ाया जाय वह उसके वर्तमान एवं भविष्य के लिए व्यक्तिगत एवं समाज के सदस्य के रूप में भी उपयोगी हो । समाज के बदलते सन्दर्भ में शिक्षा की यह भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि बच्चा केवल विद्यालय में ही सफल ना हो बल्कि समाज में एक उत्तरदायी नागरिक, एक अच्छे कार्यकर्त्ता, सुमदाय में सक्रिय सदस्य के विभिन्न रूपों में सफल हो सके । इस इकाई में हम चर्चा करेंगें कि बच्चे को इस समाज में सभी के साथ रहना सीखाने के साथ-साथ किसी भी तनाव को शांतिपूर्ण ढंग एवं उचित प्रकार से हल करने में शिक्षा कैसे मदद करती है ।

5.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप-

1. अधिगम के चार स्तम्भों की व्याख्या कर सकेंगे ।
2. बच्चों को एक साथ जीना सीखाने में शिक्षा की भूमिका का विश्लेष्ण कर सकेंगे ।
3. सामूहिक जीवन का अर्थ बता सकेंगे ।
4. वर्तमान समय में एक साथ रहने के फ़ायदे गिना सकेंगे ।
5. शांति के लिए शिक्षा को परिभाषित कर सकेंगे ।
6. किसी तनाव के शांतिपूर्ण निवारण में शिक्षा के योगदान की चर्चा कर सकेंगे ।

5.3 अधिगम के चार स्तम्भ (Four Pillars of Learning)

बदलते समाज एवं भविष्य में शिक्षा के समक्ष आने वाले चुनौतियों एवं उसके लिए सुझाव देने के लिए यूनेस्को ने वर्ष 1993 में "21 वीं शताब्दी के लिए शिक्षा पर अन्तर्राष्ट्रीय आयोग" का गठन जैक डेलोर्स

की अध्यक्षता में किया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट "लर्निंग: दी ट्रिजर विदिन (Learning: The Treauser Within)" नाम से यूनेस्को को 11 अप्रैल, 1996 को सौंपा था। जैक डेलोर्स कहते हैं कि शिक्षा व्यक्तिगत एवं सामुदायिक विकास के हृदय में होती है; शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को इस योग्य बनाना है कि सभी अपने प्रतिभा को पूर्ण रूप से अपने सृजनात्मक क्षमता के साथ विकसित करने के साथ-साथ अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों तथा अपने जीवन के उत्तरदायित्वों को भी समझ सके (डेलोर्स रिपोर्ट, 1996, पेज 17)। इस रिपोर्ट की मुख्य देन है "अधिगम के चार स्तम्भ", अर्थात शिक्षा रूपी विशाल भवन के निर्माण हेतु चार मजबूत स्तम्भों की आवश्यकता होती जिनको अधिगम के चार स्तम्भ कहते हैं। अधिगम के ये चार स्तम्भ हैं: जानने के लिए अधिगम (Learning to Know), करने के लिए अधिगम (Learning to Do), एक साथ जीने के लिए अधिगम (Learning to Live Together), तथा होने के लिए अधिगम (Learning to Be), इनको शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत माना जाता है। अब हम अधिगम के इन चारों स्तम्भों की चर्चा संक्षेप में करेंगें।

1. **जानने के लिए अधिगम (Learning to Know)-** जानने के लिए अधिगम को हम दूसरे शब्दों में 'ज्ञान योग' भी कह सकते हैं जिसका तात्पर्य है कि अच्छे विचार एवं ज्ञान जहाँ से भी मिले ग्रहण करना चाहिए। जानने के लिए अधिगम यह भी कहता है कि अधिगम केवल एक निश्चित अवधि में ही नहीं समाप्त हो जाती है यह एक जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात ऐसा नहीं है कि आपने विद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपका अधिगम समाप्त हो गया, अधिगम आपके पूरे जीवन भर चलता रहता है चाहे आप कहीं नौकरी करते हों अथवा अपना स्वयं का कोई कार्य करते हैं। यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है कि हमने ने क्या सीखा, ज्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि हम में सीखने की क्षमता विकसित हुई कि नहीं, क्योंकि जो हम सीखते हैं हो सकता है कि कुछ दिनों बाद हम भूल जाएं परन्तु अगर हम में सीखने की क्षमता है तो हम दोबारा से सीख सकते हैं। जानने के लिए अधिगम में ज्ञान और कौशल (साक्षरता, गणना एवं गहन सोच) का विकास भी सम्मिलित है जो कि समाज में कार्य करने हेतु आवश्यक है। व्यक्ति को अपने समाज एवं आस-पास के वातावरण को समझने के लिए भी ज्ञान आवश्यक होता है। व्यक्ति में जब ज्ञान की वृद्धि होती है तो उसमें परिवर्तन होने लगता है, वह सशक्त, ऊर्जावान, संस्कारी, एवं सुलझा हुआ व्यक्तित्व वाला हो जाता है।
2. **करने के लिए अधिगम (Learning to Do)-** करने के लिए अधिगम को हम दूसरे शब्दों में 'कर्म योग' भी कह सकते हैं जिसका तात्पर्य है कि शिक्षा वैसी होनी चाहिए जो हमको इस योग्य बना सके ताकि हम अपने जीवन में कुछ कार्य कर सकें। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर व्यक्ति कुछ सीखता है तो वह उसका प्रयोग भी कर सके ना कि उस ज्ञान को केवल सूचना के रूप में अपने दिमाग में रखे, अर्थात शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति को इस योग्य बना सके कि वह प्राप्त ज्ञान का भविष्य में प्रयोग कर सके। अतः जानने के लिए अधिगम एवं करने के लिए अधिगम में एक संयोजन होगा तभी शिक्षा का उद्देश्य पूरा होगा, उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति को यह पता

है कि कम्प्यूटर के भाग कौन-कौन से हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके द्वारा क्या-क्या किया जा सकता है, परन्तु अगर उस व्यक्ति को व्यवहारिक रूप में कम्प्यूटर चलाना आता ही नहीं तो उसके ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है। अधिगम ऐसा होना चाहिए जिसको प्रमाणित कौशल से व्यक्तिगत क्षमता में आहरित किया जा सके।

3. **एक साथ जीने के लिए अधिगम (Learning to Live Together) -** जो बात हमारे यहाँ वर्षो से कही जा रही है कि "वसुधैव कुटुम्बकम्" अर्थात पूरी दुनिया एक ही परिवार है, वही बात आज के वर्तमान समय में विश्व के सभी लोग कर रहे हैं। अतः इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को यह सीखा सके कि कैसे विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ जिनका रंग-रूप, रहन-सहन, खान-पान अलग-अलग हो, के साथ मित्रतापूर्वक रहा जा सके; यही एक साथ जीने के लिए अधिगम है। डेलोर्स रिपोर्ट के एक मात्र भारतीय सदस्य डॉ. कर्ण सिहं ने 28 अगस्त, 2004 को श्री रामाभाई पटेल के तृतीय यादगार व्याख्यान में कहा था कि एक साथ जीने के लिए अधिगम शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण स्तम्भों में से एक है, जो इस विश्व में रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस व्याख्यान में वे कहते हैं कि इसके लिए आवश्यक है कि बच्चों में मूल्यों को बढ़ावा दिया जाय। वे पाँच प्रकार के मूल्यों की बात करते हैं जो एक साथ जीने के लिए अधिगम हेतु आवश्यक है। पहला है परिवार का मूल्य, यदि बच्चे को परिवार में मूल्य नहीं बताया जाय तो उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह मूल्यों को बाहर से सीखे, जैसे बड़ो का सम्मान करना, दया करना इत्यादि। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को चाहिए कि परिवार में पति-पत्नी को समान अधिकार एवं सम्मान दें तथा समय के साथ-साथ अपने विचारों में भी परिवर्तन लायें। दूसरा है सामाजिक मूल्य, जैसे समय, सफाई, ग्रुप कार्य इत्यादि। बच्चों को समय का महत्व बताना चाहिए, उदाहारण के तौर पर विद्यालय में 3:15 अपरान्ह से विज्ञान विषय पढ़ाना है तो, शिक्षक को निश्चित रूप से कक्षा में अपरान्ह 3:15 पर पहुँचाना चाहिए ताकि बच्चे में समय का मूल्य पता चल सके वहीं उन्हें बताना चाहिए कि अपने आस-पास सफ़ाई रखें एवं कूड़े को निश्चित स्थान पर ही फेंकें। बच्चों को भारतीय संविधान में दिए गये मौलिक कर्तव्यों को भी बताना एवं समझाना चाहिए। तीसरा है आपसी मूल्य (Interfaith Value) अर्थात सर्वधर्म समभाव, बच्चों को शुरू से ही बताना चाहिए कि इस संसार में विभिन्न प्रकार के धर्म के मानने वाले लोग हैं जिनका विचार अलग-अलग हो सकता है, सभी के विचारों का सम्मान करना चाहिए। चौथा मूल्य है वातावरणीय मूल्य, बच्चों को पेड़-पौधों, पशु-पक्षियों की उपयोगिता बतानी चाहिए, उन्हें बाग़-बगीचों, चिड़ियाघर के घुमाना चाहिए तथा उन्हें समझाना चाहिए कि इनके न होने से हमारे वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है जो हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है। अतः बच्चों को शुरू से ही वातावरण की शिक्षा देनी चाहिए एवं प्रकृति से लगाव रखना चाहिए। अंतिम एवं पाँचवा मूल्य है वैश्विक समाज का मूल्य, बच्चों को समझाना चाहिए कि भारत एक अलग देश तो परन्तु यह वैश्विक समाज का एक भाग है। पूरा विश्व एक इकाई के रूप में है इसको अलग-अलग नहीं बाँट सकते हैं। यूरोप के विभिन्न देश

आपस में वर्षों तक लड़ते रहे परन्तु अब पूरा यूरोप यूरोपियन संघ बन गया सभी की मुद्रा एक हो गयी है, यह वैश्विक समाज का एक उदाहरण है।

4. **होने के लिए अधिगम (Learning to Be) -** होने के लिए अधिगम से तात्पर्य अपनी आंतरिक प्रतिभा को पहचानना तथा उस प्रतिभा को विकसित करना। होने के लिए अधिगम व्यक्ति के शरीर, मष्तिष्क एवं आत्मा के व्यक्तिगत विकास पर बल देता है, दूसरे शब्दों में कहे तो यह व्यक्ति के सर्वंगीण विकास की बात करता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ क्षमता होती है जरूरी होता है कि उस क्षमता को पहचानना एवं उसको विकसित करना। वर्तमान समय में यह जरुरी हो गया है कि विद्यालय में पढ़ाई-लिखाई के साथ खेल-कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो ताकि बच्चे में जो भी प्रतिभा हो उभर कर सामने आये। शिक्षा का उद्देश्य भी यही है कि बच्चे का सर्वंगीण विकास किया जाय जिसके लिए आवश्यक है कि उसके बौद्धिक विकास के साथ-साथ शारीरिक एवं सृजनात्मक विकास भी किया जाय ताकि जिसमें भी उसकी प्रतिभा छुपी हो वह निकलकर बाहर आए।

शिक्षा के ये चार आधारभूत स्तम्भ हैं जिसपर शिक्षा रूपी भवन का निर्माण होना है, इनमें से अगर एक भी ना हो तो शिक्षा रूपी भवन नहीं बन सकती है, अतः यह आवश्यक है कि बच्चों को शिक्षा देते समय हम ध्यान रखें कि उनमें उपर्युक्त चारों स्तम्भों का साथ-साथ निर्माण होता रहे तभी वह अपने एवं समाज हेतु फलदायी हो सकता है। अगले खंड में हम चर्चा करेंगें कि बच्चों को एक साथ जीना सीखाने में शिक्षा की क्या भूमिका है?

अभ्यास प्रश्न

1. यूनेस्को द्वारा वर्ष 1993 में गठित "21 वीं शताब्दी के लिए शिक्षा पर अन्तर्राष्ट्रीय आयोग" के अध्यक्ष _____ थे।
2. अधिगम के चार स्तम्भों की बात किस रिपोर्ट में की गयी है?
3. जानने के लिए अधिगम को ज्ञान योग भी कहते हैं। (सत्य/असत्य)

5.4 बच्चों को एक साथ जीना सीखाने में शिक्षा की भूमिका Role of education in enabling the learners to 'learn to live together'

जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि एक साथ जीने के लिए अधिगम से तात्पर्य है कि अधिगम ऐसी हो जो बच्चों को एक समाज में एक साथ भाईचारे के साथ रहना सीखा सके। इसके लिए आवश्यक है कि बच्चों को बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी जाय जो उनको विभिन्न प्रकार के लोगों जिनका खान-पान, रहन-सहन, पहनावा इत्यादि अलग-अलग हों के साथ भाईचारे पूर्वक रहा जा सके। जान डीवी कहते हैं कि विद्यालय समाज का लघु रूप है अर्थात समाज में जितने भी प्रकार के लोग होते हैं वह विद्यालय में ही

पाए जाते हैं, अतः यदि बच्चा बचपन से ही अपने सहपाठियों के साथ अच्छी प्रकार से रहने लगे तो वह बड़ा होकर अपने समाज में भी अच्छी प्रकार से रहने लगेगा। बच्चों को एक साथ जीना सीखाने में शिक्षा एक अहम भूमिका निभाती है, शिक्षा ही वह यंत्र है जिसके माध्यम से हम बच्चों के व्यक्तिगत व्यवहार, मनोवृति एवं मूल्यों में ऐसा परिवर्तन ला सकते हैं जिससे वह अपने विविधताओं से पूर्ण समाज में शांतीपूर्ण रह सके, इस हेतु शिक्षा की कुछ प्रमुख भूमिका निम्नलिखित है:

- बच्चों को बचपन से ही कहानी, कविता इत्यादि के माध्यम से मूल्यों की शिक्षा दी जाय।
- सहयोग की भावना विकसित किया जाय।
- अहिंसा की भावना विकसित किया जाय।
- मानव विभिन्नताओं को समझना एवं उसको स्वीकार करना सीखाया जाय।
- अपनी स्वतंत्रता के साथ-साथ दूसरों की स्वतंत्रता को भी समझा जाय।
- सभी धर्मो का सम्मान करने की शिक्षा दी जाय।
- निःस्वार्थ रवैया विकसित किया जाय।
- मानवाधिकार की शिक्षा दिया जाय।
- किसी भी विवाद को शांतिपूर्वक निपटाने हेतु शिक्षा दिया जाय।
- नागरिक कर्तव्यों को बताया जाय।
- नैतिकता की शिक्षा दिया जाय।

अगर बच्चे को इस तरह से शिक्षा दी जाय कि उसमें मूल्य, अहिंसा, सहयोग, इत्यादि के गुण बचपन से समाहित हो जाएं तो वह बच्चा बड़ा होकर समाज में सबके साथ मिलजुलकर शांतिपूर्वक रह सकता है। अतः समाज में लोगों को सद्भावना पूर्वक एक साथ जीवन जीने में समर्थ बनाने हेतु शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

अभ्यास प्रश्न

4. विद्यालय समाज का लघु रूप है। (सत्य/असत्य)
5. एक साथ जीना सीखाने में शिक्षा की कोई भूमिका नहीं होती है। (सत्य/असत्य)
6. बच्चों को मूल्यों की शिक्षा केवल किताब से ही दिया जा सकता है। (सत्य/असत्य)

5.5 सामूहिक जीवन (Collective Living)

पिछले खंड में हमने पढ़ा कि बच्चों को इस विभिन्नता वाले समाज में एक साथ जीवन जीने को सीखाने में शिक्षा कैसे अपना योगदान देती है। इस खंड में हम चर्चा करेंगें कि एक साथ जीवन व्यतीत करने अथवा सामूहिक जीवन से क्या तात्पर्य है तथा ऐसे जीवन जीने से क्या लाभ है?

सामूहिक जीवन से तात्पर्य (Meaning of Collective living)

फ्रेंच समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम (Emile Durkheim) कहते हैं कि आदिकाल से ही मानव दो प्रकार का जीवन व्यतीत करता रहा है पहला व्यक्तिगत तथा एकान्त जीवन एवं दूसरा सामूहिक जीवन। व्यक्तिगत जीवन में न कोई आमोद-प्रमोद था और न किसी प्रकार का आकर्षण ही था। परन्तु सामूहिक जीवन उत्साह, आमोद-प्रमोद और आकर्षण से परिपूर्ण था। जब कभी एक ही कुल और परिवार समूह के लोग एकत्र होते थे तो वे बड़े ही सुख का अनुभव करते थे। यह सुख सामूहिक जीवन का परिणाम था जिसके कारण मनुष्य के एकांत जीवन की नीरसता मिट जाती थी।

व्यक्ति समूह अर्थात समाज में रहकर अपने साथियों के साथ जीवन यापन करता है। इसी कारण व्यक्ति को समाजिक प्राणी भी कहा जाता है। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर समूह का निर्माण करते हैं। समूह की प्राथमिक इकाई परिवार होता है जिसका निर्माण माता-पिता एवं बच्चों से होता है। समान विचार एवं समान पूर्वजों वाले परिवार से मिलकर कुल या गोत्र का निर्माण होता है, व्यक्ति अपना सामूहिक जीवन इसी में व्यतीत करता है। समूह में ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण एवं विकास करता है, समूह में रहकर ही व्यक्ति समूह के प्रति अपने कर्तव्यों को समझता है। समाज में कई समूह होने के कारण व्यक्ति कई समूहों का सदस्य भी होता है। समाज में पाये जाने वाले विभिन्न समूहों में से कुछ समूह रक्त से सम्बन्धित होते हैं, तो कुछ व्यापार, व्यावसाय या अन्य उद्देश्यों के आधार पर बन जाते हैं। इन समूहों का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर तथा व्यक्ति के व्यवहार का प्रभाव इन समूहों पर पढ़ता है। विद्यालय भी एक समूह है जहाँ पर छात्र सामूहिक जीवन के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं वहाँ का सामाजिक वातावरण छात्रों के व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है।

सामूहिक जीवन से लाभ (Benefits of Collective living)

सामूहिक जीवन व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति के साथ-साथ समाज की उन्नति हेतु बहुत लाभदायक होता है. कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:

- सामूहिक जीवन से बालक में एकांत की नीरसता नहीं रहती है।
- सामूहिक जीवन से बालक में सहयोग की भावना विकसित होती है।
- सामूहिक जीवन से बालक में भाईचारे की भावना का विकास होता है।
- सामूहिक जीवन में ही बालक अनुकरण करना सीखता है।

- सामूहिक जीवन से बालक को भविष्य में आगे बढ़ने की प्रतिद्वंदिता की भावना विकसित होती है।
- सामूहिक जीवन में ही रहकर बालक प्रेम करना एवं दया करना भी सीखता है।
- सामूहिक जीवन से ही बालक नैतिकता का पाठ सीखता है।
- सामूहिक जीवन में ही रहकर बालक परिवार की संस्कृति एवं मूल्यों को समझ सकता है।
- सामूहिक जीवन से बालक में साझा करने की आदत विकसित होती है।
- सामूहिक जीवन से बालक में धैर्य क्षमता विकसित होती है।
- सामूहिक जीवन में बालक ज्यादा सुरक्षित रहते हैं।
- सामूहिक जीवन में रहकर बालक सामजिक कौशल जैसे- बड़ो एवं छोटों से वार्तालाप करना, बड़े-बुजर्गों का सम्मान करना, सबके साथ मिलजुलकर खेलना इत्यादि आसानी से सीख जाता है।
- सामूहिक जीवन में रहकर बालक उत्तरदायीत्वों को समझ जाता है।
- सामूहिक जीवन से बालक में अनुशासन की भावना विकसित होती है।
- सामूहिक जीवन में बालक खाली समय का सदुपयोग अन्य सदस्यों के साथ खेलकूद कर अच्छी प्रकार से कर लेता है।
- सामूहिक जीवन से बालक कर्तव्यों को सीखता है।

वर्तमान समय में ज्यादातर लोग एकल परिवार में रहते हैं जिनमे से कुछ लोग अपनी इच्छा से रहते हैं तो कुछ लोग रोजी-रोटी हेतु मज़बूरी बस रहते हैं। एकल परिवार में रहने पर ज्यादातर माता-पिता समय की कमी के चलते बालक को अपने मूल्य, संस्कार, संस्कृति का ज्ञान नहीं करा पाते हैं अतः विद्यालय के आधुनिक पाठ्यक्रम में मूल्य शिक्षा को सम्मिलित करके बच्चों को उनके मूल्य, संस्कार, अनुशासन इत्यादि सीखाया जा रहा है, जो संयुक्त परिवार में रहने वाला बालक इसको बिना विषय के रूप में पढ़े ही अपने रोजमर्रा के जीवन को देखते एवं उसका पालन करते हुए आसानी के साथ सीख जाता था। अतः उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि बालक के सर्वंगीण विकास हेतु सामूहिक जीवन में रहना भी आवश्यक।

अभ्यास प्रश्न

7. एमिल दुर्खीम के अनुसार आदिकाल से ही मानव दो प्रकार का जीवन व्यतीत करता रहा है पहला व्यक्तिगत तथा एकान्त जीवन एवं दूसरा सामूहिक जीवन। (सत्य/असत्य)
8. समूह की प्राथमिक इकाई समाज होता है। (सत्य/असत्य)

5.6 शांतिपूर्ण और उचित प्रकार से वार्ता एवं आपसी समझौते के माध्यम से तनाव के समाधान हेतु शैक्षिक आगत

Educational inputs for the resolution of tensions peacefully and justly through negotiations and mutual agreement

जैसा कि हम ऊपर के खंडो में पढ़ चुके हैं कि डेलोर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शिक्षा का यह एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि बालक यह सीख सके कि इस समाज में विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ मिलकर कैसे सामूहिक जीवन व्यतीत किया जाय। चूँकि समाज में विभिन्न विचारों, धर्मों, मान्यताओं को मानने वाले लोग रहते हैं अतः सामूहिक जीवन एवं समाज में एक साथ जीवन व्यतीत करने में कुछ ना कुछ तनाव जरुर होता है, अतः बालक को विद्यालय से ही शिक्षा के माध्यम से यह सीखाना चाहिए कि किसी भी तनाव को कैसे शांतिपूर्ण एवं आपसी समझौते के माध्यम सामाधान किया जाय, परन्तु यह कार्य एक दिन या एक महीने या एक वर्ष में नहीं पूरा हो सकता यह वर्षों चलने वाली प्रक्रिया है तथा बालकों में यह परिवर्तन धीरे-धीरे ही आएगा। इस खण्ड में हम चर्चा करेंगे कि किसी भी तनाव के शांतिपूर्ण निवारण हेतु शैक्षिक आगत क्या है?

एक साथ जीना सीखना एक बृहत क्षेत्र है, इसको सिखाने के लिए शिक्षा को कई छोटे-छोटे विभिन्न बातों को सीखाना पड़ता है, जैसे:

- मूल्य शिक्षा (Value Education)
- जीवन कौशल शिक्षा (Life Skills Education)
- शांति के लिए शिक्षा शिक्षा (Education for Peace)
- मानवाधिकार शिक्षा (Human Rights Education)
- नागरिक शिक्षा (Civic Education)

ऐसे अनेक छोटे-छोटे बातों के माध्यम से हम बालक को एक साथ जीना सिखाते हैं। यूनेस्को (1974) के रिपोर्ट के अनुसार अहिंसा, आपसी समझौते एवं दूसरे व्यक्तियों के सम्मान हेतु बालक को शांति एवं मानवाधिकार की शिक्षा देना आवश्यक है। शांति शिक्षा समाज एवं व्यक्ति को परिवर्तित करने के लिए होती हैं ताकि वे किसी भी तनाव का निवारण शांतिपूर्ण ढंग से कर सकें। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि शांति के लिए शिक्षा क्या है?

शांति के लिए शिक्षा से तात्पर्य (Meaning of Education for Peace)

महात्मा गांधी का कहना है कि, "अगर हम विश्व को वास्तविक शांति का पाठ पढ़ाना चाहते हैं तो हमें शुरुआत बच्चों से ही करनी होगी।" वहीं मारिया मांटेसरी कहती हैं कि, "सारी शिक्षा शांति के लिए ही है

।" इन दो शिक्षाशात्रियो के कथन से यह पता चलता है कि शांति के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है। यूनिसेफ (1999) के अनुसार शांति शिक्षा से तात्पर्य बच्चों, युवाओं एवं वयस्कों में आवश्यक व्यवहार परिवर्तन हेतु ज्ञान, कौशल, मनोवृति एवं मूल्यों को विकसित करने की प्रक्रिया से है ताकि वे व्यक्तिगत, राष्ट्रीय अथवा अन्तराष्ट्रीय स्तर पर तनाव एवं हिंसा को रोक सकें, तनाव का निवारण शांतिपूर्ण कर सके, तथा शांति हेतु सहायक स्थिति बना सके। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने वर्ष 2010 में शांति के लिए शिक्षा: राष्ट्रीय फ़ोकस समूह का आधार पत्र में शांति के लिए शिक्षा के मुख्य कार्यक्षेत्र बताए हैं जो हैं:

- शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों में शांति के प्रति झुकाव पैदा करना।
- विद्यार्थियों के भीतर उन सामाजिक कौशलों और अभिरुचियों का पोषण, जो दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्वक जीने के लिए जरुरी है।
- संविधान में सुविचारित सामाजिक न्याय की अवधारणा पर बल देना।
- धर्मनिरपेक्ष संस्कृति को प्रचारित करने की जरुरत और कर्तव्य।
- लोकतांत्रिक संस्कृति को प्रेरित करनेवाले उत्प्रेरक के रूप में शिक्षा।
- शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने के प्रयास ।
- जीवनशैली सम्बन्धी एक आन्दोलन के रूप में शांति के लिए शिक्षा।

शांति के लिए शिक्षा में मूल्य शिक्षा भी समाहित है, लेकिन दोनों एक ही नहीं हैं शांति मूल्यों की संगति के लिए प्रासंगिक तौर पर उपयुक्त और लाभदायक शिक्षाशात्रीय बिंदु है। शांति मूल्यों के उद्देश्यों को ठोस रूप देती है। शांति के लिए शिक्षा सीखने की प्रक्रिया को कक्षा की सीमा से मुक्त करने और उसे खोज के आनंद से अनुप्राणित जागरूकता के उत्सव में बदलने की माँग करती है। शांति शिक्षा जीने के आनन्द को मूर्त रूप प्रदान करना चाहती है, इसका मानना है कि सीखना आनंदायक अनुभव होना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न

9. सारी शिक्षा शांति के लिए है? यह कथन किसका है?
10. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने किस वर्ष में शांति के लिए शिक्षा: राष्ट्रीय फ़ोकस समूह का आधार पत्र प्रकाशित किया था?

शांति के लिए शिक्षा में शिक्षक की भूमिका (Role of Teacher in Education for Peace)

विद्यार्थियों के लिए शिक्षक आदर्श होते हैं। अगर शिक्षक का शांति के प्रति रुझान नहीं है, तो वह अनजाने में हिंसा का दुष्प्रचार करने में भूमिका निभाते हैं। एक कथन है कि "जो मैं जानता हूँ वही पढ़ाता हूँ और जो मैं हूँ वही सिखाता हूँ।" शिक्षक का पहला उत्तरदायित्व विद्यार्थियों को एक अच्छा व्यक्ति

बनने में सहायता करना है और अपनी क्षमताओं का सम्पूर्ण प्रयोग करने के लिए उत्साहित करना है। ऐसा सिर्फ उसके हित में ही नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए भी है। शिक्षक की तुलना माली से की जाती है क्योंकि वह माली की भांति ही ज्ञान और अच्छे संस्कारों रूपी बीज बोता है, उसे ममत्व और करुणा रूपी पानी से सींचता है और अज्ञानता रूपी खरपतवार को हटाता है। अच्छे शिक्षक शांति मूल्यों के आदर्श होते हैं, जैसे इनमें सुनने की कला, गलती को पहचानने और उसे सही करने की विनम्रता होती है, ये अपने द्वारा किये गये कार्यो की जिम्मेदारी लेते हैं, चिंताओं को साझा करते हैं और मतभेदों से परे एक-दूसरे की समस्याओं को हल करते हैं। ऐसे शिक्षक यदि शांति का उपदेश ना भी दे तों अपने हाव-भाव से शांति के लिए शिक्षा देते प्रतीत होते हैं (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने वर्ष 2010)।

जो शिक्षक कक्षा में बच्चों पर मार-पिटाई के जरिए "अनुशासन" थोपता है वह समस्या को हल करने की रणनीति के रूप में हिंसा को ही अनुकरणीय बना देता है। कक्षा में सकरात्मक वातावरण कायम करने में शिक्षक की भूमिका सर्वोच्च होती है। समाज में शिक्षक को ज्ञान एवं बुद्धिमत्ता का श्रोत माना जाता है। बच्चे तभी शांति एवं संस्कारों को सीख पायेंगे जब उनके शिक्षक व्यवहारतः आदर्श के रूप में इनको पेश करें। अगर शिक्षक के कथनी एवं करनी में अंतर बेमेल निकली तो विद्यार्थी उसी का अनुकरण करेंगें जो व्यवहारतः किया गया है। शिक्षक को विद्यार्थियों को शांति के लिए शिक्षा देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए:

- शिक्षक स्वयं के व्यवहार में आदर्श एवं संस्कार लाए।
- शिक्षक कक्षा में अनुशासन हेतु बच्चों पर दमनात्मक कार्यवाही ना करे।
- शिक्षक अपनी कथनी एवं करनी में अन्तर ना करे।
- शिक्षक को बच्चों के ऊपर अपने व्यवहार के प्रभाव के प्रति सचेत रहना चाहिए।
- शिक्षक को वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह अपने विद्यार्थियों में देखना चाहता है।
- शिक्षक को बच्चों में साकारात्मक भावनाएं एवं अनुभव जगाने चाहिए।
- शिक्षक को बच्चों में संस्कारों को प्रयोग में लाने के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए।
- शिक्षक उचित शब्दों एवं मुद्राओं की सहायता से यह प्रदर्शित करे कि द्वंदों का हल शांतिपूर्ण ढंग से कैसे किया जाय।

शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने वाली शिक्षा में शिक्षक की भूमिका अहम होती है। शांति के लिए शिक्षा में काफ़ी कुछ इस पर निर्भर करता है कि शिक्षक खुद शांति के लिए कितना प्रेरित एवं उत्साहित है। शिक्षक को शांति के अवसरों के प्रति सजग रहना होगा और रचनात्मक तरीके से उनका पूरी पाठचर्या में विनियोग करना होगा। जो शिक्षक या तो आक्रामक हैं या फिर जिन्हें शांति की संस्कृति से कोई मतलब नहीं और जो अध्यापन को सिर्फ़ सूचना के गोदाम के रूप में देखते हैं, वे उस अवसर से वंचित रहेंगें जो प्रत्येक अध्याय और अनुभव स्कूल में शांति के लिए शिक्षा के सन्दर्भ में उपलब्ध करता है।

बच्चों में शांति की संस्कृति को विकसित करने के उपाय (Strategies to develop Peace in Children)

जैसा कि गाँधी जी का कहना है कि अगर हम विश्व को वास्तविक शांति का पाठ पढ़ाना चाहते हैं तो हमें शुरुआत बच्चों से ही करनी होगी, क्योंकि बच्चों को ही भविष्य में राष्ट्र का निर्माण करना है अतः अगर उनमें बचपन से ही शांति प्रिय एवं अहिंसावादी रहने की आदत पड़ जाती है तो वे अपने समाज एवं राष्ट्र को वैसा देखना चाहेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि बच्चों को बचपन से शांति एवं अहिंसा का केवल पाठ ही ना पढ़ाया जाय बल्कि उनसे शांति एवं अहिंसा से सम्बन्धित क्रियाओं को करवाया जाय क्योंकि बच्चों की आदत है कि सलाह या उपदेश पर ध्यान नहीं देते है लेकिन क्रियाओं को आनन्द पूर्वक करते हैं। प्रश्न, कहानियाँ, दंतकथाएं, खेल, प्रयोगात्मक चर्चाएं, सम्वादों, मूल्य स्पष्टीकरण, उदाहरण, समानुपात, रूपक और स्वांग सरीखे उपकरण शिक्षण-अधिगम के जरिए बच्चों में शांति संस्कृति को विकसित किया जा सकता है। बच्चों में शांति संस्कृति विकसित करने हेतु कुछ क्रियाओं को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने वर्ष 2010 में प्रकाशित "शांति के लिए शिक्षा: राष्ट्रीय फ़ोकस समूह का आधार पत्र" में दिया है, जो निम्नलिखित हैं:

- बच्चों से उन विभिन्न तरीकों का प्रदर्शन करने को कहना जो कोई घर या विद्यालय में बुजुर्गों का सम्मान देनें के लिए करता है।
- बच्चों से 'सहयोग' शब्द का अर्थ विभिन्न तरीकों से व्यक्त करवाना।
- बच्चों को यह बतलाना की गुस्से से दूसरों के साथ खुद का नुकसान कैसे होता है।
- बच्चों के समक्ष विरोधाभास को व्याख्यित करना, जैसे हर कोई शांतिपूर्ण संसार चाहता है, लेकिन संसार ऐसा नहीं है। क्यों ? उन कारकों/बाधाओं का वर्णन करें जो शांति की राह में आते हैं।
- शांति संदेश के साथ अधूरी कहानी को विभिन्न तरीकों से पूर्ण करना।
- विकलांग व्यक्ति के प्रति मदद करने वाले और ख्याल रखने वाले भाव, तरीके, मुद्राओं का प्रदर्शन बच्चों के समक्ष करना।
- तस्वीर पर आधारित कहानी, कविता, विचार को चार्ट पर प्रदर्शित करना जिससे बच्चों को नैतिक संकेत दिया जा सके।
- दूसरों के प्रति सम्वेदनशील, सहनशील होने पर बालकों से कहानी या कविता लिखने को कहना ।
- टीमवर्क में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- कुछ नियत अक्षरों की मदद से विभिन्न मूल्य सम्बन्धी शब्दों का निर्माण करवाना, जैसे- ईमानदारी और सत्यनिष्ठा जैसी विशेषताएं, उनके बीच नया सम्बन्ध बनाना।

- दो दोस्तों के बीच गलतफहमी को लेकर पत्र लिखवाना। किसी को नीचा दिखाए बिना समस्या का समाधान प्रस्तुत करना।
- हिंसा के शिकार लोगों की दुर्दशा में अपने होने की कल्पना करना। उदाहरण के तौर पर आप किसी को रिश्वत दे रहे हैं, आपको शर्मसार किया गया, किसी का जीवन खतरे में है इस भय में जीना आदि।
- बच्चों को पीड़ित होने का अर्थ उदाहरण के माध्यम से समझाना।
- समुदाय या इलाकों की कुछ समस्याओं को बता कर उसको शांतिपूर्ण हल करने का उपाय बताना।
- अनाथ अथवा गरीब बच्चों की मदद के लिए विभिन्न उपायों को सोचने के लिए प्रेरित करना।
- अनाथालय एवं वृद्धाश्रम का भ्रमण करवाना जिससे बालक समाज की इस तबके के अकेलेपन, दर्द और मज़बूरी को महसूस कर सके।
- उन टीवी कार्यक्रमों, फिल्म शो को दिखाना जिनमे मानव जाति के लिए प्यार और चिंता समाहित हो
- चुनिन्दा विषयों पर टकराव-समाधान सत्र का आयोजन करवाना।
- हिंसा से जुड़ी समस्याओं से बालक को अवगत करवाना जिससे कक्षा के अन्य विद्यार्थी भी भय और चिंता से निपटने की रणनीति समझ सकें।

अभ्यास प्रश्न

11. अगर शिक्षक का शांति के प्रति रुझान नहीं है, तो वह अनजाने में हिंसा का दुष्प्रचार करने में भूमिका निभाते हैं। (सत्य/असत्य)
12. बच्चों को कहानी के माध्यम से शांति संस्कृत विकसित नहीं किया जा सकता है । (सत्य/असत्य)

5.7 सारांश

इस इकाई में हमने "लर्निंग: दी ट्रिजर विदिन " रिपोर्ट में दी गयी अधिगम के चार स्तम्भों जो हैं जानने के लिए अधिगम, करने के लिए अधिगम, एक साथ जीने के लिए अधिगम, एवं होने के लिए अधिगम की चर्चा की, संक्षेप में इन चारों स्तम्भों का मूल भाव है : जानने के लिए अधिगम को हम दूसरे शब्दों में 'ज्ञान योग' कहते हैं जिसका तात्पर्य है कि अच्छे विचार एवं ज्ञान जहाँ से भी मिले ग्रहण करना चाहिए। करने के लिए अधिगम को हम दूसरे शब्दों में 'कर्म योग' भी कहते हैं जिसका तात्पर्य है कि शिक्षा वैसी होनी चाहिए जो हमको इस योग्य बना सके ताकि हम अपने जीवन में कुछ कार्य कर सकें। शिक्षा ऐसी होनी

चाहिए जो बच्चों को यह सीखा सके कि कैसे विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ जिनका रंग-रूप, रहन-सहन, खान-पान अलग-अलग हो, के साथ मित्रतापूर्वक रहा जा सके; यही एक साथ जीने के लिए अधिगम है।

आदिकाल से ही मानव दो प्रकार का जीवन व्यतीत करता रहा है पहला व्यक्तिगत तथा एकान्त जीवन एवं दूसरा सामूहिक जीवन। व्यक्तिगत जीवन में न कोई आमोद-प्रमोद था और न किसी प्रकार का आकर्षण ही था। परन्तु सामूहिक जीवन उत्साह, आमोद-प्रमोद और आकर्षण से परिपूर्ण था। विद्यालय भी एक समूह है जहाँ पर छात्र सामूहिक जीवन के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं वहाँ का सामाजिक वातावरण छात्रों के व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है।

यूनेस्को (1974) के रिपोर्ट के अनुसार अहिंसा, आपसी समझौते एवं दूसरे व्यक्तियों के सम्मान हेतु बालक को शांति एवं मानवाधिकार की शिक्षा देना आवश्यक है। शांति शिक्षा समाज एवं व्यक्ति को परिवर्तित करने के लिए होती हैं ताकि वे किसी भी तनाव का निवारण शांतिपूर्ण ढंग से कर सकें। यूनिसेफ (1999) के अनुसार शांति शिक्षा से तात्पर्य बच्चों, युवाओं एवं वयस्कों में आवश्यक व्यवहार परिवर्तन हेतु ज्ञान, कौशल, मनोवृति एवं मूल्यों को विकसित करने की प्रक्रिया से है ताकि वे व्यक्तिगत, राष्ट्रीय अथवा अन्तराष्ट्रीय स्तर पर तनाव एवं हिंसा को रोक सकें, तनाव का निवारण शांतिपूर्ण कर सके, तथा शांति हेतु सहायक स्थिति बना सके। शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने वाली शिक्षा में शिक्षक की भूमिका अहम होती है। शांति के लिए शिक्षा में काफ़ी कुछ इस पर निर्भर करता है कि शिक्षक खुद शांति के लिए कितना प्रेरित एवं उत्साहित है।

5.6 शब्दावली

1. **अधिगम के चार स्तम्भ**: जानने के लिए अधिगम (Learning to Know), करने के लिए अधिगम (Learning to Do), एक साथ जीने के लिए अधिगम (Learning to Live Together), तथा होने के लिए अधिगम (Learning to Be)
2. **सामूहिक जीवन:** दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर समूह का निर्माण करते हैं। समूह की प्राथमिक इकाई परिवार होता है जिसका निर्माण माता-पिता एवं बच्चों से होता है। समान विचार एवं समान पूर्वजों वाले परिवार से मिलकर कुल या गोत्र का निर्माण होता है, व्यक्ति अपना सामूहिक जीवन इसी में व्यतीत करता है।
3. **शांति शिक्षा:** शांति शिक्षा से तात्पर्य बच्चों, युवाओं एवं वयस्कों में आवश्यक व्यवहार परिवर्तन हेतु ज्ञान, कौशल, मनोवृति एवं मूल्यों को विकसित करने की प्रक्रिया से है ताकि वे व्यक्तिगत, राष्ट्रीय अथवा अन्तराष्ट्रीय स्तर पर तनाव एवं हिंसा को रोक सकें, तनाव का निवारण शांतिपूर्ण कर सके, तथा शांति हेतु सहायक स्थिति बना सके।

5.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. जैक डेलोर्स
2. लर्निंग: दी ट्रिजर विदिन
3. सत्य
4. सत्य
5. असत्य
6. असत्य
7. सत्य
8. असत्य
9. मारिया मांटेसरी
10. 2010
11. सत्य
12. असत्य

5.9 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. दुर्खीम, ए. (1912). *दी एलिमेंटरी फॉर्म्स ऑफ़ दि रिलीजियस लाइफ.* आनलाइन 15/12/2016 को लिया गया
2. डीवी, जे. (1916). डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन. लन्दन: दि फ्री प्रेस
3. भारत सरकार (1993). लर्निंग विदाउट बर्डन. नई दिल्ली: मानव संसाधन विकास मंत्रालय
4. डेलोर्स, जे. (1996). लर्निंग दि ट्रेजर विदिन: रिपोर्ट ऑफ़ इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन फॉर दि 21st सेंचुरी. पेरिस: यूनेस्को
5. यूनिसेफ (1999). पीस एजुकेशन इन यूनिसेफ. न्यूयार्क: यूनिसेफ
6. यूनेस्को (2001). लर्निंग दि वे ऑफ़ पीस: ए टीचर्स गाइड तो एजुकेशन फ़ॉर पीस. नई दिल्ली: यूनेस्को
7. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (2010). *शांति के लिए शिक्षा: राष्ट्रीय फ़ोकस समूह का आधार पत्र.* नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

5.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. अधिगम के चार स्तम्भों की व्याख्या कीजिए।
2. बच्चों को एक साथ जीना सीखाने में शिक्षा की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
3. सामूहिक जीवन से आप क्या समझते हैं?

4. एक साथ जीवन व्यतीत करने में व्यक्ति को क्या लाभ होता है?
5. शांति के लिए शिक्षा से आप क्या समझते हैं?
6. किसी तनाव के शांतिपूर्ण निवारण में शिक्षा के योगदान की चर्चा उदाहरण के माध्यम से कीजिए।

खण्ड 2

Block 2

इकाई 2- शिक्षा के उद्देश्यों से संबंधित "संवैधानिक मूल्यों" की आलोचनात्मक समझ

2.1 प्रस्तावना
2.2 उद्देश्य
2.3 शिक्षा संबंधी उद्देश्य
2.4 शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन और व्याख्या
  2.4.1 शिक्षा के उद्देश्यों के संदर्भ में संवैधानिक मूल्यों की पहचान
  2.4.2 शिक्षा के उद्देश्यों से संबंधित, संविधान में दर्ज कुछ मूल्यों की सूची
2.5 संवैधानिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के उद्देश्यों का आलोचनात्मक विश्लेषण
2.6 सारांश
2.7 शब्दावली
2.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
2.9 संदर्भ ग्रंथ सूची
2.10 निबंधात्मक प्रश्न

2.1 प्रस्तावना

इस इकाई का उद्देश्य भारत के संविधान में वर्णित उन मूल्यों के बारे में आलोचनात्मक समझ का विकास करना है, जिनका संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से है। इसके लिए सबसे पहले तो उन कुछ उद्देश्यों की पहचान करनी होगी जिन्हें शिक्षा के उद्देश्य कहा जा सकता है। हर देश की जरूरतों के अनुसार उस देश की शिक्षा के उद्देश्यों को सृजित किया जाता है। इस प्रकार उद्देश्य मानव द्वारा सृजित होते हैं। क्योंकि मानवों का एक समूह नहीं, अनेक समूह होते हैं, इसलिए उनकी जरूरतों में भी अंतर होता है। एक ही समूह के भीतर अनेक समूह होते हैं और उनकी जरूरतें अलग-अलग हो सकती हैं। सवाल यह उठता है कि किस समूह और उस समूह के भीतर किन व्यक्तियों की जरूरतों की पूर्ति के लिए शिक्षा का उपयोग किया जाएगा ? भारत में शिक्षा के द्वारा किन मूल्यों का पोषण, और संवर्धन किया जाएगा ? उन मूल्यों के स्रोत कहाँ पर जाकर ढूंढे जाएँ ? क्योंकि शिक्षा मानव निर्मित होती है, इस कारण से इसके अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। उनमें से कौन से उद्देश्य भारत के लिए उपयुक्त होंगे, इस बात का फैसला इस बात से होगा कि वे भारत के संविधान के अनुकूल है या नहीं।

2.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप-

1. शिक्षा संबंधी उदेश्यों को बता सकेंगे।
2. शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन और उनकी व्याख्या कर सकेंगे।
3. शिक्षा के उद्देश्यों के संदर्भ में संवैधानिक मूल्यों की पहचान कर सकेंगे।
4. संवैधानिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के उद्देश्यों का आलोचनात्मक विश्लेषण कर सकेंगे।

2.3 शिक्षा संबंधी उद्देश्य

शिक्षा मनुष्य द्वारा सृजित ऐसी संकल्पना है जिसको विभिन्न लोगों ने अपनी समझ के अनुसार परिभाषित करने का प्रयास किया है। नीचे शिक्षा के संबंध में कुछ लोगों के विचार दिए गये हैं।

1. **फ्राबेल के अनुसार,** "शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है।"
2. **स्वामी विवेकानंद के अनुसार**, "मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है।"
3. **महात्मा गाँधी के अनुसार,** "शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के शरीर, मस्तिष्क या आत्मा में विद्यमान श्रेष्ट तत्वों के पूर्ण विकास से है।"
4. **हरबर्ट स्पेंसर के अनुसार,** " शिक्षा से तात्पर्य है अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करना है।"
5. **फ्रेरे के अनुसार**, शिक्षा का काम मनुष्य और उनके समूहों में विवेकीकरण की प्रक्रिया को जगाना और तेज करना है। "विवेकीकरण" का अर्थ है सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक अंतर्विरोधों को समझना और यथार्थ के उत्पीड़क तत्वों के विरुद्ध, कर्म करना।" (फ्रेरे. उत्पीड़ितों का शिक्षाशास्त्र.1997:6)।
6. शिक्षा व्यक्ति को दूरदर्शी, साहसी, बुद्धिमान बनाने का साधन है। (विश्विद्यालय शिक्षा आयोग, 1948-49)।
7. शिक्षा बच्चों को व्यावहारिक जीवन जीने की कला सिखाने की प्रक्रिया है। (माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1952-53)
8. शिक्षा राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक विकास का शक्तिशाली साधन है। शिक्षा राष्ट्रीय संपन्नता एवं राष्ट्र कल्याण की कुंजी है। (राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, 1964-66)।
9. शिक्षा गतिहीन समाज को जीवंत बनाने कि प्रक्रिया है। (शिक्षा की चुनौती, नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य, 1985, भारत सरकार)
10. शिक्षा बच्चे के अनुभवों तथा सोचने के तरीकों में संशोधन करने की कोशिश है ताकि उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके तथा राष्ट्र के विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों, जैसे समाजवाद,

पंथनिरपेक्षता, प्रजातंत्र आदि को पूरा करने में योगदान दे सके। (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, संशोधित, 1992)।

11. शिक्षा विशाल जानकारी देने की बजाय सिद्धांत निर्माण तथा अवधारणाओं के विकास के लिए क्षमता के विकास की प्रक्रिया है। (राष्ट्रीय सलाहकार समिति, जुलाई 1993)।
12. शिक्षा बच्चे की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। (सभी के लिए शिक्षा पर विश्वव्यापी घोषणा, 1990)।

2.4 शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन और व्याख्या

ऊपर भाग 2 में आपने अनेक व्यक्तियों और समितियों और आयोगों के द्वारा दी गयी शिक्षा की परिभाषाओं को पढ़ा। इकाई के इस भाग में आप उन परिभाषाओं के बारे में अपनी समझ को पैना करोगी/करोगे, ताकि इकाई के अगले भाग में उनसे निकलने वाले उद्देश्यों को आप संवैधानिक मूल्यों के संदर्भ में समझ सकें। ऐसा नहीं है कि हमारे पास परिभाषाओं का आभाव है। ये परिभाषाएँ उदाहरण मात्र हैं। आप और भी अनेक परिभाषाओं की तलाश कर सकती/सकते हैं।

इन पांच परिभाषाओं के सहारे आप परिभाषाओं का वर्णन करना और उनकी व्याख्या करना सीखेंगी/सीखेंगे। इन पांच परिभाषाओं के साथ अभ्यास करके आप अन्य परिभाषाओं के बारे में अपनी समझ को इस तरह से बढ़ा सकती/सकते है कि उस समझ का उपयोग संवैधानिक मूल्यों को समझने में कर सकें।

उपर्युक्त पाँचों परिभाषाओं में शिक्षा के संबंध में जो उद्देश्य अंतर्निहित हैं, उन्हें रखांकित करने का प्रयास कीजिए। पहली तीन परिभाषाएँ एक तो व्यक्ति केन्द्रित हैं और दूसरा इनमें कोई दिशा स्पष्ट नहीं दिख है। जैसे फ्रोबेल, शिक्षा को ऐसी प्रक्रिया मान रहे हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी शक्तियों का विकास करती या करता है। लेकिन उसकी शक्तियाँ उसे किस दिशा में ले जाएँ, यह बात इस परिभाषा में साफ़ नहीं है।

इसी प्रकार दूसरी और तीसरी परिभाषाएँ स्व्यं में स्पष्ट नहीं हैं। जैसे कि पूर्णता का क्या मतलब होता है ? व्यक्ति कब पूर्ण होती या होता है ? या सर्वांगीण विकास का अर्थ क्या क्या है ? पूर्णता हासिल करके या सर्वांगीण रूप से विकसित होकर करना क्या है ?

चौथी परीभास में मनुष्य में अंतर्निहित शक्तियों और बाहर की दुनिया के बीच समन्वय स्थापित करने की बात की गयी है। इसमें एक दिशा है। इसके अनुसार शिक्षा का काम मनुष्य को मस्तिष्क में उठने वाले विचारों और मन में उठने वाले भावों तथा दुनिया के कार्य-व्यापारों के साथ तालमेल स्थापित करने में समर्थ बनाना है। इसके अनुसार शिक्षा मनुष्य को इस योग्य बनाए कि वह खुद का दूसरे लोगों तथा बाहर की परिस्थितयों के साथ तालमेल बैठा सके। लेकिन किन लोगों के साथ तालमेल बैठना है और किनसे नहीं बैठाना, इस संबंध में दिशा इस परिभाषा में नहीं है।

पाँचवीं परिभाषा में शिक्षा का जो अर्थ बताया गया है वह है मनुष्य और उसके समूहों में विवेकीकरण की प्रक्रिया को जगाना और तेज करना। इस परिभाषा में शिक्षा के केंद्र में मनुष्य के साथ ही उसके समूह भी शामिल हैं। साथ ही मनुष्य और उनके समूह में विवेकीकरण की प्रक्रिया को जगाना ही नहीं बल्कि उसको बढ़ाने की भी बात कही गयी है। इस परिभाषा में विवेकीकरण को भी समझाया गया है। विवेकीकरण का अर्थ है "..सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक अंतर्विरोधों को समझना और यथार्थ के उत्पीड़क तत्वों के विरुद्ध, कर्म करना।" इसमें स्पष्ट है कि शिक्षा का काम अंतर्विरोधों को समझने की क्षमता पैदा करना मात्र नहीं है, बल्कि उस समझ का उपयोग उत्पीड़न करने वाले/वाली व्यक्तियों, संरचनाओं, और समूहों के खिलाफ करने के तैयार करना है। इस परिभाषा में शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षित व्यक्ति की जिम्मेदारी के संदर्भ में दिशा है।

उपरोक्त चर्चा से यह समझ में आ जाना चाहिए कि विभिन्न परिभाषाओं में से शिक्षा के अलग-अलग उद्देश्य निकलते हैं। अब सवाल यह उठता है कि शिक्षा के द्वारा शरीर, बुद्धि आदि का विकास करने के प्रस्तावों को संवैधानिक मूल्यों से संदर्भ में किस तरह से समझा जाए ?

2.4.1 शिक्षा के उद्देश्यों के संदर्भ में संवैधानिक मूल्यों की पहचान

आजाद भारत में शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों को परखने का परिप्रेक्ष्य भारत के संविधान ने उपलब्ध करवाया है। संविधान में निहित मूल्य, शिक्षा को साधने और दिशा देने का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करते हैं।
मूल्यों के संख्या बहुत अधिक होती है। मूल्यों के स्रोत अनेक हो सकते हैं। किन स्रोतों से किन मूल्यों को लिए जाना है, इस बात की परख संविधान में दर्ज मूल्यों के आधार पर की जानी चाहिए। भारत के संविधान की उद्देशिका उन व्यापकतर मूल्यों को व्यक्त करती है जो भारतीय राज्य-व्यवस्था और समाज का आधार हैं।
उद्देशिका के अतिरिक्त संविधान का खंड तीन, जिसमें मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं, खंड चार, जिसमें राज्य की नीति के निदेशक तत्व दिये गये हैं, खंड चार क, जिसमें नागरिकों के मूल कर्तव्य दिये गये हैं, ऐसे मूल्यों की चर्चा करते हैं जिनका शिक्षा की रूपरेखा तैयार करने तथा उसके उद्देश्यों को दिशा देने में केन्द्रीय भूमिका है।

2.4.2 शिक्षा के उद्देश्यों से संबंधित, संविधान में दर्ज कुछ मूल्यों की सूची

- लोकतान्त्रिक सोच
- पंथनिरपेक्षता की समझ
- न्याय
- स्वतंत्रता
- समानता
- व्यक्ति की गरिमा को महत्वपूर्ण मानना

- ऐसी बंधुता का विकास करना जो राष्ट्र की एकता और अखण्डता को सुनिश्चित करने वाली हो
- विकास में कमजोर और पिछड़ों को प्राथमिकता देना के विचार को स्वीकार करना
- सामाजिक अन्याय तथा शोषण के विभिन्न रूपों का विरोध करना
- देश की भाषाओँ, लिपियों, तथा संस्कृतियों का सम्मान करना
- संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का आदर करना
- राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करना
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना
- प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करना
- राष्ट्रीय संसाधनों का वितरण इस प्रकार करना, जिससे सर्वोतम रूप में सार्वजानिक हित सधता हो

2.5 संवैधानिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के उद्देश्यों का आलोचनात्मक विश्लेषण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का पेरा 3.4 कहता है कि –"जिन सिद्धाँतों पर राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था की परिकल्पना की गई है वे हमारे संविधान में ही निहित हैं।" यानि भारत में शिक्षा के तमाम उद्देश्यों को संवैधानिक होना होगा। जो उद्देश्य संविधान में दर्ज मूल्यों की कसौटी पर खरे न उतरें उन्हें नहीं अपनाया जा सकता। फिर चाहे उन उद्देश्यों की परंपरा कितनी ही पुरानी क्यों न हो।

संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि "राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।" इस अनुच्छेद से यह पता चलता है कि भारत में जिन भी लोगों ने या समूहों ने शासन किया वे भेदभाव करते रहे हैं। क्योंकि भारत में भेदभाव का इतिहास बहुत पुराना और विस्तार बहुत ज्यादा है इसलिए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि जो भेदभाव के कारण सामाजिक और शैक्षिणिक दृष्टि से पिछड़े रह गये हैं उन्हें आगे बढ़ने के विशेष अवसर दिये जा सकते हैं।

भारत में शिक्षा के लिए जो उद्देश्य अपनाया जाए वह अनुच्छेद 15 के विभिन्न प्रावधानों के खिलाफ न हो। लेकिन बात यहीं नहीं रुकती कि शिक्षा के जरिए भेदभाव को न बढ़ाया जाए, बल्कि उद्देशिका से यह मूल्य निकलता है कि शिक्षा को सामाजिक अन्याय और असमानता के खिलाफ काम करने वाले और वाली नागरिक तैयार करने/करनी है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य भेदभाव करने वाला तो नहीं ही हो, लेकिन उसे भेदभाव करने के तरीकों, समूहों, तथा संरचनाओं को समझने और उनके खिलाफ काम करने में सक्षम बनाने वाला होना चाहिए।

मान लीजिए कि शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास करना है। लेकिन उसकी बुद्धि किस दिशा में सोचेगी ? यह सवाल इसलिए उठाना जरूरी है, क्योंकि भारत के समाजिक-सांस्कृतिक इतिहास में जिन भी लोगों या समूहों ने भेदभाव को रचा वे भी बुद्धि वाले/वाली थे/थीं। इस बात को इस तरह समझा जाए कि यदि कोई व्यक्ति किसी दुसरे व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए गड्ढा खोदता है तो उसमें नुकसान पहुँचाने के तरीकों के संदर्भ में बुद्धि है। वह अपनी बुद्धि का विकास नुकसान पहुँचाने वाले तरीकों की खोज की दिशा में भी कर सकता/सकती है। इसलिए बुद्धि का विकास स्वयं में अपेक्षित नहीं हो सकता। इस उद्देश्य को संवैधानिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में परखना होगा।

भारतीय समाज में एक ओर जहाँ झूठ और अंधविश्वासों को फ़ैलाने के लिए साहित्य और संस्कृति के विभिन्न रूपों का उपयोग किया जाता है, वहीँ दूसरी और हमारे पास झूठ और अंधविश्वास से लड़ने की भी परम्पराएँ हैं। हैं, दोनों ही हमारी विरासतें। सवाल यह है कि किसके विकास को शिक्षा का उद्देश्य बनाया जाए ? इस सवाल का उत्तर ढूंढने में संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों सहित अनुच्छेद 51 हमारी मदद करता है। अनुच्छेद 51, हर नागरिक द्वारा, वैज्ञानिक चिन्तन के विकास को उसका मौलिक कर्तव्य बनाता है।

हमारी उपर्युक्त दो तरह की विरासतों में से ठीक को चुनने के संदर्भ में राष्ट्रीय माध्यमिक आयोग 1952 की निम्नलिखित सलाह हमें हमेशा ध्यान में रखनी होगी।

"लोकतंत्र में नागरिकता की परिभाषा में कई बौद्धिक, सामाजिक व नैतिक गुण शामिल होते हैं: एक लोकतांत्रिक नागरिक में सच को झूठ से अलग छाँटने, प्रचार से तथ्य अलग करने, धर्मांधता और पूर्वग्रहों के खतरनाक आकर्षण को अस्वीकार करने की समझ व बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए ... वह न तो पुराने को इसलिए नकारे क्योंकि वह पुराना है, न ही नए को इसलिए स्वीकार करे क्योंकि वह नया है बल्कि उसे निष्पक्ष रूप से दोनों को परखना चाहिए और साहस से उसको नकार देना चाहिए जो न्याय व प्रगति के बलों को अवरुद्ध करता हो ...।" (राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा- 2005. एन.सी.ई.आर.टी. नयी दिल्लीः 7-8 पर उद्धरित है)।

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, 1964-66 के अनुसार शिक्षा राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक विकास का शक्तिशाली साधन है। शिक्षा राष्ट्रीय संपन्नता एवं राष्ट्र कल्याण की कुंजी है। यदि शिक्षा राष्ट्र के आर्थिक विकास का साधन है तो यह बात समझ में आनी चाहिए कि किसका विकास होगा कि कहा जा सके कि राष्ट्र का विकास हुआ है। यदि देश की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में वृद्धि हो जाती है तो क्या यह मान लेना चाहिए कि राष्ट्र का आर्थिक विकास हो रहा है। "स्वीस ग्लोबल वेल्थ डाटाबुक (Suisse Global Wealth Databooks) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीब और अमीर के बीच खाई बढ़ती ही जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार सन 2000 में भारत में 1% सबसे अमीर लोगों के पास भारत की संम्पति का 36.8% यानि लगभग 37% था। यानि 100 में से 1 व्यक्ति के पास 100 में से 37 रूपये थे। 2010 में उस एक व्यक्ति के पास 100 में से 40 रुपये पहुँचा दिए। 2012 में उस एक के पास 49 रुपये पहुँचा दिए गये। जोकि 2015 में बढ़कर 53 और 2016 में बढ़कर साढ़े अठावन रुपये हो गये।

भारत में सन 2000 में सबसे अमीर 1% के पास 37% पूँजी थी। 2015 में उनके पास 53% हो गयी। 2016 में उन्हीं के पास 58.4% हो गयी। ...वर्तमान में भारत के 90% लोगों के पास भारत की पूँजी का मात्र 19% है।" (रावत, बीरेंद्र सिंह. यूथ की आवाज़)।

यदि भारत सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी होती है, तो क्या इतने भर से मान लेना चाहिए कि राष्ट्र का आर्थिक विकास हो गया है ? संविधान की उद्देशिका में समानता और सामाजिक न्याय दो महत्वपूर्ण मूल्य दिये गये हैं। ऊपर दिये गये आंकड़ों पर एक बार फिर से नजर डाली जाए तो समझ में आएगा कि शिक्षा के माध्यम से जिस आर्थिक विकास की बात कही जा रही है वह तब तक अधूरी है जब तक कि वह संविधान के मूल्यों के अनुकूल ना हो। इसी संदर्भ में इस बात को भी समझना होगा जब यह कहा जा रहा है कि " शिक्षा राष्ट्रीय संपन्नता एवं राष्ट्र कल्याण की कुंजी है।" क्या शिक्षा के माध्यम से हम ऐसे प्रश्न उठा सकते हैं कि किनके कल्याण में राष्ट्र का कल्याण देखा जाएगा ? किनकी संपन्नता को राष्ट्रीय संपन्नता माना जाएगा ?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (संशोधित 1992) में कहा गया है कि शिक्षा, बच्चे के अनुभवों तथा सोचने के तरीकों में संशोधन करने की कोशिश है ताकि उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके तथा राष्ट्र के विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों, जैसे समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, प्रजातंत्र आदि को पूरा करने में योगदान दे सके। यह भारत की संसद द्वारा भारत में दी जाने वाली शिक्षा का घोषित उद्देश्य है। इसके अनुसार शिक्षा,बच्चे और बच्चियों के सोचने के तरीकों में ऐसे संशोधन करने की कोशिश है ताकि वे उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके। शिक्षा के इस उद्देश्य का संबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 A (h) के साथ है। इस अनुच्छेद में कहा गया है की भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने आप में वैज्ञानिक चेतना का विकास करे। वैज्ञानिक चेतना से लेस व्यक्ति के सोचने में एक खासियत यह होती है कि वह भावनाओं के आधार पर नहीं, दिखाये जा सकने वाले तथ्यों के आधार पर योजना बनाता या बनाती है और उन्हीं के आधार पर निर्णय लेती या लेता है। यह गुण लोकतान्त्रिक राष्ट्र के नागरिकों में जरूरी तौर पर होना चाहिए , क्योंकि लोकतंत्र का एक मतलब है बहस, संवाद। और संवाद तथ्यों की ठोस जमीन पर ही किया जा सकता है। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यह उद्देश्य सीधे-सीधे संविधान से निकलता है और हम सबको इस दिशा में सक्रियता से कर्मशील होने की जरूरत है।

किसी भी उद्देश्य को, भले ही वह सुनने-पढ़ने में कितना ही आकर्षक लग रहा हो, संवैधानिक मूल्यों की कसौटी पर परखना बेहद जरूरी है।

एक और उदाहरण से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि कोई कहे कि शिक्षा का "राष्ट्र निर्माण" में सक्रिय भूमिका निभाने वाले और वाली नागरिक तैयार करना है। क्योंकि दुनिया और भारत में "राष्ट्र" की कई संकल्पनाएँ हैं, इसलिए यह सवाल पुछा जाना चाहिए कि "राष्ट्र" निर्माण को शिक्षा का उद्देश्य बताने वाले और वालियों के राष्ट्र की क्या विशेषताएँ हैं ? क्या वे विशेषताएँ भारत के संविधान में दर्ज मूल्यों के अनुकूल हैं या प्रतिकूल ? इसी प्रकार दूसरा सवाल यह उठाया जाना चाहिए कि "राष्ट्र निर्माण" में किन चीजों का किनके

लिए "निर्माण" किया जाएगा ? उस "निर्माण" से देश के नागरिकों के किस तबके को फ़ायदा होगा और किस तबके को नुकसान ? जिस भी चीज का निर्माण होगा वह बाजार के हितों को साधेगा या बहुसंख्य नागरिकों के हितों की रक्षा करेगा ? यहाँ पर हमें संविधान के अनुच्छेद 39(ख) को याद करना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि देश के संसाधनों का इस प्रकार उपयोग किया जाए "जिससे सार्वजनिक हित का सर्वोतम रूप से साधन को" और साथ ही हमें संविधान के अनुच्छेद 39(ग) को याद करना भी जरूरी है कि "आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेन्द्रण न हो"।

हम शिक्षा के जरिये जिस राष्ट्र के निर्माण का जिम्मा शिक्षा को देना चाहते हैं उस राष्ट्र को भारत के संविधान के अनुसार होना होगा।

अभ्यास प्रश्न

1. शिक्षा के कोई तीन उद्देश्य बताइए।
2. किन्हीं पांच संवैधानिक मूल्यों के नाम बताइए।
3. संविधान का अनुच्छेद _____ कहता है कि "राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।"
4. _____के अनुसार, "शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के शरीर, मस्तिष्क या आत्मा में विद्यमान श्रेष्ट तत्वों के पूर्ण विकास से है।"
5. माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार – "शिक्षा बच्चों को व्यावहारिक जीवन जीने की कला सिखाने की प्रक्रिया है"। (सत्य/ असत्य)

2.6 सारांश

शिक्षा के उद्देश्यों से संबंधित "संवैधानिक मूल्यों" की आलोचनात्मक समझ नाम की इस इकाई में में आपने यह पढ़ा कि शिक्षा के उद्देश्यों को चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाना हमारी जिम्मेदारी है कि वे संवैधानिक मूल्यों के अनुकूल हों। आपने यह पढ़ा कि शिक्षा के उद्देश्य अनेक हो सकते हैं। उन उद्देश्यों के स्रोत अनेक हो सकते हैं। उन उद्देश्यों का इतिहास बहुत पुराना हो सकता है, लेकिन भारत में किसी स्तर की शिक्षा के लिए व्यवस्था करते समय हमें उनके पुरानेपन को महत्त्व न देकर, उनके संवैधानिक होने को महत्त्व देना होगा।

2.7 शब्दावली

1. **संविधान:** "किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी सांचा-ढांचा निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है।" (सुभाष काश्यप. हमारा संविधान:1)

2.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. शिक्षा के तीन उद्देश्य निम्नलिखित हो सकते हैं:
   i. शिक्षा देश प्रेमी, चरित्रवान, और विद्वान् नवयुवक (नवयुवती भी) बनाने की प्रक्रिया है – स्वामी श्रद्धानंद।
   ii. शिक्षा का अर्थ है, बच्चे को इस योग्य बना देना कि वह समझ सके कि सत्य क्या है और इसकी खोज कैसे की जाती है - रवीन्द्र नाथ टैगोर।
   iii. शिक्षा व्यक्ति की उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रखकर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सके।
2. समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, पंथनिरपेक्षता, और ऐसी बंधुता जो राष्ट्र की एकता और अखण्डता को सुनिश्चित करने वाली हो।
3. अनुच्छेद 15
4. महात्मा गाँधी
5. सत्य

2.9 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. भारत का संविधान
2. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा- 2005. एन.सी.ई.आर.टी. नयी दिल्ली।
3. फ्रेरे,पाउलो. उत्पीड़ितों का शिक्षाशास्त्र. ग्रन्थ शिल्पी प्रा. लि. नयी-दिल्ली.1997
4. रावत, बीरेंद्र सिंह(2014). सवालों की शिक्षा. यश पब्लिकेशनस. दिल्ली.
5. रावत, बीरेंद्र सिंह(2014). समाज, बच्चे-बच्चियाँ, और शिक्षा. यश पब्लिकेशनस. दिल्ली.
6. रावत, बीरेंद्र सिंह (मई, 2015). राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 में निहित अन्तर्विरोध और सामाजिक बहिष्करण: एक विश्लेषण. अन्वेषिका. खंड 16 (2). राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्. नयी दिल्ली।
7. रावत, बीरेंद्र सिंह (दिसंबर, 2016). Youth Ki Awaaz. http://www.youthkiawaaz.com/
8. सुभाष काश्यप (2014). हमारा संविधान. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत. नयी-दिल्ली.

9. चाँद किरण. शिक्षा: दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय. दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
10. टैगोर, रवीन्द्र नाथ (2013), रवीन्द्रनाथ टैगोर रचनावली, खंड-36, शिक्षा का विस्तार तथा अन्य निबंध. सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन, नयी दिल्ली।

2.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. अपने द्वारा पढ़े गये शैक्षिक उद्देश्यों का संवैधानिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
2. अपने द्वारा पढ़े गये शैक्षिक उद्देश्यों में से किसी एक का चुनाव करके बताइए कि उस उद्देश्य की मंशा का संबंध संवैधानिक मूल्यों के साथ समझाने के लिए आप कौन-कौन से उदाहरण देंगी या देंगे ?
3. किन्हीं दो संवैधानिक मूल्यों का चयन कीजिए और उन मूल्यों पर खरे उतरने वाले किन्हीं तीन शैक्षिक उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए।
4. किन्हीं तीन शैक्षिक उद्देश्य का संवैधानिक मूल्यों के साथ संबंध समझाइए।

इकाई 3 - असमानता ,भेदभाव एवं अपवंचन वर्ग की पहचान तथा इनके उन्मूलन हेतु संवैधानिक प्रावधान

Identification and Detailed Discussion of the Land Mark Attempts Made to Eradicate Inequality,Discrimination,and Marginalization through the various Constitutional Provisions

3.1 प्रस्तावना
3.2 उद्देश्य
3.3 असमानता
3.4 भेदभाव
3.5 असमानता तथा भेदभाव दूर करने हेतु संवैधानिक प्रावधान
3.6 अपवंचन वर्ग
- 3.6.1 महिला
- 3.6.2 लैंगिक असमानता दूर करने हेतु संवैधानिक प्रावधान
- 3.6.3 अनुसूचित जाति
- 3.6.4 अनुसूचित जनजाति
- 3.6.5 अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की सुरक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधान
- 3.6.6 पिछड़ा या अल्पसंख्यक वर्ग
- 3.6.7 संवैधानिक प्रावधान
- 3.6.8 दिव्यांग ,वृद्ध तथा बच्चे
- 3.6.9 संवैधानिक प्रावधान

3.7 सारांश
3.8 शब्दावली
3.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
3.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
3.11 निबंधात्मक प्रश्न

3.1 प्रस्तावना

भारत सरकार ने समानता, सामाजिक न्याय एवं लिंग, जाति, संप्रदाय भाषा या धर्म के आधार पर गैर, भेदभाव पूर्ण नीति की संवैधानिक मान्यता को चरितार्थ करने के लिए इस दिशा में कार्य करने की ओर अपनी वचनबद्धता की पुनः पुष्टि की है। वास्तव में आज की सबसे बड़ी जरुरत है कि हम भारत के लोग, संविधान को पढ़े, जाने और उसमें अपना विश्वास प्रगाढ़ करें।

कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत संविधान सभा की स्थापना की गई थी। डाo राजेन्द्र प्रसाद सर्वसम्मति से संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। तथा डाo बीo आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान निर्माण के समय इस बात का पूरा ध्यान रखा कि देश को ऐसी शासन व्यवस्था की आवश्यकता है, जिसमें सभी वर्गों को आगे बढाने के समान अवसर मिल पाएं तथा जो लोग सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनैतिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उन्हें विशेष सुविधाएँ देकर उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सके ताकि वे सभी ससम्मान जीवन यापन कर सकें। उनके अनुसार मौलिक अधिकारों का संरक्षण कुशल शासन द्वारा होना चाहिए । जिसमें सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के अपने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक लक्ष्यों की प्राप्ति संवैधानिक ढंग से करनी चाहिए , हिंसात्मक तरीकों से नहीं।

भारतीय संविधान में सभी वर्गों को सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाने तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समाज के उपेक्षित और शोषित लोगों के लिए कुछ विशेष उपबंध अधिकृत किए गए हैं। साथ साथ अल्पसंख्यकों के लिए भी कुछ विशेष प्रावधान किए गए है। संविधान के भाग- 16 में अनुच्छेद- 330 से लेकर -342 तक कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं।

प्रस्तुत इकाई में हम समाज के विभिन्न वर्गों के समान अधिकारों के विषय में दिए गए संवैधानिक अधिकारों के विषय में पढ़ेगें।

3.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप-

1. असमानता का अर्थ समझ सकेंगे तथा उसे कम करने हेतु संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन कर सकेंगे।
2. भेदभाव के कारणों को जान पाएंगे।
3. अपवंचन वर्ग तथा उसके अंतर्गत आने वाले वर्गों को समझ सकेंगे। तथा उनकी सुरक्षा हेतु किए गए संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन कर सकेंगे।

3.3 असमानता

प्रत्येक राष्ट्र का यह नैतिक दायित्व है कि वह बिना किसी भेदभाव के अपने नागरिकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करें । प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विकास के समान मौके मिलने चाहिए । भारत में असमानता के कई कारण हैं । व्यक्तियों की भिन्न –भिन्न भाषा ,जाति, जीवन यापन करने का तरीका, आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर आदि असमानता उत्पन्न करते हैं जैसे -शिक्षा में असमानता कई कारणों से पैदा होती है । दूसरे शब्दों में, इसका तात्पर्य राज्य द्वारा व्यक्तियों की शिक्षा के सन्दर्भ में जाति, रूप, रंग, प्रान्तीयता एवं भाषा, धर्म आदि के बीच भेदभाव करने से है। शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में अधिक असमानता दिखाई देती है । शैक्षिक असमानता के कुछ मुख्य कारक निम्न है –

1. **निर्धनता** – शिक्षा में असमानता का एक मुख्य कारण यह है, कि जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग गरीब है और बहुत थोडा भाग धनी । किसी शिक्षा संस्था के समीप होते हुए भी गरीब परिवारों के बच्चों को यह अवसर नहीं मिलता जो धनी परिवारों के बच्चों को मिल जाता है ।
2. **अवसर का अभाव** – जिन स्थानों पर प्राथमिक, माध्यमिक या कॉलेज की शिक्षा देने वाली संस्थाएं नही है । वहां के बच्चों को वैसा अवसर नहीं मिल पाता जैसा उन बच्चों को मिल पाता है जिनके शहर में या गांव में विद्यालय या कॉलेज हैं ।
3. **वातावरण** – बालकों के परिवारों में भिन्न-भिन्न जीवन स्तर होता है। लड़कियों के साथ भेदभाव की स्थिति, नगरीय व ग्रामीण वातावरण भी शिक्षा में असमानता पैदा करता है । ग्रामीण या देहात के घर या शहर की गन्दी बस्तियों में रहने वाले तथा अनपढ़ माता- पिता की संतान को शिक्षा पाने का वह अवसर नहीं मिलता जो उच्च शिक्षा पाए हुए माता -पिता के साथ रहने वाली उनकी संतान को मिलता है ।
4. **सामाजिक स्तरीकरण** – भारतीय समाज बेहद स्तरीकृत है । जाति प्रणाली इसका ढांचा है । अलग –अलग जाति होने के कारण समाज में असमानता उत्पन्न होती है ।
5. भारतीय परिवेश ने शैक्षिक विषमता के दो रूपों को और जन्म दिया है -
    i. शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर और क्षेत्रों में बालक और बालिकाओं की शिक्षा में भारी अंतर होना ।
    ii. उन्नत वर्गों और पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के बीच शैक्षिक विकास का अंतर ।

शैक्षिक असमानता को दूर करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में समानता की अवधारणा को स्थापित करने के लिए निम्लिखित प्रयास किए गए हैं -

i. एक निश्चित अवधि तक भेदभाव रहित निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था ।
ii. माध्यमिक स्तर पर विभिन्नीकृत पाठ्यक्रम व्यवस्था ।

iii. उच्च स्तर पर सभी के लिए अपेक्षित शैक्षित उन्नति की व्यवस्था ताकि वे उचित योगदान देने में सक्षम हो सकें।

3.4 भेदभाव

किसी व्यक्ति या अन्य चीज के पक्ष में या उसके विरुद्ध उसके व्यक्तिगत गुणों अवगुणों को न देखते हुए उसके किसी वर्ग श्रेणी या समूह का सदस्य होने के आधार पर भेद करने की प्रक्रिया को भेदभाव कहते हैं। भेदभाव से तात्पर्य है, असमान एवं विभिन्न प्रकार के कार्य जिससे निचले या पिछड़े वर्ग को शोषित किया जा सके। भेदभाव से तात्पर्य किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करना होता है। इस आधार पर कि वो दूसरों से भिन्न है, या उनमें कुछ ऐसे अभिलक्षणिक गुण है जो उन्हें बाकी आम लोगो से अलग करते हैं ।

भेदभाव निम्न अभिलक्षणिक गुणों के कारण होता है। इन अभिलक्षणिक गुणों को समानता अधिनियम 2010 के तहत भेदभाव का मुख्य कारण माना गया है। जो निम्न हैं -

- उम्र
- लिंग
- रेस
- दिव्यांगता
- धर्म

भेदभाव के प्रकार :- भेदभाव मुख्यतः निम्न प्रकार का होता है।

- **प्रत्यक्ष भेदभाव** – यदि किसी व्यक्ति को दिए गए कार्यों के आधार पर दूसरों के तुलना में उनके स्तर को सम्मान नहीं दिया जाता है, तो इसे प्रत्यक्ष भेदभाव कहते हैं । जैसे – यदि आप किसी कार्य के लिए पूर्णतः अनुकूल हैं लेकिन आपको किसी भी कारण से जो बिलुकल महत्वपूर्ण नहीं है। उसकी वजह से उस कार्य से वंचित कर दिया जाय तब कह सकते हैं कि आपके साथ प्रत्यक्ष भेदभाव हुआ है।जैसे- कुछ ज्यादा ही जवान या ज्यादा ही उम्र दराज होने की वजह से।
- **अप्रत्यक्ष भेदभाव** – यदि किसी नियम या पॉलिसी को किसी संस्थान में लागू करने से यदि उस संस्थान के किसी वर्ग विशेष को नुकसान होता है, तो उसे अप्रत्यक्ष भेदभाव कहते हैं। जैसे- यदि किसी नियम के अंतर्गत एक वर्ग को रविवार में कार्य करना अनिवार्य कर दिया जाए यह जानते हुए कि ईसाई समुदाय के अनुसार रविवार को उनकी पूजा करने का दिन है, तो यह अप्रत्यक्ष भेदभाव है।
- **मित्रता या संबंध के कारण भेदभाव** – यदि किसी व्यक्ति के साथ इस आधार पर भेद भाव किया जा रहा है, कि उसके संबंध या मित्रता उस व्यक्ति के साथ है जो समानता अधिनियम 2010 के तहत

भेदभाव के अंतर्गत आते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति के साथ कार्यस्थल पर भेदभाव इस आधार पर किया जा रहा हो, कि उसकी मित्रता निचली जाति के व्यक्ति से है।

- **धारणा के कारण भेदभाव** – कभी-कभी किसी व्यक्ति के लिए दूसरे लोग किसी तरह की गलत धारणा बना लेते हैं, जिस कारण से भेदभाव होता है। जैसे- यदि किसी व्यक्ति का पहनावा आम व्यक्तियों के अनुसार न हो तो उसके बारे गलत धारणाएं बन जाती हैं, और लोगों के द्वारा उसके साथ भेद भाव होता है।
- **शोषण** – शोषण का तात्पर्य ऐसे अनचाहे व्यवहार से होता है जिससे व्यक्ति शर्मिंदगी महसूस करे। जैसे- किसी स्त्री के साथ पुरुष प्रधान संस्थान में अपमानजनक व्यवहार किया जाना शोषण का उदाहरण है।
- जब कोई व्यक्ति किसी संस्थान में या कार्य स्थल पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किए जाने का विरोध करता है, या उसके खिलाफ आवाज उठता है तो उस व्यक्ति के साथ भेदभाव होना। जैसे- योग्यता में सम्पूर्ण होने पर भी कार्यस्थल में तरक्की का न मिलना सिर्फ इसलिए की उसने वहाँ होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई है।

  भेदभाव में अक्सर किसी व्यक्ति को केवल उसके वर्ग के आधार पर अवसरों, स्थानों, अधिकारों और अन्य चीजों से वंचित कर दिया जाता है। भेदभावी परम्पराएँ, नीतियाँ, विचार, कानून और रीतियां बहुत से समाजों, देशों और संस्थाओं में हैं और अक्सर यह वहाँ भी मिलती है जहाँ औपचारिक रूप से भेदभाव को न्यायिक रूप से वर्जित या औचित्य समझा जाता है। भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा को प्राप्य मूल्यों के रूप में दर्शाया गया है। हमारा संविधान जाति, वर्ग, धर्म, आय एवं लैंगिक आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है।

3.5 असमानता तथा भेदभाव को दूर करने हेतु संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत निम्न बातें नागरिकों को प्रदान की गई हैं –

1. संविधान ऐसी व्यवस्था को जन्म देगा जिसमें सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा।
2. संविधान सभी व्यक्तियों को प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्रदान करेगा।

उपर्युक्त को प्राप्त करने हेतु संविधान में निम्न प्रावधान दिए गए हैं -

1. सभी व्यस्कों को मताधिकार प्रदान किया गया है।
2. विधि के समक्ष समता (अनुच्छेद -14) प्रदान की गई है।
3. सार्वजनिक नौकरियों के सम्बन्ध में अवसर की समानता (अनु०-16) में प्रदान की गई है।

4. अनुच्छेद-15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव किसी भी भारतीय नागरिक के साथ नहीं बरता जाएगा।
5. अनुच्छेद-16 सरकारी नौकरियाँ सभी के लिए खुली होंगी तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष सुविधाएँ सुरक्षित स्थानों के रूप में होंगी।
6. अनुच्छेद-14 प्रत्येक भारतीय नागरिक को व्यवसाय या धंधा करने का अधिकार होगा।
7. अनुच्छेद-28 शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के मामले में कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं बरता जाएगा।

- संविधान के चौथे भाग में अनु० -36 से लेकर अनु० -51 तक कुछ सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है। ये वे सिद्धांत हैं जिन पर भारत की भावी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक निति निर्धारित होगी। संविधान के इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी फिर भी कानून निर्माण में इन सिद्धान्तों का प्रयोग राज्य का कर्तव्य होगा। इन सिद्धान्तों में कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं जो समता की ओर बढ़ाने में सहायक हैं।
- अनुच्छेद 25-हिन्दुओं की सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं को समस्त हिन्दुओं के लिए खोलना।
- अनुच्छेद 29- राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में या वित्तपोषित शैक्षिक संस्थाओं को, प्रवेश देते समय किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव करने से भी रोकता है।
- अनुच्छेद 46- इन जातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा और उनका सभी प्रकार के शोषण और सामाजिक अन्याय से बचाव।
- अनुच्छेद 146- केंद्र व राज्यों में अछूतों के कल्याण हेतु समाज कल्याण एवं अशासकीय संस्थाओं को खोलने पर बल दिया जाता है।
- अनुच्छेद 244- अनुसूचित जातियों के लिए प्रशासन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था की गई है।
- अनुच्छेद 45- राज्य संविधान के लागू होने से 10 वर्ष की अवधि के भीतर 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद -45 में प्रावधान है कि लोकतंत्र को सफल बनाने तथा उसकी सुरक्षा के लिए सभी नागरिकों का शिक्षित होना अति आवश्यक है।

अभ्यास प्रश्न

1. संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्य द्वारा संचालित किसी शिक्षा संस्था में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव किसी भी भारतीय नागरिक के साथ नहीं बरता जाएगा।
2. सार्वजनिक नौकरियों के सम्बन्ध में अवसर की समानता _____ में प्रदान की गई है।

3. समानता अधिनियम 2010 के तहत भेदभाव के मुख्य कारण किन्हें माना गया है।
4. संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्य संविधान के लागू होने से 10 वर्ष की अवधि के भीतर 6 से 14 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करने का प्रयास करेगा।

3.6 अपवंचन वर्ग

अपवंचन वर्ग से तात्पर्य ऐसे वर्ग से है। जिसे मुख्य धारा से अलग कर दिया जाता है। समाज का एक वर्ग आज भी हासिए पर है। इसका निहितार्थ उस वर्ग से है, जो दबा कुचला है, और सदियों से अभाव का जीवन व्यतीत कर रहा है। इसी वजह से यह वर्ग वर्तमान समाज में अन्य वर्गों की बराबरी नहीं कर सकता। इन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। यही कारण है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी जबकि देश विकास के मार्ग में उन्मुख है, यह वर्ग बहुत ही दयनीय स्थिति में है। लम्बे समय से सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक रूप से अभावग्रस्त रहने के कारण समाज की मुख्य धारा से अलग हटकर यह वर्ग हासिए पर चला गया है। इसलिए संविधान में ऐसे लोगों के लिए कानून बना ताकि ये लोग भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। हमारे समाज में कुछ अपवंचित वर्ग हैं। जिनका वर्णन निम्न है।

1. महिला
2. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग
3. अक्षम व्यक्ति, बच्चे एवं वृद्ध

3.6.1 महिला

यद्यपि भारतीय संविधान सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता की गारंटी प्रदान करता है, तथापि सदियों से महिलाएं निम्न स्थिति का शिकार होती आई हैं, भारत सरकार ने समानता, सामाजिक न्याय एवं लिंग, जाति, सम्प्रदाय, भाषा या धर्म के आधार पर गैर भेदभावपूर्ण नीति की संवैधानिक मान्यता को चरितार्थ करने के लिए इस दिशा में कार्य करने की ओर अपनी वचनबद्धता की पुनः पुष्टि की है। वैश्विक विकास के परिदृश्य में महिलाओं की निम्न स्थिति, पितृसत्तात्मक समाज, सामंती प्रथाओं एवं मूल्यों, जातिगत रेखाओं के साथ-साथ सामाजिक ध्रुवीकरण उच्च निरक्षरता दर एवं व्यापक निर्धनता का भारत लगभग सामानांतर रहा है। परन्तु वास्तव में सच्चाई यह है कि भारतीय समाज में लड़कियों एवं स्त्रियों को एक बोझ माना जाता है। महिलाओं के इतिहास की सबसे विशाल क्रांति मध्य काल में हुई है। आज वर्तमान में महिलाओं की पहुच संसद, न्यायालयों तथा प्रत्येक गलियों में है।

3.6.2 लैंगिक असमानता दूर करने हेतु संवैधानिक प्रावधान

लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए भारतीय संविधान ने अनेक सकारात्मक कदम उठाए हैं। संविधान की प्रस्तावना हर किसी के लिए सामाजिक, राजनितिक न्याय प्राप्त करने के लक्ष्यों के साथ ही अपने सभी नागरिकों के लिए स्तर की समानता और अवसर प्राप्त करने के बारे में कहते है। भारतीय संविधान ने नारी को समकक्षता प्रदान करते हुए घोषित किया है "राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा"।

- अनुछेद 14 – संविधान के अनुच्छेद-14 में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव समाप्त करने और महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अवसर दिलाने की बात कही गई है। इसके अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगी। भारतीय संविधान लिंग की समानता की गारंटी देता है, और वह वास्तव में महिलाओं के लिए विशेष रियायतें भी प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 15 - अनुच्छेद 15 में लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोकने की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद -15 में राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की छूट दी गई है।
- अनुच्छेद 16- में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को भी पुरूषों के बराबर अवसर दिलाने की बात कही गई है। इसके अनुसार कोई भी नागरिक वंश, जाति, जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर सरकारी नियुक्तियों के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। राज्य के अन्तर्गत रोजगार अथवा सरकारी नियुक्तियों के लिए सभी नागरिकों को बराबर के मौके मिलेंगे।
- अनुच्छेद 39 (1) - अनुच्छेद 39 (1) में राज्य से अपेक्षा की गई है, कि वह स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा। अर्थात सरकार ऐसी योजनाएं बनाए जिससे महिलाओं को भी रोजगार प्राप्त हो।
- अनुच्छेद 39 (4) - अनुच्छेद 39 (4) के अनुसार सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी होगी जिससे की पुरुष और महिलाओं दोनों को समान काम के लिए समान वेतन मिले।
- अनुच्छेद 39(5) – इस नीति निर्देशक तत्व के अनुसार सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे की काम करने वाले मजदूरों, श्रमिकों, पुरुष तथा महिलाओं के सेहत और सामर्थ्य का तथा बच्चों के कोमल बचपन का शोषण न हो और नागरिकों को अपनी गरीबी के कारण ऐसे काम न चुनने पड़े की, उनके उम्र और सेहत के अनुकूल न हो।
- अनुच्छेद 51ए(ई) में प्रत्येक नागरिक को यह दायित्व सौपा है, कि वह महिलाओं की मान मर्यादा को कम करने वाला कोई कार्य न करें।
- अनुच्छेद 44 – का संबंध भारत के सभी नागरिकों से है। संविधान जाति, पंथ,लिंग या धर्म के आधार पर नहीं, अपितु जन्म, निवास स्थान, चयन आदि के आधार पर नागरिकता प्रदान करता

है। अतः यह सभी नागरिकों और विशेषकर महिलाओं का अधिकार है कि उनके साथ बिना किसी भेद भाव के समान व्यवहार किया जाए और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्य के प्रयास सतत एवं सर्वोपरी होने चाहिए ।

3.6.3 अनुसूचित जाति

भारतीय समाज में दलित या अनुसूचित जाति सबसे बड़ा वर्ग है। भारतीय सामाजिक ढांचे में जाति अवश्य ही एक निर्णायक मानदण्ड रही है। जाति प्रथा, पुरातन समय की वर्ण व्यवस्था का एक परिष्कृत रूप है। धीरे-धीरे यह समाज में कई तरह के विभाजन का कारण बनी और महज भारतीय सभ्यता के सबसे क्रूर और अमानवीय लक्षण के रूप में सामने आई। सदियों से भारतीय समाज सैकड़ों जाति और उपजातियों में क्रमानुसार उच्चतर से निम्नतर प्रणाली में विभाजित है। दलित हजारों वर्षों तक अस्पृश्य या अछूत समझी जाने वाली उन तमाम शोषित जातियों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त होता है जो हिन्दू धर्म शास्त्रों द्वारा हिन्दू समाज व्यवस्था में सबसे नीचे है। संवैधानिक भाषा में इन्हें ही अनुसूचित जाति कहा गया है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसँख्या में लगभग 16.6 % या 20.14 करोड़ आबादी दलितों की है। भारत में दलित आंदोलनों का सूत्रपात ज्योतिराव गोविन्द राव फूले ने किया था। लेकिन इसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर ने किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले देश में दलितों के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की पैरवी की। अम्बेडकर के प्रयासों का ही ये परिणाम है, कि दलितों के अधिकारों को भारतीय संविधान में जगह दी गई तथा संविधान के मौलिक अधिकारों के जरिए भी दलितों के अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश की गई। हमारे संविधान में अनुसूचित जाति की परिभाषा केवल और केवल धर्म पर आधारित है। इसलिए इस्लाम, ईसाई व अन्य धर्म मानने वाले इससे बाहर है। यद्यपि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है और संविधान का अनुच्छेद यह भी कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात, राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टी से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्ही वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगी।

3.6.4 अनुसूचित जन जाति या आदिवासी समुदाय

आदिवासी शब्द दो शब्दों आदि और वासी से मिल कर बना है, इसका अर्थ मूल निवासी होता है। भारत की जनसंख्या का 8.6% (10 करोड़) जितना एक बड़ा हिस्सा आदिवासियों का है। पुरातन लेखों में आदिवासियों को अत्विका और वनवासी भी कहा गया है। संविधान में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति पद का उपयोग किया गया है। भारत के प्रमुख आदिवासी समुदायों में संथाल , गोंडा, मुंडा, खड़िया हो, बोडो, भील, खासी, सहरीया, गरासिया, मीणा, उरांव, बीरहोर आदि हैं।

प्रजातीय आधार पर भारतीय कबीलों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी में मंगोलीय मूल के नागा, कूकी, गारो तथा असमी कबीले या अल्मोड़ा जिले के भोटिया आदि काबिले आते हैं। दूसरी क्षेणी के अंतर्गत मुंडा, संथाल, कोरवा आदि पूरा आस्टेलीय कबीले और तीसरी

श्रेणी में विशुद्ध आर्य मूल के निचले हिमालय वासी खस काबिले या हिंद आर्य रक्त की प्रधानता लिए किन्तु मिश्रित प्रकार के भील आदि आते हैं।

आमतौर पर आदिवासियों को भारत में जनजातीय लोगों के रूप में जाना जाता है। आदिवासी मुख्य रूप से भारतीय राज्यों उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक है जबकि भारतीय पूर्वोतर राज्यों में यह बहुसंख्यक हैं, जैसे- मिजोरम। भारत सरकार ने इन्हें भारत के संविधान की पाँचवी अनुसूची में "अनुसूचित जन जातियों" के रूप में मान्यता दी है। अक्सर इन्हें अनुसूचित जातियों के साथ एक ही सकारात्मक कारवाही के उपायों के लिए पात्र है।

3.6.5 अनुसूचित जाति तथा जनजातियों की सुरक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधान

संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और सामाजिक कमियों को दूर करने के लिए सुरक्षा और संरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके लिए इन वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, या फिर नागरिक के रूप में उनके सामान्य अधिकारों पर बल दिया गया है, और उन्हें सुरक्षाएं प्रदान की गई हैं।

- अनुच्छेद 15 के खंड (3) तथा (4) के अनुसार राज्य को क्रमशः स्त्रियों तथा बच्चों के लिए और सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के कुछ वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार होगा।
- अनुच्छेद 46- के अनुसार "राज्य जनता के निर्बल वर्गों के विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा। तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।
- अनुच्छेद 330 – के अनुसार "लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण होगा"।
- अनुच्छेद 332 – के अनुसार "प्रत्येक राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों और असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। असम राज्य की विधान सभा में स्वशासी जिलों के लिए भी स्थान आरक्षित रहेंगे।
- अनुच्छेद 335 – के अनुसार "संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से सम्बंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा"।

- अनुछेद 338 – के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए एक आयोग होगा जो "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से जाना जाएगा" । आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह –
  - क. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित सेवाओं के कार्यकाल का मूल्यांकन करें।
  - ख. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को उनके अधिकार तथा रक्षा के उपायों से वंचित करने की बाबत विनिर्दिष्ट शिकायतों की जाँच करें।
  - ग. अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लें तथा उन पर सलाह दें तथा संघ एवं राज्यों में उनके विकास की प्रगति की समीक्षा करें।
  - घ. सुरक्षा के उपायों के क्रियान्वयन के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदान करें।
  - ङ. प्रतिवेदनों में ऐसे उपाय सुझाएँ जिन्हें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के संरक्षण, कल्याण एवं सामाजिक आर्थिक विकास के क्रियान्वयन के लिए संघ या राज्यों द्वारा लागू किया जा सके।
  - च. अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियों के संरक्षण कल्याण विकास एवं उन्नयन के संबंध में अन्य ऐसे कृत्यों का निर्वहन करें जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

- अनुछेद 339 – के अनुसार "राष्ट्रपति राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन के लिए आयोग की नियुक्ति, आदेश द्वारा किसी भी समय कर सकेगा और इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर करेगा।

- अनुछेद 340 (1) – राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं के, जिन कठिनाइयों को वे झेल रहे हैं ,उनके अन्वेषण के लिए और इन कठिनाइयों को दूर करने तथा उनकी दशा को सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान किए जाने चाहिए और जिन शर्तों के अधीन वे अनुदान किए जाने चाहिए उनके बारे में सिफारिश करने के लिए आदेश द्वारा एक आयोग नियुक्त कर सकेगा जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो वह ठीक समझे और ऐसे आयोग को नियुक्त करने वाले आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।

- अनुच्छेद 341 (1) – के अनुसार "राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य के क्षेत्र के संबंध में और जहाँ वह राज्य है वहा उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना के द्वारा उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों अथवा जातियों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट

सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति, उस राज्य या संघीय क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियां समझा जाएगा।

(2) संसद, विधि द्वारा किसी जाति या मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नही किया जाएगा।

- अनुच्छेद 342(1) के अनुसार- "राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में और जहाँ वह राज्य है वहाँ उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए (यथास्थिति) उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियाँ समझा जाएगा।

(2) संसद विधि द्वारा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें के यूथ को (खंड 1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उनमें से अपवर्तित कर सकेगी किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नही किया जाएगा।

अनुसूचित जाति तथा जनजाति -

1. अनुच्छेद 17- छुआछूत दूर करना और किसी भी रूप में इस कुप्रथा पर प्रतिबन्ध लगाना।
2. अनुच्छेद 46- शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना तथा सामाजिक अन्याय और हर तरह के शोषण से उनकी सुरक्षा करना।
3. अनुच्छेद 15(2) – दुकानों सार्वजानिक भोजनालयों, होटलों तथा सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों में प्रवेश अथवा पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य निधि से पोषित अथवा आम जनता के लिए कुओं, तालाबों, स्नानघरों, सड़कों सार्वजानिक स्थलों के उपयोग के बारे में किसी भी प्रकार के प्रतिबन्ध, शर्त अयोग्यता या दायित्व को हटाना।
4. अनुच्छेद 19(5) – अनुसूचित जनजातियों के हितों की दृष्टि से सभी नागरिकों के स्वतंत्रता पूर्वक आने-जाने बसने और संपत्ति अर्जित करने के आम अधिकारों में कमी करने की क़ानूनी व्यवस्था करना।
5. अनुच्छेद 29(2) – राज्य द्वारा चलाई जा रही या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश पर किसी भी तरह के प्रतिबन्ध का निषेध।

6. अनुच्छेद (16) और 335– सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों एवं अपर्याप्त प्रतिनिधित्व की स्थिति में राज्य को आरक्षण का अधिकार देना तथा राज्य को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों पर ध्यान देने की जिम्मेदारी सौपना।
7. अनुच्छेद- 244 और पाँचवी तथा छठी अनुसूची अनुसूचित और जनजातीय इलाकों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था करना।

3.6.6 पिछड़ा या अल्पसंख्यक वर्ग

अल्पसंख्यक समुदाय किसी राज्य की जनसंख्या का एक छोटा हिस्सा होता है। जिसका जातीय,धार्मिक या भाषाई चरित्र राज्य की शेष जनसंख्या से भिन्न होता है। और यह अपनी संस्कृति, परम्परा, धर्म एवं भाषा को बनाए रखने के लिए एक जुव्ता का परिचय देता है। इस प्रकार भारतीय सन्दर्भ में धार्मिक अल्पसंख्यक विभिन्न गैर हिन्दू समुदाय के रूप में पाए जाते है।असम और पश्चिम बंगाल जैसे–राज्यों में जातीय अल्पसंख्यक होते हैं तथा पंजाब, जम्मू कश्मीर और विभिन्न दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी भाषी समुदाय भाषाई अल्पसंख्यक है। तथा भारत के हिंदी भाषी क्षेत्रों में गैर हिंदी भाषी समुदाय भाषाई अल्पसंख्यक माने जाते है।

सैद्धांतिक रूप से समानता का अधिकार अल्पसंख्यक समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि जातीय, धार्मिक या भाषाई भिन्नता अल्पसंख्यकों के विरूद्ध भेदभाव का आधार नहीं बन सकता। साथ ही साथ अपने जातीय, धार्मिक एवं भाषाई चरित्र को बचाने एवं उसके विकास के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष अधिकार की आवश्यकता है। अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति, धर्म और भाषा का पालन करने हेतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र है।

3.6.7 संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 29(1) - इसके अनुसार देश के किसी भी हिस्से में रह रहे किसी भी नागरिक को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बचाकर रखने का अधिकार है।
- अनुच्छेद 29 (2) - सरकारी धन से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में केवल धर्म, प्रजाति जाति भाषा या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव करने से राज्य को प्रतिबंधित करता है।
- अनुच्छेद 30(1) - के अनुसार धार्मिक या भाषाई, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छानुसार शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार है।
- अनुच्छेद 30 (2) - के अनुसार किसी भी शैक्षणिक संस्था को आर्थिक मदद देने में राज्य इस कारण से कोई भेदभाव नहीं करेगा कि वह किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा संचालित है।

भारतीय संविधान निर्माण के समय चार आधारभूत मूल्य शामिल किए गए थे-

1. सामाजिक
2. आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, श्रद्धा और उपासना का स्वातन्त्र्य
3. सामाजिक स्थिति और अवसर की समानता
4. सभी भारतीयों के प्रति बंधुत्व भाव।

भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव का निषेध किया गया संविधान की धारा 15.1 में कहा गया है कि "केवल धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग और जन्म स्थान के आधारों अथवा इनमे से किसी भी आधार पर राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध भेदभाव का व्यवहार नहीं करेगा।"

धारा 15.4 में पिछड़ी तथा अनुसूचित जातियों के लाभ के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों अथवा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष विधानों के निर्माण में,यह अनुच्छेद अथवा अनुच्छेद 29.2 निषेध नहीं करेगा।

3.6.8 दिव्यांग ,वृद्ध तथा बच्चे

वृद्ध तथा बच्चे किसी भी सामाजिक एवं शैक्षिक प्रणाली की परिपक्वता की महत्वपूर्ण कसौटी है कि वह समाज अपने दिव्यांग सदस्यों की ओर कितना ध्यान देता है। यही कारण है कि शैक्षिक नवाचारों के माध्यम से शिक्षा जगत में सुधार लाया जा रहा है। जिसके लिए दिव्यांग बच्चों के लिए सहायताओं, नवीन उपकरणों व यंत्रों व नवीन प्रणालियों को विकसित रूप प्रदान किया जा रहा है। सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय पुनरुत्थान और विकास की सबसे पहली आवश्यकता है शिक्षा का समुचित प्रचार व प्रसार एवं मानव संसाधन का विकास। संसार के सभी देशों में दिव्यांग बालकों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए समानता, न्याय व गरिमा सुनिश्चित करता है। और स्पष्ट रूप से यह दिव्यांग व्यक्तियोंसमेत एक संयुक्त समाज बनाने पर जोर डालता है।हाल के वर्षों में दिव्यांगों के प्रति समाज का नजरिया तेजी से बदला है। यह माना जाता है कि यदि दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर तथा प्रभावी पुनर्वास की सुविधा मिले तो वे बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं।

3.6.9 संवैधानिक प्रावधान

धारा -1 सभी मानव स्वतंत्र जन्म लेते हैं और अधिकार तथा प्रतिष्ठा की दृष्टि से समान होते हैं। सभी को एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना रखनी चाहिए ।

दिव्यांगता मनुष्य में शारीरिक कमी तो लाती है जिससे मनुष्य के मन में इसका प्रभाव पड़ता है लेकिन केवल दिव्यांगता के आधार पर हम किसी व्यक्ति या बालक को कमजोर मानना या उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर देना अन्यायपूर्ण है। इस प्रकार दिव्यांग या दिव्यांग व्यक्तियों को भी समान भाव

दिया जाना आवश्यक है। भारत का संविधान सभी नागरिकों पर एक सा लागू होता है चाहे वो सामान्य हो या दिव्यांग। भारतीय संविधान के अंतर्गत जाति धर्म, लिंग, सम्प्रदाय आदि के आधार पर किसी किस्म का भेद भाव नहीं होता।

मूल संविधान में वृद्धों, दिव्यांगों तथा बच्चों आदि के लिए अलग से प्रावधान नहीं किए गए हैं ।

संविधान में दिव्यांगों को निम्न अधिकार प्राप्त है :-

1. सामान्य लोगों की तरह दिव्यांगों को भी सोचने, विचार करने अभिव्यक्ति करने धार्मिक मान्यता रखने आदि का अधिकार समान अवसर का अधिकार प्राप्त है।
2. संविधान की धारा 15(1) के अनुसार दिव्यांगों सहित किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, मूल, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है।
3. संविधान की धारा 15(2) के तहत किसी भी व्यक्ति (चाहे वह दिव्यांग क्यों ना हो) को किसी सार्वजानिक स्थल, दुकान, होटल, रेस्तरां, मनोरंजन स्थल पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। उसे कुआँ, स्नानघर, सड़क या किसी भी सार्वजनिक सुविधा के प्रयोग से वंचित नहीं किया जा सकता है।
4. धारा -17 के अनुसार दिव्यांगों सहित कोई भी व्यक्ति अस्पृश्य नहीं माना जाएगा। छुआछूत अपराध माना जाएगा।
5. धारा -21 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जीने का और स्वतंत्रता का अधिकार है।
6. धारा -24 के तहत बालकों से काम लेना चाहे वह स्वस्थ हो या दिव्यांग निषिद्ध है। 14 वर्ष से काम आयु का बालक किसी फैक्ट्री खान या किसी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। कोई निजि ठेकेदार भी किसी 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को काम पर नहीं रख सकता है।
7. संविधान की धारा -29(2) के अनुसार सरकार द्वारा स्थापित या प्रबंधित या सरकारी सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में जाति धर्म, भाषा, सम्प्रदाय आदि के आधार पर प्रवेश में किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस प्रकार किसी दिव्यांग को दिव्यांगता के कारण प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।
8. संविधान की धारा -45 के अनुसार सरकार का दायित्व है कि वह 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। कोई भी शिक्षण संस्थान दिव्यांगों को प्रवेश देने में भेदभाव नहीं कर सकते हैं और दिव्यांगों को प्रवेश से वंचित भी नहीं कर सकते ।
9. संविधान की धारा- 41 के अनुसार सरकार अपनी आर्थिक सीमाओं और विकास को ध्यान में रखते हुए लोगों को काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और दिव्यांगता के क्षेत्र में सहायता आदि सुनिश्चित कराएगी।

बाल श्रम के खिलाफ संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 24- 14 वर्ष से काम आयु के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री या खान में नौकरी नहीं दी जाएगी।
- अनुच्छेद 39(ड़) – पुरुष तथा स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो, और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो।
- अनुच्छेद 39 (च) – के अनुसार बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और कमजोर व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।
- अनुच्छेद 45 –अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में राज्यों से बालकों के संदर्भ में की गई नितिगन अपेक्षाओं के क्रम में कुछ विशेष कानून अधिनियमित हुए। जैसे – बालक नियोजक अधिनियम, 1938 कारखाना अधिनियम 1948 खान अधिनियम 1952, वाणिज्य पूत परिवहन अधिनियम, 1938 बीडी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम 1966 आदि।

अभ्यास प्रश्न

5. संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार "लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण होगा"।
6. संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए एक आयोग होगा जो "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से जाना जाएगा"।
7. संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार छुआछूत दूर करना और किसी भी रूप में इस कुप्रथा पर प्रतिबन्ध लगाना।
8. अनुच्छेद _____के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री या खान में नौकरी नहीं दी जाएगी।
9. संविधान की _____के अनुसार सरकार अपनी आर्थिक सीमाओं और विकास को ध्यान में रखते हुए लोगों को काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और दिव्यांगता के क्षेत्र में सहायता आदि सुनिश्चित कराएगी।

3.7 सारांश

भारतीय संविधान में सभी वर्गों को सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाने तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समाज के उपेक्षित और शोषित लोगों के लिए कुछ विशेष उपबंध अधिकृत किए गए हैं। हमारे संविधान में भेदभाव ,तथा असमानता को दूर करने तथा तथा अपवंचित वर्ग की सुरक्षा हेतु कई प्रावधान बनाए गए हैं। प्रस्तुत इकाई में अपवंचित वर्ग के अंतर्गत महिलाओं ,अनुसूचित जाति तथा जनजाति एवं दिव्यांगों तथा वृद्धों को समाज में समान अधिकार दिलाने हेतु एवं शिक्षा ,रोजगार आदि के प्रावधान हैं ,वहीं दिव्यांगों के लिए शिक्षा तथा दिव्यांगों की देखरेख करने एवं उनका पुनर्वास कराने आदि का भी प्रावधान है। संविधान के अंतर्गत बालकों के सन्दर्भ में भी कुछ कानून बनाए गए। जैसे- बालक नियोजक अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, वाणिज्य पूत परिवहन अधिनियम 1938, बीडी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम 1966 आदि।

3.8 शब्दावली

1. **भेदभाव** – किसी व्यक्ति या अन्य चीज के पक्ष में या उसके विरुद्ध उसके व्यक्तिगत गुणों अवगुणों को न देखते हुए उसके किसी वर्ग श्रेणी या समूह का सदस्य होने के आधार पर भेद करने की प्रक्रिया को भेदभाव कहते हैं।
2. **अल्पसंख्यक -** अल्पसंख्यक समुदाय किसी राज्य की जनसंख्या का एक छोटा हिस्सा होता है। जिसका जातीय,धार्मिक या भाषाई चरित्र राज्य की शेष जनसंख्या से भिन्न होता है।
3. **अपवंचन-** जिसे मुख्य धारा से अलग कर दिया जाता है।

3.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. अनुच्छेद-15
2. अनुच्छेद-16
3. समानता अधिनियम 2010 के तहत भेदभाव के मुख्य कारण
   a) उम्र
   b) लिंग
   c) रेस
   d) दिव्यांगता
   e) धर्म

4. अनुच्छेद-45
5. अनुच्छेद -330
6. अनुछेद -338
7. अनुच्छेद -17
8. अनुच्छेद- 24
9. संविधान की धारा- 41

3.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. पाठक ,पी.डी (2011):भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं , आगरा,अग्रवाल पब्लिकेशन।
2. सक्सेना ,एन.आर.स्वरूप एवं शिखा चतुर्वेदी (2012):उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक ,मेरठ ,आर .लाल .बुक. डिपो।
3. पाण्डेय ,रामाशकल(2008):उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक,आगरा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स।
4. मिश्र ,विनोद कुमार (2003):विकलांगों के अधिकार ,नई दिल्ली ,अजीत प्रिंटर्स।
5. www.google.INDIAN CONSTITUTION

3.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. अल्पसंख्यकों को संविधान में क्या सुविधाएं दी गई हैं ?
2. भेदभाव से आप क्या समझते हैं ? यह कितने प्रकार का होता है वर्णन कीजिए।
3. असमानता का क्या अर्थ है ? असमानता दूर करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए ।
4. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति की सुरक्षा हेतु क्या संवैधानिक प्रयास किए गए हैं ? वर्णन कीजिए ।

इकाई 4 - शिक्षा के सार्वभौमिकरण के माध्यम से स्वतन्त्रता, न्याय, समानता और वन्धुत्वता के संवैधानिक वायदों को पूर्ण

Fulfillment of the Constitutional Promise of Freedom, Justice, Equality and Fraternity Through Universalsation of Education

4.1 प्रस्तावना
4.2 उद्देश्य
4.3 स्वतंत्रता एवं शिक्षा
4.3.1 अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिय शिक्षा व विशेष उपबंध
4.4 समानता का अधिकार एवं शिक्षा
4.4.1 संविधान में समानता के सम्बन्ध में प्रावधान
4.5 न्याय व्यवस्था एवं शिक्षा
4.5.1 वन्धुत्वता
4.6 शिक्षा का सार्वभौमीकरण
4.6.1 शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु सरकार प्रयास
4.6.2 सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिय उपाय
4.6.3 ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना
4.7 सारांश
4.8 शब्दावली
4.9 अभ्या स प्रश्नों के उत्तर
4.10 सन्दर्भ ग्रंथ सूची
4.11 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री
4.12 निबंधात्मक प्रश्न

4.1 प्रस्तावना

भारत के लोगो ने एक प्रभुत्वसंपन्न संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अधिकथित किया था। यह सभा अपने देश के राजनैतिक भविष्य को अवधारित करने के लिय सक्षम थी। संविधान की उद्देशिका में 1976 में यथासंशोधित संविधान के ध्येय और उद्देश्यों को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है " हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसंपन समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिय, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिय तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिय दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनाँक 26-11-1949 ई० को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत,अधिनियमित और आत्मार्पित करते है। ये शब्द भारत के लोगों की सर्वोच्च प्रभुता की घोषणा करते है अर्थात राज्य को किसी भी विषय पर विधायन करने की शक्ति है। वह किसी राज्य या बहिय शक्ति के नियंत्रण के अधीन नहीं है।

डॉ भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने संविधान सभा में अपने समापन भाषण में कहा था " यदि राजनीतिक लोकतंत्र का आधार सामाजिक लोकतंत्र नहीं है तो वह नष्ट हो जायगा। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ वह जीवन पद्धति है जो स्वतन्त्रता,समानता और बंधुता को मान्यता देती है, जिसमे ये दोनों अलग-अलग न मानें जाकर त्रिमूर्ति के रूप में जाने जाते है। इस अर्थ में हम एक दुसरे को एक दुसरे से अलग नहीं कर सकते है।" संविधान के द्वारा भारत के सभी वर्गों के बच्चों के लिय शिक्षा की व्यवस्था संविधान में की गयी है। जिनके आधार पर शिक्षा सभी के लिय सुलभ होगी। शिक्षा प्रदान करने में राज्य किसी प्रकार का भेद भाव नहीं कर सकता है। लेकिन राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिय प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक निशुल्क प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त वह इन वर्गों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) के अभिभावकों की आय को जाने बिना के सभी बालकों के लिय छात्रवृतियां भी प्रदान करना राज्य का आवश्यक कर्तव्य होगा। तभी सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है।

4.2 उद्देश्य

1. स्वतंत्रता एवं शिक्षा के सम्बन्ध में अध्ययन कर सकेगें
2. समानता का अधिकार एवं शिक्षा के सम्बन्ध में अध्ययन कर सकेगें
3. न्याय व्यवस्था, वन्धुत्वता एवं शिक्षा के सम्बन्ध में अध्ययन कर सकेगें
4. शिक्षा का सार्वभौमीकरण के सम्बन्ध में अध्ययन कर सकेगें
5. आँपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना के सम्बन्ध में अध्ययन कर सकेगें

4.3 स्वतंत्रता एवं शिक्षा (Freedom and Education)

संविधान में यह निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक राज्य भाषाई, अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मात्रभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गयी है कि वह इस निर्मित राज्य को उचित निर्देश दे। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमे से किसी के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जायगा (अनुच्छेद 29(2))। इसका अर्थ यह हुआ किसी नागरिक के विरुद्ध राज्य द्वारा वित्तपोषित या सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश के विषय में धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर कोई विभेद नहीं जा सकता।

4.3.1 अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिय शिक्षा व विशेष उपबंध

संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिय विशेष उपबंध किए गए है जैसे अनुसूचित जातियों और जनजातियों की उन्नति के लिय किय गए उपबंधों पर (अनुच्छेद 15(4)) अनुच्छेद 15 में अन्तर्विष्ट मूलवंश और इसी प्रकार के अन्य आधारों पर विभेद करने के विरुद्ध साधारण प्रतिबन्ध लागू नहीं होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि राज्य इन जातियों और जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में विशेष उपबंध किए जाते है तो अन्य नागरिक ऐसे उपबंधों कि विधिमान्यता पर इस आधार पर आक्षेप नहीं लगा सकते है कि वे उनके विरुद्ध विभेधकारी है। दूसरी ओर भारत के राज्यक्षेत्र में अबाध संचरण ओर निवास करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है लेकिन अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों की दशा में राज्य उनके हितों की सुरक्षा के लिय विशेष निर्बन्धन अधिरोपित कर सकता है। उदाहरण के लिय उनकी सम्पति के अन्यसंक्रामण या विभाजन को रोकने के लिय वह उपबंध कर सकता है।

अनुच्छेद 46 में यह निर्देश है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया अनुसूचितजातियों और अनुसचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा। सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार से रक्षा करेगा। संविधान के अनुसार भारत में इन जातियों की शिक्षा के लिय राज्य सरकार विशेष प्रावधान करेगी। उनके लिय सभी स्तर कि शिक्षा (प्राथमिक से उच्च,तकनीकि आदि) के लिय जाति के आधार पर शिक्षा कि व्यवस्था राज्य सरकार कि जिम्मेंदारी होगी। क्योकि इन वर्गों को अभी विकास के ऊपरी पायदान तक लाने के लिय बिना किसी भेदभाव या आय को ध्यान में रखे बिना अपने स्तर से सभी प्रयास करने होगे तभी भारत एक विकास कि ओर बढ़ते हुये कदम की ओर उन्मुख होगा। क्योकि सभी वर्गों कि शिक्षा के साथ इनके लिय विशेष स्कूल, संस्थान व निशुल्क प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने होगे। जिन संस्थानों में अभी तक इन वर्गों के बालक नौकरी प्राप्त नहीं कर पाये है वहाँ के सरकारों को विशेष प्रयास करने होगे। क्योकि इन वर्गों कि शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना आवश्यक है। जब तक ये वर्ग विकास कि धारा में सही रूप में नहीं आ जाते है तब तक

सरकार द्वारा इन्हे शिक्षण संस्थाओं व नौकरियों में आरक्षण व प्रमोशन में आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिय। क्योकि आज भी इन वर्गों का सभी क्षेत्रों में भागीदारी जनसँख्या के आधार पर पूर्ण नहीं हुयी है। अधिकतर विभागों में इनके पदों को रिक्त रखा जाता है। इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित होना चाहिय। तभी सही अर्थो में स्वन्त्रता होगी।

4.4 समानता का अधिकार एवं शिक्षा (Education and Right of Equality)

समानता का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 14,15,16,17, और 18 द्वारा प्रदान किए गए है। विधि के समक्ष समान समानता और विधियों का समान संरक्षण - ये दोनों पद राज्य द्वारा समान व्यवहार का संकल्पना की संचरना करते है और विभेद का प्रतिषेध करते है ।विश्व के किसी अन्य संवैधानिक दस्तावेज ने समानता के अधिकार का उतने प्रकार से निरूपण नहीं किया है जितना कि भारतीय संविधान ने किया है ।विश्व में जहाँ कि सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक असमानताएँ भरी पड़ी है, समानता के मूल अधिकार का सहारा कभी विभेद को रोकने के लिय किया जाता है तो कभी विभेद को मान्य ठहरानें के लिय।

विधियों का समान संरक्षण का अर्थ है कि समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को समान विधियों के अधीन रखना तथा समान रूप से लागू करना चाहे वे विशेषाधिकार हो या दायित्व हो। इस पदावली का निर्देश है कि समान पारिस्थिति वाले व्यक्तियों में कोई विभेद नहीं करना चाहिय और उन पर एक ही विधि लागू करनी चाहिय अर्थात यदि विधान कि विषय वस्तु समान है तो विधि भी एक ही तरह कि होनी चाहिय न कि असमानों के साथ समान विधि लागु करना चाहिय। राष्ट्रपति से लेकर देश का निर्धन व्यक्ति समान विधि के अधीन है और बिना औचित्य के किसी कृत्य के लिय समान रूप से उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में सरकारी अधिकारियों और साधारण नागरिकों में विभेद नहीं किया जा सकता है।

4.4.1 संविधान में समानता के सम्बन्ध में प्रावधान

i. **कानून के समक्ष समानता -** अनुच्छेद 14 गारंटी देता है कि सभी नागरिकों को समान रूप से देश के कानून द्वारा संरक्षित किया जायगा। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य जाति, पंथ, रंग, लिंग, धर्म या जन्म के आधार पर भारतीयों नागरिकों से कोई भेदभाव नहीं कर सकते है। वह किसी भी शिक्षा संस्था में प्रवेश व
अध्ययन के लिय स्वतंत्र है।

ii. **सामाजिक समानता और सार्वजनिक क्षेत्रों के बराबर के उपयोग का अधिकार -** संविधान का अनुच्छेद 15 यह अधिकार प्रदान करता है कि किसी भी व्यक्ति से जाति, भाषा, रंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है । प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक पार्कों, संग्रहालयों, कुओं जैसे सार्वजनिक स्थानों के बराबर का अधिकार है। यदपि राज्य महिलाओं ,अनुसूचित जाति , जनजाति के विकास के लिय विशेष उपबंध कर सकता है। इस प्रकार सभी

व्यक्तिओं का ध्यान रखना राज्य कि जिम्मेदारीं होगी। उनकी शिक्षा व सामाजिक स्तर को बढ़ाने के लिय राज्य को विशेष छुट का भी प्रावधान किया जायगा।

iii. **सामाजिक रोजगार के मामलों में समानता का अधिकार-** संविधान का अनुच्छेद 16 यह अधिकार प्रदान करता है कि सभी नागरिक सरकारी नौकरियों के लिय आवेदन कर सकते है। लेकिन राज्य पिछडे वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग व समाज के कमजोर वर्गों को आगे लाने के लिय पद आरक्षित कर सकता है । क्योकि इन वर्गों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है वे शिक्षा का खर्च उठाने में सक्षम नहीं होते है। अध्यापकों द्वारा भी इन वर्गों के साथ भेदभाव किया जाता है जिसके कारण आंतरिक परीक्षा में इनको कम अंक प्रदान किए जाते है। अत: इनको अंको व मेरिट में छुट प्रदान करना सामाजिक विकास के लिय आवश्यक है।

iv. **अस्पृश्यता का उन्मूलन-** संविधान का अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता को बढ़ावा देना दंडनीय अपराध है । किसी भी शिक्षा संस्थान, पूजा स्थल, सामाजिक स्थल या ऐसे स्थान पर जाने से रोकने पर कानून द्वारा दंडित किया जायगा। विधालयों, कॉलेज, संस्थानों में जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का निषेध है। इनके साथ सम्मानजनक तरीका ही अपनाया जाना चाहिय। साथी, अध्यापकों, प्रशासनिकों के द्वारा किसी भी प्रकार भी भिभेद या जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया सकता है। न ही इनको शिक्षा से पढ़ने कि लिय रोका जा सकता है। बल्कि सभी को एक साथ रहना, उठना, बैठना, खाना, बस या ट्रेन में किसी भी प्रकार का भेद किया जा सकता है।

v. **उपाधियों का उन्नमूलन-** संविधान का अनुच्छेद 18 के अनुसार भारत के नागरिक विदेशी राज्य से किसी भी प्रकार कि उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते है पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर, खान बहादुर की उपाधि प्रदान कर एक अभिजात्य वर्ग बनाया जाता था। यदपि सैन्य व शैक्षिक उपाधियाँ प्रदान कि जा सकती है। भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार एक उपाधि के रूप में प्राप्तकर्ता के रूप में उपयोग में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

vi. **स्त्रियों और बालकों के पक्ष में विशेष उपबंध -** संविधान का अनुच्छेद 15(3) के अनुसार महिलाओं व बालकों के लिय विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। संसद ने महिलाओं के लिय सन् 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग का निर्माण किया है जो महिलाओं के हितों कि रक्षा करेगा। साथ ही शिक्षा के विकास व उनकी उन्नति में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा। बालको की शिक्षा कि व्यवस्था कि भी जिम्मेदारीं राज्य की है । आधुनिक शिक्षा प्रदान करने, रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करना भी राज्य सरकार का दायित्व है।

vii. **आरक्षण-** भारतीय संविधान निर्मातों ने संविधान में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिय नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया है। इसके लिय राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिय की उन्नति के लिय विशेष प्रावधान बनाने के लिय सशक्त किया जाना आवश्यक था। साथ ही निजी क्षेत्र में अनुसूचित

जातियों व जनजातियों के व्यक्तियों के लिय रोजगार से इनकार नहीं किया जा सकता है। सरकार को अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिय निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने के लिय संसद में कानून लागू करना होगा , तभी समाज में सामजिक समानता को लाया जा सकता है । क्योकि आरक्षण का लाभ अभी इन समाज के एक छोटे से प्रतिशत तक ही पहुँच पाया है। यदपि आरक्षण का 50% से अधिक नहीं किया जा सकता है लेकिन विशेष परिस्थतियों में वह दूर-दराज के राज्यों में जहाँ विशिष्ट परिस्थितियाँ है वहाँ पर आरक्षण अधिक किया जा सकता है । आज सामाजिक पिछडापन को दूर करने व सामाजिक समानता को बढ़ाने के लिय यह बहुत ही आवश्यक है।

viii. **समान कार्य के लिय समान वेतन -** संविधान का अनुच्छेद 14 समान कार्य के लिय समान वेतन का प्रावधान करता है। यदि बिना युक्तियुक्त आधार के दो कर्मचारियों के बीच इस आधार पर विभेद किया जाता है तो यह अनुच्छेद 14 उल्लघंन होगा। समान कार्य के लिय समान वेतन सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन अन्य सेवा शर्तों में यह विभेद नहीं किया जा सकता है । यह सिद्धान्त दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाले व्यक्तियों पर भी लागु होता है। इसमे महिला, अनुसूचित जाति , जनजाति के व्यक्तियों के वेतन को अन्य व्यक्तियों से कम नहीं जा सकता है। बल्कि इन वर्गों के वेतन में किसी अन्य प्रकार की कटोती नहीं जा सकती है जो अन्य व्यक्तियों के वेतन से नहीं की जा रही हो।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते है कि स्वंत्रता व समानता दोनों को समाज के सभी व्यक्तियों पर लागु किया जाना होगा तभी स्वंत्रता व समानता का सही अर्थ समझ पाएगें। जब तक समानता का व्यवहार नहीं होगा तब तक समाज सही रूप में अपना विकास नहीं कर पायगा। बिना किसी भेदभाव के सभी के लिय शिक्षा के प्रावधान किए जाए । अनुसूचित जाति, जनजाति के बालकों के लिय शिक्षा के लिय विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। उनके लिय छात्रवृतियों कि व्यवस्था प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक प्रदान कि जानी चाहिय। क्योकि शिक्षा का विकास किए बिना हम उच्च स्तर को प्राप्त नहीं कर सकते है। शिक्षा प्राप्त करने के लिय प्रयास निरंतर किए जाते रहने चाहिए। आज शिक्षा के द्वार सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिय खुले हुये है। आज दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हम अपने प्रोफेसन में निरन्तर उन्नत्ति कर सकते है। बिना किसी विद्यालय या कॉलेज में उपस्थित हुय हम अपनी परीक्षा जारी रख सकते है, हमें प्रवेश व परीक्षा के समय में परीक्षा केन्द में जाना होगा । यदि आप इस देश व अपना विकास करना चाहते है तो आपको निरंतर शिक्षा के लिय प्रयास करते रहना चाहिय।

अभ्यास प्रश्न

1. किसी भी नागरिक को किस अनुच्छेद के अन्तरगत केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जायगा?
2. अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान के किस अनुच्छेद से सम्बंधित है?

4.5 न्याय व्यवस्था एवं शिक्षा (Justice System and Education)

न्याय का अर्थ उन सभी मान्यताओं तथा प्रतिक्रियायों से माना जाता है जिनके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को वह सभी अधिकार तथा सुविधायं प्रदान की जाती है। जिन्हें समाज के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। किसी भी देश की उन्नति उस देश की न्याय व्यवस्था आधारित होती है।न्याय के आधारों पर ही राज्य नागरिकों में सामाजिकता व सर्वागीण विकास की बात की जा सकती है। न्यायालय को संविधान के संरक्षक की संज्ञा प्रदान की गयी है संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गयी। जिस शक्ति के माध्यम से उच्चत्तम न्यायालय अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 विधान मंडलों द्वारा पारित किसी विधि की संविधान की दृष्टि से समीक्षा करके उसे असवैंधानिक भी घोषित कर सकता है। भारतीय संविधान द्वारा एक लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना की गयी है। जिसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार का प्रथम कर्तव्य है, परन्तु विधायिका और कार्यपालिका द्वारा अपना यह कर्तव्य ठीक से न निभा पाने के कारण न्यायालय जनहित के मामलों में सरकार और प्राधिकारियों को संविधान के अनुसार कार्य करने के लिय विवश करेगा। भारत में न्यायपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका में शक्ति प्रथाक्करण सिद्धांत को अपनाया गया है। राष्ट्रपति को न्यायिक कार्य करने के लिय अनुच्छेद 72 के अधीन क्षमादान की शक्ति भी प्राप्त है वही अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है ।

जब वर्तमान विधायिका देश की मौजूदा समस्यायों का सामना करने में असफल होती है ऐसे में न्यायपालिका का कर्तव्य होता है कि वह स्वमं सामने आये और समस्याओं को हल करने का रास्ता निकाले। सामाजिक बदलावों में न्यायिक सक्रियता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है यदि कोई व्यक्ति या समाज का वर्ग, जिसको विधिक क्षति पहुंचायी गयी है या विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है, अपने निर्धनता के कारण या किसी अन्य कारण से न्यायालय जाने में असमर्थ है तो समाज का कोई भी व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने 21 मई 2007 को अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय केरल विश्वविद्यालय बनाम कौंसिल प्रिंसिपल आफ कालेजज केरल एवं अन्य में देश कि शिक्षण संस्थानो में रैगिग पर रोक लगा दी। सरकार को इस मामले में विधि बनाने का निर्देश दिया।

न्यायिक व्यवस्था न् केवल संविधान कि रक्षा करती है बल्कि वह शिक्षा संस्थाओं को समय समय पर छात्रों के हितों के लिय भी कदम भी उठाता रहता है। जिससे हम अपनी शिक्षा को ठीक प्रकार से प्राप्त करते रहते है। भ्रष्टाचारी सरकारों, प्रबंधकों पर नकेल के रूप में काम करता है। न्यायालय के भय से

संस्थान छात्रों से मोटी फीस नहीं ले पाते है। न ही फर्जी डिग्री प्रदान करते है। इससे समाज के सभी व्यक्तियों को न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो रही है।

4.5.1 वन्धुत्वता (Fraternity)

संविधान के द्वारा सभी नागरिको को समान अधिकार प्रदान किए गए है जिनके आधार पर समाज के सभी व्यक्ति अपने अधिकारों व कर्तव्यों का प्रयोग करते हुए आपस में भाईचारा बनाकर रहेगे। समाज में यह व्यवस्था करनी होगी कि समाज समतामूलक तथा मानवतामुलक समाज जिसमे कमजोर का शोषण न हो। मित्रता याँ दोस्ती बराबर वालों के साथ होती है यदि आप बड़ों के साथ सम्बन्ध बनाने चहाते है तो शिक्षा के माध्यम से ही भाईचारा पैदा किया जा सकता है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है व्यक्ति को इस अधिकार से जाति, रंग, धर्म, प्रजाति आदि के आधार पर वंचित नहीं किया जाना चाहिय। व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, उन्नति के लिय अधिक से अधिक व्यक्तियों को उत्तम शिक्षा कि आवश्यकता है। क्योकि शिक्षा ही वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर व्यक्ति अपने आर्थिक स्तर को उच्च बना सकता है। केवल शैक्षिक अवसर बढ़ाने से कार्य नहीं चलता है वरन उसकरे समान वितरण से ही वास्तिवकता याँ सामाजिक न्याय को प्राप्त किया जा सकता है। आज शिक्षा के अवसरों को प्राप्त करने के लिय सभी देशों में मांग की जा रही है। यदि वन्धुत्वता कि भावना को बढ़ाना है तो शिक्षा के द्वार सभी स्तर के व्यक्तियों के लिय खोलने होगें।

अभ्यास प्रश्न

3. उच्चत्तम न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गयी?
4. उच्च न्यायालय विधान मंडलों द्वारा पारित किसी विधि को संविधान की दृष्टि से समीक्षा करके उसे किस अनुच्छेद के अन्तरगत असवैंधानिक भी घोषित कर सकता है?
5. न्यायिक कार्य करने के लिय अनुच्छेद 72 के अधीन क्षमादान की शक्ति भी किसे प्राप्त है?

4.6 शिक्षा का सार्वभौमीकरण (Universalization of Education)

भारतीय संविधाननिर्माताओं ने देश की शिक्षा व्यवस्था पर अपनी नजर बनाये रखी, इसी कारण उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार करते समय निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धान्त घोषित किया। कि राज्य इस संविधान के लागू किए जाने के समय से दस वर्ष के अन्दर सब बच्चों के लिय, जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेगें, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेगा। क्योकि लोकत्रंत्र के सफल संचालन के लिय शिक्षित व प्रवुद्ध नागरिको की आवश्यकता है। सभी लोक्त्रन्तीय देशों में प्राथमिक शिक्षा निशुल्क व अनिवार्य की गयी है। अनेक देशों

में समाज के निर्बल वर्गों के लिय उच्च शिक्षा तक निशुल्क प्रदान किए जाने का प्रावधान किए गए है। लोक्त्रन्तीय देशों में प्रत्येक व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है । जब भारत सन् 1947 में आजाद हुआ था तब भारत की 85% जन्सख्याँ निरक्षर थी । इस स्थिति को देखते हुये संविधान निर्माताओं ने राज्य को 14 वर्ष तक के सभी बालको के निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गयी। लेकिन यह अभियान सफल नहीं हुआ क्योकि जन्सख्याँ में निरन्तर वृधि हो रही थी। कमजोर वर्गों के पास धनका अभाव था वे अपने बालको को सुरक्षा के हिसाब से दूर नहीं भेजना चाहतें थे। क्योकि विधालय एक विशेष वर्ग के क्षेत्र में बने हुये थे। ये विशेष वर्ग दुसरे की बालिकों को सही दृष्टि से नहीं देखते थे । लेकिन भारत सरकार शिक्षा के विकास के लिय अनेक योजनाओं को चलाया, इसमे सर्वशिक्षा अभियान ने शिक्षा के विकास ने महत्तवपूर्ण भूमिका निभाई। यह अभियान वर्ष 2000 से 2005 तक चलाया गया। इसके द्वारा प्राथमिक स्कूल प्रत्येक एक किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किए गए , तथा जूनियर स्कूलों को प्रत्येक तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया गया। प्रत्येक विद्यालय में दो अध्यापक की व्यवस्था अनिवार्य की गयी। सरकार ने स्थानीय युवकों को शिक्षामित्र के नाम से नियुक्ति प्रदान की। इन्होने बालकों को अपना गाँव व अपना मानकर शिक्षा के विकास को हवा प्रदान की ।

सरकार ने आपरेशन ब्लेक बोर्ड के नाम से प्रत्येक विद्यालय में दो अध्यापक के साथ बालकों के लिय दो कमरें व टाट पट्टी की व्यवस्था की । केन्द्र सरकार से सहयोग से बालिकाओं के लिय अलग शोचालय की व्यवस्था की गयी, विद्यालय में महिलाँ शिक्षकों की भारती की गयी। शिक्षा के विकास में तेजी लेन के लिए भारत सरकार ने प्रत्येक राज्यों को निर्देश दिये की शिक्षकों की पूर्ति के लिय बी० एड० प्रशिक्षित को छ: महा का प्रशिक्षण प्रदान कर प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती की गयी। एक लाख शिक्षक उत्तरप्रदेश में ही भरती किए गए। सरकार के इस प्रयास से प्राथमिक शिक्षा का विकास तेजी से होने लगा। 9 नवम्बर सन् 2000 को एक नए राज्य के रूप उत्तराखण्ड की स्थापना की गयी। उत्तराखण्ड ने सबसे पहले शिक्षा के विकास के लिय प्रयास किए गए , यदि देखा जाए तो केरल के बाद उत्तराखण्ड शिक्षा के विकास के लिय दूसरा राज्य बना।

4.6.1 शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु सरकार प्रयास (Some Steps for Globalization by Government)

भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के विकास हेतु कुछ ठोस नीतियाँ बनाई गई जिनके आधार पर शिक्षा कि स्थिति में बहुत सुधार हुआ है । इनमे से कुछ प्रुमख निम्नलिखित है ।

1. **सर्वशिक्षा अभियान (एस०एस०ए०)-** प्राथमिक शिक्षा सभी को प्रदान करने के लिय भारत में सर्वशिक्षा अभियान ने एक ऐतिहासिक पहल की, यह कार्यक्रम राज्यों के सहयोग से चलाया गया। जिसके अन्तरगत देश की प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने हेतु वर्ष 2001 से 2010 तक के सभी बच्चों को उपयोगी एवं स्तरीय शिक्षा उपलब्ध प्रदान करना था । इस कार्यक्रम की विशेषतया इस प्रकार है।
    i. शिक्षा के समान अवसर को बढ़ावा देने हेतु शिक्षक जागुरुकता कार्यक्रम ।

ii. 50% महिला शिक्षकों की नियुक्ति की गयी।
iii. बालिकाओं पर विशेषत: अनुसूचित जाति/ जनजाति और अल्पसख्यक वर्ग की बालिकाओं पर विशेष ध्यान।
iv. विद्यालय छोड़कर जा चुकी बालिकाओं को वापस लाने हेतु अभियान चलाना।
v. लड़कियों के लिय निशुल्क पाठ्य पुस्तके।
vi. बालिकाओं हेतु विशेष प्रशिक्षण (कोचिंग) और तैयारी कक्षाओं का आयोजन और सीखने के लिय सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना।

2. **जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (सीपीईपी)-** इस योजना का प्रमुख बल बालिकाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, कामकाजी, शहरी वंचित बच्चों , इन्क्लंग आदि की शिक्षा के लिय विशेष सहयोग उपलब्ध कराना है । बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिय विशेष रणनीतियाँ है, तथापि इन समूहों को शामिल करने के लिय समेकित रूप से वास्तिवक लक्ष्य भी निर्धारित किए गए है । डी०पी०ई०पी० जिलों के स्कूलों में 60% से अधिक बच्चे अनुसूचित जाति/ जनजाति से सम्बंधित है।
3. **महिला समाख्या (एम.एस.)** – महिला समाख्या शैक्षिक पहुँच एवं उपलब्धि के क्षेत्र में लैगिक अन्तर का निराकरण करती है। इसमे महिलाओं को ऐसे सशक्तिकरण के योग्य बनाना शामिल है। ताकि वे अलग-अलग पड़ने और आत्मविश्वास की कमी जैसे समस्यायों से जूझ सके व उनका डटकर मुकाबला कर सके। और वे अपने आत्मसम्मान व अपनी सुरक्षा के लिय स्वमं तैयार हो सके।
4. **कस्तूरबा गाँधी बालिका विधालय** – कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के लिय दुर्गम क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं के साथ 750 विद्यालय खोले गए । यह योजना शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए केवल ऐसे विकास खंडों में लागू की जायगी, जहाँ वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय स्तर से कम और राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है।
5. **दोपहर का भोजन योजना-** भारत सरकार द्वारा शिक्षा के विकास हेतु दोपहर भोजन योजना शुरू की गयी। यह एक प्रेरणाप्रद कार्यक्रम था। इससे देश के सरकारी, स्थानीय निकार्य और सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्राथमिक स्तर के बच्चों को शामिल किया जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में विद्यार्थियों का नामांकन और उपस्थिति को बढ़ावा देना था। इसके अलावा बच्चों को पोषणयुक्त भोजन प्रदान कर उनको स्वस्थ बनाना था।
6. **केन्द्रीय विद्यालय संघठन (के.वी.एस.)** – इसमें नये छात्रों के दाखिले में क्रमश: 15% एवं 7.5% सीटें अनुसूचित जाति/ जनजाति के छात्रों के लिय आरक्षित है। इन वर्गों के छात्रों से 12वी. कक्षा तक किसी भी प्रकार का शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता । इससे इन वर्गों के बालको ने शिक्षा के प्रति रूचि दिखाई, लेकिन इन वर्गों के लिय अभी सुधार की बहुत आवश्यकता है। आज भी अनेक

अभिभावक इन में प्रवेश प्रक्रिया को नहीं जानते थे। इसके लिय भी विशेष अभियान चलाकर उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिय।

7. **नवोदय विद्यालय संघटन(एन.वी.एस.)** – शिक्षा के विकास हेतु नवोदय विद्यालय की स्थापना की गयी। ताकि गाँव के होनहार बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके लिय सरकारी स्कूलों में अध्ययन करने वाले बच्चों से भरवाये जातें है। कक्षा पांच में अध्ययनरत छात्रों से भरवाए जाते है। प्रवेश परीक्षा पास करने वाले बालकों को कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाता है। इसमे अनुसूचित जाति व जनजाति के बालको के लिय क्रमश: 15 प्रतिशत व 7.5 प्रतिशत पद आरक्षित की गयी है। लेकिन जागरूकता व प्रचार कम होने के कारण इन वर्गों के बच्चों के द्वारा कम आवेदन किए जाते है।
8. **एस.सी./एस.टी. छात्रों को शुल्क में छुट** – माध्यमिक स्तर पर प्रवेश के समय अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को शुल्क प्रदान की जाती है। यह काफी समय तक रही, लेकिन सरकार द्वारा अब छुट में बहुत अधिक अंतर नहीं रह गया है। यह सुविधा एकदम गरीब बच्चों को ही प्रदान की जा रही है जबकि होना यह चाहिय की अनुसूचित जाति व जनजाति के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर छूट प्रदान की जानी चाहिय है। आज भी इन वर्गों के बालको को सुरक्षा व सुविधाओं की बहुत आवश्यकता है।

4.6.2 सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिय उपाय (Measures to Achieve the Target of Universalization)

भारत सरकार द्वारा शिक्षा के विकास व शिक्षा के सार्वभौमिकरण सरकार द्वारा कुछ प्रयास किए गए है। जो निम्नलिखित है ।

1. ऐसे सभी बालक जो किसी कारण से अभी तक किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाये है उनको पास के किसी विद्यालय में प्रवेश कराया जाए , उनका नामांकन करने की जिम्मेदारी नजदीक के अध्यापको पर डाली गयी है । साथ ही नामांकन में आगंनबाडी कार्यकत्री व सहायका का भी सहयोग लिया जाए । जिससे कोई भी बालक प्रवेश से वंचित न रह सके।
2. स्वेच्छिक एजेंसियों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा / उच्च प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिय स्कूल संचालित करेगी तथ समुदाय द्वारा इनका सहयोग किया जायगा ।
3. स्कूल चलाने के लिय पात्र एजेंसियों को केन्द्रीय सहायता दी जायगी।
4. अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से शिक्षा का विकास किया जायगा इसमे बालक से लेकर बजुर्ग तक अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते है। साथ में शिक्षा अनुदेशकों के रूप शिक्षकों की नियुक्ति की जायगी। सरकार द्वारा उनकों उचित मानदेय प्रदान किया जायगा।
5. खुले स्कूल (Open School) के साथ अनौपचारिक पाठ्यक्रमों को जोड़ने का प्रयास किया जायगा। उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिय सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापन की गयी। जिनमे प्रवेश लेकर किसी भी उम्र का व्यक्ति अपना अध्ययन जारी रख सकता

है। इसमे न तो प्रवेश के समय की कोई सीमा रहती है न ही परीक्षा के समय की। आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी शिक्षा पूरी कर सकते है।

6. अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को सार्वजनिक पुस्तकालयों, जन-शिक्षण केन्द्रों क के रूप में जोड़ा जायगा।
7. प्राथमिक शिक्षा के विकास के केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (NCERT) राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (SCERT) तथा जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
8. शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिय पंचायत स्तर पर क्लस्टर रिसोर्स परसन CRC) एवं ब्लाक स्तर पर बी.आर.सी. की न्युक्ति की गयी है। जो प्राथमिक शिक्षकों के विद्यालय में उपस्थिति व छात्रों के ज्ञान पर भी नजर रखेगी।
9. छात्रों को दोपहर का भोजन उपलब्ध करने के लिय मध्यान भोजन की व्यवस्था की गयी है। ताकि वे सुन्दर, हष्ट-पुष्ट बनकर भारत के अच्छें नागरिक बन सके।
10. प्राथिमक स्तर पर अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है बल्कि वे अपना समय आपसी बातचीत में गुजर रहे है। यदि उन्हें पढाने के लिय कहां जाता तो वे विभागीय कार्य का बहांना बनाकर अपना पाला झाड़ लेते है। यदि शिक्षा का विकास करना चाहता है तो शिक्षकों को स्वमं ही शिक्षण के प्रति अपनी अभिवृत्ति को बदलना होगा।
11. अनुसूचित जाति /जनजाति के प्रत्येक स्कूल में अध्यापक व अध्यापिकाओं की न्युक्ति करनी होगी। आज इस वर्ग के व्यक्ति बेरोजगारी के कारण सडको पर घूम रहे है। उनकों तत्काल केन्द्रीय व राज्य सरकार नियुक्तियां प्रदान करे।
12. शिक्षकों को समय समय पर अभिविन्यास कार्यक्रमों में भेजा जाना चाहिय ताकि वे शिक्षा प्रदान करने में अपने को तरोताजा महसूस कर सके। उनके अन्दर शिक्षा व शिक्षार्थियों के प्रति आदर का भाव बढ़ सके।
13. शिक्षक स्वमं अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके वे शिक्षण कार्य के उद्देश्य न भटके। बल्कि शिक्षण को अपना धर्म मानकर ईश्वर की अराधना की तरह शिक्षण का कार्य करे। तभी शिक्षा समाज में अपना सम्मान पुन: प्राप्त कर सकता है।

4.6.3 आँपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना (Operation Black Board Scheme)

आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना अवरोधन को कम करने व उसमे सुधार करने के उद्देश्य से प्राथमिक स्कूलों में सुविधाओं में सुधार करने के लिय वर्ष 1987-88 में आरम्भ की गयी थी। इस योजना के तीन परस्पर निर्णायक तत्व थे। उनमे कुछ प्रमुख निम्न प्रकार है।

1. प्रत्येक स्कूल में कम से कम दो शिक्षक हो जिनमे से एक महिला शिक्षक की व्यवस्था की जानी चाहिए। ताकि बच्चों को विद्यालय में भी अपने घर जैसा वातावरण प्राप्त हो सके । बच्चें विद्यालय में रहकर अपने माता पिता जैसे प्यार पा सके।
2. लडकें एवं लड़कियों के लिय अलग अलग शौचघर सुविधाओं तथा एक बरामदे सहित सभी मौसम के लिय उपयुक्त कम से कम दो पर्याप्त बड़े कमरों की व्यवस्था ।
3. छात्रों को सही शिक्षा प्रदान करने के लिय बालकों के लिय चार्ट, मॉडल , खिलौनों, आर्ट व विज्ञान किट का प्रयोग किया जाए । इसके द्वारा छात्रों को ज्ञान प्रदान करने में आसानी रहती है तथा बालक ज्ञान को लम्बें समय तक याद रखते है।
4. प्रत्येक विद्यालय में टीचिंग लर्निंग मटेरिअल (टी.एल.एम.) की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिय सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 5000/ पांच हजार रूपये प्रत्येक विद्यालय को प्रदान किए जाते है ।
5. जिन प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की संख्या 100 से अधिक हो जाती है वहाँ तीन शिक्षक और तीन कक्षा-कक्ष उपलब्ध कराने के लिय इस योजना का विस्तार करना राज्य की जिम्मेदारी होगी।
6. सातवी योजना में निर्धारित शेष स्कूलों को शामिल करने के लिय चल रहे आपरेशन ब्लेक बोर्ड को जार रखना।
7. विशेष रूप से तैयार किए गए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को आपरेशन ब्लेक बोर्ड शिक्षण सामग्री प्रयोग करने के लिय प्रशिक्षित किया जायगा।
8. राज्य सरकारे उपकरनों के टूटने पर उनके बदलने का प्रबधान करेगी। तथा बिना विलम्ब किए उनको साम्रगी उपलब्ध करायगी। ताकि शिक्षा में किसी प्रकार की बांधा का बहाना न बनाया जाय ।
9. अपर प्राथमिक स्कूलों में इस योजना के कार्यक्षेत्र का विस्तार करना –जैसे प्रत्येक कक्षा को कम से कम एक कमरा , एक प्रधानाध्यापक सह-कार्यालय कक्ष , लड़कियों व लड़कों के प्रथक शौचालय सम्बन्धी सुविधाएँ , प्रत्येक कक्ष में एक अध्यापक अवश्य शिक्षण का कार्य करे ।
10. भारत सरकार द्वारा सभी क्षेत्र में विद्यालय की स्थापना करना ताकि प्रत्येक बालक अपने घर के पास ही शिक्षा प्राप्त कर सके । इसके लिय एक किलोमीटर पर प्राथमिक स्कूल व तीन किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक स्कुल की व्यवस्था की गयी है । सरकार द्वारा शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिय व बालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चाहर दीवारी की व्यवस्था की गयी है ।
11. शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिय उन्हें नवाचार के माध्यम से बच्चों को आसानी से शिक्षा प्रदान करने व नई चीजों के बारे में सीखने व सीखाने के लिय प्रयास किया गया है।

12. अपव्यय एवं अवरोधन को कम करने आपरेशन ब्लेक बोर्ड का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्योकि बालक विद्यालय प्रतिदिन आया है तथा अवरोधन को सरकार द्वारा भी कम किया गया है। अब किसी भी बालक को कक्षा दस तक पास अवश्य किया जायगा।
13. शिक्षा के केन्द्र में सभी अभिवावकों के बच्चें अध्ययन करते थे, वे निरन्तर शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देते थे लेकिन आज कुलीन वर्ग अपने बालकों को प्राइवेट व कान्वेंट स्कूलों में शिक्षा प्रदान करा रहे है। जिसके कारण आज अभिभावक स्कूलों पर ध्यान नहीं डे पा रहे है। शिक्षा प्रदान करना व कराना हमारा नैतिक अधिकार व कर्तव्य है।

अभ्यास प्रश्न

6. नवोदय विद्यालय में अनुसूचित जाति व जनजाति के बालको के लिय क्रमश: कितने पद आरक्षित किए गए ?

4.7 सारांश

भारत में शिक्षा व सामाजिक व्यवस्था समय के अनुसार बदलती रही है लेकिन बदलना तो ठीक है लेकिन किसी भी वर्ग को शिक्षा से वंचित करना ठीक नहीं है ऐसा कुछ भारत में देखने को भी मिलता है। भारत में कुछ जातीय जिनमे द्रविड़, नागा, खस आदि जातियां निवास करती थी। जो सम्पूर्ण संसार में शांति व उन्नति के लिय जानी जाती थी। भारत का ज्ञान के आधार पर ही भारत को विश्वगुरु का दर्जा प्राप्त था। यहाँ पर अन्य देशों के व्यापारी व्यापार करने के लिय आते रहते थे। वे भारत में दाल व मसालों का व्यापार करते थे। लेकिन भारत की भोली-भाली जनता पर यूरोप के व्यक्तियों जिनमे इरान, इराक, अफगानिस्तान आदि के नागरिकों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इन आक्रमणकारी ने भारत की जनता का धन लुट लिया, भारतियों को अपना दास बनाया। उन्हें शिक्षा व ज्ञान से वंचित कर उनके ज्ञान के भंडार को नष्ट कर दिया । बाद में शिक्षण संस्थानों पर आक्रमण कर उन पर अपना अधिकार कर लिया। बाद में ये आक्रमणकारी, आर्य हिंदु के रूप में व यहाँ के मूल भारतीय अनुसूचित जाति व जनजाति के रूप में जाने जाने लगे। आर्यो ने यहाँ की संस्कृति को नष्ट कर प्रत्येक अच्छी संस्कृति को अपनाकर उन्हें अपने नाम कर लिया। इस प्रकार मूल भारतीय को लगभग 4000 हजार वर्ष तक शिक्षा व धनदौलत से भी वंचित कर दिए गया। वैदिक काल में ही शिक्षा के दरवाजे इनके लिय बंद कर दिये गए थे लेकिंन बौद्ध काल में बौद्ध मठों में दलित वर्ग व महिलाओं के लिय शिक्षा के द्वार खोले गए। लेकिन वह वहाँ पर भी ब्राहमण वर्ग का ही अधिपत्य रहा है। इस प्रकार एक वर्ग शिक्षा व सामाजिक प्रतिष्ठा से निरंतर वंचित रहा। इन वन्चित वर्ग को उसका अधिकार दिलाने के लिय संविधान के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था की गयी। जो जब तक जारी रहनी जरुरी है जब तक समाज में सामाजिक एवं आर्थिक समानता स्थापित न हो जाए। साथ ही संविधान के अनुसार सभी वर्गों के बच्चों को 6 से 14 तक निशुल्क शिक्षा का प्रावधान

किया गया। जो वर्ष 2009 में एक अधिनियम बना। यह वर्ष 2010 से सम्पूर्ण देश में लागू हो गया। लेकिन आज भी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालक शिक्षा से आज भी कोसो दूर है। आज भी भारत के अनेक राज्य जैसे मध्यप्रदेश, झारखण्ड, बिहार, नागालैंड, छत्तीसगढ़, आदि राज्यों में शिक्षा का प्रसार इन वर्गों से बहुत दूर है। भारत सरकार को भारत में इन वर्गों के विशेष शिक्षा व उच्च शिक्षा व नौकरी के निशुल्क कौचिंग केन्द खोलने चाहिए। इन वर्गों के अभिभावकों की आय अधिक होने का बहाना बनाकर उनको सुविधाओ से रोका जाता है। सरकारी नौकरी के आलावा इनके पास कृषि व उधोगों के मालिकाना हक का अभाव है, अत; अभिवावकों की आय के बंधन को हटाकर दलित वर्गों के सभी बालकों व व्यक्तियों को शिक्षा व अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त होना चाहिय। इन वर्गों के सभी बालकों के उत्थान के लिय सरकार के साथ स्वमं सेवी संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। आजादी में अपने पूर्वजो की क़ुरबानी देने के बाद भी भारत में दलितों को आज भी सम्मान व शिक्षा से वंचित है। आज शिक्षा का प्रसार से तेजी से किया जाना चाहिय, शिक्षा पर होने वाले बजट में बढ़ोतरी की जा चाहिए। एक आदर्श नागरिक बननें के लिय शिक्षा की महवपूर्ण भूमिका है।

4.8 शब्दावली

1. **खुले स्कूल (Open School) -** खुले स्कूल (Open School) के साथ अनौपचारिक पाठ्यक्रमों को जोड़ने का प्रयास किया जायगा। उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिय सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापन की गयी। जिनमे प्रवेश लेकर किसी भी उम्र का व्यक्ति अपना अध्ययन जारी रख सकता है। इसमे न तो प्रवेश के समय की कोई सीमा रहती है न ही परीक्षा के समय की। आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी शिक्षा पूरी कर सकते है।

4.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. अनुच्छेद 29(2)
2. अनुच्छेद 17
3. अनुच्छेद 32
4. अनुच्छेद 226
5. राष्ट्रपति को
6. 15 प्रतिशत व 7.5 प्रतिशत

4.10 सन्दर्भ ग्रंथ सूची एवं सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. बसु, दुर्गादास.(2009) *भारत का संविधान*.नई दिल्ली: लेक्सिसस नेक्सिस पब्लिशिंगप्, कैनाट पैलेश.
2. शर्मा, लाल व वसु. (2009) *भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं,* मेरठ: लाल बुक डिपो.
3. उत्तराखण्ड मुक्त विश्विद्यालय. (2012) *भारतीय संविधान व चुनौती,* हल्द्वानी: विधि विभाग.
4. पाठक,पी.डी.(2011) *भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं,* आगरा: अग्रवाल पुब्लिकेशन.

4.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. भारत के संविधान द्वारा स्वन्त्रता एव समानता एवं से सम्बंधित क्या प्रावधान किए गए है? विस्तार से लिखिए।
2. भारत के संविधान द्वारा अनुचित जाति एवं जनजातियों हेतु शिक्षा के सम्बन्ध के प्रावधान किए गए है? विस्तार से लिखिए।
3. शिक्षा के सार्वभोमिकरण से आप क्या समझते है? भारत सरकार द्वारा शिक्षा के विकास हेतु क्या प्रयास किए गए है ? विस्तार से लिखिए।
4. शिक्षा से आप क्या समझते है? भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु अपने सुझावों को विस्तार से लिखिए।

खण्ड 3

Block 3

इकाई 1 - मुद्दे एवं नीतियाँ

Issues and Policies

1.1 प्रस्तावना
1.2 उद्देश्य
1.3 सर्व शिक्षा अभियान
1.3.1 अपवंचित वर्ग
1.4 समावेशी शिक्षा
1.4.1 सार्वभौमिक एवं समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका
1.5 प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमीकरण की नीतियाँ
1.5.1 नई शिक्षा नीति
1.5.2 ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड
1.5.3 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
1.5.4 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन: (N.L.M)
1.5.5 सर्व शिक्षा अभियान
1.5.6 शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)
1.5.7 मध्यान्ह भोजन योजना
1.6 सारांश
1.7 शब्दावली
1.8 स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्नों के उत्तर
1.9 संदर्भ ग्रंथ सूची
1.10 निबंधात्मक प्रश्न

1.1 प्रस्तावना

जिस प्रकार एक ओर शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास करके उसे तेजस्वी, बुद्दिमान, चरित्रवान, विद्वान तथा वीर बनाती है, उसी प्रकार दूसरी ओर शिक्षा समाज की उन्नति के लिए भी आवश्यक तथा शक्तिशाली साधन है। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति की भांति समाज भी शिक्षा के चमत्कार से लाभान्वित होता है। शिक्षा के द्वारा समाज भावी पीढ़ियों को उच्च आदर्शों, आशाओं, आकांशाओं, विश्वासों तथा परम्पराओं आदि सांस्कृतिक संपत्ति को इस प्रकार हस्तांतरित करता है कि उनके हृदय में देश-प्रेम तथा

त्याग की भावना प्रज्जवलित हो जाती है। इस प्रकार व्यक्ति तथा समाज दोनों ही के विकास में शिक्षा परम आवश्यक है। सत्तर के दशक तक हमारी संपूर्ण जनसंख्या का केवल एक चौथाई हिस्सा ही शिक्षित वर्ग में आता था। किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए यह सबसे दुष्कर समस्या है क्योंकि इस अवस्था में शासन पद्यति का सुचारू रूप से चलना संभव नहीं होता है। इसीलिए भारत में शिक्षा के सुधार के लिए समय-समय पर कई आयोग तथा नीतियाँ बनी, जिनके क्रियावयन के आधार पर ही आज साक्षरता दर बढ़ती दिख रही है। स्वतंत्रता से पूर्व बढ़ती हुई निरक्षरता को देखकर ही शिक्षा के क्षेत्र में कई ठोस कदम उठाए गए, जिसमें 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रमुख है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए भी सरकार द्वारा कई नीतियाँ बनाई गई हैं, जिससे अपवंचित वर्गों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। जैसे SSA,NCF-2005,RTE-2009, RAMSA आदि। इस इकाई में आप सर्व शिक्षा अभियान, समावेशी शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की नीतियों का विस्तृत अध्ययन करेंगे।

1.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप:

1. सर्वशिक्षा अभियान को समझ सकेंगे।
2. अपवंचित वर्ग को समझ सकेंगे।
3. सार्वभौमिक एवं समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका को समझ सकेंगे।
4. प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमीकरण की नीतियों को समझ सकेंगे।

1.3 सर्व शिक्षा अभियान

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए UNESCO एवं UNISEF के तत्वाधान में उन देशों में जिनमें निरक्षरता दर काफी ऊँची थी तथा शैक्षिक पिछड़ापन बड़ी मात्रा में था, सर्व शिक्षा नामक परियोजना सन् 2000 में आरंभ की गई। सर्व शिक्षा अभियान पूरे देश में राज्य सरकार की सहभागिता से चलाया गया ताकि देश के 11 लाख गाँवों के 19.2 लाख बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। SSA के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए :

- 2005 तक सभी बच्चों का विद्यालयों, शिक्षा गारन्टी केन्द्रों, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में नामांकन।
- 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें।
- 2010 तक सभी बच्चें कक्षा 8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कर लें।
- जीवनोपयोगी गुणवत्तापरक प्रारम्भिक शिक्षा पर बल।
- 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर पर बालक - बालिका एवं सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना।
- 2010 तक शत्-प्रतिशत ठहराव।

सर्व शिक्षा के अंतर्गत उत्तम विद्यालयों (qual। ty schools) की कल्पना की गई है, विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम समाप्ति तक विद्यालय में रख सके और वे न्यूनतम अधिगम स्तरों को प्राप्त कर ही लें (M। n। mum Level of Learn। ng-MLL)। सर्वशिक्षा अभियान की शुरूआत से दिसंबर 2006 तक लगभग 1.81 लाख नए विद्यालय खोले जा चुके थे। 1,49,683 लाख नई विद्यालय इमारतें तथा 6,50,442 लाख अतिरिक्त कमरे या तो पूरे हो चुके थे या और 31.3.2007 तक एसएसए के अंतर्गत 8.14 लाख नए शिक्षक नियुक्त किए गए। सरकार ने एसएसए के लिए ग्यारहवीं योजना में 576.45 करोड़ रूपये मुहैया कराए थे।

सर्वशिक्षा अभियान के तहत स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भारी कमी लाने में सफलता प्राप्त हुई है। 2001-02 में स्कूल छोड़ने वाले 3.20 करोड़ बच्चों के मुकाबले मार्च, 2007 में यह संख्या लगभग 70 लाख रही। इसी अवधि के दौरान प्राथमिक स्तर पर लड़कियों के नामांकन में 19.2 प्रतिशत की तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। वर्तमान में 67 लाख बच्चे उन वैकल्पिक स्कूलों में नामांकित हैं जो छोटे और दूर-दराज की रिहायशों में खोले गए हैं और कामकाजी बच्चों, परिवारों के साथ दूसरी जगहों से आए बच्चे और शहरी वंचित बच्चों को शिक्षा मुहैया कराते हैं। एसएसए में बालिकाओं एवं समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों पर विशेष ध्यान देने का प्रावधान है। इसके तहत ऐसे बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था सहित कई अन्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। शिक्षा के अंतर को समाप्त करने के लिए एसएसए के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों तक में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का भी प्रावधान है।

1.3.1 अपवंचित वर्ग

अपवंचित वर्ग वह वर्ग है जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया अथवा जिसे समाज के लोगों ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए ऊपर उठने नहीं दिया। इसलिए संविधान में ऐसे लोगों के लिए कानून बना, ताकि ये लोग भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें।

सर्व शिक्षा अभियान में अपवंचित वर्ग के बच्चों के लिए विशेष प्रयास किए गए :

नामांकन : 2010-11 में अनु० जाति के छात्रों का नामांकन 19.06% था, जो 2014-15 में 19.80 हो गया।

2014-15 तक अनु० जन जाति के छात्रों का 10.47% नामांकन हुआ।

अल्पसंख्यकों का 2010-11 में 12.50 नामांकन था, जो 2014-15 में 13.77% हो गया।

इस अभियान से लड़कियों (अनु० जाति,जनजाति,तथा अल्पसंख्यक) के नामांकन में वृद्दि हुई।

सामाजिकसमूह	प्राथमिक		उच्च प्राथमिक	
	2009-10	2014-15	2009-10	2014-15
लड़कियाँ	48.46%	48.19%	48.12%	48.63%
अनु० जाति	20,07%	19.93%	19.17%	19.55%
जनजाति	11.54%	10.83%	9.4%	9.76%
मुस्लिम	13.48%	14.37%	11.89%	12.60%

(स्रोत-MHRD) 2016

विद्यालय में इन बच्चों की **उपस्थिति तथा ठहराव** बना रहे इसके लिए सरकार द्वारा विशेष हस्तक्षेप किए गए :

- अनु० जाति व जन जाति के छात्र- छात्राओं के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें (ओ०बी०सी०, अल्पसंख्यकों एवं सामान्य जाति के बच्चों के लिए राज्य सरकार इसकी व्यवस्था करती है।)
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिए प्रतिवर्ष खेल पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप और अन्य सहगामी कार्यकलापों की प्रतियोगिताओं का ब्लाक स्तर से राज्य स्तर तक आयोजन।
- अनु० जाति, जन जाति व अल्पसंख्यकों वर्ग के छात्र- छात्राओं के लिए विशेष उपचारात्मक (Remedial) शिक्षण कार्यक्रम।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिए घर पर शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षण सुविधा तथा विशेष संदर्भित अध्यापकों की व्यवस्था।

- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के कार्यक्रमों में गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं जैसे- NASEOH,NIVH, NIOH, Raphael Sharp Memorial Partners की सहभागिता।
- राज्य में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को चिन्हित करके उनकी प्रोफाइल तैयार करना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई।
- दूरस्थ क्षेत्रों में बुक्स जनजाति के लिए शिक्षा गारंटी योजना (EGS)ततः वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा केन्द्रों (AIE) की स्थापना।
- सचल विद्यालय, निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के बच्चों के लिए निर्माण क्षेत्रों में विद्यालय, कृषि श्रमिकों के लिए फार्म विद्यालयों की स्थापना।

अभ्यास प्रश्न

1. SSA के मुख्य तीन उद्देश्य क्या हैं?
2. SSA योजना वर्ष _____ में आरम्भ की गई।
3. अपवंचित वर्ग क्या है?

1.4 समावेशी शिक्षा

समावेशन एक ऐसी अवधारणा है जो अक्षम बच्चों को अपने पड़ोस के विद्यालयों और समुदायों में पूर्ण प्रतिभागियों और सदस्य के रूप में देखता है। **(नाईट1999)**

Inclusion ia a concept that sees children with disabilities as full time participants in and as members of their neighborhood schools and communities. **(Knight 1999)**

समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी बच्चों के लिए शिक्षा। प्रत्येक कक्षा में जहाँ 40-60 बच्चे होते हैं, प्रत्येक बच्चे की अलग अलग आवश्यकताएँ होती हैं। समावेशी शिक्षा दर्शन के अनुसार प्रत्येक बालक विशिष्ट है और उसे कक्षा में विविध प्रकार के शिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। बच्चों की योग्यताएँ भी अलग अलग हो सकती हैं। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा में विभिन्नता का होना आम बात है। भारत में कई विद्यालय ऐसे हैं, जहाँ एक ही शिक्षक विभिन्न विषयों को पढाता है। तब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट सामग्री, विधि, विषय वस्तु प्रदान कर रहे हैं? समावेशी शिक्षा का सिद्धांत भी यही है कि एक सामान्य शिक्षक अपनी कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों के लिए एक मार्गदर्शक बने। उसका उत्तरदायित्व न सिर्फ कक्षा के भीतर हो बल्कि बाहर भी अनंत तक हो। समावेशी शिक्षा इस बात को भी लागू करती है कि सामान्य विद्यालयों में प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता पूरी हो।

कक्षा में प्रत्येक छात्र की विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति करना ही समावेशी शिक्षा है। जिस प्रकार हमारे संविधान में सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है, उसी प्रकार समावेशी दर्शन में भी सभी छात्रों को एक समान माना जाता है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

NCF-2005- "समावेशन शब्द का अपने आप में कुछ खास अर्थ नहीं होता है। समावेशन के चारों ओर जो वैचारिक, दार्शनिक,सामाजिक और शैक्षिक ढाँचा होता है, वही समावेशन को परिभाषित करता है ।समावेशन की प्रक्रिया में बच्चे को न केवल लोकतंत्र की भागीदारी के लिए सक्षम बनाया जा सकता है, बल्कि यह सीखने एवं विश्वास करने के लिए भी सक्षम बनाया जा सकता कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ रिश्ते बनाना, अंतर्क्रिया करना भी सामान रूप से महत्वपूर्ण है"।

समावेशी शिक्षा, समावेशित कक्षा में विविधताओं को स्वीकार करने की मनोवृत्ति है, जिसके अंतर्गत शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है, ताकि वे भी समाज का एक हिस्सा बन सकें और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता को बाल केंद्रित विधियों द्वारा विकसित किया जाना है और विद्यालय, घर व समाज में अच्छा सम्बन्ध स्थापित करना है। समावेशी शिक्षा की परिकल्पना इस संकल्पना पर आधारित है कि सभी बच्चों को विद्यालयी शिक्षा में पहुँच की इस कदर आवश्यकता है कि उन्हें क्षेत्रीय, सांस्कृतिक,सामाजिक परिवेश और विस्तृत सामाजिक,आर्थिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं में संदर्भित करके समझा जाय। क्योंकि भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता,सामाजिक न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा को प्राप्य मूल्यों के रूप में निरुपित किया गया है। जिसका इशारा समावेशी शिक्षा की तरफ ही है।

1.4.1 सार्वभौमिक एवं समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका

पिछले दो या तीन दशकों में दुनिया भार की सरकारों ने भारत सहित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में अपनी प्रतिबद्दता की घोषणा की है। आज जब समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है तो सभी सरकारों ने

मिलकर कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए। शिक्षा को सार्वभौमिक एवं समावेशी बनाने के लिए कुछ बदलते हुए रुझानों को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है :

- असमताओं को दूर करने पर अधिक जोर
- सभी के लिए न्यायोचित शिक्षा
- बच्चे पर केंद्रित, जरूरत पर आधारित शिक्षा
- सीखने की प्रक्रिया में हर बच्चे की प्रतिभागिता को अधिकाधिक करना।

एक अध्यापक किस प्रकार विद्यालय को समावेशी व सार्वभौमिक बना सकता है? शिक्षक की व्यक्ति के जीवन तथा विद्यालय में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति बड़ी सफलताएँ प्राप्त करता है और शिक्षा प्रदान करने वाला शिक्षक ही होता है। शिक्षक का नाम सुनते ही हमारे सामने साधारण सा दिखने वाला बुद्धिमान व्यक्ति नजर आने लगता है. शिक्षक अपने ज्ञान से बेवकूफ छात्रों को भी श्रेष्ठ बना देता है, उनके जीवन को एक नयी दिशा देता है जो उनको सफलता की राह की ओर ले जाता है। इसी को ध्यान में रखकर एक अध्यापक का उत्तरदायित्व बनता है कि वे अपने बच्चों को सही शिक्षा,प्रेरणा, सहनशीलता,व्यवहार में परिवर्तन तथा मार्गदर्शक प्रदान करें, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के साथ ही उन्हें एक बेहतर इंसान बनाए। एक शिक्षक द्वारा शिक्षा को समावेशी व सार्वभौमिक बनाने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं :

i. **विद्यालयी वातावरण** : प्रत्येक शिक्षक द्वारा विद्यालय के वातावरण को सकारात्मक बनाना आवश्यक होगा। एक ऐसा विद्यालय जिसकी नींव प्यार और और विश्वास की हो, विद्यालयी भवन से समानता प्रदर्शित होती हो तथा विद्यालय की छत से सकारात्मकता, अभिप्रेरणा, सहयोग प्रदर्शित होता हो। उस विद्यालय के छात्र एक नागरिक बनकर वहाँ से निकलें।
ii. **बच्चे को समझना**: बच्चा विद्यालय सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने नहीं आता है। बल्कि वह तो एक नागरिक बनने विद्यालय आता है। बहुत सारी जिज्ञासाएं और एक नई उम्मीद की किरण लेकर बच्चा प्रतिदिन विद्यालय आता है। वह नहीं समझता कि शिक्षक क्या होता है ? ऐसे में शिक्षक का कर्तव्य है कि वह बच्चे को समझे।
iii. **बालकों के अनुरूप पाठ्यक्रम** : शिक्षक को यह पता होना चाहिए कि बच्चा क्या चाहता है ? बच्चे के अनुकूल ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए।
iv. **मार्गदर्शन एवं निर्देशन** : समावेशी शिक्षा में जब सब वर्ग के बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे तो शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शन तथा निर्देशन देने वाली होनी चाहिए। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों के समय छात्र का सही मार्गदर्शन करे तथा भविष्य में छात्र को विषय चुनने के लिए सही- सही निर्देशित करे।

v. **सबके लिए विद्यालय** : विद्यालय तक सबकी पहुँच हो। शिक्षक द्वारा अपने स्तर पर कोई अभियान चलाकर भी विद्यालय में सबकी पहुँच सुनिश्चित कराई जा सकती है। जैसे 'स्कूल चलो अभियान' 'पल्स पोलियो अभियान' 'घर-घर शिक्षा अभियान' आदि

vi. **छात्रों को स्वयं से अभिव्यक्ति की अनुमति** : विद्यालय में आकर छात्र को आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। इसलिए NCF 2005 में "विद्यालय बने आनंदालय"की बात कही गई। शिक्षक को अपनी बात छात्र के ऊपर थोपने के बजाय छात्र को उसकी अभिव्यक्ति की अनुमति देनी चाहिए। स्वयं अभिव्यक्ति करने से छात्र में आत्मविश्वास की वृद्दि होती है।

अभ्यास प्रश्न

4. समावेशी का क्या अर्थ है?
5. शिक्षा को समावेशी बनाने के लिए अध्यापक द्वारा किए जाने वाले दो उपायों को लिखिए।

1.5 प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमीकरण की नीतियाँ

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित उपाय अपनाए गए :

1.5.1 नई शिक्षा नीति

भारतीय संविधान के चौथे भाग में उल्लिखित नीति निदेशक तत्वों में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय। 1948 में डॉ राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के साथ ही भारत में शिक्षा-प्रणाली को व्यवस्थित करने का काम शुरू हो गया था। 1952 में लक्ष्मीस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग, तथा 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग की अनुशंशाओं के आधार पर 1968 में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव प्रकाशित किया गया, जिसमें 'राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्ध, चरित्रवान तथा कार्यकुशल' युवक-युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। मई 1986 में नई **राष्ट्रीय शिक्षा नीति** लागू की गई, जो अब तक चल रही है। राष्ट्रीय शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं :

- हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ''सबके लिए शिक्षा'' हमारे भौतिक और आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है। (भाग 2)
- शिक्षा सुसंस्कृत बनाने का माध्यम है। यह हमारी संवेदनशीलता और दृष्टि को प्रखर करती है, जिससे राष्ट्रीय एकता पनपती है, वैज्ञानिक तरीकेके अमल की संभावना बढ़ती है और समझ

और चिंतन में स्वतन्त्रता आती है। साथ ही शिक्षा हमारे संविधान में प्रतिष्ठित समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लक्ष्यों की प्राप्ति में अग्रसर होने में हमारी सहायता करती है। (भाग 2)

- राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का मूल मंत्र यह है कि एक निश्चित स्तर तक हर शिक्षार्थी को बिना किसी जात-पात, धर्म स्थान या लिंग भेद के, लगभगएक जैसी अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिये सरकार उपुयक्त रूप से वित्तपोषित कार्यक्रमों की शुरूआत करेगी। 1968 की नीति में अनुशंसित सामान्य स्कूल प्रणाली को क्रियान्वित करने की शिक्षा में प्रभावी कदम उठाये जाएंगे।(भाग 3)
- प्रारम्भिक शिक्षा की नई दिशा में दो बातों पर विशेष बल दिया जाएगा – (क) 14 वर्ष की अवस्था तक के सब बच्चों की विद्यालयों में भर्ती और उनका विद्यालय में टिके रहना, और ;(ख) शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार।(भाग 5)
- सबसे बड़ा काम है शैक्षिक बुनियाद को सुदृढ़ बनाना। उस बुनियाद को, जिसमें उस शताब्दी के अन्त तक लगभग सौ करोड़ लोग होंगे। यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जो पिरामिड के शिखर पर हों, वे विश्व में सर्वोत्तम स्तर के हों। अतीत में इन दोनों छोरों को हमारी संस्कृत के मूल स्रोतों ने भलीभाँति सिंचित रखा, लेकिन विदेशी अधिपत्य और प्रभाव के कारण इस प्रक्रिया में विकार पैदा हों गया। अब मानव संसाधन विकास का एक राष्ट्रव्यापी प्रयास पुनःशुरु होना चाहिए, जिसमे शिक्षा अपनी बहुमुखी भूमिका पूर्ण रूप से निभाए।

1.5.2 ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड

शिक्षा के अवरोधन में सुधार लाने के लिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना 1987 -88 में शुरु की गई। इस योजना की तीन मुख्य विशेषताएं हैं :

- लड़कों और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय तथा सभी मौसमों के लिए उपयुक्त दो बड़े कमरे जिसमे बरामदा भी शामिल है।
- प्रत्येक विद्यालय में दो अध्यापक अवश्य ही हों, जिनमे से एक महिला हो।
- TLM (ब्लेकबोर्ड,मानचित्र,नक़्शे,चार्ट,खिलौने,आदि) के द्वारा पठान कार्य करवाया जाय।

वर्ष 1987 -88 से 1992 -93 की अवधि में यह योजना देश के 91.5% ब्लॉकों में लागू की गई, जिसमे 91%प्राथमिक विद्यालय शामिल थे। इस योजना के तहत ही 1.52 लाख एकल शिक्षक विद्यालयों में लगभग 70 हजार शिक्षक नियुक्त किये गए और 1 लाख कक्षों का निर्माण किया गया। अन्य बस हुए विद्यालयों में यह योजना लागू करे के लिए 1992 में संशोधित ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना तैयार की गई, जिसमें तीन नई उपयोजनाओं को शामिल किया गया।

1. पूर्व में चल रही ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना को जारी रखना।
2. जिन प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या 100 से अधिक हो जाती है,उन विद्यालयों में तीन शिक्षक और तीन कक्षा कक्ष उपलब्ध करना।
3. अपर प्राथमिक विद्यालयों में इस योजना के कार्य क्षेत्र का विस्तार करना जैसे-
   a) प्रत्येक कक्षा या सेक्शन को कम से कम एक कमरा और एक शिक्षक।
   b) एक प्रधानाध्यापक सह- कार्यालय कक्ष।
   c) लड़कों और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय।
   d) एक पुस्तकालय सहित अनिवार्य अध्यापन शिक्षण उपकरण
   e) छोटी – मोटी टूट फूट के लिए तथा वस्तुओं को बदलने के लिए आकस्मिक अनुदान प्रदान करना।

ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का सफलतापूर्ण क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए:

a) उपकरण की टूट फूट के लिए तथा वस्तुओं को बदलने के लिए राज्य सरकार को आकस्मिक अनुदान प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया।
b) शिक्षकों को ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड सामग्री प्रयोग करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया।
c) बालिकाओं के नामांकन एवं विद्यालय में ठहराव के लिए नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों में 50% महिला शिक्षिकाओं को नियुक्ति दी गई।

इस योजना में 1993-94 तक सभी विद्यालयों को शामिल कर लिया गया। इस योजना के कारण ही सुविधा से वंचित विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की पूर्ति करने का प्रयास किया गया।

1.5.3 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए D.P.E.P योजना वर्ष 1993 में शुरु की गई। डीपीईपी बाहरी सहायता से चलने वाला कार्यकम है। परियोजना व्यय का 85 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा एवं शेष 15 प्रतिशत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। इसका लक्ष्य था:कुछ चुने हुए जिलों में एकीकृत तरीके से प्राथमिक शिक्षा का पुनर्निर्माण।

सर्वप्रथम सात राज्यों (असम, कर्नाटक,केरल,मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु) के 42 जिलों में यह कार्यक्रम शुरु किया गया और यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 1993-98 तक इस कार्यक्रम को 110 जिलों तक पहुँचा दिया जाए फिर इसका विस्तार सारे देश में किया जाए। जिन राज्यों में D.P.E.P कार्यकम चल रहा था वहाँ D.P.E.P की उप्लब्धियाँ निम्नलिखित हैं:

विद्यालय	1,60,000 से अधिक खोले गए।
वैकल्पिक शिक्षण केन्द्र	84,000, जिसमें 35 लाख बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
स्कूल भवन	52,778 का निर्माण किया गया।
अतिरिक्त कक्षाएँ	58,604
संसाधन केंद्र	16,619
मरम्मत कार्य	29,307
शौचालय	64,592
पेयजल	24,909

1.5.4 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन: (N.L.M)

इसकी शुरुआत 1988 में हुई ।इसका मुख्य उद्देश्य 15 -35 आयु वर्ग के करीब 8 करोड़ लोगों तक प्रयोजन मूलक साक्षरता पहुँचाना, यानि उन्हें कामकाज चलाने लायक साक्षर बनाना।

इसके लिए राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान (National ।nstitute of Adult Education) की स्थापना की गई । देश में कुछ अन्य कार्यक्रम भी चलाये गए जैसे – "हर एक पढ़ाए एक" "Each one teach one"और विद्यार्थियों का प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में सहयोग देना।

1.5.5 सर्व शिक्षा अभियान

इसका विस्तृत अध्ययन आप पूर्व में कर चुके हैं।

1.5.6 शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)

जब हम शिक्षा को घर घर पहुचाने की बात कर रहे हैं तो शिक्षा के आंकडे हमें बता देते हैं कि हम कितने कदम दूर हैं। भारत में 11 से 17 वर्ष के करोड़ों बच्चे हैं जो केवल आर्थिक कमाई का साधन हैं। भारत की जनगणना के अनुसार 9.1% बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ये विभिन्न स्थानों पर कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं, जैसे : जूते पॉलिश,ढाबे में, रोड के किनारे ,मशीनों को ठीक करते हुए, होटलों में वेटर के रूप में तथा कूड़ा बीनते दिख जाते हैं। लड़कियाँ अधिकतर घरों का कम करती हैं, वे अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल, खाना बनाना, कपड़े धोना, पानी लाना तथा बर्तन धोने में व्यस्त रहती हैं। इस प्रकार उनके माता पिता को आर्थिक रूप से चिंता नहीं होती है।

सन् 2000 में डकार सम्मलेन में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अनेक देश पूर्व सम्मलेन में निर्धारित लक्ष्यों तक नहीं पहुँच पाए तथा इस तथ्य पर सहमत हुए कि वर्ष 2015 तक शिक्षा हेतु निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ती हो पाएगी। इसमें छः लक्ष्य निर्धारित किये गए जिससे सबको शिक्षा मिल सके।

1. पूर्व बाल्यकाल एवं शिक्षा
2. प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण

3. युवा व प्रौढ़ो की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति
4. प्रौढ़ साक्षरता
5. लैंगिक समानता
6. गुणवत्ता परक शिक्षा

1948 में मौलाना अबुल कलम आजाद ने एक शिक्षा सम्मलेन कहा था – बुनियादी शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि उसके बगैर वह बतौर नागरिक जिम्मेदारियाँ बखूबी निभा सकता है। भारतीय संविधान में बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण धाराएँ व उपबंध हैं, जिनका शिक्षा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध है। धारा 45 में अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 में स्वतंत्रता (प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) का अधिकार है। इसी अधिकार को बनाए रखने के लिए 86 वे संविधान संशोधन में अनु० 21 ए को शामिल किया गया है, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनयम कहते हैं। यह पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से (जम्मू कश्मीर को छोड़कर) लागू हो गया है। इस अधिनियम में मुख्य रूप से सात अध्याय हैं,जो विभिन्न सेक्शनों में बाँटे गए हैं|

मुख्य विशेषताएँ

- 6 से 14 तक की आयु तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। संविधान के 86 वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है।
- सरकारी विद्यालय सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएँगे और विद्यालयों का प्रबंधन विद्यालय प्रबंधन समीतियो द्वारा किया जाएगा | निजी विद्यालय 25% बच्चे का नामांकन बिना किसी शुल्क के करेंगे।
- गुणवत्ता सहित प्राम्भिक शिक्षा के सभी पहलुओं पर निगरानी के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जाएगा।
- प्राथमिक शिक्षा समाप्त हिने से पहले किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा,निकाला नाह जाएगा या बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- ऐसा बच्चा जिसकी आयु छह वर्ष से ऊपर है, जो किसी भी विद्यालय में नहीं गया अथवा गया है और अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाया है,तब उसे उसकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।
- शिक्षक छात्र अनुपात 1:3 का होगा।
- शिक्षा की गुणवत्ता में अनिवार्य सुधार।
- स्कूल शिक्षक को पांच वर्षों के भीतर समुचित प्रशिक्षण डिग्री प्राप्त करनी होगी।
- स्कूल का बुनियादी ढाँचा 3 वर्षों के अंतर्गत सुधारा जाय अन्यथा उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

- वित्तीय बोझ में राज्य तथा केंद्र सरकार के बीच समझौता किया जाएगा।

1.5.7 मध्यान्ह भोजन योजना :

विद्यालय में नामांकन, ठहराव और छात्रों की नियमित उपस्थिति के साथ-साथ बच्चों के बीच पोषण स्तर सुधारने के दृष्टिकोण से प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम 15 अगस्त, 1995 से शुरू किया गया। केंद्र द्वारा प्रायोजित इस योजना को पहले देश के 2408 ब्लॉकों में शुरू किया गया। वर्ष 1997-98 के अंत तक एनपी-एनएसपीई को देश के सभी ब्लॉकों में लागू कर दिया गया। 2002 में इसे बढ़ाकर न केवल सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकायों के स्कूलों के कक्षा एक से पांच तक के बच्चों तक किया गया बल्कि ईजीएस और एआईई केंद्रों में पढ़ रहे बच्चों को भी इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया। वर्तमान में इस योजना का लाभ कक्षा आठ तक के छात्रों को मिल रहा है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:

- बच्चों को अच्छा पोषण व स्वास्थ्य देना।
- बच्चों को अच्छी शिक्षा देना।
- बच्चों में स्वच्छता एवं सफाई का गुण विकसित करना।
- सब वर्ग के बच्चे एक साथ भोजन करते हैं, जिससे उनमें समानता की भावना का विकास होता है।

मध्यान्ह भोजन योजना का विस्तृत अध्ययन आप ब्लाक 4 की इकाई 3 में करेंगे।

1.6 सारांश

विद्यालय वह स्थान है जहाँ बालक का सर्वांगीण विकास होता है। अभी भी शिक्षा तक सबकी पहुँच नहीं हो पाई है क्योंकि अभी भी विभिन्न स्थानों पर हमें कूड़ा बीनने वाले बच्चे, होटलों में काम करने वाले बच्चे, अखबार बाँटने वाले बच्चे तथा अन्य स्थानों पर कार्य करने वाले बच्चे मिल जाते हैं। शिक्षा तभी समावेशी होगी जब सभी बच्चों तक शिक्षा की पहुँच होगी, इसके लिए शिक्षक को बड़ी भूमिका निभानी होगी। एक शिक्षक ही है जो शिक्षा को सार्वभौमिक और समावेशी बनाने में अपना योगदान दे सकता है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता को बाल केंद्रित विधियों द्वारा विकसित किया जाना है और विद्यालय, घर व समाज में अच्छा सम्बन्ध स्थापित करना है। समावेशी शिक्षा की परिकल्पना इस संकल्पना पर आधारित है कि सभी बच्चों को विद्यालयी शिक्षा में पहुँच की इस कदर आवश्यकता है कि उन्हें क्षेत्रीय, सांस्कृतिक,सामाजिक परिवेश और विस्तृत सामाजिक,आर्थिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं में संदर्भित करके समझा जाय। क्योंकि भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता,सामाजिक न्याय एवं व्यक्ति की गरिमा को प्राप्य मूल्यों के रूप में निरुपित किया गया है। सार्वभौमीकरण के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं , जिनका विस्तृत अध्ययन आपने इस इकाई में किया।

1.7 शब्दावली

1. **समावेशन** :समावेशन एक ऐसी अवधारणा है, जिससे सब वर्ग एक साथ समानता के साथ चलें।
2. **NCF 2005**: (राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क) मानव विकास संसाधन मंत्रालय की पहल पर प्रो0 यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए 23 विद्वानों ने शिक्षा को नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा। यह विद्यालयी शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है और इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों व अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया है।

अभ्यास प्रश्न

6. मध्यान्ह भोजन योजना का आरम्भ _____ में किया गया।
7. RTE-2009 की कोई दो विशेषताएं लिखिए।
8. DPEP का पूरा नाम _____है।
9. नई शिक्षा नीति वर्ष_____में लागू हुई।
10. महात्मा गाँधी द्वारा बुनियादी शिक्षा वर्ष_____में दी गई।

11. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के अनु०_____में है।
12. RTE एक्ट वर्ष 2010 में पूरे देश में लागू हो गया है। (सत्य/असत्य)
13. शिक्षा के अवरोधन में सुधार लाने के लिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना 1987 -88 में शुरु की गई।(सत्य/असत्य)

1.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. SSA के मुख्य तीन उद्देश्य- नामांकन, गुणवत्ता तथा ठहराव
2. 2000 में
3. अपवंचित वर्ग वह वर्ग है जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया अथवा जिसे समाज के लोगों ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए ऊपर उठने नहीं दिया।
4. समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी बच्चों के लिए शिक्षा।
5. शिक्षा को समावेशी बनाने के लिए अध्यापक द्वारा किए जाने वाले दो उपाय:
   - **बच्चे को समझना**: बच्चा विद्यालय सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने नहीं आता है। बल्कि वह तो एक नागरिक बनने विद्यालय आता है। बहुत सारी जिज्ञासाएं और एक नई उम्मीद की किरण लेकर बच्चा प्रतिदिन विद्यालय आता है। वह नहीं समझता कि शिक्षक क्या होता है ? ऐसे में शिक्षक का कर्तव्य है कि वह बच्चे को समझे।
   - **बालकों के अनुरूप पाठ्यक्रम** : शिक्षक को यह पता होना चाहिए कि बच्चा क्या चाहता है? बच्चे के अनुकूल ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए।
6. 1995
7. RTE-2009 की कोई दो विशेषताएं:
   1. शिक्षक छात्र अनुपात 1:3 का होगा।
   2. शिक्षा की गुणवत्ता में अनिवार्य सुधार।
8. DPEP का पूरा नाम- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
9. 1986
10. 1937
11. अनु० 45
12. असत्य
13. सत्य

1.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Mohant , J, (1994): Education for all (EFA), Deep & Deep Publications, New Dehli .
2. Tyagi , P.N,(1991): Education for all,Graphic presentation, NEPA, New Dehli
3. Saiyidal n, K.G,(1970), Facts of Indian Education, NCERT, New Dehli .
4. डा. जायसवाल, सीताराम- शिक्षा का सामाजिक आधार, डालीगंज रेलवे क्रोसिंग, सीतापुर रोड, लखनऊ
5. प्रतियोगिता दर्पण,मई 2007, पृष्ठ संख्या 1874
6. www.google.com- RTE-2009, universalisation of school education

1.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण से क्या समझते हैं ? सार्वभौमीकरण के लिए चलाई जा रही विभिन्न नीतियों का विस्तृत वर्णन कीजिए।
2. समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं ? एक अध्यापक के रूप में आप अपने विद्यालय को समावेशी बनाने के लिए क्या उपाय करेंगे ? विस्तार से समझाइये।
3. शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है? आपने इस अधिनियम की कौन सी विशेषता को अपने विद्यालय में लागू किया है ? सविस्तार व्याख्या कीजिए।
4. सर्व शिक्षा अभियान क्या है? क्या इसके उद्देश्यों को 2015 तक प्राप्त कर लिया गया है ? इस योजना से अपवंचित वर्ग किस प्रकार लाभान्वित हुए हैं ? विवेचना कीजिए।

इकाई 2 - आधुनिक शिक्षा तथा इसके प्रति प्रतिक्रियाएँ

2.1 प्रस्तावना
2.2 उद्देश्य
2.3 स्वतंत्रता पूर्व से वर्तमान तक आधुनिक शिक्षा का विस्तार
2.4 बीसवीं शती के आरम्भ से भारत की स्वतंत्रता तक शिक्षा व्यवस्था
2.5 स्वतंत्रता पश्चात् आधुनिक शिक्षा का विस्तार
2.6 विभिन्न सामाजिक समूहों की आधुनिक शिक्षा के प्रति प्रतिक्रिया
    2.6.1 स्वतंत्र भारत में स्त्री शिक्षा
    2.6.2 अल्पसंख्यक
    2.6.3 निर्बल वर्ग, अनुसूचित जाति तथा जनजाति
2.7 औपनिवेशक शिक्षा की समीक्षा और उनके विकल्प की तलाश:-
2.8 सारांश
2.9 सन्दर्भ ग्रन्थ
2.10 निबंधात्मक प्रश्न

2.1 प्रस्तावना

भारतवर्ष की वर्तमान आधुनिक शिक्षा की आधारशिला के रूप में आप ब्रिटिश शासन के दौरान शैक्षिक तथा सामाजिक नीतियों को देख सकते हैं। यह सर्वविदित सत्य है, कि स्वतंत्रता के पश्चात् भारतवर्ष में ब्रिटिश शैक्षिक नीतियों की तीव्र आलोचना हुई तथा आधुनिक भारत के लिए आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की नींव रखी गयी। यह नींव रूपी शिक्षा का आधार कितना सार्थक या असार्थक सिद्ध हुआ, यह चर्चा और शोध का विषय है, लेकिन सामाजिक संरचना में दिखाई देने वाली शैक्षिक व्यवस्था तथा उसका कार्यान्वयन निश्चित रूप से संतोषजनक या सराहनीय नहीं कहा जा सकता। आजाद भारत में हमारे संविधान निर्माता, शैक्षिक नीतियाँ निर्धारण करने वाले तथा शिक्षाशास्त्री न केवल सजग थे, अपितु शैक्षिक व्यवस्था के लिए बहुत गम्भीर भी थे, इन लोगों की यह गम्भीरता संविधान के मौलिक अनुच्छेद 45 से भलीभाँति समझी जा सकती है। संविधान का मौलिक अनुच्छेद 45 ही एकमात्र ऐसा अनुच्छेद था, जिसमें समय सीमा का निर्धारण कर अति आवश्यकता या शीघ्रता की भावना साफ झलकती थी। इस भावना तथा संविधान में स्पष्टता के साथ दिया गया अनुच्छेद 45 मात्र संविधान के भाग-4 (नीति निर्देशक सिद्धांत) में स्थापित कर देने के कारण, राज्य सरकारों ने चार से ज्यादा दशकों तक इस महत्वपूर्ण

अनुच्छेद की उपेक्षा कर, शैक्षिक संरचना को कमजोर किया। वर्तमान इकाई में आप आधुनिक शिक्षा के आधार के रूप में सन् 1835 से 1947 तक ब्रिटिश शैक्षिक नीतियों तथा भारतीय आधुनिक शिक्षा के आधार रूप में 1947 से अब तक की शैक्षिक नीतियों तथा उनके प्रति प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे तथा साथ ही साथ सार रूप में कुछ स्वतंत्र शैक्षिक प्रतिमानों पर भी चर्चा करेंगे।

2.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप-

1. ब्रिटिश शासन की प्रमुख शैक्षिक नीतियों की आलोचना कर सकेंगे।
2. स्वतंत्रता पश्चात् आधुनिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विश्लेषण कर सकेंगे।
3. आधुनिक शिक्षा तथा समाज के भिन्न-भिन्न समूहों से इनके प्रति होने वाली प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण कर सकेंगे।
4. विभिन्न समूहों जैसे- महिला, दलित तथा जनजातियों के लिए प्रस्तुत शिक्षा व्यवस्था पर टिप्पणी कर सकेंगे।
5. आजादी पूर्व तथा आजादी के पश्चात् के कुछ प्रमुख शैक्षिक प्रतिमानों की व्याख्या कर सकेंगे।

2.3 स्वतंत्रता पूर्व से वर्तमान तक आधुनिक शिक्षा का विस्तार

उन्नीसवीं शताब्दी में ब्रिटिश शिक्षा

ब्रिटिश शासन के प्रारम्भिक वर्षों में आप चार्ल्स ग्राण्ट की पंचसूत्रीय योजना से भारत में शिक्षा व्यवस्था के स्थापत्य को समझ सकते हैं। यह पंचसूत्री योजना निम्नवत थी-

i. भारत में विद्यालयों की स्थापना।
ii. शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होना।
iii. पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान का विकास करना।
iv. ईसाई धर्म का प्रचार करना।

चार्ल्स अपनी पंचसूत्रीय योजना के माध्यम से भारतीयों की विचारधारा में परिवर्तन तथा उन्हें ईसाईयत में विश्वास कराना चाहते थे, उनकी इस योजना को सरकार की मान्यता भी प्राप्त हो गई तथा उन्हें भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता भी माना जाने लगा। चार्ल्स ग्राण्ट के पश्चात् दूसरा महत्वपूर्ण कदम आप सन् 1813 के आज्ञा पत्र को मान सकते हैं। इस आज्ञा पत्र में भारतीयों की शिक्षा के लिए कम से कम एक लाख रूपये के प्रावधान से एक उत्साहजनक माहौल का निर्माण हुआ, हालांकि यह उत्साह शीघ्र ही समाप्त हो गया क्योंकि एक लाख रूपये के व्यय का कोई भी प्रारूप विकसित न हो सका था। इस आज्ञा पत्र के पश्चात भारतीय शिक्षा के परिदृश्य में एक ऐसा ब्रिटिश नाम आता है, जिसे आप भलीभाँति समय-समय पर सुनते रहते होंगे, वह नाम था मैकॉले। सन् 1935 में मैकॉले ने पाश्चात्य शिक्षा के पक्ष में अपना

विचार ब्रिटिश शासन के समक्ष रखा और तत्पश्चात् 1913 के आज्ञा पत्र के गहन अध्ययन तथा प्राच्य पाश्चात्य के समर्थकों के विचारों को सुनने के पश्चात् बड़े ही तर्कपूर्ण ढंग से अपनी सलाह को लॉर्ड बैंटिक के पास भेज दिया, इसे ही आप 'मैकॉले का विवरण पत्र' के नाम से जानते हैं।

लॉर्ड मैकॉले ने अपने विवरण पत्र में प्राच्य शिक्षा और साहित्य का जोरदार खंडन किया तथा पाश्चातय शिक्षा और विज्ञान की शिक्षा की अनुशंसा की। मैकॉले का यह निम्नलिखित कथन उसकी प्राच्य शिक्षा के प्रति पूर्वाग्रह को भलीभाँति दर्शाता है- ''एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब के सम्पूर्ण साहित्य के समान महत्व रखता है।'' मैकॉले ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को माना तथा उसके पक्ष में पुरजोर वकालत की। मैकॉले का उद्देश्य ऐसे भारतीय तैयार करना था जो रूप व रंग में तो भारतीय हो, परन्तु विचार से अंग्रेज। ब्रिटिश शासनकाल में मैकॉले की शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण स्थान है तथा यह लम्बे समय तक प्रभावी रही। इसकी प्रभाविता के बावजूद प्राच्य पाश्चात्य विवाद न थमा और यह विवाद भी साथ ही साथ सक्रिय रहा। सन् 1853 को आप अन्य महत्वपूर्ण वर्ष के रूप में ब्रिटिश शिक्षा के सन्दर्भ में देख सकते हैं, जब ब्रिटिश संसद ने एक संसदीय समिति की नियुक्ति की तथा इसके अध्यक्ष के रूप में सर चार्ल्स वुड को नियुक्त किया। भारतीय शिक्षा नीति के परिवर्तन के लिए बनायी गयी इस समिति के घोषणा पत्र को आप 'वुड का घोषणा पत्र' के नाम से जानते हैं। वुड के इस घोषणा पत्र ने पूरी भारतीय शिक्षा को सुनिश्चित करने, बहुआयामी बनाने तथा दीर्घकालीन प्रभाव वाला बनाने का प्रयास किया। इस घोषणा पत्र में निम्नलिखित बिन्दुओं को समाहित करने का प्रयास हुआ-

i. शिक्षा नीति के संगठन के उद्देश्य क्या हो?
ii. शिक्षा का माध्यम क्या हो?
iii. सहायता अनुदान प्रणाली की सार्थकता कैसे हो?
iv. सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का स्वरूप क्या हो?
v. अध्यापकों का प्रशिक्षण का स्वरूप कैसा हो?
vi. महिलाओं की शिक्षा का स्वरूप कैसा हो?
vii. विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा जनशिक्षा का प्रसार कैसे हो?

वुड के घोषणा पत्र ने भारतीय शिक्षा को एक नया सार्थक आयाम दिया। इसकी विशालता के आधार पर ही, हम इसे 'भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्नाकार्टा भी कहते हैं। वुड के घोषणा पत्र में निर्देशित जन शिक्षा के प्रसार पर सक्रिय कदम न उठाने के कारण भारतवर्ष तथा इंग्लैण्ड दोनों जगहों पर भारी असंतोष उत्पन्न हुआ और यह असंतोष इनका अधिक था कि ब्रिटिश शासन को 'भारतीय शिक्षा आयोग' (हन्टर आयोग) की नियुक्ति 1882 में करनी पड़ी। आयोग ने सम्पूर्ण देश का सर्वेक्षण करके, शिक्षाविदों से विचार विमर्श करके तथा महत्वपूर्ण सम्बन्धित दस्तावेजों का अध्ययन करके मार्च 1883 में निम्नलिखित सिफारिशों के साथ अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। इसकी प्रमुख सिफारिशों में देशी

शिक्षा को प्रोत्साहन, प्राथमिक शिक्षा पर बल, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा का उचित स्थान, नारी शिक्षा, शिक्षा में सरकार तथा मिश्नरियों की भूमिका, धार्मिक शिक्षा तथा सहायता अनुदान प्रणाली शामिल थे। इस आयोग ने भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डाला।

हमने अभी तक की चर्चा में 19वीं शताब्दी के दौरान प्रमुख व महत्वपूर्ण कदमों की चर्चा की, आइये अब 20वीं शती के प्रारम्भ से भारत की आजादी तक ब्रिटिश शासन के दौरान मुख्य शैक्षिक नीतियों का अवलोकन करें और इस दौरान भारतीयों की सजगता से होने वाले प्रभाव तथा फलस्वरूप शिक्षा नीति को समझने की कोशिश करें।

अभ्यास प्रश्न

1. अनुच्छेद-45 पद के असफल होने के क्या कारण थे?
2. 19वीं शती की ब्रिटिश शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ क्या थीं?

2.4 बीसवीं शती के आरम्भ से भारत की स्वतंत्रता तक शिक्षा व्यवस्था

हमने अभी देखा कि उन्नीसवीं शती में चार्ल्स ग्राण्ट, मैकॉले, वुड तथा हंटर आदि आयोग की सिफारिशों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था थी लेकिन 20वीं शती का भारत तुलनात्मक रूप से अधिक सजग और सक्रिय हो रहा था और इसलिए भारत का जनसाधारण इन तमाम उपरोक्त वर्णित नीतियों से संतुष्ट नहीं हो पा रहा था और उसके असंतोष का सबसे मुख्य कारण भारतीय संस्कृति का तेजी से होता हुआ पतन था और वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य शिक्षा जनसाधारण के लिए सुलभ न थी। भारत की ऐसी बदलती हुयी परिस्थिति में लॉर्ड कर्जन 1899 में भारत आयें और शिक्षा व्यवस्था में सुधार से, प्रशासन में सुधार का दर्शन रखने के कारण भारतीय शिक्षा जगत में एक बार पुनः हलचल शुरू हो गयी। इस हलचल की शुरूआत 'भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902' की स्थापना से हुई, जिसमें दो भारतीय को साथ लेकर सर थॉमस रैले को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस आयोग का कोई अतिरिक्त विशेष प्रभाव न था यद्यपि इसने शिक्षा प्रणाली को पुर्नगठित तथा शक्तिशाली बनाने की संस्तुतियाँ की। रैले के सुझावों के आधार पर तमाम आलोचनाओं को दर-किनार करते हुए लॉर्ड कर्जन ने मार्च 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करवा लिया। इस अधिनियम के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा को सरकारी नियंत्रण में लाना तथा प्रोत्साहित करना था। हालांकि इस अधिनियम का एक सार्थक परिणाम यह हुआ कि भारतीय विश्वविद्यालय केवल परीक्षा संस्थाएँ न होकर शिक्षण संस्थाएँ भी बन गयीं जिससे कालान्तर में उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ा।

भारतीय जनमानस की तेजी से बदलती हुई आकांक्षा और राष्ट्रीय आन्दोलनों का शिक्षा पर प्रभाव पड़ना शुरू हो गया और इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा की मांग जोर-शोर से उठने लगी। राष्ट्रीय शिक्षा के निम्नलिखित सिद्धांत चिन्हित किये गये-

i. भारतीय नियंत्रण
ii. राष्ट्रीय चरित्र का विकास
iii. भारतीय आयामों पर बल
iv. व्यावसायिक शिक्षा पर बल
v. भारतीय आदर्शों पर बल

राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार किया गया तथा बंगाल में श्री गुरूदास बनर्जी की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय शिक्षा प्रसार समिति' का गठन किया गया। भारतीय आदर्शों को समाहित करते हुए सन् 1901 में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने शांतिनिकेतन में ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की, जो 1921 में विश्वभारती बना। हरिद्वार, वृन्दावन, काशी और अन्य जगहों पर शिक्षण संस्थाएँ स्थापित की गयी, परिणामस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा के निर्माण में अप्रत्याशित प्रगति हुयी। सन् 1910 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा हेतु गोपाल कृष्ण गोखले का प्रस्ताव भारतीय परिदृश्य में एक नयी ऊर्जा लेकर आया। गोखले जी का यह प्रस्ताव तो अस्वीकार हो गया लेकिन इस प्रस्ताव ने भारतीय जनमानस पर गहरा प्रभाव डाला। सरकार भी बहुत लम्बे समय तक स्थिति की उपेक्षा नहीं कर सकी तथा सन् 1913 में शिक्षा नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव लेकर आयी जिसमें प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा की प्रगति के लिए कई महत्वपूर्ण बिन्दु शामिल किये गये। इसी प्रस्ताव में प्रत्येक प्रांत ने एक विश्वविद्यालय खोलने तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य को प्रोत्साहित करने के सुझाव भी दिये गये। प्रथम विश्व युद्ध की वजह से इसमें कोई विशेष प्रगति नहीं हो पायी तत्पश्चात् 1917 में 'कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग' डॉ0 माइकल सैडलर की अध्यक्षता में गठित किया गया तथा इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय के अलावा अन्य विश्वविद्यालयों व शिक्षा के अन्य अंगों की जाँच करने का भी अधिकार दिया गया। इस आयोग ने अपनी संस्तुतियाँ 1919 में प्रस्तुत कर दी। इसके तुरन्त पश्चात् राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन (1920-22) ने तीव्र गति पकड़ ली और महात्मा गाँधी के असहयोग आन्दोलन के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन भी समस्त राष्ट्र में फैल गया। सन् 1919 में पारित भारत सरकार अधिनियम ने 1921 में द्वैध शासन की स्थापना की लेकिन भारतवासी इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे और अधिकारों की मांग के कारण नवम्बर 1927 में सर जॉन साईमन की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की तथा इसी प्रक्रिया में भारतीय शिक्षा की स्थिति की जाँच करने के लिए एक सहायक समिति सर फिलिप हर्टांग की अध्यक्षता में गठित की तथा इसी हर्टांग समिति ने सन् 1929 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति को इस रिपोर्ट पर भारतीयों का विरोध, साईमन आयोग के प्रतिवेदन, सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन के वाद-विवाद, श्वेत पत्र, संयुक्त प्रवर समिति रिपोर्ट तथा लोथियां रिपोर्ट के आधार पर सन् 1935 में ब्रिटिश सरकार ने 'भारत सरकार अधिनियम' पारित किया और फलस्वरूप प्रान्तों को प्रान्तीय

स्वतंत्रता दे दी गयी। हर्टांग समिति की अनुशंसा के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने सन् 1921 में स्थापित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को पुनः 1935 में गठित किया। इस बोर्ड के आग्रह पर 1937 में एवं और वुड दो विद्वान भारत आये और शिक्षा प्रणाली पर तमाम अध्ययन के पश्चात् अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके पश्चात् 1944 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने शैक्षिक विकास के सम्बन्ध में एक विस्तृत योजना बनायी जिसे हम 'सार्जेण्ट योजना' के नाम से जानते हैं। सर जॉन सार्जेण्ट ने 'भारत में शैक्षिक विकास पर एक स्मृति पत्र' 1944 में बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया, इसमें शिक्षा के सभी स्तरों पर विचार विमर्श हुआ और परिणामस्वरूप यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की स्थापना करने की दिशा में प्रथम राजकीय प्रयास हुआ। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सार्जेण्ट योजना का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान हैं।

अभ्यास प्रश्न

3. लॉर्ड कर्जन के शासन काल में ब्रिटिश सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में क्या भूमिका थी?
4. गोखले के प्रस्ताव के शिक्षा के लिए क्या निहितार्थ थे?

2.5 स्वतंत्रता पश्चात आधुनिक शिक्षा का विस्तार

लगभग दो सौ वर्ष के ब्रिटिश शासन के उपरान्त 15 अगस्त 1947 से शिक्षा व्यवस्था की दिशा व दशा तय करने का अधिकार अब भारतवर्ष के पास था। संविधान निर्माताओं ने इस दिशा में बहुत ही सक्रिय कदम उठाते हुए 26 जनवरी 1950 को लागू होने वाले संविधान में अनुच्छेद 45 की अवधारणा दी जिसमें यह कहा गया कि 'संविधान लागू होने के दस वर्षों के अन्दर सभी राज्य अपने क्षेत्र के सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु होने तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।' सम्पूर्ण संविधान में यह एक मात्र ऐसा अनुच्छेद था जिसे समय सीमाबद्धता से जोड़ा गया था, बावजूद इसके राज्य इस महत्वपूर्ण अनुच्छेद की चार दशकों तक अवहेलना कर सके क्योंकि इस महत्वपूर्ण अनुच्छेद का अनुस्थापन संविधान के भाग-4 नीति निर्देशक सिद्धांत में करने के कारण यह न्यायालय के अधीन नहीं आता था।

आजाद भारत में कुछ अत्यधिक धीमी गति से ही शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त करने का कार्य हुआ और इस दिशा में निर्णय लेने की क्षमता ने भी प्रगति को अवरोधित किया। राधाकृष्णन आयोग (1948-49), मुदालियर आयोग (1952-53), कोठारी आयोग (1964-66) के रास्ते भारतवर्ष को अपनी पहली 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' का निर्माण करने में 21 वर्षों का लम्बा समय लग गया। 1968 की यह 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' कई सन्दर्भों में पूर्ण नहीं थी अतः संतोषजनक अर्थों में भारतवर्ष को अपनी लगभग पूर्ण 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' 1986 में प्राप्त हुई, लेकिन इसे प्राप्त करने में आजाद भारत को 39 वर्षों का बहुत लम्बा सफर तय करना पड़ा।

दुर्भाग्यवश सरकारी कदमों तथा विभिन्न आयोगों व शिक्षा नीतियों की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन में विसंगतियों से भारतीय शिक्षा की संरचना को मजबूत आधार मिलने के बजाये गुणात्मक अवमूल्यन को आधार मिला। उदाहरण स्वरूप आप एक छोटे से दृष्टान्त से इन विसंगतियों को भलीभाँति समझ सकते हैं- 'कोठारी शिक्षा आयोग (1964-66) ने समान स्कूल व्यवस्था (कॉमन स्कूल सिस्टम) की अनुशंसा करते हुए कहा था कि यह एक ऐसी व्यवस्था होगी जो सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुलभ कर पायेगी। इस व्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए आयोग ने पड़ोसी स्कूल को एक ऐसे औजार के रूप में प्रस्तुत किया था जो सामाजिक अलगाव को कम करने में मददगार होगा। इस अनुशंसा की संसद द्वारा पारित पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968), दूसरी शिक्षा नीति (1986) और संशोधित शिक्षा नीति (1992) में तीन बार स्वीकारा गया लेकिन सरकार द्वारा उठाये गये कई कदम अलग-अलग सामाजिक तबकों के लिए अलग-अलग प्रकार की स्कूल व्यवस्थाएँ खड़ी करके समान स्कूल व्यवस्था का उल्लंघन करते रहे'।

स्वतंत्रता के पश्चात आधुनिक शिक्षा को विस्तार देने का प्रयास करते हुए, भारतीय संविधान के खण्ड तीन और चार में शिक्षा सम्बन्धी अनेक प्रावधान किये गये। इन तमाम प्रावधानों को आप निम्नलिखित अनुच्छेदों के विस्तृत वर्णन से स्वयं ही समझ सकते हैं। आपके तात्कालिक संज्ञान के लिए यहाँ पर केवल सम्बन्धित अनुच्छेदों का उल्लेखन मात्र किया जा रहा है। ये अनुच्छेद हैं- 13, 15, 21A, 28, 30, 37, 38. 39, 41, 45, 46, 47, 51A.

इन अनुच्छेदों के माध्यम से शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, समान शैक्षिक अधिकार, अनुसूचित जाति, जनजाति व कमजोर वर्गों की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता, मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएँ, स्त्रियों तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा इत्यादि को संगठित तथा मजबूत करने का प्रयास किया गया।

अभ्यास प्रश्न

5. भारतीय शिक्षा नीति के उद्भव में विलम्ब के कारण क्या थे?
6. आजाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

2.6 विभिन्न सामाजिक समूहों की आधुनिक शिक्षा के प्रति प्रतिक्रिया

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपने-अपने देशों मे पुर्ननिर्माण का कार्य शुरू किया और इसके साथ ही अपनी गुलामी से मुक्त होने का प्रयास तथा एक संप्रभु देश के रूप में उदय होने की दिशा में कार्य करना प्रारम्भ किया। इस दिशा में 'विकास' उनका एक मुख्य मुद्दा था तथा भारत जैसे देश में 'विकास' के आधारों में मुख्य आधार शिक्षा को दिया गया। जैसा कि आप समझते हैं कि शिक्षा ही आर्थिक प्रगति, सामाजिक न्याय और विभिन्न सामाजिक स्थितियों का एक महत्वपूर्ण आधार है। शिक्षा

के स्वरूप तथा इसकी व्यवस्था पर आजादी से पूर्व तथा आजादी के पश्चात् विभिन्न समूहों जैसे- स्त्री, अल्पसंख्यक, निर्बल वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति इत्यादि की प्रतिक्रियाओं तथा उनके सन्दर्भों का अध्ययन हम इस इकाई में करेंगे।

2.6.1 स्वतंत्र भारत में स्त्री शिक्षा

स्त्री शिक्षा की स्थिति का मूल्यांकन अगर हम स्वतंत्र भारत के सन्दर्भ में करें तो औपनिवेशक काल की तुलना में हम अपने आपको बेहतर स्थिति में पाते हैं। मुगलकालीन शासन व्यवस्था और औपनिवेशक काल में जो स्त्री शिक्षा मुख्य धारा में शामिल नहीं थी, स्वतंत्र भारत में अनिवार्य रूप से प्रदान की जा रही हैं शैक्षणिक संस्थानों के अभूतपूर्व प्रसार, शैक्षणिक अवसरों की उपलब्धता तथा साक्षरता से सम्बन्धित नीतियों को कार्यन्वित करने का ही नतीजा है कि 1947 में जो स्त्री साक्षरता 6 प्रतिशत थी वह आज 65 प्रतिशत हो चुकी है। भारत में 1948 के बाद की अवधि में महिलाओं की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु विभिन्न विकास कार्यक्रम और नीतियाँ शुरू की गईं। आज उन नीतियों का ही नतीजा है कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में हम जबरदस्त बदलाव को पाते हैं। संविधान ने लिंगों की समानता को मौलिक अधिकार के रूप में निर्धारित किया है परन्तु इस समानता को सही मायने में सिर्फ स्त्री शिक्षा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। भारत के समग्र विकास के लिए यह जरूरी है कि स्त्री शिक्षा से जुड़े तमाम शिक्षा कार्यक्रमों को कार्यन्वित किया जाये। चाहे देश के आर्थिक विकास और समृद्धि की बात हो; स्त्री के आर्थिक सशक्तीकरण की बात हो या फिर स्त्रियों के बेहतर स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन शैली की बात हो; स्त्री शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आर्थिक सशक्तीकरण और स्वतंत्रता केवल महिलाओं के उचित शिक्षा और रोजगार के माध्यम से ही संभव है।

इकस्वीं सदी के भारत में आज प्रत्येक स्तर पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है परन्तु आज भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि यदि आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं तो आप किसी व्यक्ति को शिक्षित करते हैं परन्तु अगर आप किसी औरत को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। केरल और मिजोरम भारत में दो ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सार्वभौमिक रूप से महिला साक्षरता दर प्राप्त की है। बिहार और झारखण्ड जैसे राज्यों में महिला साक्षरता दर की स्थिति आज भी अच्छी नहीं है। शिक्षा के मामले में महिलाओं की दुर्दशा के पीछे उनके माता-पिता का नकारात्मक रवैया भी कुछ हद तक जिम्मेदार होता है। आज भी उच्च शिक्षा में स्त्रियों की भागीदारी बहुत कम है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1975 में महिलाओं का दशक की घोषणा के बाद से बहुत सारी चीजों में बदलाव आये हैं और बहुत सारी चीजों में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत हैं बिहार में महिला जनसंख्या लगभग पाँच करोड़ है परन्तु साक्षर महिलाओं की संख्या सिर्फ लगभग दो करोड़ ही है उसी प्रकार झारखण्ड में महिला जनसंख्या लगभग 1.5 करोड़ है परन्तु साक्षर महिलाओं की संख्या सिर्फ लगभग 75 लाख रही है। इस प्रकार हम पाते हैं कि आज भी देश की आधी महिला आबादी अनपढ़ है। इस बात को स्त्री शिक्षा से जुड़े तमाम हितधारकों को समझना होगा की स्त्री सशक्तीकरण द्वारा ही देश को

मजबूती प्रदान की जा सकती है। राष्ट्रीय महिला नीति 2016 स्त्री शिखा को मुख्य धारा में लाने का बहुत सारे उपायों का उल्लेख करती है जिसमे से कुछ इस प्रकार हैं -

i. आँगनबाड़ी केन्द्रों को मजबूती प्रदान कर।
ii. शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 को कार्यन्वित कर।
iii. लिंग आधारित सुविधाओं को उपलब्ध करा कर।
iv. विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में सहयोगात्मक व्यवहार द्वारा।
v. दूरस्थ शिक्षा द्वारा।

आज स्त्री शिक्षा की अच्छी स्थिति नहीं होने के कारण ही लिंगानुपात 1000 लड़कों पर 918 लड़कियों का हो चुका है। इन स्थितियों का ही नतीजा था की भारत सरकार द्वारा 2015 के जनवरी महीने में 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं' अर्थात् लड़कियों को बचाना और शिक्षित करना वाली योजना की शुरूआत हुई। इस योजना का मकसद भारतीय समाज में लड़कियों और महिलाओं के लिए कल्याणकारी कार्यों की कुशलता को बढ़ाने के साथ-साथ लोगों के बीच शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भी है। लड़कियों के प्रति लोगों की विचारधारा में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ ही ये योजना भारतीय समाज में लड़कियों की महत्ता की ओर भी इंगित करता है। भारतीय समाज में लड़कियों के प्रति लोगों की मानसिकता आज भी कमोवेश पहले जैसी ही है। इसलिए उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कराने के साथ छोटी बच्ची की सुरक्षा को पक्का करना, लड़कियों को बचाना, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए इस योजना की शुरूआत की गयी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खान-पान अधिकार को समान रूप से उपलब्धता लड़कियों को तभी प्राप्त होगी जब उनके शैक्षिक स्तर में सुधार होगा। नैपोलियन को एक बार पूछा गया था कि फ्रांस के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उन्होंने उत्तर देते हुए कहा था कि राष्ट्र की प्रशिक्षित और शिक्षित माताओं के बिना प्रगति असंभव है शिक्षित महिलाओं के अभाव में इस देश के लगभग आधे लोग अज्ञानी होंगे। यह सर्वविदित है कि अगर सभी प्रकार की असमानताओं पर विजय प्राप्त करनी है तो फिर हमें स्त्री शिक्षा द्वारा स्त्रियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिणिक परिवेश को बदलने का प्रयास करना होगा और तभी हम एक मजबूत भारत के निर्माण का सपना देख पायेंगे।

आजादी के पूर्व के कुछ चुनिंदा उदाहरणों को यदि छोड़ दिया जाये तो स्त्रियों की प्रतिक्रिया तथा उनका शिक्षा के क्षेत्र में योगदान तथा उनके अनुभव को बहुत उत्साहजनक नहीं कहा जा सकता है। आजादी के पश्चात् और विशेष रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 के पश्चात् ही आज मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों तरह के परिवर्तनों को स्पष्टतया देख सकते हैं। हालांकि 1958 में दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में गठित 'राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति', 1962 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद ने विद्यालय स्तर पर बालक तथा बालिकाओं के पाठ्यक्रम में अंतर होने अथवा नहीं होने की महत्वपूर्ण समस्या पर विचार करने हेतु श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में गठित समिति तथा 1964 में कोठारी आयोग की महत्वपूर्ण अनुशंसाओं का संज्ञान आपके लिए अत्यंत आवश्यक है लेकिन जैसा कि ऊपर कहा गया है कि स्त्री

शिक्षा तथा उनके अनुभव राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 के उपरान्त ही परिलक्षित होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 के सम्बन्धित अंश में लिखा है कि, 'शिक्षा का उपयोग महिलाओं के सामाजिक दर्जे में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जायेगा। अतीत से चली आ रही विकृतियों को खत्म करने के लिए महिलाओं के पक्ष में एक स्पष्ट तयशुदा झुकाव होगा। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था महिलाओं को सशक्तीकरण हेतु एक सकारात्मक हस्तक्षेप की भूमिका निभायेगी.....इस काम को कृत संकल्प होकर सामाजिक 'इजीनियरिंग' के रूप में किया जायेगा.....।

2.6.2 अल्पसंख्यक

भारत विविधताओं से युक्त देश है और इस विविधता के कई आयाम है जिनमें से एक मुख्य घटक विभिन्न धर्म हैं। भारत देश में बहुसंख्यक हिन्दू धर्म के अतिरिक्त अन्य कई धर्मों के लोग हैं, आजादी के पूर्व धर्म के आधार पर भारतीय जनमानस के संज्ञान में किसी भी तरह की विभाजन या अलगाववादी सोच की कल्पना नहीं दिखायी पड़ती है। अतः आजादी पूर्व इस तरह की संकल्पना पर विचार समीचीन नहीं होगा। आजादी के पश्चात् भी कमोवेश यही मानसिकता परिलक्षित होती है लेकिन 1947 के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन से तत्कालीन चिंतक व नीति निर्माता भविष्य के भारत को एक रखने तथा उसमें रहने वाले लोगों को समान व समुचित अवसर प्रदान करने हेतु तथा अल्पसंख्यक वर्ग की धार्मिक, भाषाई अथवा सांस्कृतिक पहचान अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय संविधान में समुचित प्रयास किये है। शिक्षा इस पहचान को बनाये रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है इसलिए अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षा व्यवस्था करके अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक विरासत के स्थानान्तरण की स्वतंत्रता दी गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24, 30, 350 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रयास अल्पसंख्यकों की शिक्षा तथा विकास सुनिश्चित किया गया है।

2.6.3 निर्बल वर्ग, अनुसूचित जाति तथा जनजाति

आजादी पूर्व निर्बल वर्ग, अनुसूचित जाति तथा जनजाति का शैक्षिक विकास कई सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के कारण बहुत ही पिछड़ा रहा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सामाजिक, राजनीतिक चेतना ने निर्बल वर्गों की स्थिति को काफी प्रभावित किया। सामाजिक रूढ़ियों में परितर्वन तथा प्रगतिशीलता के कारण, समाज की मुख्यधारा से कटे दलितों तथा निर्बल वर्गों के शैक्षिक विकास के लिए प्रयास किये गये। आजादी के पश्चात् इस प्रयास तथा इन वर्गों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), 46, 335, 338, 339, 340, 341 तथा 342 में इन वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किये गये। स्वतंत्रता के पश्चात् कुछ विशेष प्रयास निम्नलिखित हैं-

i. निःशुल्क शिक्षा तथा पुस्तकीय सहायता।
ii. प्रवेश हेतु आरक्षण व्यवस्था।
iii. अर्ह होने के लिए प्राप्तांकों में छूट।
iv. रोजगार में आरक्षण व्यवस्था।
v. छात्रवृत्तियों की व्यवस्था।

vi. आश्रम स्कूलों की स्थापना।

vii. सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषताओं का संरक्षण, इत्यादि।

शिक्षा को विकास की प्रक्रिया में एक प्रमुख घटक मानते हुए आजाद भारत में अनुसंधानकर्ताओं ने निर्बल वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान केन्द्रित करना शुरू किया और परिणामस्वरूप शिक्षा व्यवस्था की दिशा व दशा के स्वरूप पर भाँति-भाँति के आंकड़े मिलने शुरू हो गयें, जिसके आधार पर शिक्षा नीतियों तथा उनके कार्यान्वयन में सन्दर्भ के अनुरूप सुझाव प्रस्तुत किये गये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 में यह कहा गया कि ''शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े समाज के सभी वर्गों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त प्रोत्साहन दिये जायेंगे। पहाड़ी व रेगिस्तानी जिलों, दूर दराज व दुर्गम क्षेत्रों तथा द्वीपो पर उपयुक्त संस्थागत अधिसंरचना प्रदान की जायेगी''।

अभ्यास प्रश्न

7. आजाद भारत में स्त्रियों की शिक्षा व्यवस्था पर आपकी क्या राय है?
8. आजाद भारत में भारतीय संविधान के द्वारा अल्पसंख्यकों, निर्बल वर्गों, अनुसूचित जाति तथा जनजाति को किस प्रकार सुरक्षित किया गया है?

2.7 औपनिवेशक शिक्षा की समीक्षा और उनके विकल्प की तलाश

ब्रितानी हुकूमत के दो सौ साल से अधिक समय के शासन काल में उन्नीसवीं शताब्दी का उत्तरार्ध एक ऐसे वक्त को इंगित करता है जिसमें न सिर्फ 1857 का गदर शामिल है बल्कि उन अनगिनत चैतन्य इतिहास पुरूषों के अवतरण का भी साक्षी रहा है जिन्होंने उस सामाजिक परितवर्तन का नेतृत्व किया जिसने समाज को अपने मूल की ओर लौटने का उधृत किया। भारतीय समाज सेवकों, साहित्यकारों और चिन्तकों को यह बात बड़ी जल्द समझ में आ गयी थी कि अंग्रेजी हुकूमत के रहते भारतीय कभी भी अपनी भारतीयता को हासिल नहीं कर पायेंगे। यही वह सोच थी जिसने भारतीय समाज को अपने देशज तत्वों की खोज की ओर अग्रसर किया उन्हीं देशज तत्वों में अपनी शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करना भी शामिल था। औपनिवेशिक शिक्षा की समीक्षा और उनके विकल्प की तलाश उस माहौल का एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिन्दु था जिसने शिक्षा में नये-नये प्रयोगों को जन्म दिया था। ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, स्वामी दयानन्द सरस्वती, स्वामी श्रद्धानन्द, रबिन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गाँधी और आगे चल कर जिद्दु कृष्णमूर्ति जैसे महान लोगों ने न केवल औपनिवेशक शिक्षा के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले दुष्परिणाम के प्रति लोगों को आगाह किया था बल्कि विकल्प स्वरूप अपने स्थानीय परिवेश और जीवन व्यवहार से जुड़ी शिक्षा व्यवस्था को स्थापित भी किया था। ईश्वर चन्द्र विद्यासागर ने बंगाल की शिक्षा प्रणाली में एक क्रांति लायी उन्होंने गाँव के पाठशाला में प्राथमिक शिक्षा शुरू की। एक स्वदेशी भारतीय स्कूल जहाँ

भाषा, व्याकरण, अंकगणित और अन्य शास्त्र युवाओं को सिखाया जाता था। विद्यासागर की योजनाओं के मुख्य उद्देश्य में से लड़कियों की शिक्षा एक थी। हिन्दू शास्त्रों के सच्चे अर्थ को समझाते हुए शिक्षा के अधिकारों का समर्थन करने और सच्चे लोगों के बीच इस सच्चाई का प्रचार करने का श्रेय विद्यासागर को जाता है। लड़कियों के 35 स्कूल खोलने का श्रेय विद्यासागर हो जाता है। स्वामी श्रद्धानन्द ने लाला मुंशीराम गुरूकुल की स्थापना कांगरी में 1902 में की। यह टैगोर के ब्रह्मचर्याश्रम की तरह ही था जहाँ भारतीय दर्शन के आलोक में शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए उनकी प्राप्ति में अपने समय के अक्षम विद्यालयों ने ही कृष्णमूर्ति और टैगोर दोनों को अलग तरह के विद्यालयों की स्थापना के लिए प्रेरित किया। वे संस्थाएँ आज भी अपनी प्रासंगिकता साबित कर रहीं हैं। टैगोर के उत्कृष्ट योगदान पर कृष्ण कुमार कहते हैं- ठाकुर ने जहाँ एक ओर ज्ञान की औपनिवेशिक अवधारणाओं को मिटाने की कोशिश की वहीं शिक्षा से उत्पीड़ित बच्चे की मुक्ति के लिए ब्रह्मचर्याश्रम की आधारशिला रखी। टैगोर ने जिस वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की शुरूआत की उसके पीछे सिर्फ बचपन के अनुभव का ही योगदान नहीं था उस समय की सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों ने भी कुछ अलग से करने को प्रेरित किया। ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न देशकाल में किये गये शिक्षा से सम्बन्धित प्रयोगों और प्रयासों से टैगोर पूरी तरह वाकिफ थे। मैकॉले की नीतियों को कार्यान्वित करने के बाद देशज शिक्षा की दयनीय स्थिति तथा स्थानीय भाषा में उपलब्ध ज्ञान को निम्न स्तर का बताते हुए खत्म करने की साजिश- ये दो ऐसे मूल कारण थे जिसने टैगोर का ध्यान मूल की महत्ता की ओर आकृष्ट किया तथा उसे संरक्षित करने सम्बन्धित विचारों का बीजारोपण किया। सामाजिक कुरीतियों तथा स्त्री शिक्षा से जुड़ी हुई कई समस्याओं के निवारण में उन्नीसवीं सदी के अंत तक आते-आते उपलब्ध संस्थाओं की असमर्थता से टैगोर परिचित हो चुके थे। जो भी संस्थाएँ शिक्षण कार्य से सम्बद्ध थी वे सभी ब्रिटिश हुकूमत को लाभ पहुँचाने वाली नीतियों के अनुकरण में व्यस्त थीं। स्वाभाविक था कि उस समकालीन शिक्षा व्यवस्था से भारतवर्ष का भला नहीं होने वाला था। टैगोर ने 1901 में ब्रह्मचर्याश्रम की स्थापना की थी। अपने समय की समकालीन औपचारिक शिक्षा व्यवस्था को असंगत तथा शिक्षा के उद्देश्य को पाने में असफल बताने वाले कृष्णमूर्ति की कैलिफोर्निया यात्रा ने एक ऐसे शिक्षण संस्थान की नींव रखने सम्बन्धित बीज-विचार को रोपित किया जो सरकारी संस्थानों की असफलता के एवज में एक बेहतरीन विकल्प के रूप में 1931 में ऋषि वैली के रूप में दिखा। लगभग नौ दशकों के लम्बे समयावधि में इस विद्यालय ने अपने अद्वितीय छवि को आज भी बनाये रखा है। आज भी हमारी शिक्षा व्यवस्था पर मैकॉले की नीतियों का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है और उसी का नतीजा है कि हमारी सृजन क्षमता संकट में है। अतः अपनी शिक्षा व्यवस्था को हमारे महान शिक्षाविदों के द्वारा सुझाये गये वैकल्पिक व्यवस्था के सन्दर्भ में पुर्नपरिभाषित करने की जरूरत है।

2.8 सारांश

यह सर्वविदित तथ्य है कि शिक्षा का एक बड़ा स्तर सामाजिक न्याय को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं शैक्षिक संस्थानों से उम्मीद की जाती हे कि वे बच्चों को समाज में सार्थक जगह हासिल करने के लिए आवश्यक योग्यता से लैस कर पायेंगे जो एक समतावादी समाज की स्थापना के लिए जरूरी है। हालांकि आज भी भारत में बड़ी संख्या में बच्चों को शैक्षणिक व्यवस्था से बाहर रखा जाता है और इसलिए वे अपने समुदायों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में सार्थक रूप से से भाग नहीं ले पाते हैं। हाशिए पर जीवनयापन करने वाला समुदाय वह समूह है जो समाज के निचले तबके से आता है, जो समूह आज भी मुख्यधारा के आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने से वंचित है। आज भी महिलाओं, आदिवासी समूहों और अनुसूचित जाति तथा जनजाति तबकों में एक बड़ा वर्ग अनपढ़ लोगों का है। मौजूदा शैक्षणिक कार्यक्रम उन बच्चों तथा उन लोगों जिनमें की समाज में हाशिए पर धकेल दिये गये लोग मुख्य रूप से शामिल है, की जरूरतों को पूरा करने में विफल रहा है। कुछ शैक्षणिक कार्यक्रम जरूर ऐसे हैं जिन्हें समाज के उस तबके को मुख्य रूप से ध्यान में रख कर बनाया गया हे जो आज भी अपने आप को मुख्य धारा में शामिल नहीं कर पायें हैं परन्तु वे कार्यक्रम भी अपर्याप्त सेवाएँ ही प्रदान कर पा रही हैं। शिक्षा का अधिकार सार्वभौमिक है और किसी भी प्रकार के बहिष्कार या भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। हालांकि, आज भी भारत जैसे विकासशील देश को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने के अवसर को सभी के लिए उपलब्ध करवाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आदिवासी समूहों को अक्सर राष्ट्रीय शैक्षिक नीतियों में कोई स्थान नहीं दिया जाता है। गैर भेदभाव और समानता प्रमुख मानव अधिकार सिद्धांत है जो शिक्षा के अधिकार पर लागू होते हैं। राज्यों का यह दायित्व है कि राष्ट्रीय स्तर पर इन सिद्धांतों को लागू करें और शिक्षा में मौजूदा असमानताओं को खत्म करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करते हुए नये कार्यक्रमों को कार्यान्वित करें।

2.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Chauhan,C.P.S.: Modern Indian Education: Policies, Progress & Problems. Kanishka Publishers, New Delhi, 2004
2. Khanna,S.D. (et.al.): History of Indian Education and its Contemporary Problems. Doaba House, Delhi, 2002
3. Mukherji,S.N.: Education in India Today and Tomorrow. Vinod Pushtak Mandir, Agra, 1992.
4. Kumar Krishna: Raj, Samaj aur Shiksha. Raj Kamal Prakashan, New Delhi, 2001

5. Vaidya, N. & Vaidya, S.; Encyclopedia of Educational Foundations and Development. Deep & Deep Publications, New Delhi, 2002.
6. The Report of University Education Commission, 1948-49. Published by Govt. of India Press.
7. The Report of Secondary Education Commission, 1952-53. Published by Govt. of India Press.
8. The Report of Indian Education Commission, 1964-66. Published by Govt. of India Press.
9. Challenges of Education: A Policy Perspective. Published by Ministry of Education, 1985.
10. National Policy on Education, 1986. Published by MHRD, 1986.
11. National Curriculum Framework-2005, Published by NCERT, 2005.
12. Programme of Action, 1986 & 1992. Published by MHRD, 1986 & 1992.
13. India Vision 2020: The Report, Planning Commission, Govt. of India. Published by Academic Foundation, New Delhi, 2004.

2.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. स्वतंत्रता के संग्राम ने भारत में शिक्षा की प्रगति को किस प्रकार प्रभावित किया।
2. अनुच्छेद 45 के असफल होने के पीछे, राज्य तथा समाज की जिम्मेदारियाँ कैसे सुनिश्चित की जानी चाहिए।
3. इक्कीसवीं सदी के भारत में सभी वर्गों को समान, समुचित अवसर के लिए कैसे प्रयास होने चाहिए।
4. वर्तमान में उपस्थित, शांति निकेतन एवं वनस्थली विद्यापीठ का इक्कीसवीं शती के लिए योगदान पर कैसा स्वरूप होना चाहिए?

इकाई 4- बहुभाषिक शिक्षा पर वर्तमान दौर में बढ़ता शोध , स्कूलिंग के माध्यम पर टिप्पणी, भाषा नीतियों के सन्दर्भ में संवैधानिक प्रावाधान

Spanning Current Research on Multilingual Education, Comments on the Debate of Medium of Schooling, Language Policy the Constitutional Provision

4.1 प्रस्तावना
4.2 उद्देश्य
4.3 बहुभाषिक शिक्षा पर शोध का दायरा
4.4 स्कूलिंग का माध्यम
4.5 भाषा नीतियों के सन्दर्भ में संवैधानिक प्रावाधान
4.6 सारांश
4.7 शब्दावली
4.8 संदर्भ ग्रंथ सूची
4.9 निबंधात्मक प्रश्न

4.1 प्रस्तावना

भाषा सदैव शिक्षा नीतियों के केंद्र में रहा है। नीति निर्माताओं के लिए भाषा सम्बंधित नीतियों का निर्धारण करना दुष्कर कार्य रहा है। शिक्षा सम्बंधित जिन मुद्दों पर संविधान सभा में चर्चा एवं विमर्श हुआ है उसमें भाषा पर विमर्श सर्वोपरि रहा है। प्रस्तुत इकाई में हम बहुभाषिक शिक्षा पर शोध का दायरा , स्कूलिंग का माध्यम एवं भाषा नीतियों के सन्दर्भ में संवैधानिक प्रावाधानों पर चर्चा कर इसके विभिन्न आयामों को जानने एवं समझने का प्रयास करेंगे।

4.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप-

1. बहुभाषिकता के विभिन्न आयामों को जान पाएंगे।
2. बहुभाषिकता के शोध के दायरों/आयामों को समझ एवं जान पाएंग।
3. स्कूलिंग के माध्यम सम्बंधित अवधारणाओं को जान पाएंगे।
4. भाषा नीतियों के सन्दर्भ में संवैधानिक प्रावाधानों को जान पाएंगे।

4.3 बहुभाषिक शिक्षा पर शोध का दायरा (Spanning Current Research on Multilingual Education)

इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा देश भाषायी विविधताओं (linguistic diversity) वाला देश है। इस भाषायी विविधता का सम्बन्ध औपनिवेशीकरण, पर राजनैतिक प्रभाव, अलग-अलग धार्मिक व नृजातीय अल्पसंख्यकों की उपस्थिति से है। इसी के फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग भाषाएँ मौजूद हैं जो शिक्षा तंत्र की जटिलता में वृद्धि करते हैं। कुछ लोग तो केवल यह समझते हैं कि संविधान की आठवीं अनुसूची में चूंकि 22 भाषाएँ हैं केवल इसलिए हमारा देश बहुभाषी है। कुछ अन्य लोगों का यह मानना है कि हमारे देश में केवल 22 नहीं बल्कि 1700-1800 भाषाएँ हैं क्योंकि जनगणना का आफिस यही बात कहता है। अतः अलग- अलग लोगों के लिए बहुभाषिकता का भिन्न- भिन्न अर्थ है।

कुछ लोग द्विभाषिकता को भी बहुभाषिकता का ही एक रूप मानते हैं। आजकल द्विभाषी कक्षाएँ देश में अपवाद स्वरूप नहीं हैं क्योंकि एक तरह से लगभग हर कक्षा ही द्विभाषी है। हालांकि द्विभाषा क्या है इसे परिभाषित करना आसान नहीं है। द्विभाषा के सन्दर्भ में दो बिल्कुल विपरीत मत मौजूद हैं। एक तरफ एडवर्ड महोदय कहते हैं जो यह कहते हैं कि ''प्रत्येक व्यक्ति द्विभाषी होता है'' उनके अनुसार दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपनी मूल भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा के शब्द न जानता हो, कम से कम कुछ शब्द तो वह जरूर जानता होगा। दूसरी तरफ हैं ब्लूमफील्ड जो बहुभाषिकता को कुछ इस तरह परिभाषित करते हैं ''दो भाषाओं पर मूल भाषा जैसा अधिकार''

बहुभाषिकता भारतीय अस्मिता का अभिन्न अंग है। यहां तक कि दूर- दराज स्थित गाँव में तथाकथित "एक भाषा" बोलने वाला एक ऐसे शाब्दिक भण्डार (Verbal Repertoire) कों नियंत्रित करता है , जो उसमें कई तरह की संवादात्मक परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता प्रदान करता है। वस्तुतः भारतीय भाषिक व सामाजिक भाषिक मैट्रिक्स में भारतीय भाषिक स्वरों की बहुलता एक दूसरे से संवाद करती है , जो कि कई तरह से साझे भाषिक व सामजिक भाषिक खासियतों पर खड़ी होती है।

दूसरी तरफ हाल के कई अध्ययनों ने दिखलाया है कि द्विभाषिकता का संज्ञानात्मक विकास व विद्वत-उपलब्धि से गहरा सकरात्मक सम्बन्ध(Positive relationship) है।

भाषाओं की बहुलता और कई महत्वपूर्ण कार्यों में अंग्रेज़ी की बढ़ती जा रही उपयोगिता ने यह साबित कर दिया है कि बहुभाषी समाज में भागीदारी सुनिश्चित कराने वाली और जनतांत्रिक व्यवस्था के बने रहने के लिए भाषा के मामले में कोई सीधा सरल समाधान प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। औपनिवेशिक शासन की अवधि के दौरान प्रयुक्त अंग्रेज़ी ने इतना लंबा सफर तय कर लिया है कि इससे आती औपनिवेशिकता की गंध अब खत्म हो गयी है और इसके प्रति प्रतिक्रियावादी रुख भी तेज़ी से लुप्त होते गए। अब रोजगार के अवसर प्रदान कराने एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क भाषा के रूप में बढ़ रहे इसके प्रयोग ने इसकी महत्ता को और बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ , देश के शैक्षणिक और सत्ता संरचना में अनेक अल्पसंख्यक एवं आदिवासी भाषाएँ अपनी प्रबल दावेदारी के साथ शामिल होने के लिए उभरकर सामने आ रहीं हैं। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क भाषा के रूप में भी हिन्दी लगातार फ़ैल रही है।

बहुभाषिकता पर हुए अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि हमारी शिक्षा – व्यवस्था कों इसे दबाने के बजाय बनाए रखने और प्रोत्साहित करने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। पटनायक (1981) ने दिखलाया है कि कैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था ने हमारे समाज की सबसे बड़ी खासियत बहुभाषिकतावाद से मिलते आ रहे फायदों को दबाने एवं कमजोर करने का कार्य किया है। इवान इलीच (1981) ने भी कहा है कि हमें हाशिए पर अवस्थित , आदिवासी और विलुप्तप्राय भाषाओं कों बचाने के लिए और उनका सशक्तिकरण का भरपूर प्रयास करना चाहिए।

भारत जैसे देश में सामाजिक सौहार्द्रता तभी संभव है जब लोग एक दूसरे की भाषा और संस्कृति कों सम्मान दें। इस प्रकार का सम्मान ज्ञान के बिना संभव नहीं है। अज्ञानता , भय, घृणा और असहिष्णुता को जन्म देती है और राष्ट्रीय अस्मिता की अखण्डता के रास्ते में रोड़ा अटकाने का कार्य करती है। प्रत्येक राज्य में एक वर्चस्व प्राप्त भाषा के साथ ही नस्लगत (समुदायगत) रूख एवं निष्ठा का पनपना स्वाभाविक ही है। यह लोगों एवं विचारों के स्वतंत्र आवागमन को तो रोकता ही है , साथ ही रचनात्मक , नवाचार आदि को दबाता है और समाज के आधुनिकीकरण की धार कों कुंद करता है। अब जब कि हम पाते हैं बहुभाषिकता , संज्ञानात्मक विकास व शैक्षणिक सम्प्राप्ति के बीच सकारात्मक जुडाव है- तो यह अत्यंत ज़रूरी है कि स्कूलों में बहुभाषी शिक्षण कों प्रोत्साहित किया जाय।

शोध ने बहुभाषिकता के बहुतेरे आयाम उजागर किये है हम बहुभाषिकता के विभिन्न आयामों कों भारतीय सन्दर्भों में देखने एव समझने की कोशिश करेगे। साथ में हमें यह भी जानना एवं समझाना होगा कि यह एक दुरूह एवं कठिन कार्य है इसलिए इसमें पर्याप्त सावधान भी रखना आवश्यक है।विभिन्न शोध कार्यों ने यह उजागर किया है कि भारत के सन्दर्भ में बहुभाषी होना व्यक्तिगत या सामाजिक स्तर कभी भी समस्याप्रधान नहीं रहा है। यदि एक उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयत्न करें तो यह बात उभर कर सामने आती है कि एक युवक अपने घर पर अपने माता-पिता के साथ कुमायूँनी या गढवाली बोलता है, जबकि स्कूल/कॉलेज में हिन्दी और वही युवक अपने व्यवसाय के समस्त कार्य

आंग्लभाषा में सम्पादित करता है। ध्यान रहे भाषिक शुद्धता के पुरोधा इससे भाषिक -खिचडी होने वाले खतरे के प्रति आगाह करते रहते हैं किन्तु वास्तव में ऐसा है नहीं इस प्रक्रिया से भाषाएँ समृद्ध होती है न कि खिचडी । ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारे देश में सामान्यतः भाषाओं की मृत्यु नहीं होती है, वो अपना स्वरूप जरूर बदलती रहती है।

हमारे यहाँ भाषा के सन्दर्भ में जो भी शोध कार्य किये जाते हैं उसके साथ एक बडी गडबडी है। यह गडबडी कुछ इस प्रकार कि है कि शोध कार्यों का केन्द्र बिन्दु भाषा की संरचना ही होती है इस प्रकार के बहुतेरे शोध पश्चिमी देशों में भी हुए हैं। भारतीय सन्दर्भ में अब वह समय आ गया है कि हम भाषा के सामाजिक दायित्व को केन्द्रीय भूमिका प्रदान करें एवं यह प्रमाणिक तौर पर कह सकें कि भाषा-विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान भी है और भाषाविदो को स्वयं से सामाजिक संदर्भों के सवाल भी पूछने चाहिए जिससे कि उनके शोधों का जुडाव उन सवालों से संभव हो पाएं।

कक्षा-कक्ष परिस्थितियों में बहुभाषिकता के शोध संदर्भित आयाम:- कक्षा-कक्ष में एक शिक्षक के समक्ष एकभाषी विद्यार्थी न होकर विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले छात्र-छात्राएँ होते हैं। देश के राजधानी नई दिल्ली में एक ही कक्षा में हिन्दी,भोजपुरी,मराठी,तमिल एवं बंगाली बोलने वाले विद्यार्थी आसानी से मिल सकते है। ऐसी परिस्थितियाँ शिक्षक के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में शिक्षक को पर्याप्त संवेदनशील होने के साथ वैज्ञानिक तरीकों के इस्तेमाल की आवश्यकता महसूस हो सकती है। भाषाविदों के साथ-साथ शिक्षाविदों को शोध के दायरे को बढाया चाहिए।

बौद्धिक विकास एवं बहुभाषिकता एवं संदर्भित शोध-आयाम:- उपनिवेशवादी देशों ने बहुत वर्षों तक यह भ्रम बनाकर रखा कि जैसे-जैसे कोई भी बहुभाषी (अपने मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाएँ) सीखता है वैसे-वैसे ही उसका बौद्धिक स्तर घटता जाता है। लेकिन आज यह बात प्रमाणित हो चुका है कि बहुभाषिकता व बौद्धिक स्तर में सीधा संबंध है अर्थात जैसे-जैसे बहुभाषिकता में वृद्धि होगी, बौद्धिक स्तर में भी वृद्धि होती जायेगी। अतः हमें एकभाषीय कक्षाओं के तौर-तरीकों को बहुभाषी कक्षाओं में कतई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न

1. बहुभाषिकता से आप क्या समझते हैं ?
2. बहुभाषिकता के विभिन्न आयामों को स्पष्ट करें ।
3. बहुभाषिकता के क्षेत्र में आजकल किस प्रकार के शोध अध्ययनों की आवश्यकता है? स्पष्ट करें।

4.4 स्कूलिंग का माध्यम (The Medium of Schooling)

यदि हम सामान्य अर्थों में शिक्षा के माध्यम की भाषा या स्कूलिंग की भाषा के सन्दर्भ चिंतन प्रारम्भ करते हैं तो सहजतः यह बात उभर कर सामने आती है कि विद्यार्थी को उस भाषा में ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जिस भाषा में वह सहज अनुभव करे या जिस भाषा में वह अपनी बात को स्पष्टता के साथ अभिव्यक्त कर सके। विगत कुछ दशकों से हमारे मानस में एक धारणा में बैठ गयी है कि अंग्रेज़ी ही किसी प्रकार की शिक्षा का उत्तम माध्यम है, एवं अंग्रेज़ी की पढ़ाई बाल्यकाल से ही शुरू होनी चाहिए ।यदि इस तथ्य को देखें तो ऐसी धारणा निराधार है। कोई भी भाषा जो बच्चे को आसानी से समझ में आती है वह शिक्षा का उत्तम माध्यम होगी। अक्सर 'मातृभाषा' को ही आरंभिक शिक्षा का श्रेष्ठ माध्यम माना गया है। धारणा यह है कि जो भाषा बच्चे के इर्द-गिर्द बोली-सुनी जाती है, जिसे बोलते सुनते हुए बच्चे बड़े हुए हैं, वह भाषा उनके लिए सरल होगी। उसमें कही गयी, पढ़ाई गयी कोई भी विषयवस्तु अपेक्षाकृत अधिक सरलता से समझी जा सकेगी। इसी धारणा के आधार पर पिछले डेढ़ सौ वर्षों में भारत में जितने भी शिक्षा आयोग आये हैं, उन्होंने मातृभाषा में हो शिक्षा देने की बात को स्वीकारा है । वर्ष 1854 के चार्ल्स- वुड डिस्पैच से लेकर आज तक इसमें कोई भी अपवाद नहीं हुआ है। सबने मातृभाषा को ही शिक्षा का श्रेष्ठ माध्यम माना है। प्राय: सभी विकसित देशों में स्थानीय भाषा ही आरंभिक शिक्षा का माध्यम है। अन्य भाषाएँ आवश्यकतानुसार बाद में सीखी जा सकती है एवं उनका उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।

हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि अधिकाँश बच्चे ऐसे परिवेश आते हैं , जहां उनकी मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में शिक्षा दिया जाना बिलकुल उद्देश्यहीन नज़र आता है क्योंकि इन बच्चों की अभिव्यक्ति का माध्यम तो स्थानीय बोली ही होती है। ऐसे बच्चों को तो उनकी स्थानीय बोली से दूसरी मानक भाषा तक लाना ही अत्यंत दुष्कर कार्य होता है। मानक भाषा में कही गयी बात भी समझना उनके लिए मुश्किल होता है, ऐसी परिस्थितियों में तो बिलकुल ही विदेशी भाषा(अंग्रेज़ी) को शिक्षा का माध्यम बनाना समझ से परे ही प्रतीत होता है।जब ऐसे ऐसे बच्चे अपने स्थानीय भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में पढाए जायेंगे तो देखने वाली बात यह होगी कि उनका कितना मन अध्ययन में लगेगा। उस भाषा में क्या वह अपने ज्ञान की रचना कर पाएंगे या कुछ नया पैदा करने या कर गुजरने की अभिलाषा से ओत प्रोत हो पायेगा। अपने परिवेश से बिलकुल भिन्न भाषा को अध्ययन का माध्यम बनाए जाने से तो विद्यार्थी तथ्यों एवं सूचनाओं को रटने में भले ही सफल हो जाए किन्तु उसमें ज्ञान का निर्माण एवं रचनात्मकता का आभाव ही रहेगा।

एक शिक्षक के नाते आपने यह अनुभव अवश्य ही किया होगा कि कक्षा में अध्यापन के समय जब कभी आप पढ़ाते समय बच्चे की अपनी भाषा में बातचीत करना प्रारम्भ करते हैं तब बच्चे का चेहरा चमक उठता है और चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे को यह लगता है कि अध्यापक उसके अपने बीच का है। बच्चे का भय जाता रहता है और कक्षा में चुप रहने वाला बच्चा भी बोल पड़ता है। विषयवस्तु के साथ बच्चा अपने आप को जोडने लगता है। आज हमारे यहाँ के अंग्रेज़ी

माध्यमों के विद्यालयों अपनी भाषा बोलने से भी बच्चों को वंचित किया जाता है जिससे बच्चे कुंठा ग्रस्त हो जाते हैं। इसमें समझने वाली बात यह है कि यदि विद्यार्थियों को लंबे समय तक अंग्रेज़ी माध्यम में ही पढ़ाया जाय तो बच्चे अंग्रेज़ी तो सीख जाते हैं किन्तु विषयवस्तु पर उनकी पकड़ उतनी गहरी नहीं बन पाती है जितनी कि यदि उनको उनकी परिवेश की भाषा में पढ़ाया जाता तो बन जाती। यदि बच्चों को अपनी भाषा में पढ़ाया जाता तो बच्चे का बहुत सारा श्रम बच जाता जिसे वह अपनी विषयवस्तु को सीखने में लगा सकता है।

बच्चों में भाषा के विकास के सन्दर्भ में यह अनिवार्य माना जाता है कि उनको सुनने- बोलने का पर्याप्त समय मिले। इस प्रक्रिया से बच्चा भाषा बहुत सरलता से सीख जाता है। जब बच्चे को उसकी परिवेश की भाषा से अलग रखा जाता है तो यह जाहिर सी बात है कि उसकी चिंतन प्रक्रिया बाधित होगी ही होगी। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा का माध्यम बच्चे की परिवेश की भाषा हो तो ही बेहतर तरीके से ज्ञान अर्जन करने की प्रक्रिया को संपादित कर पायेगा। इस पूरे सन्दर्भ को कहीं से भी अंग्रेज़ी भाषा के विरोध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि अंग्रेज़ी को किसी प्रकार से शिक्षण का माध्यम बनाने से बेहतर है कि अंग्रेज़ी शिक्षण के तरीके को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया जाय। टाइम टेबल में अंग्रेजी को पर्याप्त स्थान दिया जाय। अंग्रेज़ी को इस तरह से पढ़ाया जाय कि बच्चा बिना किसी दबाव का अनुभव किये , सहजता के साथ उसे सीख पाए। बहुत से लोग्गों को यह भ्रम है कि अंग्रेज़ी सफलता की भाषा है और यह बात आज हमारे समाज के मन मस्तिष्क में गहरे तक बैठ गयी है, बाजारीकरण ने इस बात को और पुख्ता करने का ही काम किया है। इस सनाद्रभ में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सफलता का सूत्र भाषा में नहीं बल्कि किसी भी व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता में होता है।

अभ्यास प्रश्न

4. क्या मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए ? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए।
5. स्कूलिंग का माध्यम कौन सी भाषा होनी चाहिए? तर्क द्वारा स्पष्ट करें।

4.5 भाषा नीतियों के सन्दर्भ में संवैधानिक प्रावाधान (Constitutional provision with reference to language)

भारत के संविधान में राजभाषा से संबंधित भाग-17 का प्रावाधान है, आप भाषा सम्बंधित प्रावाधानों को ठीक तरह से समझ सकें इसलिए इसकी सामान्य व्याख्या निम्नवत दी जा रही है।

अध्याय 1-संघ की भाषा

अनुच्छेद 120. संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा -

1. भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा परंतु, यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृ-भाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।
2. जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो "या अंग्रेजी में" शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो।

अनुच्छेद 210: विधान-मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा -

1. भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा
परंतु, यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।
2. जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो " या अंग्रेजी में " शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो :

परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधान-मंडलों के संबंध में, यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले"पंद्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस वर्ष" शब्द रख दिए गए हों :

परंतु यह और कि अरूणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के विधान-मंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले " पंद्रह वर्ष " शब्दों के स्थान पर " चालीस वर्ष " शब्द रख दिए गए हों।

अनुच्छेद 343. संघ की राजभाषा--

1. संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

2. खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था :

परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

3. इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात, विधि द्वारा

a. अंग्रेजी भाषा का, या
b. अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अनुच्छेद 344. राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति--

1. राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।
2. आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को--
    a. संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग,
    b. संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों,
    c. अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा,
    d. संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप,
    e. संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय, के बारे में सिफारिश करे।
3. खंड (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में, आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।
4. एक समिति गठित की जाएगी जो तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे और दस राज्य सभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों और राज्य

सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

5. समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड (1)के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे।
6. अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति खंड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश दे सकेगा।

अध्याय 2- प्रादेशिक भाषाएं

अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं :

अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगाः

परंतु जब तक राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा--

संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी :

परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध--

यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

अध्याय 3 - उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

अनुच्छेद 348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा--

1. इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक--
    a. उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी,
    b. संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के,
    c. संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के ,और
    d. इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के, प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे।
2. खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगाः
3. परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी।खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी राज्य के विधान-मंडल ने,उस विधान-मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (iv) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया :

इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि के दौरान, अनुच्छेद 348 के खंड (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुरःस्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड (4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् ही देगा, अन्यथा नहीं।

अध्याय 4-विशेष निदेश

अनुच्छेद 350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा-

प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 350 क. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं-

प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

अनुच्छेद 350 ख. भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी-

1. भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।
2. विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे,राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।

अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्थानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

अभ्यास प्रश्न

6. अनुच्छेद 343 की व्याख्या करें।
7. उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा हेतु क्या प्रावाधान हैं ?
8. अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं ?

4.6 सारांश

किसी भी भाषा का ज्ञान , बोध एवं उपयोग केवल कक्षागत परिस्थितियों में पाठ्यवस्तु के घटकों और भाषा तत्वों के ज्ञान और अभ्यास से परिपूर्ण नहीं होता । भाषा सजीव और संवेदनशील परम्परा है। वह वक्त समाज और परिस्थितियों के साथ जीती है और उन्हें गति प्रदान करती है । इसलिए भाषा का पूर्ण व्यावहारिक ज्ञान केवल पाठ्यपुस्तकों के अध्ययन से , व्याकरण के अभ्यास से और परीक्षाएं प्राप्त कर के नहीं पाया जा सकता । भाषा सीखने के लिए विभिन्न प्रकार के उपागमों का प्रयोग करना चाहिए । इन उपागमों में परिचर्चा एक अति महत्वपूर्ण उपागम है । विद्यार्थियों को ठीक प्रकार का ज्ञान हुआ है या नहीं इसका पता लगाने के लिए सबसे सरल एवं सीधा माध्यम कक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है । इन प्रश्नों की सहायता से शिक्षक कक्षा में अपना नियंत्रण भी स्थापित करता है । प्रश्नों की सहायता से शिक्षक कक्षा में अनुशासन के साथ ज्ञान वर्धन का कार्य भी करता है ।

4.7 शब्दावली

1. **बहुभाषिकता:** बहुभाषी का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो दो या अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है।

4.8 संदर्भ ग्रंथ सूची एवं सहयोगी पुस्तकें

1. अग्रवाल, पी. और संजय कुमार 2000 (संपादक), हिंदी देशकाल में
2. चॉम्स्की, एन. 1957, सिनटेक्टिक स्ट्रक्चर्स, दी हेग: मौटेन कं.।
3. चॉम्स्की, एन. 1959, रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर. लैंग्वेजेस 35.1.26-58
4. चॉम्स्की, एन. 1972, लैंग्वेज एंड माइंड, न्यूयार्क: हारकोर्ट ब्रास जोवानोविच।
5. चॉम्स्की, एन. 1996, पॉवर्स एंड प्रोस्पेक्ट्स: रिफलेक्शंस ऑन ह्यूमन नेचर एंड द सोशल आर्डर, दिल्ली: माध्यम बुक्स।
6. चॉम्स्की, एन. 1965, आस्पेक्ट्स ऑफ़ द थ्योरी ऑफ सिनटेक्स, कैंब्रिज : एम. आई. टी. प्रेस।
7. चॉम्स्की, एन. 1986, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, न्यूयार्क : प्रागर।
8. चॉम्स्की, एन. 1988, लैंग्वेज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ़ नॉलेज, वैंफब्रिज, मास: एम. आई. टी.।
9. दुआ, एच. आर. 1985, लैंग्वेज प्लानिंग इन इंडिया, दिल्ली: हरनाम पब्लिशर्स।
10. हैबरमास, जे. 1998, ऑन द प्रागमैटिक्स ऑफ कम्युनिवेफशन, कैंब्रिज, मास: एम. आई. टी. प्रेस।

11. हैबरमास, जे. 1998, दी फिलॉस्फिकल डिसकोर्स ऑफ़ मॉडर्निटी, कैंब्रिज, मास: एम. आई. टी. प्रेस।

12. कुमार, के. 2001, स्कूल की हिंदी, पटना: राजकमल।

13. शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन 1964 -1966, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार 1966

14. नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, 1986, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, नयी दिल्ली।

15. पटनायक, डी. पी. 1981, मल्टीलिंगुएलिज्म एंड मदर-टंग एजुवेफशन, ऑक्सपफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

16. पटनायक, डी. पी. 1986, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेज, ए रिपोर्ट, नयी दिल्ली: एन.सी.ई.आर.टी।

17. रिचड्र्स, जे. सी. 1990, दी लैंग्वेज टीचिंग मैट्रिक्स, कैब्रिज :कैब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।

18. सायर, डी. 1924, दी इपैफक्ट ऑफ़प बाइलिंगुलिज्मम ऑन इंटेलिजेंस, ब्रिटिश जर्नल ऑफ़प साइकोलॉजी 14:25-38

19. श्रीधर, के.के. 1989, इंग्लिश इन इंडियन बाइलिंगुलिज्म,नयी दिल्ली, मनोहर।

20. तिवारी, बी. एन., चतुर्वेदी, एम. और सिंह, बी. 1972 (संपादकगणद्), भारतीय भाषा विज्ञान की भूमिका, दिल्ली : नेशनल पब्लिशिंग हाउस।

21. यूनेस्को, 2003, एजुवेफशन इन ए मल्टीलिंगुएल वर्ल्ड, यूनेस्को एजुकेशन पोजिशन पेपर, पेरिस।

22. वायगोत्सकी , एल. एस. 1978, माइंड इन सोसायटी: दी डेवलपमेंट ऑफ़प हायर साइकोलॉजिकल प्रोसेस, वैंफब्रिज, मॉस: हार्वड यूनिवर्सिटी प्रेस।

23. जमील, वी. 1985, रेस्पोंडिंग टू स्टूडेंट राइटिंग, टी. ई. एस. ओ. एल. त्रौमासिक, 19.1

24. इस वेबसाइट को जरूर देखें : http//www.languageindia.com

4.9 निबंधात्मक प्रश्न

1. क्या मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए ? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए।
2. स्कूलिंग का माध्यम कौन सी भाषा होनी चाहिए? तर्क द्वारा स्पष्ट करें।
3. बहुभाषिकता के क्षेत्र में आजकल किस प्रकार के शोध अध्ययनों की आवश्यकता है? स्पष्ट कीजिए।
4. भाषा के सन्दर्भ में विभिन्न संवैधानिक प्रावाधानों की चर्चा कीजिए।

खण्ड 4

Block 4

इकाई 1 – सुनियोजित औद्योगिकीकरण केसन्दर्भ में कोठारी आयोग की महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ एवं कार्यान्वयन

1.1 प्रस्तावना
1.2 उद्देश्य
1.3 कोठारी आयोग के महत्वपूर्ण बिन्दु
1.4 सुनियोजित औद्योगिकीकरण के सन्दर्भ में कोठारी आयोग तथा महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ
1.4.1 शिक्षा और उत्पादिता
1.4.2 शिक्षा और आधुनिकीकरण
1.4.3 सुनियोजित औद्योगिकीकरण तथा महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ
1.4.4 कोठारी आयोग: सम्पूर्ण प्रतिवेदन का सारांश
1.5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 (पृष्ठभूमि)
1.5.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 (समीक्षा 1992)
1.5.2 कार्यान्वयन कार्यक्रम (1992)
1.6 कार्यान्वयन कार्यक्रमों के मुख्य बिन्दुओं का एक तुलनात्मक विश्लेषण
1.7 सारांश
1.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
1.9 निबंधात्मक प्रश्न

1.1 प्रस्तावना

शिक्षा आयोग (1964-66) आधुनिक भारतीय शिक्षा के इतिहास का छठवां तथा आजाद भारत का तीसरा आयोग था। आजाद भारत में शिक्षा आयोग (1964-66) से पूर्व विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) तथा माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) अपनी संस्तुति भारत सरकार को प्रस्तुत कर चुके थे। हालांकि शिक्षा आयोग (1964-66) आजाद भारत का पहला ऐसा आयोग था जिसने शिक्षा के सभी स्तरों तथा शिक्षा के क्षेत्र की सभी समस्याओं का समेकित रूप से वृहद अध्ययन कर अपनी संस्तुति भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। इसके पूर्व के दोनों आयोगों का क्षेत्र क्रमशः विश्वविद्यालय अथवा उच्च शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा था। यथार्थतः भारतीय शिक्षा आयोग (1882-83) से लेकर शिक्षा आयोग (1964-66) के पहले तक के पाँच आयोगों ने शिक्षा के इतने वृहद स्तर पर कार्य नहीं किया था।

शिक्षा आयोग (1964-66) के अध्यक्ष प्रो0 डी0एस0 कोठारी थे। इस आयोग की संस्तुति जमा करने के पश्चात् ही, आजाद भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1968, आजादी के इक्कीस वर्षों के पश्चात् सुनिश्चित हो सकी। शिक्षा आयोग (1964-66) को हम 'कोठारी आयोग' के नाम से भी जानते हैं। शिक्षा आयोग (1964-66) का अद्वितीय रूप, इस कारण भी था क्योंकि इस आयोग ने शिक्षा के किसी विशेष पक्ष या पक्षों तक स्वयं को सीमित नहीं किया, अपितु सम्पूर्ण शिक्षा का वृहदात्मक तथा समेकित अध्ययन किया तथा संस्तुति दी। वर्तमान इकाई में आप 'कोठारी आयोग' का तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) व (1992) का अध्ययन करेंगे।

1.2 उद्देश्य

इस के इकाई के अध्ययन के पश्चात आप -

1. कोठारी आयोग की बुनियादी अनुशंसाओं को समझ सकेंगे।
2. सुनियोजित औद्योगिकीकरण में कोठारी आयोग की भूमिका व महत्व समझ सकेंगे।
3. कोठारी आयोग के क्रियान्वयन से सम्बन्धित तत्वों को समझ सकेंगे।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 तथा 1992 की संरचना को समझ सकेंगे।
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 तथा 1992 के क्रियान्वयन से सम्बन्धित तत्वों को समझ सकेंगे।

1.3 कोठारी आयोग के महत्वपूर्ण बिन्दु

कोठारी आयोग का यह दृढ़ विश्वास कि, 'राष्ट्रीय विकास में शिक्षा एक अत्यधिक सशक्त उपकरण है', इस आयोग को एक अतिविशिष्ट स्थान प्रदान करता है। राष्ट्र के विकास में शिक्षा की अति महत्वपूर्ण भूमिका इस आयोग के प्रतिवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर दिखायी पड़ती है, जिसे बहुत ही सुन्दर ढंग से 'शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य' नामक उपशीर्षक में उदघोषित किया गया है। आयोग के समक्ष उपस्थित कार्य बहुत ही विशाल परिमाण का तथा जटिल था, इसीलिए एक बहुत बड़े पैमाने पर सुनियोजित ढंग से कार्य किये जाने की आवश्यकता थी, जिसे आयोग ने बहुत ही उम्दा तरह से सम्पन्न किया। आयोग अपने प्रतिवेदन के आमुख में लिखता है कि, ''भारतीय शिक्षा के आमूल पुर्ननिर्माण, लगभग क्रांति की आवश्यकता है। हमें प्राथमिक शिक्षा की सिद्धि के लिए उसमें मुख्य सुधार करने हैं; कार्यानुभव को सामान्य शिक्षा के समेकित अवयव की तरह लागू करना है; माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायाश्रयी बनाना है; सभी स्तरों के अध्यापकों की गुणवत्ता को बढ़ाना है, काफी संख्या में अध्यापक उपलब्ध कराने हैं; निरक्षरता का उन्मूलन करना है; उच्चतर शिक्षा केन्द्रों को मजबूत बनाना है और अपने कुछ विश्वविद्यालयों में कम-से-कम उच्च अंतर्राष्ट्रीय स्तर लाने का यत्न करना है; अध्यापन और अनुसंधान के योग पर विशिष्ट बल देना है; कृषि और सम्बद्ध विज्ञानों के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान की ओर विशिष्ट ध्यान देना है। यह सारा

संकल्प और भी बड़े पैमाने पर कार्य करने की ओर इंगित करता है। आयोग ने अपने इस संकल्प को पूर्ण करने हेतु, शैक्षिक पुर्ननिर्माण का जो कार्यक्रम दिया उसे तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है-

i. शैक्षिक पद्धति के अंतरंग का रूपान्तरण, ताकि वह राष्ट्र के जीवन, उसकी आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं से सम्बद्ध की जा सके।
ii. शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार, ताकि उससे जो स्तर प्राप्त किये जायें, वे पर्याप्त हों; प्राप्त स्तर निरन्तर उन्नत होते रहें, ताकि कम-से-कम कुछ पक्षों में उनकी तुलना अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों से की जा सके।
iii. जनशक्ति की आवश्यकताओं के आधार पर शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार तथा शैक्षिक सुविधाओं की समानता पर जोर।

आयोग ने उपरोक्त वर्णित शिक्षा की व्यवस्था में आंतरिक रूपान्तरण हेतु निम्नलिखित कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी-

i. कार्यानुभव का सामान्य शिक्षा के एक समेकित रूप में निष्पादन, माध्यमिक स्तर पर शिक्षा व्यावसायीकरण, व्यावसायिक शिक्षा व शोध में सुधार तथा राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाना।
ii. समान स्कूल प्रणाली का प्रारम्भ, सामाजिक तथा राष्ट्रीय सेवा को सेवा अनिवार्य करना तथा सभी आधुनिक भाषाओं का विकास करना।
iii. विज्ञान शिक्षा को स्कूली शिक्षा का समेकित भाग बनाना तथा वैज्ञानिक शोधों को बढ़ावा देना।
iv. उच्च स्तर के सामाजिक, नैतिक तथा अध्यात्मिक मूल्यों को शिक्षा के सभी स्तरों पर अभ्यास करना।

आयोग ने चारों राष्ट्रीय उद्देश्यों (उत्पादिता को बढ़ाना, राष्ट्रीय एकीकरण, आधुनिकीकरण को को तेज करना तथा सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करना) की प्राप्ति हेतु, उपरोक्त वर्णित रूपान्तरण को अत्यावश्यक माना।

1.4 सुनियोजित औद्योगिकीकरण के सन्दर्भ में कोठारी आयोग तथा महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ

सुनियोजित औद्योगिकीकरण के दौरान, आजाद भारत की शिक्षा व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण तथ सोची समझी छेड़छाड़ की गयी तथा कोई भी विमर्श गुणात्मक रूप से, शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाया। इस तरह के दमन का सबसे उपयुक्त उदाहरण महात्मा गाँधी द्वारा प्रस्तावित 'नई तालीम' का है। 'नई तालीम के तहत यह प्रस्तावित था कि उत्पादक कामों को शिक्षा के केन्द्र में रखकर उनके जरिये ज्ञान प्राप्ति एवं ज्ञान सृजन का क्रांतिकारी शिक्षा शास्त्र स्कूली शिक्षा की मुख्य धारा बने, लेकिन 'नई तालीम के इस स्वरूप को विभिन्न समितियों तथा आयोगों ने कभी व्यावसायिक शिक्षा, कभी कार्यनुभव तो कभी

'समाजोपयोगी उत्पादक कार्य' का रूप देकर निरर्थक कर दिया तथा अप्रत्यक्ष रूप से सुनियोजित औद्योगिकीकरण के नाम पर बड़े व महत्वपूर्ण घरानों को पोषित किया तथा भारतीय समाज के जनमानस के मध्य चेतना, विकास इत्यादि कागजों पर ही ज्यादा दिखाई दिया। आजादी के बाद जब शिक्षा में जन अपेक्षाओं के अनुरूप परिवर्तन नहीं हुये तो धारणा यह भी बनी कि सभी आयोगों और समितियों की अनुशंसाएँ तो ठीक ही होती है, गड़बड़ केवल उनके क्रियान्वयन में हैं लेकिन यहाँ समझने की बात यह भी है कि विभिन्न आयोगों और समितियों की संस्तुतियों में गहरे अंतर रहे हैं तथा उनके परिप्रेक्ष्य व बुनियादी मान्यताएँ भी विरोधाभासी रहीं हैं। कोठारी आयोग भी इसी कड़ी में कोई अपवाद नहीं रहा है।

समतामूलक गुणवत्ता की शिक्षा देने वाली कोठारी आयोग द्वारा अनुशंसित 'समान स्कूल प्रणाली' और 'पड़ोसी स्कूल' की बहुत ही सन्दर अवधारणा को सवाल उठाकर तथा गैर व्यावहारिक की संज्ञा देकर टाल दिया गया। औद्योगिकीकरण के उस दौर में आम मान्यता यह रही कि वर्तमान शिक्षा की मुख्य धारा का सामाजिक चरित्र सभी प्रश्नों के परे है। यदि कोई विद्यार्थी इस प्रणाली में पिछड़ जाता है तो गड़बड़ी विद्यार्थी में है न कि शिक्षा प्रणाली में। इसी आम मान्यता के चलते कोठारी आयोग की बहुत सारी महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ निरर्थक ही रही और महज कागजों में शोभा बढ़ाई। इन तमाम मुश्किलों तथा विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कोठारी आयोग के निम्नलिखित बिन्दु विज्ञान, विज्ञान शिक्षा, विज्ञान के अनुसंधान तथा औद्योगिकीकरण के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण रहे हैं-

1.4.1 शिक्षा और उत्पादिता

शिक्षा और उत्पादिता के बीच सम्बन्ध तभी स्थापित किया जा सकता है, जबकि शिक्षा के पुर्ननिर्माण से सम्बन्धित योजनाओं में निम्नलिखित कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता देकर उनका विकास किया जाये-

i. शिक्षा और संस्कृति के मूल अंग के रूप में विज्ञान।
ii. सामान्य शिक्षा के एक अभिन्न अंग के रूप में कार्यानुभव।
iii. उद्योग, कृषि और व्यापार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा का व्यावसायिकरण विशेषकर माध्यमिक स्कूल स्तर पर।
iv. विश्वविद्यालय स्तर पर वैज्ञानिक और शिल्प वैज्ञानिक शिक्षा एवं अनुसंधान में सुधार किन्तु कृषि और सम्बद्ध विज्ञानों पर विशेष जोर।

1.4.2 शिक्षा और आधुनिकीकरण

आयोग लिखता है कि परम्परागत समाज के मुकाबले आधुनिक समाज की सबसे बड़ी विशेषता उसके द्वारा अपनाया गया विज्ञान आधारित शिल्प विज्ञान हैं विज्ञान ने ही इस प्रकार के समाजों को अपना उत्पादन चमत्कारिक ढंग से बढ़ा सकने में समर्थ बनाया है किन्तु यहाँ इस बात का भी उल्लेख कर दिया जाये कि विज्ञान आधारित शिल्प विज्ञान के अन्य महत्वपूर्ण परिणाम सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर होते हैं और उसके कारण ऐसे मूलभूत सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन आते हैं जिन्हें मोटे तौर पर

'आधुनिकीकरण' कहा जाता है। शिक्षा के पुर्ननिर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमों पर इस आधुनिकीकरण के प्रभाव को हम निम्नलिखित बिन्दुओं को समझने का प्रयास करेंगे।

i. ज्ञान का विस्फोट
ii. जल्दी-जल्दी होने वाला सामाजिक परिवर्तन
iii. शीघ्र उन्नति की आवश्यकता
iv. आधुनिकीकरण और शिक्षा की प्रगति

1.4.3 सुनियोजित औद्योगिकीकरण तथा महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ

कोठारी आयोग लिखता है कि, ''औद्योगिकीकरण में सफलता काफी हद तक पर्याप्त कुशल जनशक्ति होने पर निर्भर करती है।'' भारत सरकार ने वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव (4 मार्च, 1958) में कहा था कि ''किसी राष्ट्र का धन व समृद्धि औद्योगीकरण द्वारा उसके मानव तथा भौतिक साधनों के समुचित उपयोग पर निर्भर करता है। मनुष्य का औद्योगीकरण में उपयोग करने के लिए यह जरूरी है उसे विज्ञान की शिक्षा तथा तकनीकी कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाये। उद्योग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए अधिक सम्पन्नता की सम्भावनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। भारत की जनशक्ति का पर्याप्त साधन प्रशिक्षित तथा शिक्षित होने पर ही आधुनिक संसार में उपयोगी बन सकता है।'' इस बात की सफलता निम्नलिखित स्तर की योग्यताओं से है-

i. अर्द्धकुशल तथा कुशल कामगरों का प्रशिक्षण।
ii. तकनीशियन का प्रशिक्षण।
iii. अन्य व्यावसायिक शिक्षा।
iv. लघु उद्योग तथा स्वयं नियोजन के लिए शिक्षा।
v. इंजीनियरी की शिक्षा।

इनके साथ-साथ आयोग ने विज्ञान की शिक्षा और अनुसंधान को सुदृढ़ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ की है जिसे आप विस्तार से आयोग के प्रतिवेदन में सोलहवें अध्याय में देख सकते हैं।

1.4.4 कोठारी आयोग: सम्पूर्ण प्रतिवेदन का सारांश

कोठारी आयोगी की वृहत्तर प्रतिवेदन (लगभग 673 पृष्ठ) पर एक सरसरी नजर आपको इस आयोग को सम्पूर्ण रूप से समझने में सहायक होगी। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर सघन प्रकाश डाला तथा राष्ट्रीय उत्थान में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित करने की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये, जो कि निम्नलिखित हैं-

i. **शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य**- राष्ट्र की उत्पादकता में वृद्धि, सामाजिक व राष्ट्रीय एकता में वृद्धि, आधुनिकीकरण में गतिशीलता तथा सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास।

ii. **शिक्षा की संरचना**- एक से तीन वर्ष तक की पूर्व प्राथमिक शिक्षा, दस वर्ष की सामान्य निर्विकल्प शिक्षा, दो वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा प्रथम उपाधि के लिए त्रिवर्षीय उच्च शिक्षा का सुझाव।

iii. **अध्यापकों की दशा** - अध्यापकों की दशा को सुधारने के लिए कई प्रकार के सुझाव तथा पारितोषिक प्रस्तावित किये गये।

iv. **अध्यापक प्रशिक्षण**- अध्यापक प्रशिक्षण को उन्नत करने के लिए कई प्रकार के सुझाव दिये गये जिसमें राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन भी प्रस्तावित किये गये।

v. **नामांकन तथा मानव संशाधन** - राष्ट्र के पुर्ननिर्माण के मानव संसाधन के विकास को महत्व देते हुए कम से कम 7 वर्ष की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने तथा शिक्षा के स्तरों तथा विभिन्न स्तरों पर पहुँच बनाने के लिए सुझाव दिये गये।

vi. **शैक्षिक समानता** - किसी भी आधार पर किसी भी तरह की असमानता का विरोध करते हुए आयोग ने शैक्षिक समानता को भारतीय समाज की एक विशेषता के रूप में स्थापित करने के लिए अपने सुझाव दिये।

vii. **स्कूल शिक्षा का विस्तार** - स्कूल शिक्षा के विस्तार पर कोठारी आयोग ने बहुत बल दिया तथा इसे सम्पूर्ण विकास का आधार मानते हुए, इसे विकसित करने के लिए सुझाव दिये।

viii. **स्कूल पाठ्यक्रम** - आधुनिक समय में 'ज्ञान के विस्फोट' को ध्यान में रखते हुए स्कूल पाठ्यक्रम में आमूल परिवर्तन के लिए आयोग ने सुझाव दिया।

ix. **स्कूल शिक्षा पद्धति**- उत्कृष्ट पाठ्यपुस्तक, निर्देशन व विचार-विमर्श तथा मूल्यांकन शिक्षा के अंतर्निहित अंग होने चाहिए।

x. **स्कूल निरीक्षण**- सहानुभूतिपूर्ण तथा क्रियाशील प्रशासनिक तथा निरीक्षण प्रणाली की आवश्यकता पर बल।

xi. **उच्च शिक्षा के उद्देश्य**- नवीन ज्ञान की खोज, नेतृत्व प्रदान करना, विभिन्न व्यावसायों में दक्षता, समानता व सामाजिक न्याय को बढ़ाना, वांछित मूल्यों का विकास करना तथा विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के समकक्ष वृहद विश्वविद्यालयों की स्थापना।

xii. **उच्च शिक्षा में प्रवेश व कार्यक्रम** - मानव संसाधन की आवश्यकताओं के अनुरूप चयनित प्रवेश नीति तथा इस हेतु 'केन्द्रीय परीक्षण संस्थान' की स्थापना, पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन तथा शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता पर बल।

xiii. **विश्वविद्यालयों की व्यवस्था** - पूर्ण स्वायत्तता पर बल।

xiv. **कृषि शिक्षा**- प्रत्येक राज्य में कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय, कृषि पॉलिटेक्निकों की स्थापना को वरीयता, कृषि शिक्षा का सामान्य शिक्षा का एक अंग बनाने पर बल।

xv. **व्यावसायिक, तकनीकी तथा इंजीनियरिंग शिक्षा** - आयोग ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को रोजगार उन्नमुख बनाने, तकनीकी पाठ्यक्रमों में सुधार करने तथा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रत्यक्ष तथा प्रायोगिक कार्य को अधिक महत्व देने का सुझाव।

xvi. **विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान** - गणित व विज्ञान के उच्च अध्ययन केन्द्र खोलने, पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने, प्रायोगिक तथा सैद्धांतिक पक्षो के बीच संतुलन, राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान अनुसंधान को समृद्ध करना तथा प्रतिभाशाली छात्रों को विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति, विज्ञान की राष्ट्रीय नीति बनाना, वैज्ञानिकों की समस्याएँ हल करने, विज्ञान अकादमी के पुनर्गठन के सुझाव।

xvii. **प्रौढ़ शिक्षा** - राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का स्थापना करके प्रौढ़ शिक्षा का संगठन तथा प्रशासन करने का सुझाव।

xviii. **शैक्षिक योजना तथा प्रशासन** - स्थानीय तथा राज्य स्तर के शैक्षिक प्रशासन में सुधार के सुझाव।

xix. **शैक्षिक अर्थव्यवस्था**- शिक्षा के आर्थिक स्रोतों तथा शैक्षिक व्यय पर सुझाव।

अभ्यास प्रश्न

1. भारतीय शिक्षा के इतिहास में भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?
2. भारतीय शिक्षा आयोग (1964-66) के समक्ष मुख्य विचारणीय मुद्दे क्या थे?

1.5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 (पृष्ठभूमि)

भारत में राष्ट्रीय शैक्षिक परिदृश्य, जैसा कि विभिन्न शैक्षिक नीतियों द्वारा कल्पित किया गया, एक महत्वपूर्ण कुंजी है जो भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा पहुँच, समता, समानता, प्रासंगिकता तथा गुणवत्ता को शिक्षा के सभी स्तरों पर सुनिश्चित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 का उद्भव शून्यता से नहीं वरन् इसकी पृष्ठभूमि में आधुनिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित किये जाने वाले प्रयासों के तहत आने वाली समितियों तथा आयोगों (आजादी पूर्व तथा पश्चात् दोनों) विशेषकर आजाद भारत के, ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्य रूप से विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53), भारतीय शिक्षा आयोग (1964-66), राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1968, शिक्षा की चुनौती: नीति सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य (1985) तथा अन्य कई छोटी बड़ी समितियों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 के लिए दिशा व दशा सुनिश्चित की। सन् 1985 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा एक नई शुरूआत करते हुए बहुत बड़े पैमाने पर पूर्व की संस्तुतियों तथा वर्तमान सन्दर्भ के तहत विश्लेषण करते हुए, 'शिक्षा की चुनौती: नीति सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य- नामक 68 पृष्ठीय दस्तावेज तैयार किया गया जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 के लिए आधार बना। राष्ट्रीय शिक्षा

नीति-1986 को कुल बारह खण्डों में बांटा गया जिनमें कुल 157 बिन्दुओं के तहत नई शिक्षा नीति को लिपिबद्ध किया गया है जो कि बिन्दुवार निम्नलिखित हैं-

i. प्रस्तावना
ii. शिक्षा का सार तथा भूमिका
iii. शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली
iv. समानता के लिए शिक्षा
v. विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन
vi. तकनीकी तथा प्रबन्ध शिक्षा
vii. शिक्षा प्रणाली का क्रियान्वयन
viii. शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा प्रक्रिया का अभिनवीकरण
ix. अध्यापक
x. शिक्षा का प्रबन्ध
xi. संसाधन तथा समीक्षा
xii. भावी स्वरूप

नई शिक्षा नीति (1986) को 21वीं सदी के छात्रों को तैयार करने की मंशा से विकसित किया गया था, ऐसे छात्र जो वैश्विक विकास, उभरती हुई तकनीकी तथा अंतर-सांस्कृतिक जटिलताओं का सामना कर सकें तथा देश को विकास के पथ पर आगे ले जा सके। आजाद भारत में आजदी के लगभग 40 वर्षों के पश्चात् नीति निर्माताओं ने पहली बार एक विस्तृत कार्यान्वयन कार्यक्रम-1986 भी विकसित किया, ताकि शिक्षा नीति की सभी संस्तुतियों को समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा सके। इसके लिए 23 कार्यदल निर्मित किये गये जिनमें शिक्षाशास्त्री, विषय के विद्वान, योजनाकार, प्रशासक तथा अन्य नीति निर्धारक लोग शामिल थे। प्रत्येक कार्यदल ने अपने लिए आवंटित क्षेत्र का विस्तृत कार्य योजना तैयार की तथा इस कार्य योजना में सभी उपस्थित संदर्भित तत्वों का ध्यान रखा गया। इस तरह एक बहुत ही विस्तृत आख्या, जिसे 'कार्यान्वयन कार्यक्रम' कहा गया, भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई। इस 'कार्यान्वयन कार्यक्रम' के 23 कार्यदल निम्नलिखित थे-

i. शिक्षा प्रणाली को क्रियाशील बनाना।
ii. स्कूल शिक्षा की पाठ्यपुस्तक तथा प्रक्रियाएँ।
iii. नारी समानता के लिए शिक्षा।
iv. अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों की शिक्षा।
v. अल्पसंख्यकों की शिक्षा।
vi. विकलांगों की शिक्षा।
vii. प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा।
viii. पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या तथा शिक्षा।

ix. अनौपचारिक शिक्षा तथा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सहित प्रारम्भिक शिक्षा।
x. माध्यमिक शिक्षा तथा नवोदय विद्यालय।
xi. व्यावसायीकरण।
xii. उच्च शिक्षा।
xiii. मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूर अधिगम।
xiv. तकनीकी तथा प्रबन्ध शिक्षा।
xv. अनुसंधान एवं विकास।
xvi. शिक्षा में संगणक का उपयोग सहित संचार साधन तथा शैक्षिक तकनीकी।
xvii. उपब्धियों को रोजगार से विलग करना तथा मानव शक्ति नियोजन।
xviii. सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य तथा भाषा नीति को लागू करना।
xix. खेल शारीरिक शिक्षा तथा युवा।
xx. मूल्यांकन प्रक्रिया तथा परीक्षा सुधार।
xxi. अध्यापक तथा उनका प्रशिक्षण।
xxii. शिक्षा का प्रबन्ध।
xxiii. ग्रामीण विश्वविद्यालय/संस्थान।

सीमित समयसीमा के बावजूद कार्यदलों ने अपना कार्य पूर्ण करके अपनी-अपनी आख्याएँ प्रस्तुत कर दी, परिणामस्वरूप कार्यान्वयन कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया।

1.5.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 (समीक्षा 1992)

1989 में सत्ता परिवर्तन के साथ-साथ शिक्षा नीति में भी परिवर्तन की मांग के चलते नई सरकार ने 7 मई 1990 को आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति गठित कर दी। इस समिति के समक्ष निम्नलिखित विषय विचारार्थ थे-

i. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 तथा इसके कार्यन्वयन की समीक्षा।
ii. नीति के संशोधन के सम्बन्ध में संस्तुति करना।
iii. संशोधित नीति के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्ययोजना सुझाना।

इस समिति के अध्यक्ष आचार्य राममूर्ति ने उपरोक्त वर्णित विषय पर विचार करने के लिए निम्नलिखित छः उपसमितियों का गठन किया।-

i. उपसमिति 1 पहुँच, समता तथा सर्वीकरण
ii. उपसमिति 2 शिक्षा और काम का अधिकार
iii. उपसमिति 3 शिक्षा की कोटि और मानदंड
iv. उपसमिति 4 राष्ट्रीय एकता, मूल्य शिक्षा और चरित्र निर्माण
v. उपसमिति 5 संसाधन और प्रबन्ध
vi. उपसमिति 6 ग्राम शिक्षा

इन समितियों की अनुशंसाओं के आधार पर आचार्य राममूर्ति ने अपने प्रतिवेदन को सोलह अध्यायों में बांटा तथा सम्पूर्ण प्रतिवेदन को 'प्रबुद्ध एवं मानवीय समाज की ओर' नामक शीर्षक से प्रस्तुत किया सोलह अध्याय निम्नलिखित हैं-

i. कार्यविधि तथा प्रक्रिया
ii. दृष्टिकोण
iii. शिक्षा की भूमिका: उद्देश्य एवं मूल्य
iv. समता, सामाजिक न्याय और शिक्षा
    a. शिक्षा और नारी समानता
    b. अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा
    c. विकलांगों के लिए शिक्षा
    d. सार्वजनिक स्कूल प्रणाली
    e. नवोदय विद्यालय
v. शिशु देखभाल और शिक्षा
vi. प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वीकरण
vii. प्रौढ़ और अनुवर्ती शिक्षा
viii. शिक्षा और काम का अधिकार
ix. उच्च शिक्षा
x. तकनीकी और प्रबन्ध शिक्षा
xi. शिक्षा में भाषाओं का स्थान
xii. शिक्षा की विषयावस्तु तथा प्रक्रिया
xiii. शिक्षक और छात्र
xiv. विकेन्द्रीकरण और सहभागी प्रबन्ध
xv. शिक्षा के लिए संसाधन
xvi. उपसंहार

1.5.2 कार्यान्वयन कार्यक्रम (1992)

कार्यान्वयन कार्यक्रम-1992 भी समान सहमति प्रक्रियाओं की परिणति थी। 22 कार्यदल इस कार्य में भी बनाये गये, जिनमें शिक्षाशास्त्री, विषय के विद्वान, योजनाकार, प्रशासक तथा अन्य नीति निर्धारक लोग शामिल थे। समीक्षा समिति ने यह साफ कर दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 बहुत ही सशक्त थी तथा किसी भी देश के शैक्षिक विकास को बहुत लम्बे समय तक निर्देशित करने में सक्षम थी। इसी प्रकार 'कार्यान्वयन कार्यक्रम-1986' में रेखांकित बहुत सारी युक्तियाँ उचित थी और उपयुक्त भी थी जिन्हें आगे भी जारी रखा गया। हालांकि कार्यदलों के सतत प्रयासों से 'कार्यान्वयन कार्यक्रम-1992' बहुत अधिक व्यावहारिक तथा क्रियान्तुख बना तथा इस कार्यान्वयन कार्यक्रम की छाप आठवीं तथा नवीं पंचवर्षीय

योजना पर साफ दिखलायी पड़ा। उपयुक्त कार्यान्वयन तथा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दोनों ही योजनाओं में धन की व्यवस्था की गयी। यहाँ इस बात का उल्लेख बहुत ही आवश्यक है कि नयी शिक्षा नीतियों ने कोठारी आयोग की कुछ अनुशंसाओं को बहुत अधिक महत्व दिया जैसे- शैक्षिक अवसरों की समानता, शिक्षा में सामाजिक न्याय तथा शिक्षा और विकास का अंतर्सम्बन्ध तथा ये अनुशंसाएँ दोनों ही शैक्षिक नीतियो- 1986, 1992 तथा उनके कार्यान्वयन में आधार रही।

1.6 कार्यान्वयन कार्यक्रमों के मुख्य बिन्दुओं का एक तुलनात्मक विश्लेषण

वर्तमान कार्यक्रम के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए यह तुलनात्मक विश्लेषण केवल कुछ ही चयनित बिन्दुओं पर किया जायेगा। आप अपनी विस्तृत समझ के लिए संदर्भित सामग्री की सहायता ले सकते हैं। ये चयनित बिन्दु निम्नलिखित हैं-

i. प्राथमिक शिक्षा
ii. माध्यमिक एवं उच्च-माध्यमिक शिक्षा
iii. शिक्षक शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा

कार्यान्वयन कार्य - 1986	कार्यान्वयन कार्यक्रम-1992
• प्राथमिक शिक्षा के सर्वीकरण में सभी सम्बन्धित लोगों तथा स्थानीय समुदाय व शिक्षक को नियोजन में सम्मिलित करना	• जिला-विशेष जनसंख्या-विशेष कार्य योजना सूक्ष्म स्तर पर
• 300 की आबादी पर राज्य सरकारें एक प्राथमिक विद्यालय सुनिश्चित करें	• प्राथमिक शिक्षा के सर्वीकरण हेतु जनसंख्या-विशेष योजना
• विस्तृत स्कूल तलरूपमिति (mapping) विकसित करने की शुरूआत	• अधिगम का न्यूनतम स्तर की शुरूआत
• आश्रम स्कूलों में सुधार तथा फैलाव	• जिला स्तर योजना में विसमूहन उपागम की भूमिका जिसमें स्कूलों में वैकल्पिक प्रणाली का अभिग्रहण
• कमजोर वर्ग के लिए छात्रावास	• प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्वीकरण कार्यक्रम, साक्षरता कार्यक्रम तथा सम्पूर्ण साक्षरता में तारतम्यता
• छात्रों के स्कूल में धारण तथा सम्पूर्णन पर विशेष बल	• स्कूली सुविधाओं में आपरेशन ब्लैक बोर्ड से सुधार
• शिक्षकों के पुनर्बलन के लिए विस्तृत कार्य	• शैक्षिक प्रबन्धन का विकेन्द्रीकरण सतत एवं

प्रणाली का विकास	विस्तृत मूल्यांकन की शुरूआत
• 11-14 आयु समूह के बच्चों के नामांकन बल पर	• शिक्षक के प्रशिक्षण में सुधार
• बच्चों के नियोक्ता को उनकी अंशकालिक शिक्षा की जिम्मेदारी	• जाँच प्रणाली में सुधार
• समुदाय का कार्यक्रमों में भूमिका	• राष्ट्रीय मिशन की शुरूआत
• 5 + 3 + 2 के ढाँचे पर पहुँचना	• 35000 नये प्राथमिक विद्यालय का शुभारम्भ
• कम से कम आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने हेतु ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड	• प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक का अनुपात 2: 1
• छात्रवृत्तियों की व्यवस्था।	• प्राथमिक स्कूलों का उच्च प्राथमिक स्कूलों में उन्नयन
• व्यावसायिक और तकनीकी कार्यक्रमों की व्यवस्था	• स्वैच्छिक स्कूलों की योजना कम से कम 30 बच्चों के साथ दुर्गम स्थानों पर
• छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली का निर्माण	
• छात्र के नामांकन, धारण, नियमितता तथा उपलब्धि के आंकड़ों का संग्रहण	

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा

कार्यान्वयन कार्य - 1986	कार्यान्वयन कार्यक्रम-1992
• बुनियादी उभयनिष्ठ मूल्यों के साथ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की अवधारणा	• माध्यमिक शिक्षा में पहुँच के लिए फैलाव-
• पिछड़े और अनुपालित इलाकों में माध्यमिक शिक्षा हेतु स्केल की स्थापना	(क) पाठ्यक्रम में विविधता के सुविधाएँ देना
• प्रत्येक राज्य के स्केलों के तलरूपमिति के लिए कार्यक्रम	(ख) पिछड़े और अनुपालित इलाकों में माध्यमिक स्कूलों का निर्माण
• स्रवण क्षेत्रों में स्कूल समूह गुच्छों की स्थापना जिसमें माध्यमिक स्कूल मुख्य भूमिका में हो	(ग) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के नामाकंन में वृद्धि हेतु सफल कार्य योजना
• चरणबद्ध तरीके से मुक्त स्कूलों की स्थापना, हर जिले में एक संसाधन केन्द्र के साथ, 1990 तक	**उभयनिष्ठ शैक्षिक ढाँचा**

स्कूलों को निम्नलिखित जरूरतें हैं-	• प्रत्येक निर्मित विद्यालय 10 + 2 कार्यक्रम का अनुपालन करेंगे। एक कार्यदल का निर्माण इस अनुपालन में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु।
(क) पर्याप्त खेल के मैदान	**माध्यमिक शिक्षा के बोर्ड का सशक्तिकरण**
(ख) कक्षाओं तथा प्रयोगशालाओं का निर्माण	• शिक्षा की गुणवत्ता तथा मानकों को नियमतीकरण में भूमिका
(ग) उच्च शिक्षित अध्यापक तथा सेवा में रत अध्यापकों का प्रशिक्षण	• प्रभावी परिणाम हेतु कार्यदल का गठन 1993 तक अपनी आख्या देना
(घ) पाठ्यक्रम एक मानक पाठ्यचर्या के अनुसार	• उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानों के लिए उचित कार्यक्रम का निर्माण
(ङ) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालय का अनुपात 1: 3	• प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तथा इसी पर आधारित विषयावस्तु व पुस्तकें
नवोदय विद्यालय	**उच्चतर माध्यमिक शिक्षा**
• प्रतिभाशाली बच्चों के लिए	• विषयवस्तु पर उन्मुखीकरण
• ग्रामीण बच्चों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण	• सतत एवं विस्तृत मूल्यांकन
• अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए भी आरक्षण	• राष्ट्रीय नीति (स्वीकृत) से कोई विचलन नहीं
• 11 लड़कियाँ भी कम से कम	• राष्ट्रीय रूपरेखा का कार्यान्वयन
• सी0बी0एस0ई0 से सम्बद्धता	• पाठ्यपुस्तकों का निर्धारित मानकों पर मूल्यांकन
• अत्यधिक छोटे समूह	• सभी राज्यों के सभी जिलों में आठवीं पंचवर्षीय योजना के पूर्ण होने से पर्व नवोदय विद्यालय
	• प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था
	• व्यावसायिक परामर्श की व्यवस्था

शिक्षक शिक्षा

कार्यान्वयन कार्य - 1986	कार्यान्वयन कार्यक्रम-1992
• पूर्व सेवा प्रशिक्षण तथा उन्मुखिकरण की व्यवस्था	• ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की सामग्री के इस्तेमाल पर बल तथा एम.एल.एल. नीति का उपयोग
• नवाचार के लिए स्वतंत्रता	• केन्द्र सहायता नीतियों की समीक्षा
• शिकायतों के निपटारे के लिए उचित व्यवस्था	• पूर्व सेवा शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करना
• कार्य के लिए अनुकूल वातावरण जैसे सेवानिवृत्ति लाभ, अध्ययन अवकाश, सेवा शर्तों में समानता तथा शिक्षकों के स्थानान्तरण प्रदान करना	• पाँच वर्ष के अन्दर सभी सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण
• शिक्षकों की प्रबन्धन में भूमिका	• विशेष उन्मुखीकरण कार्यक्रम की शुरूआत
• अंशकालिक नियुक्तियों में कमी करना	• सहायक कार्यक्रम प्रणाली का उन्नयन
• एन.सी.टी.ई. को स्वायत्त रूप देना	• शिक्षण-अधिगम सामग्री के निर्माण तथा उत्पादन हेतु विशेष कार्यक्रम
• डी.आई.ई.टी. प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए	• एस.सी.ई.आर.टी. का सशक्तिकरण
• शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से प्रशिक्षण	• एन.सी.टी.ई. की स्वायत्ता के लिए बिल
	• राज्यों के खुद के पी.ओ.ए. का निर्माण
	• जवाबदेही के लिए मानकों का निर्माण

अभ्यास प्रश्न

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 की मुख्य विशेषताएँ क्या थीं?
2. कार्यान्वयन कार्यक्रम-1992, 1986 के कार्यान्वयन कार्यक्रम से कहाँ-कहाँ अलग था?

1.7 सारांश

शिक्षा क्षेत्र की प्राथमिकता स्वतंत्रता के पश्चात् से ही भारत के शीर्ष एजेंडे में रही तथा इसमें आवश्यक गुणवत्ता के सुधार हेतु विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53), भारतीय शिक्षा आयोग (1964-66), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986, 92)

तथा कार्यान्वयन कार्यक्रम (1986, 92) इत्यादि प्रमुख रूप से रेखांकित किये जा सकते है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (1992 में संशोधित) में एक ऐसी राष्ट्रीय प्रणाली की परिकल्पना की गयी है। जिसका तात्पर्य था कि, ''जाति, पंथ, स्थान या महिला पुरूष में भेदभाव किये बिना एक स्तर तक सभी विद्यार्थियों की एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था तक पहुँच हो''। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 से लेकर 92 तक सभी के द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन का संकल्प लिया गया। भारतीय शिक्षा प्रणाली के सभी स्तरों पर गुणवत्ता सुधार करने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास करने, नैतिक और सामाजिक मूल्यों को बढ़ाने तथा शिक्षा और लोगों के जीवन के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने पर जोर दिया गया है। पिछले लगभग दो दशकों में आये क्रांतिकारी परिवर्तनों के सन्दर्भ में वर्तमान में 21वीं सदी की शिक्षा हेतु नयी शिक्षा पर पुनः विमर्श चल रहा है तथा 1986 और 1992 की नीतियों पर आपकी समझ, नयी नीति को दिशा व दशा देने में सहायक सिद्ध हो सकती है।

1.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

14. Kumar Krishna: Raj, Samaj aur Shiksha. Raj Kamal Prakashan, New Delhi, 2001
15. Vaidya, N. & Vaidya, S.; Encyclopedia of Educational Foundations and Development. Deep & Deep Publications, New Delhi, 2002.
16. The Report of University Education Commission, 1948-49. Published by Govt. of India Press.
17. The Report of Secondary Education Commission, 1952-53. Published by Govt. of India Press.
18. The Report of Indian Education Commission, 1964-66. Published by Govt. of India Press.
19. Challenges of Education: A Policy Perspective. Published by Ministry of Education, 1985.
20. National Policy on Education, 1986. Published by MHRD, 1986.
21. National Curriculum Framework-2005, Published by NCERT, 2005.
22. Programme of Action, 1986 & 1992. Published by MHRD, 1986 & 1992.
23. India Vision 2020: The Report, Planning Commission, Govt. of India. Published by Academic Foundation, New Delhi, 2004.

1.9 निबंधात्मक प्रश्न

1. भारतीय शिक्षा आयोग (1964-66), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का आधार क्यों बना?
2. सुनियोजित औद्योगिकीकरण का भारतीय शिक्षा के आयोग 1964-66 की सिफारिशों पर क्या असर पड़ा?
3. राष्ट्रीय शिक्षा की नीति-1986 के उद्भव की महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि क्या रही?
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, 1986 से किन-किन बिन्दुओं पर भिन्न हुई?

इकाई- 3 मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम की समीक्षा

Review of Mid Day Meal Program

3.1 प्रस्तावना
3.2 उद्देश्य
3.3 मध्यान्ह भोजन योजना
  3.3.1 मध्यान्ह भोजन योजना का इतिहास
  3.3.2 कार्यक्रम के उद्देश्य
  3.3.3 केन्द्रीय सहायता के संघटक
  3.3.4 MDMके लिए सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश
  3.3.5 मध्यान्ह भोजन योजना में विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका
3.4 मध्यान्ह भोजन योजना का विधिक निर्णय
3.5 मध्यान्ह भोजन योजना के लाभ
3.6 मध्यान्ह भोजन योजना के दोष
3.7 सारांश
3.8 शब्दावली
3.9 स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्नों के उत्तर
3.10 संदर्भ ग्रंथ सूची
3.11 निबंधात्मक प्रश्न

3.1 प्रस्तावना

"किसी राष्ट्र का स्वास्थ्य उसकी सम्पदा से ज्यादा महत्वपूर्ण है" (हरबर्ट स्पेंसर)। प्राथमिक विद्यालयों में सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे नामांकन तो करा लेते हैं लेकिन विद्यालयों में उनका ठहराव तथा उपस्थिति नियमित नहीं बनी रहती। इसका मुख्य कारण है उनकी आजीविका। ये छात्र अत्यंत निर्धन परिवार के होते हैं और परिवार को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए मदद करते हैं। उनके माता पिता भी अशिक्षित होते हैं औए शिक्षा का महत्त्व नहीं समझते हैं। माता पिता भी यही चाहते हैं कि बच्चा आर्थिक रूप से उनकी सहायता करे। एक कहावत है कि भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते हैं, तो बच्चे

भूखे पेट पढ़ेंगे कैसे? अधिकांश बच्चे भूखे ही विद्यालय आते हैं और कोई सुबह भोजन करके आते भी हैं तो दिन तक उनको भूख लग जाती है। इसलिए वे विद्यालय आना पसंद नहीं करते हैं। गरीबी के कारण अधिकांश बच्चे कुपोषण का शिकार रहते हैं। जब स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो विद्यालय की किसी भी गतिविधि में उनका मन नहीं लगेगा। इन गरीब वर्ग के बच्चों के लिए पहले रोटी है फिर अन्य चीजें। अतः इस समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने विद्यालय में नामांकन बढ़ाने तथा बच्चों की उपस्थिति नियमित करने के लिए मध्यान्ह भोजन योजना का आरम्भ किया। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, जिससे विद्यालय में नामांकन बढ़ सके, छात्रों को संतुलित आहार मिल सके तथा उनके मध्य सामाजिक सौहार्द, एकता,एवं परस्पर भाईचारे की भावना का विकास हो सके। इस इकाई में आप MDM के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे ।

3.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप:

5. मध्यान्ह भोजन योजना को समझ सकेंगे।
6. मध्यान्ह भोजन योजना का विधिक निर्णय समझ सकेंगे।
7. मध्यान्ह भोजन योजना के लाभों को समझ सकेंगे।
8. मध्यान्ह भोजन योजना के दोषों को समझ सकेंगे।

3.3 मध्यान्ह भोजन योजना

स्वतंत्रता के पश्चात केन्द्रीय व राज्य स्तर पर सरकारों द्वारा शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया। प्राथमिक शिक्षा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा है। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए देश में कई समितियाँ, आयोग व योजनाएं बनाई गई। जैसे DPEP, ओपरेशन ब्लैकबोर्ड, सर्वशिक्षा अभियान आदि । इन सभी योजनाओं का विस्तृत अध्ययन आप ब्लाक 1 की इकाई 1 में कर चुके हैं। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 14 वर्ष तक के बच्चों का विद्यालय में नामांकन और ठहराव तथा गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की बात कही गई। सन् 2000 में डकार सम्मलेन में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अनेक देश पूर्व सम्मलेन में निर्धारित लक्ष्यों तक नहीं पहुँच पाए तथा इस तथ्य पर सहमत हुए कि वर्ष 2015 तक शिक्षा हेतु निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ती हो पाएगी। इसमें छः लक्ष्य निर्धारित किये गए जिससे सबको शिक्षा मिल सके।

7. पूर्व बाल्यकाल एवं शिक्षा
8. प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण

9. युवा व प्रौढ़ो की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति
10. प्रौढ़ साक्षरता
11. लैंगिक समानता
12. गुणवत्ता परक शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए मध्यान्ह भोजन योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है। जिससे बच्चों का विद्यालय में नामांकन बढ़ाया जा सके, उनका ठहराव किया जा सके तथा उनमें समानता के भाव विकसित किए जा सके।

3.3.1 मध्यान्ह भोजन योजना का इतिहास

MDM का इतिहास काफी पुराना है। आज से करीब 400 वर्ष पूर्व मौलाना चक के मदरसा शहबाजिया में हजरत मखदूम शहबाज मुहम्मद द्वारा स्थापित मदरसे में मध्याह्न भोजन योजना लागू थी। तब मदरसा में हिंदू बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करते थे। डा एसएम राफिक ने शहबाज ज्योति में लिखा है कि हजरत मखदूम शहबाज मुहम्मद का 986 हिजरी (1578 ई) को भागलपुर आगमन हुआ था। यहां उन्होंने एक मदरसा की स्थापना की थी। झारखंडी झा द्वारा लिखित भागलपुर दर्पण में उल्लेख है कि हजरत मखदूम शहबाज मुहम्मद द्वारा स्थापित मदरसे में करीब 200 मुस्लिम और हिन्दू छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। छात्रों को दोपहर का भोजन और वस्त्र भी दिया जाता था। उस समय तक मदरसा शहबाजिया जिले का पहला था। मुगल शासकों ने मदरसे के खर्च के लिए कहलगांव परगने की 500 बीघा जमीन दी। तब कई प्रसिध्द मौलवियों ने यहां से निकल प्रांत में विद्या का प्रचार किया। जहांगीर से लेकर अंतिम मुगल शासक तक मदरसे की काफी ख्याति रही।

राबर्ट मोन्टोगमेरी मार्टिन ने 1838 में लिखी अपनी पुस्तक में मदरसे की चर्चा करते हुए कहा कि 100 वर्ष पूर्व भागलपुर हिंदू-मुस्लिम शिक्षा का केंद्र था। उस समय हजरत मखदूम शहबाज मुहम्मद के वंशज काजी फायक अरबी के प्रकांड विद्वान थे। उनके घराने में उस समय 20 मौलवी जीवित थे। मौलाना चक विद्या प्रचार का केंद्र था। 18वीं शताब्दी में खंजरपुर और भोजुआ (गोगरी, खगड़िया) में भी मौलाना हयात के समय मदरसा में भोजन वस्त्र मुफ्त देकर बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। पीसी राय चौधरी के जिला गजेटियर के अलावा कयाम उद्दीन अहमद, फ्रांसिस बुकानन और एसएच अस्करी ने भी अपनी किताबों में शहबाजिया मदरसे का विस्तारपूर्वक विवरण किया है। जिला गजेटियर में यह भी लिखा है कि मुगल शासक के फौजदार मिर्जा गुलाम हुसैन खान ने मदरसा का पक्कीकरण बादशाह के हुक्म पर कराया। अब भी मदरसा में बिहार और झारखंड के अधिकांश जिलों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं।

स्वतंत्र भारत में MDM की शुरुआत 1995 में राष्ट्रीय पौषणिक सहायता कार्यक्रम (एनपी-एनएसपीई) शुरू किया गया था। हुई। उस समय प्रत्येक छात्र को 80% की उपस्थिति में हर माह तीन किलो चावल या गेहूँ उपलब्ध कराया जाता था। लेकिन यह तीन किलो राशन उसके परिवार के अन्य सदस्यों में बंट जाता था और उस तक तो पहुँचता भी नहीं था। तमिलनाडु में देश की सबसे पुरानी MDM योजना संचालित हुई। वहाँ पर सर्वप्रथम पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराया गया था। जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। छात्रों के स्वास्थ्य में वृद्दि हुई, ड्रॉप आउट की समस्या समाधान हुआ तथा छात्र मन लगाकर शिक्षा प्राप्त कार रहे थे। अतः माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार देश के सभी विद्यालयों में MDM योजना में पका-पकाया भोजन दिया जाने लगा।

वर्ष 2001 में एमडीएमएस पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना बन गई, जिसके तहत प्रत्येक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूल के प्रत्येक बच्चे को न्यूनतम 200 दिनों के लिए 8-12 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन और ऊर्जा के न्यूनतम 300 कैलोरी अंश के साथ मध्याह्न भोजन परोसा जाना था। स्कीम का वर्ष 2002 में न केवल सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकायों के स्कूलों को कवर करने के लिए अपितु शिक्षा गारंटी स्कीम (ईजीएस) और वैकल्पिक तथा अभिनव शिक्षा (एआईई) केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक भी विस्तार किया गया था।

सितम्बर, 2004 में स्कीम को दालों, वनस्पति खाने के तेल, मसालों, ईंधन की लागत और खाना पकाने के लिए जिम्मेदार एजेंसी के कार्मिकों को देय मजदूरी और पारिश्रमिक या देय राशि को कवर करने के लिए 1 रु. प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिन की दर से खाना पकाने के लागत के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए प्रावधान करने के लिए संशोधित किया गया था। परिवहन आर्थिक सहायता को विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए पहले के अधिकतम 50 रु. प्रति क्विंटल से 100 रु. और अन्य राज्यों के लिए 75 रु. प्रति क्विंटल तक भी बढ़ाया गया था। खाद्यान्नों की लागत, परिवहन आर्थिक सहायता और खाना पकाने में सहायता की लागत के 2 प्रतिशत की दर से स्कीम के प्रबंध, मॉनीटरिंग और मूल्यांकन के लिए पहली बार केन्द्रीय

सहायता प्रदान की गई थी। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान मध्याह्न भोजन देने के लिए भी प्रावधान किया गया था।

जुलाई, 2006 में स्कीम को पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यों के लिए 1.80 रु. प्रति बच्चा/स्कूल दिन और अन्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए 1.50 रु. प्रति बच्चा/स्कूल दिन की खाना पकाने की लागत को बढ़ाने के लिए और संशोधित किया गया था। पौषणिक मानदण्ड को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन के लिए संशोधित किया गया था। रसोई-सह-भंडार के निर्माण और स्कूलों में रसोई उपकरणों की खरीद में सुविधा देने के उद्देश्य से चरणबद्ध ढंग से 60,000 रु. प्रति यूनिट की दर से केन्द्रीय सहायता का प्रावधान किया गया था।

अक्तूबर 2007 में, स्कीम का 3,479 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) में अपर प्राइमरी स्कूलों (अर्थात कक्षा VI से VIII) में पढ़ने वाले बच्चों को कवर करने के लिए विस्तार किया गया था और स्कीम का नाम 'राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पौषणिक सहायता कार्यक्रम' से बदल कर 'स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम' कर दिया गया था। अपर प्राथमिक अवस्था के लिए पौषणिक मानदण्ड 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन निश्चित किया गया था। दिनांक 01.04.2008 से स्कीम को देश भर में सभी क्षेत्रों के लिए विस्तार दिया गया था।

3.3.2 MDM के उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना है । अन्य उद्देश्य निम्नांकित हैं:

- प्राथमिक कक्षाओं की नामांकन में वृद्धि।
- छात्रों को स्कूल में पूरे समय रोके रखना तथा विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति (ड्राप आउट) में कमी।
- निर्बल आय वर्ग के बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना।
- छात्रों को पौष्टिक आहार प्रदान करना।
- विद्यालय में सभी जाति एवं धर्म के छात्र-छात्राओं को एक स्थान पर भोजन उपलब्ध करा कर उनके मध्य सामाजिक सौहार्द, एकता एवं परस्पर भाई-चारे की भावना जागृत करना।
- लिंग भेदभाव को खत्म करना ।
- गरीब एवं वंचित वर्ग के लोगों को अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रोत्साहित करना ।

3.3.3 केन्द्रीय सहायता के संघटक

केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों ही मिलकर MDM योजना में वित्तीय रूप से सहायता करते हैं ।

i. प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए 100 ग्राम प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिवस की दर से और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए 150 ग्राम प्रति बच्चा प्रति स्कूल दिवस की दर से भारतीय खाध निगम के निकटस्थ गोदाम से निःशुल्क खाद्यान्न (गेहूं/चावल) की आपूर्ति। केन्द्र सरकार भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न की लागत की प्रतिपूर्ति करती है।

ii. 11 विशेष श्रेणी वाले राज्यों (अर्थात-अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश उत्तराखण्ड और त्रिपुरा) के लिए दिनांक 1.12.2009 से इनमें प्रचलित पी.डी.सी. दरों के अनुसार परिवहन सहायता। अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 75/-रू. प्रति क्विंटल की अधिकतम सीमा के अधीन भारतीय खाद्य निगम से प्राथमिक स्कूल तक खाद्यान्न के परिवहन में हुई वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति।

iii. दिनांक 1.12.2009 से भोजन पकाने की लागत (श्रम और प्रशासनिक प्रभार को छोड़कर) प्राथमिक बच्चों के लिए 2.50 रूपए की दर से और उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए 3.75 रूपए की दर से प्रदान की जाती है और दिनांक 1.4.2010 तथा दिनांक 1.4.2011 को इसे पुनः 7.5 प्रतिशत तक बढ़ाया गया। 1 जुलाई 2016 से इन दरों में फिर से परिवर्तन किया गया है। और परिवर्तित दरें नीचे सारणी में दी गई हैं। भोजन पकाने की लागत की केन्द्र और पूर्वोत्तर राज्यों के मध्य हिस्सेदारी 90:10 के आधार पर है और अन्य राज्यों/संघ राज्यों के साथ 60:40 के आधार पर वहन की जाएगी। वर्ष 2016 -17 के लिए खाद्यान्य मानक निम्न सारणी में दिए गए हैं:

खाद्य पदार्थ	**खाद्यान्य मानक प्रतिछात्र प्रतिदिन निर्धारित मात्रा**	**कुकिंग मूल्य का विवरण**	**स्तर**	**कुकिंग मूल्य प्रतिदिन प्रतिछात्र**
	प्राथमिक उच्चप्राथमिक	1जुलाई 2016 से प्रभावी दर	प्राथमिक उच्च प्राथमिक	रु. 4.13 रु. 6.18
अनाज (चावल)	100 ग्राम 150 ग्राम			
दाल	20 ग्राम 30 ग्राम			
सब्जी	50 ग्राम 75 ग्राम			
तेल तथा घी	5 ग्राम 7.5ग्राम			
नमक तथा मसाले	आवश्यकतानुसार			

भोजन पकाने की लागत में दालों, सब्जियों, भोजन पकाने के तेल और मिर्च-मसालों, ईंधन इत्यादि की लागत शामिल है। वर्तमान में दिसम्बर 2016 से अतिरिक्त पोषण के तहत प्रत्येक बच्चे के लिए एक हफ्ते में रु.5 प्रदान किया जा रहा है। जिससे हफ्ते में एक दिन प्रत्येक बच्चे को पोषणयुक्त खाद्य सामग्री दी जानी है। जैसे अंडा, अतिरिक्त फल या जिसमें भी अधिक पोषण हो।

iv. पूरे देश में किचन-कम-स्टोर के निर्माण की प्रति विद्यालय 60,000 रूपएकी एक समान दर के स्थान पर दिनांक 1.12.2009 से निर्माण लागत को कुरसी क्षेत्र मानदण्डों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचलित राज्य अनुसूची दरों के आधार पर निर्धारित किया गया है। किचन-कम-स्टोर की निर्माण लागत की हिस्सेदारी केन्द्र और पूर्वोत्तर राज्यों के मध्य 90:10 आधार पर तथा अन्य राज्यों के साथ 60:40 के आधार पर की गई । इस विभाग ने दिनांक 31.12.2009 के अपने पत्र संख्या 1-1/2009-डेस्क (एम.डी.एम.) के जरिए 100 बच्चों तक स्कूलों में किचन-कम-स्टोर के निर्माण हेतु 20 वर्ग मी० का क्षेत्र निर्धारित किया है। यह निर्धारित किया गया कि प्रत्येक अतिरिक्त 100 बच्चों तक के लिए 4 वर्ग मीटर अतिरिक्त कुरसी क्षेत्र जोड़ा जाएगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी स्थानीय दशाओं के आधार पर 100 बच्चों के स्लैब को संशोधित करने का अधिकार होगा।

v. 5000 रूपए प्रति विद्यालय की औसत लागत के आधार पर किचन के सामान प्राप्त करने के लिए सहायता दी जाती है। किचन के सामान में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- भोजन पकाने का सामान (स्टोव, चूल्हा इत्यादि)
- खाद्यान्न और अन्य सामान को स्टोर करने के लिए कंटेनर
- भोजन पकाने और वितरित करने के बर्तन।

vi. दिनांक 1.12.2009 से रसोइये-कम-सहायक को प्रदान किए जाने वाले मानदेय को 1000 रूपए प्रतिमाह करना और 25 विद्यार्थियों वाले विद्यालयों में एक रसोइये-कम-सहायक, 26 से 100 विद्यार्थी वाले विद्यालयों में दो रसोइये-कम-सहायक और अतिरिक्त प्रत्येक 100 विद्यार्थियों तक के लिए एक अतिरिक्त रसोइये-कम-सहायक की नियुक्ति की गई । वर्ष 2012 से रसोइये कम सहायक को 1500 रूपया प्रतिमाह किया गया । सितम्बर 2016 से रु.1500 से बढ़ाकर रु. 2000 कर दिया गया है । रसोइये-कम-सहायक को प्रदान किए जाने वाले मानदेय के लिए केन्द्र सरकार और राज्यों के मध्य हिस्सेदारी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 तथा अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 75:25 के आधार पर होगी।

vii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए इस स्कीम के प्रबंधन, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन (एम.एम.ई.) के लिए सहायता (क) खाद्यान्न, (ख) परिवहन लागत और (ग) भोजन पकाने की लागत (घ) रसोइया-सह-सहायक को मानदेय के लिए कुल सहायता का 1.8 प्रतिशत, (क) खाद्यान्न, (ख) परिवहन लागत और (ग) भोजन पकाने की लागत (घ) रसोइया-सह-सहायक को मानदेय की कुल सहायता के 0.2 प्रतिशत का उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर प्रबंधन, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

3.3.4 MDMके लिए सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश

1. इस योजना के अंतर्गत MDM का खाना विद्यालय के किसी एक अध्यापक को चखना है। इसके अलावा विद्यालय प्रबंधन समिति का सदस्य या कोई भी अभिभावक हो सकता है । प्रत्येक विद्यालय द्वारा एक रजिस्टर में अंकित करना होता है कि किस दिवस को किसने भोजन चखा और उसकी प्रतिक्रिया क्या रही ?
2. खाद्य पदार्थों के भण्डारण हेतु भारत सरकार ने रसोईघर के साथ-साथ एक भण्डारण गृह का भी उल्लेख किया है । इसलिए खाद्य पदार्थों का भण्डारण गृह (store) में ही किया जाना आवश्यक है । किसी प्रधानाचार्य के घर या फिर ग्राम प्रधान के घर नहीं ।
3. भोजन में प्रयोग किया जाने वाले नमक में आयोडीन और आयरन की प्रचुर मात्र होनी आवश्यक है।
4. MDM खाने से यदि किसी बच्चे की तबियत खराब हो जाती है तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक की पहली जिम्मेदारी है कि वह जिला शिक्षा अधिकारी/ जिला स्वास्थ्य अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना अवश्य दे ।
5. विद्यालय में पहले प्रतिदिन एक ही प्रकार का भोजन दिया जा रहा था, जिससे बच्चे एक सा भोजन करते- करते ऊब गए थे । अतः सरकार द्वारा प्रतिदिन भोजन का मीनू निर्धारित किया गया । यहाँ मीनू निम्न सारणी में दिया जा रहा है । (नवीनतम मीनू -2016)

क्रम संख्या	दिन	
1	सोमवार	रोटी-सोयाबीन/दाल की बड़ी युक्त सब्जी एवं मौसमी फल
2	मंगलवार	दाल चावल
3	बुधवार	तहरी एवं दूध(उबला हुआ) प्रा.वि.हेतु 150 मिली उ.प्रा. हेतु 200 मिली
4	गुरुवार	रोटी दाल
5	शुक्रवार	तहरी
6	शनिवार	चावल सोयाबीन युक्त सब्जी

3.3.5 मध्यान्ह भोजन योजना में विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका

1. MDM योजना के बैंक खाते का संयुक्त संचालन करना ।
2. प्रत्येक माह SMC की बैठक आहूत करना, बैठक में MDM के एजेंडा बिंदुओं पर कार्यवाही कर स्थानीय कठिनाइयों के निराकरण का प्रयास करना ।
3. साप्ताहिक भोजन मीनू की सूची तैयार करना तथा इसके अनुरूप विद्यालय में भोजन बनाने की प्रक्रिया में अपना सहयोग देना ।

4. भोजन माता का निष्पक्ष, बिना भेदभाव, पारदर्शी रूप से चयन करना तथा उसके अनुपस्थित होने पर भोजन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कराना।
5. किचन कम स्टोर अक नक़्शे के अनुसार गुणवत्ता निर्माण करने में अपना सहयोग देना।
6. खाद्य पदार्थों की अच्छी तरह से जाँच करना। दुआकं खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनिय 2011 के अनुसार पंजीकृत हो।
7. विशेष पर्वों पर बच्चों के लिए विशेष व्यंजन की व्यवस्था करना।
8. भोजन की स्वछता, गुणवत्ता तथा पौष्टिकता की जाँच करने हेतु रोस्टर तैयार करना, जिससे कम से कम एक माता प्रतिदिन भोजन को चख सके।
9. योजना का सामाजिक आडिट करना।
10. योजना में किसी प्रकार की समस्या व सुझाव के लिए विभाग के टाल फ्री नम्बर 1800-180-4132 के माध्यम से अवगत कराना।

इस प्रकार विद्यालय प्रबंधन समिति की MDM से सम्बंधित अन्य जिम्मेदारियां भी हैं।

अभ्यास प्रश्न

1. आज से करीब 400 वर्ष पूर्व मौलाना चक के मदरसा शहबाजिया में _____द्वारा स्थापित मदरसे में मध्याह्न भोजन योजना लागू थी।
2. स्वतंत्र भारत में MDM की शुरुआत 1995 में हुई। (सत्य/असत्य)
3. उत्तर प्रदेश में देश की सबसे पुरानी MDM योजना संचालित हुई।(सत्य/असत्य)
4. इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का_____करना है।
5. खाद्य पदार्थों के भण्डारण लिए _____ होना आवश्यक है।
6. भोजन पकाने की लागत में दालों, सब्जियों, भोजन पकाने के तेल और मिर्च-मसालों, ईंधन इत्यादि की लागत शामिल है।(सत्य/ असत्य)
7. किचन- कम स्टोर में शामिल है :
   i. भोजन पकाने का सामान (स्टोव, चूल्हा इत्यादि)
   ii. खाद्यान्न और अन्य सामान को स्टोर करने के लिए कंटेनर
   iii. भोजन पकाने और वितरित करने के बर्तन।
   iv. उपर्युक्त सभी

3.4 मध्यान्ह भोजन योजना का विधिक निर्णय

विद्यालयों में पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराने के संबंध में **मा0 सर्वोच्च न्यायालय** ने याचिका संख्या 196/2001 पीपुल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीजबनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में

दिनांक 28-11-2001 को भारत सरकार को निर्देशित किया था कि 3 माह के अन्दर सरकार प्रत्येक राजकीय एवं राज्य सरकार से सहायता प्राप्त प्राइमरी विद्यालयों में पका पकाया भोजन उपलब्ध कराए । इस भोजन में 300 कैलोरी ऊर्जा तथा 8-12 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध होगा और यह भोजन वर्ष में कम से कम 200 दिनों तक उपलब्ध कराया जाएगा। माननीय न्यायालय ने यह भी निर्देशित किया कि योजना के अंतर्गत औसतन अच्छी गुणवत्ता का खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। अतः माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 2004 से प्राथमिक विद्यालयों में पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराने की योजना आरम्भ कर दी गयी। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा मानकों में परिवर्तन करते हुए यह निर्धारित किया गया है कि उपलब्ध कराये जा रहे भोजन में कम से कम 450 कैलोरी ऊर्जा 12 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध हो।

3.5 MDM के लाभ

- **विद्यालय में भागीदारी बढ़ाना** -MDM से विद्यालय में नामांकन संख्या बढ़ी है।पहले अधिकतर अध्यापकों की शिक्षायत रहती थी कि बच्चे भोजन के लिए घर चले जाते हैं फिर वापस नहीं आते हैं। लेकिन जब से MDM योजना लागू हुई तब से बच्चे विद्यालय में नियमित रहते हैं।
- **छात्रों को पोषण प्रदान कार सेहतमंद बनाना**- मध्यान्ह भोजन योजना के द्वारा पोषण युक्त भोजन खिलाया जाता है, जिससे छात्रों की सेहत में सुधार देखने को मिलता है।
- **गरीब बच्चों को भुखमरी से बचाना**-गरीब बच्चे जो दो जून की रोटी कमने के लिए विद्यालय नहीं आ पा रहे थे, वे अब खुशी-खुशी विद्यालय आते हैं। और पढ़ने में भी मन लगाते हैं।
- **शैक्षिक मूल्य**- MDM के कई शैक्षिक मूल्य हैं। जैसे बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी कई जानकारी दी जा सकती है। उदाहरण- हाथ धोने के लाभ,स्वच्छ पानी या संतुलित आहार तथा बीमारियों से सम्बंधित जानकारी दी जा सकती है।
- **सामाजिक समानता को बढ़ाना**- मध्यावकाश के समय जा सभी वर्गों के लोग एक साथ भोजन करते हैं तो एक प्रकार से सामाजिक समानता बढ़ती है।किसी छात्र के मन में यह भावना नहीं आती कि वह उच्च या निम्न वर्ग का है। विद्यालय प्रबंधन समिति को MDM में संलग्न करके भी विद्यालय को समुदाय से जोड़ने का कार्य किया गया है।
- **लैंगिक भेदभाव को कम करना** - MDM के कारण विद्यालयों में लड़कियों की संख्या बढ़ी है। वे लड़कियाँ जिन्हें छोटे भाई बहनों के लिए खाना बनाने के लिए घर पर ही रुकना पड़ता था वे भी अब विद्यालय आने लगी हैं। विद्यालयों में भोजन माता को रखकर एक तरह से लैंगिक भेदभाव को कम ही किया है। उन भोजन माताओ का सशक्तिकरण भी बढ़ा है क्योंकि वे घर के कार्य के अतिरिक्त विद्यालय में खाना बनाती हैं, जिसके लिए उन्हें उचित मानदेय मिलता है। इस प्रकार उनके स्तर में सुधार हुआ है।

3.5 MDM के दोष

- अधिकतर प्रधानाध्यापकों की यही शिकायत रहती है कि उन्हें कक्षा में पढ़ाने का समय नहीं मिल पता है और वे सिर्फ खाना बनवाने तथा भण्डारण में ही लगी रहती हैं।
- कई लोगों का मानना है कि सरकारी विद्यालयों में बच्चे सिर्फ खाना खाने जाते हैं अन्य कुछ नहीं।
- विद्यालयों में नामांकन में वृद्दि तो हुई है, लेकिन अधिगम स्तर नहीं सुधरा है। आज भी कक्षा पांच पास करने के पश्चात छात्र अपना नाम तक नहीं लिख पाते हैं।
- मीडिया के माध्यम से पता चल जाता है कि दुर्गम स्थानों में बच्चे लकडियाँ तथा पानी लाने में व्यस्त रहते हैं।
- कई जगह यह शिकायत सुनने को मिलती है कि छात्रों को पूरा पोषण नहीं मिल रहा है। अर्थात मीनू के अनुसार खाना नहीं बनाया जा रहा है।
- कई जगह अभी भी भोजन के समय जातिगत भिन्नता देखने को मिलती है।

अभ्यास प्रश्न

8. मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने पका पकाया भोजन देने का आदेश वर्ष _____ में दिया।
9. MDM के कोई दो लाभ लिखिए।

3.6 सारांश

बच्चे के विकास की प्रक्रिया में प्रारंभिक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रारंभिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं गुणवत्तापरक शिक्षा देना हमारी सैद्धांतिक प्रतिबद्धता है। जिस हेतु विद्यालयी शिक्षा परिवार की समस्त महत्वपूर्ण इकाइयाँ व समुदाय के सम्मानित सदस्य शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निरंतर समन्वित रूप से प्रयासरत हैं। समुदाय के सहयोग के बिना किसी भी शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति एक कोरी कल्पना के समान है। समुदाय के सम्मानित सदस्यों के सहयोग से शिक्षा परिवार अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण व गुणवत्तायुक्त शिक्षा में समुदाय, पंचायती राज, संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों औए विद्यालय प्रबंधन समितियों का सहयोग अनिवार्यतः अपेक्षित है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गठित विद्यालय प्रबंधन समिति ही MDM का संचालन करती है। जिससे अभिभावकों को भी जानकारी रहती है कि उनके बच्चे कैसा खाना खा रहे हैं ? एक

अध्यापक होने के नाते हमें समाज में फ़ैली इस भ्रान्ति को मिटाना होगा कि 'बच्चे सिर्फ खाना खाने विद्यालय जाते हैं'। MDM के सकारात्मक परिणामों को हमें सबके सामने ले जाना होगा और विद्यालय में अधिगम स्तर को सुधारना होगा। इस इकाई में आप MDM के बारे में विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं।

3.7 शब्दावली

1. **विद्यालय प्रबंधन समिति** : विद्यालय में अच्छी शिक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व केवल एक व्यक्ति का न होकर सामूहिक उत्तरदायित्व है इस हेतु प्रत्येक विद्यालय में SMC का गठन किया गया है।
2. **भण्डारण गृह :** MDM की खाद्य सामग्री अन्य स्थानों में न रखकर भण्डारण गृह में रखी जाती है।
3. **सार्वभौमीकरण :** शिक्षा की पहुँच सब तक हो, अपवंचित वर्गों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सराकर द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। अपवंचित वर्गों में शामिल हैं: अनुसूचित जाति, जनजाति, राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग(क्रीमीलेयर को छोड़कर) अनाथ, शारीरिक रूप से दिव्यांग अथवा अत्यधिक निःशक्त बच्चे जो PWDएक्ट के अंतर्गत आते हों,विधवा/ तलाकशुदा माता पर आश्रित बच्चे जिनकी वार्षिक आय 80,000 से कम हो, HIV+ माता पिता तथा निःशक्त माता पिता(कोढ़ से ग्रसित व्यक्तियों सहित) के बच्चे जिनकी वार्षिक आय रु. 4.5 से कम हो।

3.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

14. हजरत मखदूम शहबाज मुहम्मद
15. सत्य
16. असत्य
17. सार्वभौमीकरण
18. भण्डारण गृह ।
19. सत्य
20. उपर्युक्त सभी
21. 2001
22. MDM के कोई दो लाभ:
    i. विद्यालय में नामांकन बढ़ाना
    ii. छात्रों को पोषण प्रदान कर सेहतमंद बनाना

3.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

7. Mohanti , J, (1994): Education for all(EFA), Deep & Deep Publications, New Dehli .
8. Tyagl , P.N,(1991): Educatl on for all,Graphic presentation, Nl EPA, New Dehli .
9. Saiyidal n, K.G,(1970), Facts of Indian Education, NCERT, New Dehli .
10. जाग्रति,सामुदायिक सहभागिता प्रशिक्षण, 2016-17, जिला परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, उधमसिंहनगर
11. प्रतियोगिता दर्पण,मई 2007, पृष्ठ संख्या 1874
12. www.google.com- RTE-2009, universalisation of school education
13. www.google.com- Mid Day Meal
14. Pathania,Anita,Kulwant,(2006),Primary Education and Mid day Meal Scheme, Results,Challenges and Recommendations, Deep and Deep Publications PVT. LTD. New Delhi 110027

3.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. मध्यान्ह भोजन योजना क्या है? इसके ऐतिहासिक स्वरुप की व्याख्या कीजिए।
2. मध्यान्ह भोजन योजना के क्या उद्देश्य हैं ? आपने अपने विद्यालय में मध्यान्ह भोजन योजना को किस प्रकार क्रियान्वित किया है? विस्तापूर्वक व्याख्या कीजिए।
3. मध्यान्ह भोजन योजना को अच्छी तरह क्रियान्वित करने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति की क्या भूमिका है ? सविस्तार व्याख्या कीजिए।
4. प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए सरकार द्वारा इतनी योजनाएं चलाने के बावजूद भी प्राथमिक स्तर के छात्र न्यूनतम अधिगम स्तर तक भी नहीं पहुँच पा रहे है। क्यों? सविस्तार व्याख्या कीजिए।

इकाई 4 - शिक्षा का सर्वसाधारणीकरण, स्तरीकरण एवं निजीकरण

4.1 प्रस्तावना
4.2 उद्देश्य
4.3 शिक्षा का सर्वसाधारणीकरण
4.4 शिक्षा में स्तरीकरण
4.5 शिक्षा का निजीकरण
4.6 शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण, स्तरीकरण एवं निजीकरण में संबंध
4.7 शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण, स्तरीकरण एवं निजीकरण के लिए हो रहे वैश्विक प्रयास
4.7.1 शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण, स्तरीकरण एवं निजीकरण के लिए भारत में किए जा रहे प्रयास
4.7.2 शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण, स्तरीकरण एवं निजीकरण के लिए इंगलैंड में किए जा रहे प्रयास
4.7.3 शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण, स्तरीकरण एवं निजीकरण के लिए अमेरिका में किए जा रहे प्रयास
4.7.4 शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण, स्तरीकरण एवं निजीकरण के लिए जापान में किए जा रहे प्रयास
4.7.5 शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण, स्तरीकरण एवं निजीकरण के लिए रसिया में किए जा रहे प्रयास
4.7.6 शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण, स्तरीकरण एवं निजीकरण के लिए हो रहे कुछ अन्य प्रयास
4.7.7 क्या नहीं हो रहा है
4.8 शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण, स्तरीकरण एवं निजीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों का प्रभाव
4.9 सारांश
4.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

4.11 संदर्भ ग्रंथ सूची एवं सहयोगी ग्रंथ
4.12 निबंधात्मक प्रश्न

4.1 प्रस्तावना

शिक्षा का सर्वसाधारणीकरण, स्तरीकरण एवं निजीकरण ये तीनों वर्तमान परिदृश्य में महत्वपूर्ण संप्रत्य हैं। ये संप्रत्यय वास्तव में शिक्षा के समान अवसर प्रदान कर सामाजिक समानता लाने से संबंधित हैं। शिक्षा समाज में समानता लाने का एक सशक्त साधन है। लेकिन इसके साथ ही वह समाज में असमानता फैलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः, शिक्षा व्यवस्था का झुकाव किस ओर अधिक है, उयह जानना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रचलित शिक्षा व्यवस्था सामाजिक समानता लाने के लिए कार्य कर रही है या सामाजिक असमानता को बढ़ावा दे रही है यह जानना एवं समझना बहुत आवश्यक है। शिक्षण-अधिगम के कार्य में जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए तो यह और भी आवश्यक होता है। शिक्षा की प्रकृति को समझ कर नीति निर्माताओं को इस संदर्भ में सुझाव दिया जा सके, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत इकाई की रचना की गई है। यह इकाई, उपरोक्त तीनों संप्रत्ययों के संदर्भ में विश्व के प्रमुख देशों में क्या कार्य हो रहे हैं, पर प्रकाश डालता है।

4.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप इस योग्य हो जायेंगे कि

1. 'शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण' के संप्रत्यय का वर्णन कर सकेंगे;
2. 'शिक्षा में स्तरीकरण' के संप्रत्यय की व्याख्या कर सकेंगे;
3. 'शिक्षा का निजीकरण' के संप्रत्यय पर चर्चा कर सकेंगे;
4. शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण, स्तरीकरण एवं निजीकरण के संप्रत्ययों के मध्य संबंध स्थापित कर सकेंगे;
5. शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण, स्तरीकरण एवं निजीकरण के लिए हो रहे वैश्विक प्रयासों की विस्तृत व्याख्या कर सकेंगे;
6. शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण, स्तरीकरण एवं निजीकरण के लिए हो रहे वैश्विक प्रयासों के प्रभावों पर विचार-विमर्श कर सकेंगे;
7. शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण, स्तरीकरण एवं निजीकरण के लिए क्या नहीं किया जा रहा है(जो होना चाहिए) का वर्णन कर सकेंगे;

4.3 शिक्षा का सर्वसाधारणीकरण

सर्वसाधारणीकरण पद का आशय है किसी चीज को साधारण बनाना। दूसरे शब्दों में, यह भी कहा जा सकता है कि किसी चीज को इस स्तर तक सुलभ कर देने की प्रक्रिया, कि अधिकांश साधारण लोग भी उसका लाभ उठा सके, सर्वसाधारणीकरण कहलाता है। शिक्षा के संदर्भ में इसका अर्थ, शिक्षा को इतना सुलभ बना देने से है कि गरीब से गरीब लोग भी शिक्षा ग्रहण कर सके। अतः, सामान्य शब्दों में शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण से आशय शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाने से है।

शिक्षा समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने एवं उच्चस्तरीय व्यवसायों में प्रवेश के माध्यम के रूप में देखी जाती है। अतः, आज समस्त विश्व में शिक्षा को सुलभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि समस्त लोगों को शिक्षा ग्रहण कर सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने एवं उच्चस्तरीय व्यवसायों में प्रवेश करने के समान अवसर प्राप्त हो सके और इस प्रकार, समाज से सामाजिक असमानता या यूँ कहें कि सामाजिक स्तरीकरण को कम किया जा सके।

शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण में मुख्यतः पाँच बातें सम्मिलित होती हैं:

i. **प्रावधानों का सर्वसाधारणीकरण-** इसका अर्थ है 6 से 14 वर्ष आयुवर्ग के सभी विद्यार्थियों को उचित विद्यालयी सुविधा प्रदान करने से है। इसके तहत यह प्रावधान किया जाता है कि प्राथमिक विद्यालय विद्यार्थियों के घर से 1 किलोमीटर की दूरी के परिधि में होना चाहिए।

ii. **नामांकन का सर्वसाधारणीकरण -** 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को विद्यालय तक लाया जाए अर्थात उनका नामांकन कराया जाए।

iii. **3. धारण का सर्वसाधारणीकरण** – धारण का आशय विद्यार्थियों को विद्यालय में रोके रखने से है। प्रावधान एवं नामांकन के सर्वसाधारणीकरण से विद्यार्थियों को विद्यालय तक लाया जाता है लेकिन सिर्फ विद्यार्थियों का नामांकन ही पर्याप्त नहीं है बल्कि शिक्षा समाप्त होने तक उन्हें विद्यालय में रोके रखना भी आवश्यक है। इसे ही धारण का सर्वसाधारणीकरण कहते हैं|

iv. **सहभागिता का सर्वसाधारणीकरण** – सहभगिता से आशय सर्वसाधारणीकरण की प्रक्रिया में समाज की सहभागिता से है। शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण के लिए सहभागिता का सर्वसाधारणीकरण आवश्यक है। समुदाय को अपनी आवश्यकताओं को पहचानने, तत्संबंधी उत्तरदायित्व ग्रहण करने तथा शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण में अपनी निर्णायक भूमिका सुनिश्चित करने के लिए अभिप्रेरित करना होगा। इसके लिए शैक्षिक प्रशासन का विकेंद्रीकरण आवश्यक है।

v. **उपलब्धि का सर्वसाधारणीकरण** – उपलब्धि से आशय विद्यार्थियों के विद्यलयगत उपलब्धियों से है।

शिक्षा का सर्वसाधारणीकरण इन पाँच स्तंभों पर आधारित है। अतः, शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसके इन पाँच स्तंभों का साधारणीकरण आवश्यक है। विश्व के प्रमुख देशों में इस संबंध में क्या-क्या प्रावधान अपनाए जा रहे हैं इस बात की चर्चा इस इकाई के विभिन्न खंडों में की गई है।

4.4 शिक्षा में स्तरीकरण

स्तरीकरण शब्द की उत्पत्ति स्तर शब्द से हुई है। किसी भी वस्तु, तथ्य, आदि को विभिन्न स्तरों में बांटने की प्रक्रिया को स्तरीकरण कहते हैं। स्तरीकरण के लिए अंग्रेजी भाषा में स्ट्रेटिफिकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है जो एक भौगोलिक संप्रत्यय स्ट्रेटा, जिसका अर्थ पत्थरों में प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बने स्तर हैं, से बना है। समाजशास्त्र में इसका आशय समाज के सदस्यों को प्राप्त पदों के अनुक्रम से होता है जो उन पदों की सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। रेमंड डब्ल्यु. मूरे के अनुसार, सामाजिक स्तरीकरण समाज का निम्न और उच्च सामाजिक इकाइयों में उदग्र विभाजन है।

गिलबर्ट के अनुसार, सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ समाज का उदग्र समूहों में, जो एक-दूसरे से श्रेष्ठता एवं अधिकता के संबंध से संबंधित होते हैं, विभाजन है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मनुष्यों को विभिन्न श्रेणियों में बाँटा जाता है और उन श्रेणियों को उच्च से शुरू करके निम्न का तक का क्रम प्रदान किया जाता है। ऐसे श्रेणियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं तथा इन श्रेणियों को स्ट्रेटा या स्तर।

इन परिभाषाओं का अगर विशद विवेचन किया जाए तो यह बात स्पष्ट होती है कि सामाजिक स्तरीकरण संसाधनों, शक्ति या सत्ता, के विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य प्रयोग करने के विभिन्न अवसरों को बताता है। इस प्रकार, सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक असमानता को बताता है। यदि कुछ सामाजिक समूह अन्य सामाजिक समूहों की तुलना में संसाधनों का अधिक प्रयोग करते हैं तो साधनों का वितरण आवश्यक रूप से असमान है जो सामाजिक असमानता को जन्म देता है एवं इसके परिणामस्वरुप सामाजिक स्तरीकरण को जन्म मिलता है।

सामाजिक स्तरीकरण को अन्य शब्दों में निम्नलिखित रुप में समझा जा सकता है-

प्रत्येक मानव समाज में कुछ अंतर अवश्य होता है। यह अंतर उस समाज के सदस्यों को प्राप्त सामाजिक पद से संबंधित होता है एवं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से कार्य विभाजन से जुड़ा होता है। इस अंतर के कारण समाज में पदों का एक अनुक्रम बन जाता है और इसी पदानुक्रम को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं।

शिक्षा में स्तरीकरण से आशय शैक्षिक संसाधनों के असमान वितरण या शैक्षिक अवसरों की समानता के कारण उत्पन्न विभिन्न सामाजिक समूहों या सामाजिक स्तरीकरण से है। आधुनिक समाज में शिक्षा को एक संसाधन के रूप में सम्मान प्राप्त है। इसे सामाजिक प्रतिष्ठा को उन्नत करने का साधन भी माना जाता है। अगर सबको शिक्षा का समान अवसर प्राप्त होता है तो सबकी सामाजिक प्रस्थिति एक जैसी होती है और सामाजिक स्तरीकरण में कमी आती है। पिछड़े और वंचित वर्ग के लोग शिक्षा का प्रयोग अपनी प्रस्थिति को सुधारने के लिए करते हैं। लेकिन वर्तमान शिक्षा प्रणाली के कारण यह संभव नहीं हो पाता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में विभिन्न स्तर देखने को मिलते हैं। यह सामाजिक स्तरीकरण को कम करने के बजाय और प्रोत्साहन देते हैं। शिक्षा प्रणाली के इन्हीं स्तरों को शिक्षा में स्तरीकरण की संज्ञा दी जाती है। इसी को शैक्षिक स्तरीकरण और शिक्षा का स्तरीकरण भी कहते हैं। यह निम्न रूपों में देखने को मिलता है :

i. **शैक्षिक संस्थानों के विभिन्न स्तर-** शैक्षिक संस्थानों के विभिन्न स्तर देखने को मिलते हैं। गरीब परिवार के बच्चे, निम्नस्तरीय विद्यालयों जिनमें कि शिक्षक, शिक्षण-सामग्री एवं उपकरण नहीं होते हैं, में अध्ययन करते हैं। शहरी क्षेत्र में स्थित विद्यालयों की गुणवत्ता ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों की तुलना में उच्च होती है। विद्यालयों के स्तर में अंतर विद्यार्थियों के स्तर में अंतर को जन्म देता है और परिणामस्वरुप समाज में शैक्षिक स्तरीकरण दृष्टिगोचर होने लगता है।

ii. **विद्यालय की उपलब्धता** – विद्यालयों का असमान वितरण एक बड़ी समस्या है। वह स्थान जहाँ कि प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च स्तरीय शैक्षिक संस्थान नहीं होते हैं के बच्चे, वह स्थान जहाँ पर कि सारे प्रकार के शैक्षिक संस्थान उपलब्ध होते हैं की तुलना में शिक्षा ग्रहण करने के समान अवसर नहीं पाते हैं। विद्यालय की अनुपलब्धता शैक्षिक अवसरों की असमानता को जन्म देती है। इस प्रकार, विद्यालय की अनुपलब्धता के कारण शिक्षा में स्तरीकरण उत्पन्न होता है।

iii. **घर का वातावरण -** बालक के घर का वातावरण भी शिक्षा में स्तरीकरण को बढ़ावा देता है। झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाला बालक एक उच्च वर्गीय परिवार में रहने वाले बालक के समान शिक्षा ग्रहण करने का अवसर नहीं प्राप्त कर पाता है।

iv. **लिंग भेद** भी शिक्षा में स्तरीकरण का एक कारण है।

v. **आरक्षण की नीति-** वर्तमान परिदृश्य में आरक्षण की नीति भी शिक्षा के स्तरीकरण का एक कारण है या स्वरुप है।

शिक्षा में स्तरीकरण की यह समस्या अकेले किसी एक राष्ट्र की समस्या नहीं है। यह समस्त विश्व की समस्या है। अतः, इसका समाधान आवश्यक है। अन्यथा यह सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया की गति को और तीव्र कर देगा। यह बात भी ध्रुव सत्य है कि इस समस्या का पूरी तरह समाधान नहीं किया जा सकता है। हाँ इसे एक सीमा तक कम अवश्य किया जा सकता है। विश्व के विभिन्न देशों ने इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। इन प्रयासों को इस इकाई के विभिन्न खंडों में वर्णित किया गया है ।

4.5 शिक्षा का निजीकरण

शिक्षा का निजीकरण एक जटिल एवं निरंतर विकसित होने वाला संप्रत्यय है। निजीकरण वास्तव में एक प्रक्रिया है जिसे राज्य के स्वामित्व में रहे या राज्य द्वारा संचालित किए जानेवाली संपत्ति, प्रबंधन, प्रकार्य एवं दायित्वों का निजी क्षेत्र में हस्तांतरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जब इसे शिक्षा के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है तब इसका आशय राज्य के स्वामित्व में रहे या राज्य द्वारा संचालित किए जानेवाले शैक्षिक संसथानों की संपत्ति, उसके प्रबंधन, प्रकार्य एवं दायित्वों का निजी क्षेत्र में हस्तांतरण की प्रक्रिया से होता है। कुमार एंड हेलो द वर्ल्ड प्राइवेटाइजेशन ऑफ़ एजुकेशन एंड राइट टू एजुकेशन इन द फ्यूचर एंड होम

निजी क्षेत्र में कंपनी, धार्मिक संस्थाओं, गैरसरकारी संस्थाओं आदि को शामिल किया जाता है। निजीकरण कई रूपों में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के मध्य सहभागिता।

21वीं सदी में शिक्षा का निजीकरण एक महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि देश की जनसंख्या का एक बड़े भाग की पहुँच से अभी भी शिक्षा बाहर है। निजीकरण का सीधा आशय किसी कार्य को बिना किसी सरकारी नियंत्रण के स्वयं करने से है। यह व्यक्तिगत एवं संस्थागत दोनों स्तरों पर हो सकता है। निजीकरण वास्तव में एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति या संस्था का सरकार द्वारा वित्त प्राप्त एवं प्रदत्त सेवाओं से निजी वित्त एवं प्रदत्त सेवाओं की ओर गमन है।

निजी क्षेत्र के उपक्रमों को विद्यालय की स्थापना एवं संचालन करने की स्वतंत्रता होती है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों के तहत निजी उपक्रमों को सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम मानकों को पूरा करना पड़ता है। राज्य को निजी विद्यालयों का निरीक्षण अवश्य करना चाहिए।

4.6 शिक्षा का सर्वसाधारणीकरण, स्तरीकरण एवं निजीकरण में संबंध

शिक्षा का सर्वसाधारणीकरण, शिक्षा का स्तरीकरण एवं शिक्षा का निजीकरण ये तीनों तीन भिन्न संप्रत्यय माने जाते हैं। अपने सामन्य अर्थों में ये तीनों है भी भिन्न लेकिन यदि इन तीनों संप्रत्ययों का सूक्ष्म विवेचन किया जाय तो ये तीनों संप्रत्यय भिन्न होते हुए भी एक-दूसरे से संबंधित प्रतीत होते हैं। ये संबंध नवीन नहीं है। इसका प्रारंभ शिक्षा में स्तरीकरण के साथ माना जा सकता है। शिक्षा में स्तरीकरण शिक्षा प्रणाली के प्रारंभ से ही मानी जा सकती है। स्तरीकरण का आशय असमानता से है और शिक्षा प्रणाली में असमानता या शैक्षिक अवसरों की असमानता प्रारंभ से ही व्याप्त है। प्रारंभ में लोग इसके प्रति चैतन्य नहीं थे। कालांतर में जैसे-जैसे जन सामान्य में शैक्षिक चेतना का विकास हुआ शिक्षा प्रणली में विद्यमान असमानता या स्तरीकरण लोगों के मन में खटकने लगा और इसको कम करने या समाप्त करने के प्रयास शुरु हुए। इन्हीं परिणामों के प्रयासस्वरुप शिक्षा के सार्वभौमीकरण की शुरुआत हुई। सार्वभौम शिक्षा अर्थात सर्वत्र शिक्षा या सब जगह शिक्षा। शैक्षिक संस्थानों के असमान वितरण (कई स्थान पर तो विद्यालय थे ही नहीं) को कम करने के लिए इस संप्रत्यय को अपनाया गया। लेकिन सर्वत्र शिक्षा ही पर्याप्त नहीं था इसलिए शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण के संप्रत्यय को जन्म मिला। इसका आशय है सबके लिए शिक्षा। इस प्रकार सबके शिक्षा का लक्ष्य सामने आया। अब यह बात भी सर्वविदित है कि शिक्षा प्रदान करने का दायित्व राष्ट्र के प्रशासन अर्थात सरकार का (भारतीय परिदृश्य में यह केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों का उत्तरदायित्व है) होता है । सरकार इस दायित्व का वहन करने में स्वयं को असमर्थ पाने के बाद शिक्षा के निजीकरण को प्रोत्साहन दिया। हाँलाकि शिक्षा का निजीकरण शिक्षा प्रणाली में पहले से ही विद्यमान था। सार्वजनिक एवं निजि क्षेत्र के सहयोग से शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि शैक्षिक अवसरों की असमानता या शिक्षा में स्तरीकरण को समाप्त या एक सीमा तक कम किया जा सके।

इस प्रकार, शिक्षा का सर्वसाधारणीकरण शिक्षा में स्तरीकरण एवं शिक्षा का निजीकरण ये तीनों एक-दूसरे से संबंधित है। अब समस्त विश्व में इन तीनों संप्रत्ययों के लिए जो शैक्षिक योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही है, य जो नीतियाँ निर्मित की गई हैं, उन्हें संप्रत्यय विशेष के संदर्भ में अलग-अलग परिभाषित करना संभव नहीं है।

अभ्यास प्रश्न

1. 'सर्वसाधारणीकरण' पद का क्या आशय है?
2. शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण में शामिल मुख्य 5 बातें कौन सी हैं?
3. सहभागिता के सर्वसाधारणीकरण से आप क्या समझते हैं?
4. गिलबर्ट के अनुसार, सामाजिक स्तरीकरण को परिभाषित करें।
5. निजीकरण क्या है?
6. स्तरीकरण के लिए अंग्रेजी में_____पद का प्रयोग किया जाता है।
7. विद्यालयों का_____वितरण शिक्षा में स्तरीकरण का एक कारण है।
8. _____की नीति भी शिक्षा में स्तरीकरण को बढ़ावा मिलता है।
9. शिक्षा का निजीकरण एक _____ एवं_____विकसित होने वाला संप्रत्यय है।

4.7 शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण, स्तरीकरण एवं निजीकरण के लिए हो रहे वैश्विक प्रयास

इकाई के इस खंड में हम इन तीनों संप्रत्ययों के संदर्भ में हो रहे वैश्विक प्रयासों की सामूहिक चर्चा करेंगे।

4.7.1 शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण, स्तरीकरण एवं निजीकरण के लिए भारत में किए जा रहे प्रयास

भारत में इन तीनों संप्रत्ययों के लिए निम्नलिखित प्रमुख कार्य हो रहे हैं:

1. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009 -भारतीय संसद द्वारा सन 2009 में पारित शिक्षा संबंधी एक विधेयक, जिसके द्वारा बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त हो गया, को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहते हैं। सविधान के अनुच्छेद 21 में 86 वें संविधान संशोधन द्वारा एक भाग 21 (क) जोड़ा गया जिसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा सभी नागरिकों का मूल अधिकार हो गया। यह 1 अप्रैल, 2010 से जम्मु-कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। इसके अलावा राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांतों के तहत अनु० 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है।

इस विधेयक के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:

- 6-14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा;
- निजी विद्यालयों में उनकी कुल नामांकन क्षमता के 25% उन बच्चों को, जो 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के हैं एवं गरीब हैं, निःशुल्क शिक्षा;

- विकलांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की उम्र 18 वर्ष;
- बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व राज्य और केंद्र सरकार का है; तथा
- शिक्षक ट्युशन नहीं लेंगे

2. सर्व शिक्षा अभियान -यह योजना भारत सरकार द्वारा सन 2001 में प्राथमिक शिक्षा को सब तक पहुँचाने के लिए आरंभ की गई थी।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे:

- सार्वभौम अवसर एवं धारण;
- यौन भेद समाप्त करना;
- सामाजिक श्रेणी भेद समाप्त करना;
- विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में वृद्धि;
- राज्य सरकार के भागीदारी के साथ;

इस योजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरुप 6-14 वर्ष के लगभग सभी बच्चों को विद्यालयों में लाने में सफलता मिली।

3. कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय-ये अनुसूचीत जाति एवं जनजाति, अन्य पीछड़ा वर्ग तथा मुस्लिम बालिकाओं के लिए आवासीय उच्च विद्यालय हैं। ये वैसे स्थानों पर स्थापित किए गए हैं जहाँ पर विद्यालय बालिकाओं के निवास स्थान से बहुत दूर हैं और बालिकाओं की सुरक्षा, जिसके कारण अक्सर बालिकाएँ अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं, एक बड़ा मसला है। इसमें 25% स्थान गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजार रहे लोगों के लिए आरक्षित होता है।

4. एन पी ई जी ई एल -इस कार्यक्रम को शैक्षिक रुप से पीछड़े प्रखंडों में लागू किया गया है। यह योजना विद्यालय में नामांकित एवं गैर नामांकित दोनों तरह के छात्राओं की आवाश्यकताओं को ध्यान में रखता है।

5. मध्याह्न भोजन योजना -इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा 1995 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य नामांकन में वृद्धि करना, धारण में वृद्धि करना, विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाना एवं विद्यार्थियों के पोषण में वृद्धि करना था। यह योजना केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से चलायी जाती है।

6. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान -केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक परियोजना जिसमें केद्र एवं राज्य सरकार की भागीदारी क्रमश: 75 एवं 25 % की है। इस योजना को 2009-10 में शुरु किया गया। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना;
- नामंकन में यौन, सामाजिक एवं धार्मिक भेद को कम करना;
- विद्यालय छोड़ने की दर को कम करना; तथा
- धारण को उन्नत करना।

इस योजना के निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित किए गएँ :

- उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में उन्नत करना;
- उपलब्ध माध्यमिक विद्यालयों को सशक्त करना;
- सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना; तथा
- 6000 मॉडल विद्यालयों को प्रखंड स्तर पर प्रति प्रखंड 1 विद्यालय की दर से स्थापित करना। यह कार्य वर्ष 2008-09 से शुरु है।

7. आइ ई डी एस एस -इस योजना को वर्ष 2009-10 में आइ ई डी सी के बदले आरंभ किया गया। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। इसका उद्देश्य 8 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद सभी अक्षम बालकों को सशक्त करने के आगे के चार वर्षों, कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा पूरी करने के लिए तैयार हो सके।

8. 1990 की नई आर्थिक नीति -इस नीति ने भी शिक्षा के निजीकरण पर बल दिया। यह शैक्षिक सेवाओं के प्रशासन विनियमन एवं वित्त प्रदान करने से सरकारी तंत्र को अलग करता है। सरकार उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्रों के सहभागिता को बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए संसद में एक विधेयक निजी विश्वविद्याल्यों की स्थापना संबंधी प्रस्तुत किया जिसे राज्य सभा द्वारा 1995 में पारित कर दिया गया।

9. मुकेश अंबानी एवं कुमार मंगलम बिड्ला ने सन 2000 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री को शैक्षिक सुधार विषय पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इसी प्रतिवेदान को अगस्त 2001 में सफदर हाश्मी स्मृति न्यास द्वारा आयोजित एक सभा में उद्धृत करते हुए प्रो0 के0 एम0 पनिक्कर ने शिक्षा का निजीकरण करने की वृहत योजना पर रौशनी डाली। इस रिपोर्ट में नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा अनिवार्य माध्यमिक शिक्षा के साथ-साथ यह भी कहा गया था कि भारत सरकार को प्रत्येक तालुका में उच्च गुणवत्ता वाले माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करने के लिए निजी क्षेत्रों को सहायता प्रदान करनी चाहिए।

10. मिलान करें।

स्तंभ (अ)	स्तंभ (ब)
1. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक	(अ) 18 वर्ष
2. विकलांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की उम्र	(ब) 2001
3. सर्व शिक्षा अभियान	(स) 1995
4. मध्याह्न भोजन योजना	(द) 2009-10
5. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	(य) 2009

11. भारतीय संविधान के अनु०_____शिक्षा के अधिकार का वर्णन है।
12. सर्व शिक्षा अभियान _____सरकार की योजना है।
13. कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय अनुसूचीत जाति, जन जाति, अन्य पीछड़ा वर्ग एवं _____ वर्ग के लड़कियों के लिए हैं।
14. मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्यों में से एक विद्यार्थियों के _____में वृद्धि करना है।
15. आइ ई डी एस एस की शुरुआत वर्ष_____ में की गई।
16. मुकेश अंबानी एवं कुमार मंगलम बिड़ला ने सन 2000 में ततकालीन भारतीय सरकार को शैक्षिक सुधार विषय पर सौपें गए प्रतिवेदन की मुख्य बात क्या है?

4.7.2 शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण, स्तरीकरण एवं निजीकरण के लिए इंगलैण्ड में किए जा रहे प्रयास

इंगलैण्ड में इन संप्रत्ययों के संबंध में निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं:

i. पुपिल प्रिमियम कार्यक्रम - इस योजना की शुरुआत 2011 में की गई थी। इसका उद्देश्य वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को अतिरिक्त कोष प्रदान कर विद्यार्थियों के मध्य असमानता समाप्त करने के लिए एवं उपलब्धि के मध्य के अंतर को खत्म करने के लिए सहायता करना है। ये उन्हीं छात्रों को दिया जाता है जिन्होंने अंतिम 6 वर्षों में किसी भी समय निःशुल्क विद्यालय भोजन प्राप्त किया है।

ii. उत्तरी आयरलैंड में 2009 से 'एवरी स्कूल ए गुड स्कूल' नाम से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो विद्यालयों को अपनी गुणवत्ता को उठाने में एवं विद्यार्थियों की अधिगम में होनेवाले समस्याओं को दूर करने के लिए है।

iii. अकादमी की स्थापाना – कुछ नवीन विद्यालय शृंखलाएँ जैसे कि एकेडमी इंटरप्राइसेस आदि निजी क्षेत्र के कम्पनियों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं और इसका प्रबंधन ऐसे लोगों द्वारा किया जा रहा है जो व्यापारिक पृष्ठभूमि के है न कि शैक्षिक पृष्ठभूमि के। ।

iv. नई लेबर सरकार के तहत विद्यालयों के लिए भवन के निर्माण को प्राइवेट फाइनेंस इनिसिएटिव के तहत वित्तपोषित किया गया। निजी कम्पनियों ने विद्यालयों के भवन बनाए जिनके बदले उन्हें 25-35 वर्षों के लिए विदविद्यालय भवन के रख-रखाव का संविदा दिया जाता है। महाविद्यालय, विद्यालय एवं शिक्षा के स्थानीय अधिकारी या प्राधिकरण को इसका खर्च देना पड़ता है।

v. परीक्षा प्रणाली का संचालान – युनाइटेड किंगडम में परीक्षाओं को संचालित करने वाली सबसे बड़ी निकाय 'एडएक्सेल' ग्लोबल कार्पोरेशन पियर्सन द्वारा संचालित की जाती है। पियर्सन 70 देशों में परीक्षा बोर्डो को संचालित करता है। अर्थात यह परीक्षाएँ आयोजित करता है। परीक्षकों का भुगतान करता है। यह मूल्यांकन के निकषों को समझने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण कर्यक्रम संचालित करता है एवं यह पाठ्यपुस्तकों की रचना भी करता है।

4.7.3 शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण, स्तरीकरण एवं निजीकरण के लिए अमेरिका में किए जा रहे प्रयास

i. **नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड ऐक्ट** – यह वर्ष 2001 में शुरु किया गया था। इसका उद्देश्य शिक्षा में वित्तीय अनुदान को बढ़ाना तथा मानक आधारित परीक्षण सुधार को लागू करना था।

ii. **रेस टु द टॉप प्रोग्राम** – यह योजना 2010 में शुरु की गई थी। यह योजना शिक्षा में फेडरल अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्यों को प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

iii. **2013 में सेंटर फॉर अमेरिकन प्रॉग्रेस** ने अपने प्रस्ताव में कहा कि अमेरिका का प्रत्येक परिवार अपने 2 वर्ष के बच्चों को स्वैच्छिक रुप से उच्च गुणवत्ता वाले विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए प्रीस्कूल्स में भेजें। कॉन्ग्रेस ने 40 राज्यों में "प्री-स्कूल कार्यक्रम" चलाए।

iv. **द एवरी स्टुडेंट सक्सेस ऐक्ट** – इस योजना का आरंभ 2015 में किया गया जिसका उद्देश्य फेडरल सरकार का शिक्षा में अपनी भूमिका का विस्तार करना था।

v. **चार्टर विद्यालय** – संयुक्त राज्य अमेरिका में चार्टर विद्यालयों की स्थापना की गई। चार्टर विद्यालय अभिभावकों के समूह शिक्षक, विद्यालय, प्रबंधक समुदाय के प्रतिनिधि की ओर से ज़िला के सदस्यों एवं निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के साथ एक संविदा के तहत चलाया जाता है। इसकी संख्या अमेरिका में दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। इनको वित्त सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है (जो कि पहले सार्वजनिक क्षेत्र के विद्यालयों को जाता था) लेकिन इनका संचालन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। अक्सर ये लाभ कमाने वाली या लाभ नहीं कमाने वाली राष्ट्रीय कम्पनियों द्व्रारा संचालित किए जाते हैं।

vi. **निजीकरण का एक-दूसरा रुप** भी अमेरिका में देखने को मिलता है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के विश्वविद्यालय अपने ट्युशन फी को इतना अधिक बढ़ा दे रहे हैं कि विद्यार्थी स्वयं ही अनुदान देने

लगे। ब्रेकले के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में विद्यार्थी अपनी शिक्षा के लिए राज्य की तुलना में अधिक योगदान दे रहे हैं।

4.7.4 शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण, स्तरीकरण एवं निजीकरण के लिए जापान में किए जा रहे प्रयास

जापान में शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण के लिए प्रयास मेजी पुनर्स्थापन के समय सन 1868 में शुरु किया गया था। इस को पूरी तरह से उनलोगों ने 130 वर्षों की अवधि में प्राप्त कर लिया था। इस पूरी अवधि को तीन चरणों में बाँटा जा सकता है:

चरण 1: मेजी पुनर्स्थापन से लेकर प्रथम विश्वयुद्ध तक लगभग 40 वर्षों का समय इस चरण में आता है। इस चरण में प्राथमिक शिक्षा का तीव्र गति से विस्तार हुआ। विद्यालय में नामांकन लगभग 95% तक हो गया था। इस चरण के अंतिम वर्षों में माध्यमिक शिक्षा में विस्तार भी शुरु हो गया था। और इस चरण में प्राथमिक शिक्षा का सर्वसाधारणीकरण लगभग समाप्त हो गया था

चरण 2: प्रथम विश्वयुद्ध से शुरु होकर लगभग 40 वर्षों तक चला था। इस चरण में माध्यमिक शिक्षा का विस्तार हुआ था और नामांकन दर लगभग 70% तक पहुँच गया था। इसके साथ ही साथ उच्च शिक्षा में भी विस्तर शुरु हो गया था।

चरण 3: लगभग 20वीं सदी के अंत तक चला। इस चरण में लगभग 50 वर्ष आते हैं। माध्यमिक शिक्षा में विस्तार हो रहा था। नामांकन की दर में तीव्र वृद्धि हुई थी।

4.7.5 शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण, स्तरीकरण एवं निजीकरण के लिए रसिया में किए जा रहे प्रयास

रसिया में निजीकरण की शुरुआत विगत 15-20 वर्षों में लगभग 100 से भी अधिक ऐसे शैक्षिक संस्थानों की स्थापना जिनके वित्त के स्रोत पूर्णतः निजी एवं गैर सरकारी हैं की स्थापना के साथ शुरु हुई। इन संस्थानों की स्थापना राज्य द्वारा स्थापित एवं संचालित विश्वविद्यालयों को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं बल्कि इनके पूरक के रुप में की गई थी ताकि रुसी जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य तक शैक्षिक सेवाएँ पहुँच सके। इनकी शुरुआत 1990 से मानी जा सकती है। रसिया में 2012 के सर्वेक्षण के अनुसार सिर्फ 3% विद्यालय निजी स्वामित्व में थे इन्हें विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित विशेष विद्यालय तथा लेसिजियम थे। सोवियत विश्वयुद्ध के दौरान विद्यालय पूर्णतः, केंद्रीय सर्कार के अधीन थे। (रसियन फेडरेशन, 2012) । उच्च शिक्षा में स्थिति इसके ठीक विपरीत थी। उच्च शिक्षा के लगभग 60% संस्थान निजी क्षेत्र में थे। अधिकांश वैसे क्षेत्रों में जहाँ कि सरकारी संसंस्थान नहीं थे या कम थे उच्च शिक्षा के निजी संस्थान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। जैसे कि प्रबंधन, पर्यटन. एवं मानविकि आदि की शिक्षा के संस्थान। अतः, रसिया विद्यालयी शिक्षा में निजीकरण की अनुमति नहीं देता है। हालाँकि इसने उच्च शिक्षा के निजीकरण की अनुमति कुछ सीमा तक दी है।

4.7.5 शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण, स्तरीकरण एवं निजीकरण के लिए हो रहे कुछ अन्य प्रयास

वाउचर (रसीद) देने की प्रक्रिया निजीकरण का एक दूसरा रुप है। अभिभावकों को अपने पसंद के विद्यालय में अपने बच्चों को भेजने के लिए रसीद दी जाती है। सरकार द्वारा विद्यालयों को जो अनुदान दिए जाते हैं वो उन रसीदों की संख्या पर निर्भर करते है जो अभिवावकों द्वारा अपने बच्चों को पढ़ाने के बदले में विद्यालयों को दी जाती है। इससे विभिन्न विद्यालयों के मध्य अपने विद्यालय के लिए विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए एक प्रतियोगिता होती है। इस प्रतोयोगिता से विद्यालयों के ऊपर स्वयं को शैक्षिक बाज़ार में अधिक प्रभावी एवं उत्तरदायी साबित करने के लिए दबाव डाला जाता है। इससे शिक्षक एवं प्रबंधन विद्यालय को श्रेष्ठ प्रमाणित करने के लिए नित नवाचार करते हैं। बाज़ार की शक्तियाँ शिक्षकों की गुणवत्ता एवं शिक्षण की गुणवता दोनों को सकारात्मक दिशा में प्रभावित करती है परिणमस्वरुप विद्यार्थियों की उपलब्धि में सकारात्मक परिवर्तन होता है। इसे संभवतः चिली में बड़े ही सुनियोजित ढंग से सुनियोजित किया गया। मिलीटरी शासन के दौरान चिली में प्रचलित शिक्षा को अनुदान देने की तत्कालीन व्यवस्था पर वाउचर्स (रसीदों) का बहुत प्रभाव था। स्वीडेन में भी "वाउचर्स रिफॉर्म" को अपनाया गया था। इसके इतर 'ट्युशन टैक्स क्रेडिट' आदि निजीकरण के सार्वाधिक प्रयुक्त किए जानेवाले रुप हैं। ब्रे (1999) के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के पारंपरिक विद्यालयों के साथ-साथ स्कूलिंग के पैरलल शैडो प्रणाली का भी विकास हुआ है। इससे लाभ कमाने के उद्देश्य से संचालित किए जा रहे ट्युशन सेंटर शामिल हैं जिसमें विद्यार्थी अपने नियमित कक्षाओं के बाद पढ़ने के लिए जाते हैं। इसके अलावा इसमें ऐसे भी संस्थान शामिल हैं जो विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतिष्टित महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु विभिन्न सरकारी सेवाओं में चयनित होने हेतु तैयार करते हैं।

निजीकरण का एक और रुप सामने आता है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात सरकार द्वारा वित्त प्रदत्त एवं संचालित विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र के विद्यालयों से 'कार्पोरेट कल्चर' वाणिज्यिक संस्कृति ग्रहण करता है। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे विश्वविद्यालय अपने शिक्षकों को प्रशासनिक पदों पर प्रोन्नत करने के बजाय तथा पहले की तुलना में थोड़ा अधिक वेतन देने की बजाय निजी क्षेत्रों से प्रशासकों को नियुक्त कर रहे हैं एवं उन्हें अत्यधिक वेतन का भुगतान कर रहे हैं। ऐसे में इन संस्थानों मे जो प्रजातांत्रिक प्रशासन देखने को मिलता था वो खत्म हो जाता है और प्रशासनिक शक्तियाँ शीर्षस्थ अधिकारियों के हाथों में केंद्रित हो जाती हैं।

4.7.7 क्या नहीं हो रहा है

इकाई के इस खंड में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण, निजीकरण एवं स्तरीकरण के लिए ऐसे कौन से आवश्यक कार्य हैं, जो होने चाहिए लेकिन नहीं हो रहे हैं।

i. **विविधतापूर्ण पाठ्यक्रम** -माध्यमिक शिक्षा की अवस्था तक आते-आते विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता प्रबल हो जाती है। उनकी आवश्यकताओं, रुचियों, क्षमताओं आदि में विभिन्नता दृष्टिगोचर होने लगती है। इस व्यक्तिगत विभिन्नता का पोषण एवं संवर्द्धन करना अति

महत्वपूर्ण होता है। अतः, इस स्तर पर विद्यार्थियों की रुचि, आवश्यकताओं, क्षमताओं, आदि को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम में विविधता लायी जानी चाहिए। विविधतापूर्ण पाठ्यक्रम सबको शिक्षा का समान अवसर प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा और शिक्षा में स्तरीकरण को कम करेगा। लेकिन अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो अभ्यास प्रचलन में है उसमें सबके लिए एक समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। यह व्यवस्था विद्यार्थियों में नीरसता को जन्म देती है और वो शिक्षा व्यवस्था से विमुख होने लगते हैं। फलस्वरुप शिक्षा में स्तरीकरण को बढ़ावा मिलता है।

ii. **रुचि एवं योग्यता के अनुसार उच्च एवं व्यावसायिकक़ शिक्षा -**सबको उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए तभी शैक्षिक अवसरों की समानता दृष्टिगोचर होगी लेकिन यहाँ हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबको एक जैसी उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा न मिले। अर्थात सब इंजीनियर या डॉक्टर ही न बनें क्योंकि यदि ऐसा होगा तो कार्य विशिष्टीकरण समाप्त होने लगेगा और समाज का अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। स्तरीकरण को तो बढ़वा मिलेगा ही। उच्च शिक्षा प्राप्त एवं उच्च शिक्षा से वंचित दो ऐसे वर्ग तैयार होंगे जिनके मध्य की खाई बहुत गहरी होगी। और उसे पाटना बहुत मुश्किल। वर्तमान में भारतीय परिदृश्य में इसी प्रवृत्ति का अभ्यास चल रहा है। उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के अवसर प्रत्येक व्यक्ति को उनकी रुचि क्षमता एवं योग्यता के अनुसार मिलनी चाहिए तथा गुणवत्ता एवं मानक को बनाए रखना चाहिए।

iii. **3. भिन्न-भिन्न गुणवत्ता एवं मानक युक्त विद्यालयों की समाप्ति -**भारतीय परिदृश्य में अभी भिन्न-भिन्न स्थानों के विद्यालयों की गुणवता भिन्न-भिन्न हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों की गुणवत्ता में बहुत अंतर है। सरकारी एवं निजी विद्यालयों की गुणवत्ता एवं मानकों में भी बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है। इन विद्यालयों की गुणवता एवं मानकों में अंतर होने के कारण इन विद्यालयों में पढ़ रहे या पढ़ चुके विद्यार्थियों की गुणवत्ता में भी अंतर होता है। ये अंतर निम्न गुणवता एवं मानक वाले विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे या प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों में हीन भावना उत्पन्न कर देता है। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि अगर उन्हें भी उच्च गुणवता एवं मानक वाले विद्यालय में अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ होता तो वे भी अच्छा कर सकते थे । इस प्रकार विद्यालयों की गुणवता के कारण शिक्षा में स्तरीकरण को बढ़ावा मिलता है। अमेरिका में भी विद्यालयों की गुणवत्ता भिन्न-भिन्न है।

iv. **उच्च गुणवत्ता वाले पूर्व विद्यालयी शिक्षा के अवसरों में वृद्धि करना -**बच्चों के विद्यालयी शिक्षा के पूर्व के अनुभव, उनके विद्यालयी शिक्षा में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अमेरिका में शोधकर्ताओं द्वारा यह अनुमान लगाया है कि माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में जो अंतर दिखता है उसका एक मुख्य कारण विद्यार्थियों के विद्यालय पूर्व अनुभव (5 वर्ष की आयु से

पहले के अनुभव) हैं। जिन बच्चों के विद्यालय पूर्व अनुभव उच्च स्तरीय होते हैं या जिन बच्चों ने उच्च गुणवत्ता वाली पूर्व विद्यालयी शिक्षा ग्रहण की होती है वे आजीवन अच्छा प्रदर्शन करते हैं।

इस प्रकार हमनें विश्व के कुछ प्रमुख देशों में शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण, स्तरीकरण एवं निजीकरण के ,इए हो रहे प्रयासों को देखा। विश्व के अन्य देशों में भी यही उपाय या इसी प्रकार के उपाय अपनाए जा रहे हैं।

4.8 शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण, स्तरीकरण एवं निजीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों का प्रभाव

उपरोक्त विवेचन में हमने शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण, स्तरीकरण एवं निजीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की चर्चा की। इस खंड में हम इनके प्रभावों की चर्चा कर रहे हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरुप विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन स्थानों पर जहाँ विद्यालय नहीं थे वहाँ भी विद्यालयों की स्थापना हुई। नामांकन में भी वृद्धि हुई। धारण भी बढ़ा है लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होने के बजाय गिरावट आई है। विद्यालयों की संख्या में वृद्धि होने के साथ-साथ उनके स्तर में अंतर भी बढ़ा है। विविधस्तरीय विद्यालयों के कारण शिक्षा में स्तरीकरण को बडःआवा मिलता है। निजीकरण के फलस्वरुप विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है। निजी क्षेत्र के उद्यमियों के द्वारा अनेक शैक्षिक संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। लेकिन इन सभी विद्यालयों की गुणवत्ता एक जैसी नहीं है। उच्च गुणवत्ता वाले विद्यालयों में शिक्षा इतनी महँगी है कि वह आज भी सर्वसाधारण की पहुँच से बाहर है। इस प्रकार इन प्रयासों का प्रभाव वास्तविकता के धरताल पर नगण्य है और अभी इस दिशा में और सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है

अभ्यास प्रश्न

17. 'पुपिल प्रिमियम कार्यक्रम' की शुरुआत वर्ष 2011 में की गई थी (सत्य/असत्य)
18. 'एवरी स्कूल ए गुड स्कूल' अमेरिकी सरकार की एक योजना है (सत्य/असत्य)।
19. 'नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड ऐक्ट' की शुरुआत वर्ष 2005 में इंगलैंड में श्गुरु की गई थी (सत्य/असत्य) ।
20. 'द एवरी स्टुडेंट सक्सेस ऐक्ट' की शुरुआत वर्ष 2015 में फेडरल सरकार द्वारा की गई थी (सत्य/असत्य)।
21. चार्टर विद्यालयों की शुरुआत चिली में हुई थी (सत्य/असत्य)।
22. जापान में शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण के लिए प्रयास मेजी पुनर्स्थापान के समय हुई थी (सत्य/असत्य)।
23. रसिया में निजीकरण की शुरुआत 1990 से मानी जाती है (सत्य/असत्य)।

4.9 सारांश

प्रस्तुत इकाई का शीर्षक है शिक्षा का सर्वसाधारणीकरण, स्तरीकरण एवं निजीकरण है। इसलिए इस इकाई का प्रारंभ सर्वसाधारणीकरण, स्तरीकरण एवं निजीकरण के संप्रत्ययों के सरल एवं स्पष्ट व्याख्या के साथ किया गया है। इन संप्रत्ययों के पारस्परिक संबंध को भी स्पष्ट किया गया है। इसके पश्चात शिक्षा के सर्वसाधरणीकरण, स्तरीकरण एवं निजीकरण के लिए किए ज रहे विश्वव्यापी प्रयासों की चर्चा भी की गई है। इन प्रयासों के प्रभाव का भी उल्लेख किया गया है। शिक्षा को जन साधारण तक पहुँचा कर शैक्षिक अवसरों की असमानता को समाप्त करने के लिए इन संप्रत्ययों के अर्थ एवं इनके लिए किए जा रहे प्रयासों एवं उनके प्रभावों को समझना शिक्षाशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतः, यह इकाई शिक्षाशास्त्र के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए लाभप्रद है।

4.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सर्वसाधारणीकरण पद का आशय है किसी चीज को साधारण बनाना।
2. 5 मुख्य बातें हैं:
   i. प्रावधानों का सर्वसाधरणीकरण;
   ii. नामांकन का सर्वसाधारणीकरण;
   iii. धार्ण का सर्वसाधारणीकरण;
   iv. सहभागिता का सर्वसाधारणीकरण; तथा
   v. उपलब्धि का सर्वसाधारणीकरण
3. सहभागिता के सर्वसाधारणीकरण का आशय समुदाय को अपनी आवश्यकताओं को पहचानने, तत्संबंधी उत्तरदायित्व ग्रहण करने तथा शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण में अपनी निर्णायक भूमिका सुनिश्चित करने के लिए अभिप्रेरित करना होगा।
4. गिलबर्ट के अनुसार, सामाजिक स्तरीकरण समाज का उदग्र समूहों में, जो एक-दूसरे से श्रेष्ठता एवं अधीनता के संबंध से संबंधित होते हैं, विभाजन है।
5. निजीकरण वास्तव में एक प्रक्रिया है जिसे राज्य के स्वामित्व में रहे या राज्य द्वारा संचालित किए जानेवाली संपत्ति, प्रबंधन, प्रकार्य एवं दायित्वों का निजी क्षेत्र में हस्तांतरण के रुप में परिभाषित किया जा सकता है।
6. स्ट्रेटिफिकेशन
7. असमान
8. आरक्षण
9. जटिल, निरंतर

10. (1) - य
    (2) - अ
    (3) - ब
    (4) - स
    (5) – द
11. (अ) 21 'क'
12. (ब) भारत
13. (स) मुस्लिम
14. (द) पोषण
15. (य) 2009-10
16. निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा अनिवार्य माध्यमिक शिक्षा के साथ-साथ यह भी कहा गया था कि भारत सरकार के प्रत्येक तालुका में उच्च गुणवत्ता वाले माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करने के लिए निजी क्षेत्रों के सहायता प्रदान करनी चाहिए।
17. सत्य
18. असत्य
19. असत्य
20. सत्य
21. असत्य
22. सत्य
23. सत्य

4.11 संदर्भ ग्रंथ सूची एवं सहयोगी ग्रंथ

1. Coomans & Hallo de Wolf, 'Privatisation of Education and the Right to Education' in de Feyter & Gomez (eds.), *Privatisation and Human Rights in the Age of Globalisation*, 2005.
2. Dennis Gilbert (2002). *The American Class Structure: In An Age of Growing Inequality*. Pine Forge Press. *Retrieved from www. Wikipedia.org/wiki_Gilbert.*
3. Education at a glance in 2012: Russian Federation
4. Furze, B. and Healy, P. (1997) Understanding society and change in Stafford, C. and Furze, B. (eds.) Society and Change (2nd Ed), Macmillan Education Australia, Melbourne

5. Gordon Marshall (ed.) (1998). A Dictionary of Sociology (Article: Sociology of Education), Oxford University Press.
6. Hayek, Friedrich A. (1960). The Constitution of Liberty. London: Routledge and Kegan Paul
7. Henry, M., Knight, J., Lingard, R. and Taylor, S. (1988) Understanding Schooling*:* An Introductory Sociology of Australian Education, Routledge, Sydney *Industry*. London: Routledge.
8. Murray, W. R. (1944). Introductory Sociology. F. S. Crofts & Co.
9. Soros, G. (1998). *The Crisis of Global Capitalism: Open Society Endangered*. New York: Public Affairs.
10. Srivastava, P. (2016). Questioning the Global Scaling-Up of Low-fee Private Schooling: The Nexus between.

4.12 निबंधात्मक प्रश्न

1. शिक्षा के सर्वसाधरीकरण को अपने शब्दों में परिभाषित करें।
2. शिक्षा में स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं?
3. शिक्षा के निजीकरण का अर्थ स्पष्ट करें।
4. शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण, स्तरीकरण एवं निजीकरण के मध्य संबंध स्थापित करें।
5. शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण के लिए भारत सरकार की मुख्य योजनाओं का विस्तृत वर्णन करें।
6. जापान में शिक्षा के सर्वसाधारणीकरण पर एक निबंध लिखें।
7. अमेरिका में शिक्षा के निजीकरण के संदर्भ में जो प्रयास किए गए हैं, उनका वर्णन करें।
8. भारतीय सरकार द्वारा किए जा रहे अनेक प्रयासों के बाद भी अब तक शिक्षा में स्तरीकरण को भारत से समाप्त नहीं किया जा सका है। आपके विचार में इसके क्या कारण हो सकते हैं।